खण्ड-348, अंक-3
गुरूवार, 9 माघ, शक संवत् 1902
(29 जनवरी, 1981 ई0)

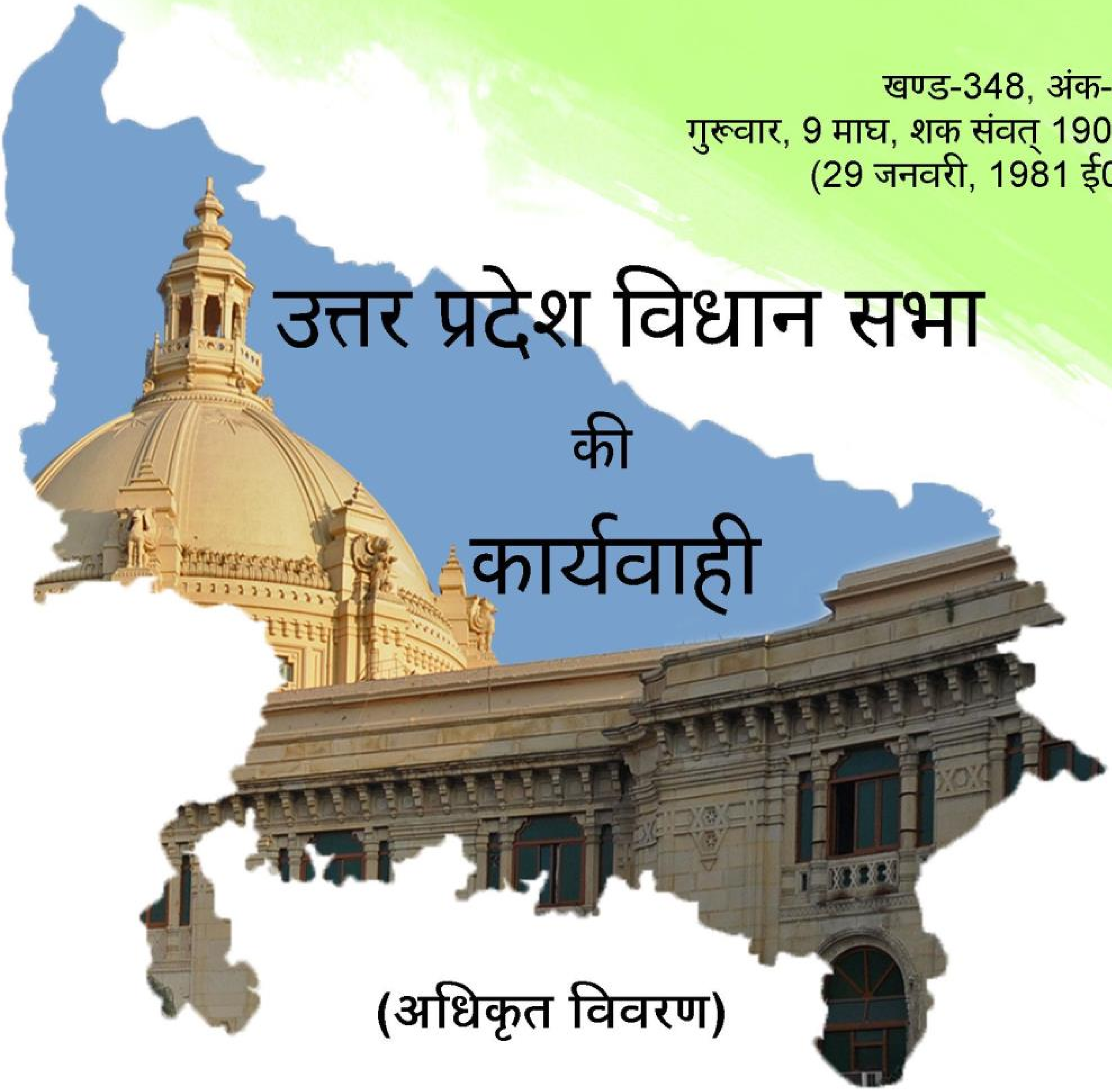

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 348 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	267–270
प्रश्नोत्तर	271–349
रबी अभियान के लिए झांसी तथा ललितपुर जनपद के लिए आवंटित खाद तथा बीज किसानों में वितरित न किये जाने से किसानों को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	349
थानाध्यक्ष बनकटा देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत तथा श्री इन्द्रासन मिश्र द्वारा आत्मदाह की धमकी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	349–350
बांदा जिले के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में ओलावृष्टि से क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	350
भारत नैपाल सीमा पर हो रही तस्करी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	351
फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़ नगरों में राशन की दूकानों में गेहूं व आटा कम दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	351–352
अष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं कृत कार्यवाही का विवरण .. (सदन के पटल पर रखा गया)	352
कृषि मंत्री श्री बलराम सिंह यादव के विरुद्ध उठायी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	353–354
विद्युत मंत्री श्री ब्रह्मदत्त के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	354
कल दिनांक 28–1–1981 को सदन में श्री हरिवंश सहाय का तार मुख्य मंत्री के पास भेजने की सूचना का खंडन ..	355
उत्तर प्रदेश नर्सेज एन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	355
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	356
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	357–409
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	409–410
नस्थियां	411–426

मध्य प्रदेश विधान सभा

बृस्पतिवार, दिनांक 29 जनवरी, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—346

अकबर अहमद, श्री — ननीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री — बरेली
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह श्री — शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री — कानपुर
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्याण सिंह, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायू
कैलाश चन्द्र, श्री — एटा
कैलाश टन्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुदादान अन्सारी, श्री — देवरिया
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री — बहराइच
खैरूल बशर, श्री — आजमगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री — आगरा
गेन्दा देवी, श्रीमती, — बस्ती
गोपी नाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोवर्धन, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री — बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
चरनजीत सिंह, श्री — पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री — पिथौरागढ़
छतर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी

छदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री — मनपुरी
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री — बरेली
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेता', श्री — फैजाबाद
जोराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री — मेरठ
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री — आजमगढ़
दलगजन सिंह, श्री — जालौन
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन बन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पान्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — कानपुर
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
ध्रुपराय, श्री — देवरिया
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
निर्मल कुमार, श्री — फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
पंचानन, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रेमवती, श्रीमती — बदायू
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर, श्री — रामपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री — इटावा
बलवीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री — रामपुर
बलदेव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
बृज किशोर मिश्र, डा० — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री — लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवतीदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भास्कर पान्डेय, श्री — देवरिया
भाखा लाल, श्री — उन्नाव
भीम सिंह, श्री — मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री — कानपुर

भूपसिंह केन, श्री — गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
मंगलदेव, श्री — गोंडा
मन्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री — बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
महावीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद पान्डेय, श्री — बस्ती
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकन्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुंशी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खाँ, श्री — रामपुर
मेहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर — गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ, श्री — मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री — वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रत्ना राम, श्री — बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री — रायबरेली
रज किशोर राव, श्री — बहराइच
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजमंगल पान्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री — मुरादाबाद
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नरायन, श्री — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
रामपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राम प्यारे पान्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
राम लाल, श्री — सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह, श्री — सहारनपुर
राम सिंह, श्री — सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री — बरेली
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री — सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रियाजुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी

रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रूप राम, श्री — शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री — एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकपति, श्री — मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री — मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री — गाजीपुर
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री — आगरा
विद्या भूषण, श्री — मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरीगढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा० — पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विशन लाल, श्री — बिजनौर
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर — गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री — वाराणसी
शंकर सिंह, श्री — जालौन
शम्भूनाथ श्री — आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री — बांदा
शिवदर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर — कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री — नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
शिव बालक, श्री — रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर — पौड़ीगढ़वाल
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
शोभनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
श्रीपति मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
सतीश अजमानी, श्री — खीरी
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सन्त बख्श रावत, श्री — लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) — गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री — जालौन
सुल्तान सिंह, श्री — मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी
सूरजभान, पंडित — अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री — जौनपुर
सैयद जकीउद्दीन, श्री — मेरठ
सोपांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
स्वामी नेमपाल, श्री — बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री — हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री — एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री — सीतापुर
हरदेव, श्री — बलिया
हरनारायन सिंह, श्री — रायबरेली
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री — बांदा
हरिद्वार पान्डेय, श्री — गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री — उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री — देवरिया
हरि सिंह, श्री — बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री — कानपुर
हरिशंकर, श्री — हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री — मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

नोट—मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी अधिवेशन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 29 जनवरी, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला चिकित्सालय, बरेली की नर्स श्रीमती कमलेश सिसोदिया एवं डाक्टरों के बीच मार पीट की घटना

*1--श्री चैतराम गंगवार (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला चिकित्सालय, बरेली में 17 जून, 1980 को प्रशिक्षणरत नर्स श्रीमती कमलेश ठाकुर के साथ वहां के कुछ डाक्टरों ने छेड़छाड़ तथा मारपीट की और जिसकी रिपोर्ट भी एक महिला कर्मचारी श्रीमती कलावती द्वारा कोतवाली में उसी दिन लिखायी गयी जिसमें चिकित्सकों पर मारपीट करने तथा महिला कर्मचारियों से उनकी घड़ी, अंगूठी तथा 60·00 (साठ रुपया) छीन लेने का आरोप लगाया है ? यदि हां, तो सारी घटना क्या है ? सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

दिनांक 17 जून, 1980 को जिला चिकित्सालय बरेली के दो इंटर्न डाक्टर्स का कुमारी कमलेश सिसोदिया छात्र नर्स के साथ झगड़ा हुआ था । श्रीमती कलावती देवी, वार्ड आया द्वारा थाना कोतवाली, जिला बरेली में चिकित्सालय के इंटर्न डाक्टरों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी जिसमें उनके पति से घड़ी, अंगूठी तथा 60 रुपया छीन लिये जाने का उल्लेख किया गया है किन्तु उक्त एफ0 आई0 आर0 में कुमारी कमलेश सिसोदिया, छात्र नर्स से हुये झगड़े का कोई जिक्र नहीं है । मामले की न्यायिक जांच नगर मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सारी घटना का पता लग सकेगा और उसी के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद के सिटी होटल की नर्सों की कथित गिरफ्तारी

*2--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद की नर्सों को 1 अप्रैल, 1980 को सिटी होटल हेवेट रोड, इलाहाबाद में छापा मार कर कोतवाली के इन्सपेक्टर ने गिरफ्तार किया था और होटल मालिक के लड़के तथा नर्सों का चालान किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में पर्चा भी बांटा गया है जिसमें क्लर्क, संयुक्त निदेशक एवं मुख्य

चिकित्सा अधिकारी का नाम लिखकर आरोप लगाया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही अब तक की है ? क्या सरकार उस पर्चे की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

सिटी होटल के पास गिरफ्तारियां हुई थीं परन्तु घटना का सम्बन्ध नर्सों से नहीं था और न कोई नर्स गिरफ्तार हुई न किसी का चालान किया गया (ऐसा पर्चा प्राप्त हुआ है) मामले की विस्तृत जांच करायी गयी । आरोप निराधार पाये गये । अतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं पैदा होता । प्रश्नगत पर्चे की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 411 पर)

श्री ऊदल--

इस मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ?

श्री हरि सिंह--

इसकी जांच इलाहाबाद के जो एडिशनल एस0 पी0 हैं, उनसे करायी गयी और उन्होंने लिखा है कि इसका सम्बन्ध नर्सों से नहीं था । कुछ और लोग इससे सम्बन्धित थे, जिन्हे दफा 151 व 107 में गिरफ्तार कर लिया गया । यह वाकया अलग से था ।

श्री ऊदल--

जो अलग से हुआ वाकया बताया गया है क्या इसका सम्बन्ध था ?

श्री हरि सिंह--

जी नहीं, नर्सों से इस वाकयों का कोई सम्बन्ध नहीं था ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, उत्तर जो मन्त्री जी द्वारा दिया गया है, उससे जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर स्पष्ट नहीं होता है । प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या सिटी होटल हीवेट रोड, इलाहाबाद के किसी कमरे में इन्सपेक्टर द्वारा छापा मारा गया । यदि हां, तो कौन-कौन पकड़े गये ?

श्री हरि सिंह--

छापा नहीं मारा गया । जो जानकारी मिली है उससे विदित होता है कि होटल के पास कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे, उनको पकड़ा गया । छापे मारने का कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है ।

[दिनांक 29 जनवरी, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आलमबाग, लखनऊ, मोहल्ला भोला खेड़ा के तालाब को पाटने की मांग

1--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित आलमबाग के भोला खेड़ा मोहल्ले में एक बहुत बड़ा तालाब (श्री हर सहाय श्रीवास्तव, घोश

चन्द्र, उमाकान्त श्रीवास्तव, गुलशन शर्मा के मकान के पीछे) कच्चे गड्ढे के रूप में है जो वर्षा ऋतु में प्रत्येक वर्ष भर जाता है जिससे उक्त मोहल्ले में स्थित मकान एवं सड़कों का आवागमन बन्द हो जाता है तथा इस वर्ष वर्षा ऋतु में अनेक मकान भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब को पटाने की व्यवस्था कराकर जन-जीवन को इस भीषण कठिनाई से राहत दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

जी हां ।

संदर्भित तालाब के चारों ओर स्थित मकानों से आने वाली गन्दी नालियों का पानी भूमि के ढाल के अनुसार इसी तालाब में आता है । वर्षा अधिक होने के कारण तालाब का पानी ऊपर बहकर रास्तों एवं मकानों में भर जाता है । पानी की निकासी का कोई अन्य साधन न होने के कारण पानी इसी तालाब में सोखता है । फिलहाल इस तालाब को पाटने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि वर्षा अधिक होने के कारण तालाब का पानी ऊपर बहकर रास्तों और मकानों में भर जाता है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि इसके बारे में कई प्रार्थना-पत्र भी दिए गये फिर भी वहां के मकानों को जो क्षति होती है, उसमें नालियां या ऐसे साधन उपलब्ध क्यों नहीं कराये गये, जिससे जो पानी वहां पर भरता है उससे वे लोग बच सकें ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जायेगा वैसे-वैसे यह कार्य किया जायेगा ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

इसके लिये एक बार लिखा पढ़ी हुई थी और उसमें इस कार्य को करवाने की स्वीकृति भी हो चुकी है । फिर भी यह काम ठप्प हो गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

इस तालाब को पाटने का कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ कभी ।

श्री हुकम सिंह--

क्या इसका इस्टीमेट बनवाया गया है कि इस कार्य में कितना खर्च आयेगा, अगर थोड़ा खर्च आता है तो इस कार्य को करवाने में क्या दिक्कत है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

इस तरह की समस्या पूरे नगरों में है और उसके लिये करोड़ों रुपये के खर्च की जरूरत है । जैसे-जैसे धन उपलब्ध होगा यह कार्य कराया जायेगा ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

यह गढ़ढ़ा 300 फीट लम्बा, 500 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा है। इसमें कोई बहुत अधिक धन खर्च नहीं आयेगा, तो मैं जानना चाहती हूं कि कब तक यह गड्ढा पटवाने का कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। इसे पटवाने की कोई योजना अभी शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री मित्रसेन—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्षा में इस वर्ष इस मोहल्ले में कितने मकान गिरे हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामआसरे वर्मा—

इस तालाब के कारण आस-पास के रहने वालों को अनेकों कठिनाईयां और दिक्कतें होती हैं। इसको तथा माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए क्या सरकार इस तालाब को पटवाने पर विचार करेगी

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

अवश्य विचार किया जायेगा।

आयुर्वेदिक शिक्षक संघ का मांग-पत्र

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें कोई मांग-पत्र आयुर्वेदिक शिक्षक संघ की ओर से अक्टूबर, 1980 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इन मांगों को पूरा करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री हरि सिंह—

जी हां, ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, शिक्षक संघ का एक पत्र प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र पर निदेशक आयुर्वेद एंव यूनानी सेवा की आख्या/ संस्तुति शासन को प्राप्त हो गई है तथा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो मांग पत्र आया है उसमें मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और उन के बारे में निदेशक महोदय ने क्या संस्तुति की है ?

श्री हरि सिंह—

उनके मांग पत्र में दो मांगे मुख्य हैं एक तो प्रेचुइटी की मांग है दूसरे परमानेन्ट करने की मांग है। मुख्य यही दो मांगें हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे की जिन विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन बकाया था, वह क्या शासन द्वारा तत्काल देने पर विचार किया गया है ?

श्री हरि सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, जब इन कालेजों का प्रान्तीयकरण किया गया था, तो बहुत सी लायबलिटी सरकार पर आ गयी । इसमें बहुत सी छानबीन की जा रही है । इसके संबंध में विभाग की पूरी सहानुभूति है । एक समिति भी गठित कर दी गयी है, जो कि सारे मसले को देख रही है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मांग पत्र में जिन मांगों का उल्लेख किया गया है और शासन की नीति भी है की तीन साल पूरे हो जाने पर उनके कार्यान्वियन के आदेश जारी कर दिये जायंगे, तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके कार्यान्वियन के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, किसी काम को पूरा करने के लिए समय की जरूरत होती है । इसमें सिर्फ इतनी कठिनाई है । इसको हम जल्दी निपटायेंगे और हम इस संबंध में अलग से भी बात करना चाहते हैं । हम चार कालेजेज को और प्रान्तीयकरण करने जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी इस स्तर पर कोई आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जिन पर शासन विचार कर रहा है, वह कब तक पूरा होकर आदेश जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री हरि सिंह--

यह जल्द से जल्द पूरा करके आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

श्रीपुर सहकारी गृह निर्माण समिति, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र

*3--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13-10-80 को अध्यक्ष, श्रीपुर सहकारी गृह निर्माण समिति (रजिस्टर्ड) लखनऊ ने जो प्रार्थना पत्र समिति के 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि, ग्राम फतेहपुर लखनऊ के किन्हीं जाल साज लोगों द्वारा धुआविजा लिए जाने के सम्बन्ध में दिया है, उसके लिए कौन-कौन अधिकारी तथा कर्मचारी दोषी पाये गये हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और समिति को उनकी भूमि का कब्जा दिलाये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल --

श्रीपुर सहकारी गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री लाला प्रसाद जोशी का प्रत्यावेदन दिनांक 10-10-80 शासन को प्राप्त हुआ। शासन में उपलब्ध अभिलेखों

के अनुसार भूमि का प्रतिकर मुबलिग रु० 68789'63 हितबद्ध व्यक्ति श्री जगदीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री टीकाराम जोशी, निवासी 26-ए शेशबाग, रामनगर, लखनऊ द्वारा प्राप्त किया जा चुका था। समिति ने इस लक्ष्य को अपने प्रत्यावेदन में जाली बताया है।

2--अतः अब जांच के उपरान्त ही यह सिद्ध हो पायेगा कि श्री जगदीश चन्द्र जोशी द्वारा प्रतिकर प्राप्त किया गया या नहीं। उसके पश्चात् दोषी अधिकारी तथा कर्मचारी के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जाने की स्थिति उत्पन्न हो पायेगी।

3--इस वक्त यह प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्हें प्रत्यावेदन मिल चुका है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच किस अधिकारी के द्वारा की जा रही है और जांच के आदेश किस समय और कौन सी तिथि को किया गया है और जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, मैंने इस मामले को देख लिया है। मैं इस जांच से सन्तुष्ट नहीं था लिहाजा इसकी जांच सी० आई० डी० से करवाई जायगी।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, कब इसके आदेश दिये गये हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सी० आई० डी० जांच के आदेश मैंने दे दिये हैं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, कब आदेश दिये गये हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

श्रीमन्, जांच के आदेश मैंने कल ही कर दिये हैं और जांच शीघ्र ही पूरी हो जायेगी।

फतेहगढ़ जिले के योग महाविद्यालय की मान्यता

*4--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फतेहगढ़ में शासन से मान्यता प्राप्त एक आयुर्वेदिक शिक्षण संस्था इस समय चल रही है जो योग आयुर्वेदाचार्य की डिग्री प्रदान करती है और वहां छात्रों ने प्रवेश इस आश्वासन पर लिया है कि यह शासन से मान्यता प्राप्त कोर्स है ? यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है ?

श्री हरि सिंह--

फतेहगढ़ में चल रहा योग आयुर्वेद महाविद्यालय तथा उसका कोर्स शासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उक्त संस्था द्वारा छात्रों को प्रश्नगत आश्वासन दिये जाने के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शासन के बगैर स्वीकृति के आयुर्वेद की कोई संस्था चलाई जा रही है ? इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का जब प्रवेश हुआ तो क्या अखबारों में एडवर्टाइज नहीं किया गया था ? क्या यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है ?

श्री हरि सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अभी उत्तर में कहा कि वह सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है । जहां तक अपनी संस्था बनाने का प्रश्न है, वह संविधान के मुताबिक इसके लिये स्वतन्त्र है चूंकि सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए हमारा उस पर कन्ट्रोल नहीं है । मान्यवर, हमको अखबार का एडवरटाइजमेन्ट देखने का नहीं मिला । अगर धोखाधड़ी की बात करते हैं, तो हमारे विभाग से ताल्लुक नहीं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई । इसलिये कि यहां जिन छात्रों का प्रवेश है, उन्होंने माननीय मन्त्री जी और विभाग को कोई शिकायत भेजी है कि उनको धोखा देकर प्रवेश कराया गया । तो, क्या इसमें मन्त्री जी सी० आई० डी० से जांच कराने की कृपा करेंगे कि कितना बड़ा धोखा नवयुवकों के साथ हुआ है ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, इस विभाग में किसी विद्यार्थी का पत्र और शिकायती चिट्ठी नहीं मिली । इसलिए कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है । इस संदर्भ में निवेदन कर दूं कि कोई प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन बढ़ाना चाहती है, तो पाबन्दी नहीं । हम उसमें इन्टरफियरेंस करें, यह सूचना का प्रश्न है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि बिहार में राजकीय स्कूल खोले गये और बिहार में पाबन्दी लगा दी गयी थी और सुप्रीम कोर्ट से वैध रही है । क्योंकि वह चिकित्सा साइंस की बात है, तो इस बात को देखते हुये क्या इसमें हस्तक्षेप करेंगे ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में तीन प्रकार के स्कूल एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चल रहे हैं । इस समय एक वे हैं जो उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत हैं और दूसरे वे जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत है, जो भारत सरकार के अन्तर्गत हैं । तीसरे वे जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन के द्वारा और चौथे वे जो अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् के द्वारा । तो अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने अपनी मान्यता समाप्त कर दी है चिकित्सा पर । हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चल रहा है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है डा० ओडप्पा की अध्यक्षता में जो इस पर विचार कर रही है कि किस प्रकार से जो अवैधानिक कालेज खुलते जाते हैं, उन पर रोक लगा दी जाय । संस्तुति आने पर उसको सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी भी कालेज में चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, उसके विद्यार्थियों की परीक्षा और उनकी ट्रेनिंग और पढ़ाई बिना मान्यता के कैसे हो सकती है ? क्या शासन इस पर विचार करेगा ?

श्री लोकपति—

मैंने अनुरोध किया कि मान्यता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन को नहीं । जिनका है, उनको एक मिन में मान्यता समाप्त कर दिया । अखिल भारतीय शिक्षा चिकित्सा परिषद ने उसको समाप्त कर दिया लेकिन अभी हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चल रहा है ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, इस तरह से प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन बनाकर आयुर्वेदिक स्कूल खोले जा रहे हैं जबकि उनको मान्यता नहीं मिली । यह भी तथ्य सामने आया कि काफी चिट्ठियां और धोखाधड़ी बालकों के साथ की जाती है और इस प्रकार का रोजगार फैला हुआ है । माननीय मन्त्री जी ने बताया कि स्वायत्तशासी संस्था थी और शासन के अन्डर नहीं, इसलिए उनका कन्ट्रोल नहीं । लेकिन चूंकि धोखा-धड़ी और चीटिंग का मामला है, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस पर ऐक्शन लेने के लिये इसको कनसर्न्ड विभाग को भेजेंगे ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, अभी धोखाधड़ी का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हिन्दी साहित्य सम्मेलन से मान्यता है ।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, उसकी अंतिम पंक्ति को देखने का कष्ट करें जिसमें लिखा है 'और जहां छात्रों ने प्रवेश इस आश्वासन कर लिया है कि यह शासन से मान्यता प्राप्त कोर्स है' तो यह स्पष्ट आरोप है । अगर शासन से मान्यता प्राप्त नहीं है तो क्या सरकार इस बात को उपयुक्त नहीं समझती कि इसकी जांच करके विभाग द्वारा उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करे ?

श्री लोकपति—

जब तक शिक्षा समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती है । सदन उसके अन्तर्गत कोई कानून नहीं बना देता तब तक हमको कोई अधिकार नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री और राज्य मंत्री जी ने कहा कि विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ है । माननीय सदस्य, श्री तिवारी जी ने स्पष्ट आरोप लगाया कि धोखाधड़ी की गई, अखबारों में विज्ञप्ति छपी कि शासन से मान्यताप्राप्त है, तो यह मामला तो स्पष्ट रूप से 420 का है । क्या इसलिये माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री लोकपति –

हिन्दी साहित्य सम्मेलन कि मान्यता जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं, मान्यता प्राप्त नहीं है । मैंने अनुरोध किया कि शिक्षा समिति देख रही है । सदन में बिल आने वाला है, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक के प्रान्तीयकरण के सम्भवतः उसमें यह आये । जब तक नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

बाबा गुलाम शाह वारसी, बाराबंकी के नाम से सीमेन्ट का परमिट

*5—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी के जिलाधिकारी द्वारा 26-6-80 को 200 बोरी सीमेन्ट का परमिट नं0 856008 बाबा गुलाम शाह वारसी के नाम से जारी किया ? और क्या यह सत्य है कि मजार बनवाने के नाम पर ली गई सीमेन्ट को वांछित कार्य में न लगाने के बजाए काला बाजार में बेंच दिया गया था ? यदि हां, तो क्या शासन जाली परमिट दिलाने वाले और लेने वाले महानुभावों पर कोई कार्यवाही करने की सोच रही है ?

खाद्य मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

बाबा गुलाम शाह वारसी के नाम सन्त भागू शाह के मजार निर्माणार्थ जिला पूर्ति कार्यालय से 100 बोरी सीमेन्ट का परमिट नं0 856008 दिनांक 26 जून, 1980 जारी हुआ था ।

परमिट की सीमेन्ट की उठान नहीं की गई है । अतः सीमेन्ट को काला बाजार में बेचने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि जिस मजार के लिये परमिट जारी की गयी वह कहां है और किस माननीय सदस्य की संस्तुति की थी ?

श्री वासुदेव सिंह—

यह बाबा गुला शाह वारसी के नाम बड़नपुर रामनगर, तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी के नाम से परमिट लिया, 3 सौ बोरी का था किन्तु 100 बोरी का हुआ । उन्होंने सीमेन्ट उठाया नहीं । संस्तुति है माननीय श्याम लाल बाजपेयी जी के परम मित्र श्री गजेन्द्र सिंह की ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

संस्तुतकर्त्ता सदस्य का नाम माननीय मन्त्री जी ने नहीं बताया और मजार का सही स्वरूप नहीं बताया । मेरी जानकारी है कि वह सीमेन्ट उठी और उसकी निश्चित रूप से कालाबाजारी की गई ।

श्री अध्यक्ष—

नाम बता दें ।

श्री बासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य यदि कोई ऐसी बात करेंगे जिसकी जांच अपेक्षित होगी, तो जांच करायी जायेगी ।

श्री गजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है और बाबा गुलाम शाह की मजार का मामला है । यह सदन की गरिमा का प्रश्न हो गया है, इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा अवश्य कराने के आदेश दें ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मेरी जानकारी को सही मानकर इसकी जांच गुप्तचर विभाग द्वारा निश्चित रूप से कराने की आज्ञा दें ।

श्री अध्यक्ष--

मजार कहां है और संस्तुति किसने की यह उन्होंने बता दिया है । अब आप जाँच किस चीज की चाहते हैं ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मेरी निश्चित जानकारी है कि उस सीमेन्ट की कालाबाजारी की गई । वह कहते हैं कि सीमेन्ट नहीं उठायी गयी । इसकी जांच करने के आदेश दें ।

श्री मोहन सिंह--

चूंकि सदन के सामने झूठे तथ्य मन्त्री जी दे रहे हैं इसलिए यह प्रिविलेज में जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में उत्तर तो स्पष्ट आ गया है कि कालाबाजारी में बेचने प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं इस बात को चैलेंज करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह मामला बहुत ही गम्भीर है कि सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने सीमेन्ट के लिए संस्तुति की और उस दल के एक सदस्य निश्चित आरोप लगा रहे हैं कि सीमेन्ट कालाबाजारी में गयी, तो क्या मन्त्री जी इसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों से कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री बासुदेव सिंह--

मैं जांच की जरूरत नहीं समझता ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य चैलेंज पूर्वक कहते हैं कि सीमेन्ट उठा और यह आरोप लगाते हैं कि अफसर-शाही ने लीपा-पोती कर दी। सीमेन्ट उठा और ब्लैकमार्केट में गया तो इसकी दुबारा इन्क्वायरी में मन्त्री जी को क्या एतराज है। सदन के सामने आ चुका है कि इसकी जांच हो और विशेषाधिकार का जैसा मामला उठा, मैं समझता हूं कि यह उसमें दे दिया जाये।

श्री वासुदेव सिंह—

जो प्रश्न था उसका जवाब सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इससे कोई ऐसी बात नहीं उठती जिसकी जांच अपेक्षनीय प्रतीत हो। यदि नेता, विरोधी दल अपनी जानकारी पर लिख कर दें ऐसा कोई मामला, तो जरूर दिखवा लूंगा।

(शोर)

श्री मोहन सिंह—

यह पूरे सदन का मामला है, मान्यवर

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नहीं समझता कि माननीय मन्त्री जी को शंका कहां उत्पन्न हो गयी है। सदन के अन्दर मुझे थोड़ी शंका हो गयी है। माननीय सदस्य ने हाउस के अन्दर कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, मेरे लिखने से क्या होगा मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का भी उतना ही सम्मान होना चाहिये, जितना मेरा। माननीय मन्त्री जी को जांच कराने में कोई हेजीटेशन नहीं होना चाहिये।

श्री वासुदेव सिंह—

क्या मामला उठ रहा है, सदन के माननीय सदस्य क्या चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, हो सकता है कि माननीय मन्त्री जी को साफ नहीं हो सका। सदन के माननीय सदस्य इसकी जांच चाहते हैं। माननीय मन्त्री जी, जो रिप्लाई देते हैं, वह रिकार्ड के आधार पर देते हैं। उनके रिकार्ड के अनुसार सीमेन्ट नहीं उठा। माननीय सदस्य का स्पष्ट चार्ज है कि सीमेन्ट उठा और कागजात की लीपा-पोती की गयी। माननीय सदस्य का स्पेसिफिक चार्ज है कि सीमेन्ट की कालाबाजारी हुई और कागजात की लीपा-पोती हुई, तो इसकी जांच होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि विभाग का निदेश है कि 20 बोरा के ऊपर का परमिट कटाने

पर उसके लिये जूनियर इन्जीनियर अपना इस्टीमेट देगा । इस्टीमेट के पहले 20 बोरा से अधिक का परमिट किसी की संस्तुति पर नहीं कटेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस जूनियर इन्जीनियर ने इस्टीमेट दिया, कितने बोरा का दिया, उसका नाम बता दें और कब दिया ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह माननीय सदस्य की सिफारिश पर परमिट दिया गया है और इसकी सूचना की जरूरत होगी कि किस अधिकारी ने और किस निम्न अधिकारी ने इन सब बातों के लिये सिफारिश की थी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, सूचना मंगवा लीजिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मैंने तीन बातें कही थीं, मैं चाहता हूं कि उसका जवाब आ जाना चाहिये । आपके रिकार्ड से सीमेन्ट नहीं उठी । माननीय सदस्य का कहना है कि सीमेन्ट उठी, रिकार्ड में लीपापोती की गयी और सीमेन्ट ब्लैक में बेचा । इन तीनों को स्पष्ट कर दें ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य श्याम लाल बाजपेयी का प्रश्न था कि 200 बोरी सीमेन्ट एक मजार के नाम पर ली गयी और उसका ब्लैक कर दिया गया । मन्त्री जी का उत्तर यह है कि 100 बोरी सीमेन्ट स्वीकार हुई थी और वह उठायी नहीं गयी । इस उत्तर के बाद पुनः श्री श्याम लाल बाजपेयी ने कहा कि यह उठायी गयी है और इसकी कालाबाजारी हुई । इस पर संस्तुति हुई थी गजेन्द्र सिंह की, उन्होंने कहा था कि यह सही जगह के लिये सीमेन्ट जायेगी लेकिन वह भी चाहते हैं कि जांच की जाय । नेता विरोधी दल ने कहा कि इस बात की जांच की जाय कि उत्तर जो शासन ने दिया है कि सीमेन्ट उठायी नहीं गयी या जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि सीमेन्ट उठायी गयी । इसमें क्या सही है । इसके ऊपर मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि जांच का प्रश्न नहीं उठता है । इस पर नेता विरोधी दल और अन्य सदस्यों की भावनाओं के अनुसार क्या वह जांच कराना चाहते हैं ?

श्री वासुदेव सिंह--

जो जवाब दिया गया है उसके प्रति कुछ संदेह है यानी यह उठान हो गया है, ऐसा माननीय सदस्य का मत है । तो इसकी हम जांच करा लेंगे ।

नगरपालिका सांडी, जिला हरदोई के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*6--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि नगरपालिका सांडी, जिला हरदोई के कर्मचारियों को माह जून, 1980 से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगरपालिका सांडी के सफाई कर्मचारियों तथा रोशनी विभाग के कर्मचारियों का केवल एक माह का तथा अन्य कर्मचारियों का केवल दो माह का वेतन

भुगतान करना अवशेष है जो पालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन कर्मचारियों को वितरित नहीं किया जा सकी । शासन ने इस पालिका के कर्मचारियों के अवशेष वेतन के भुगतान हेतु 61,200 रु0 की धनराशि देने के आदेश दिनांक 22 दिसम्बर, 1980 को जारी कर दिये हैं और इस हेतु और भी धनराशि देने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारणों में नजूल लैन्ड का इंक्रोचमेन्ट, गृह-कर का सही निर्धारण न होना और 1974 से वाटर सप्लाई की योजना का शुरू न होना भी शामिल है ? यदि हां, तो उनको दूर करने में शासन क्या कदम उठा रहा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

माननीय सदस्य ने इन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, तो इसके लिये सूचना की जरूरत होगी, इसलिये इसको मैं दिखवा लूंगा और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मसरूर जाफरी--

मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में कहां-कहां नगरपालिकायें जनआकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही हैं ? यदि नहीं तो क्या नगरपालिका के अधिनियम में कोई संशोधन करने की योजना है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो व्यापक प्रश्न हो गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या नगरपालिका की आय बढ़ाने के वास्ते एक सीमा वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

इस पर सूचना की आवश्यकता होगी ।

जल निगम मुख्यालय, लखनऊ के आशुलिपिकों की वरिष्ठता-सूची

*7--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या 6821/अ-2/6 (आ0 लि0), दिनांक 8 नवम्बर, 1977 द्वारा जारी जल निगम मुख्यालय के आशुलिपिकों की वरिष्ठता सूची के अनुसार क्रमांक-14 तक के आशुलिपिकों को 1 जून, 1979 तक स्थाई करने एवं सेलेक्शन ग्रेड देने के बाद भी इस ग्रेड में 4 जून, 1979 से एक पद तथा 5-6 माह पूर्व से दो और पदों सहित कुल तीन पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त वरिष्ठता सूची के अनुसार क्रमांक 14 से बाद के तीन आशुलिपिकों को यह ग्रेड खाली होने की तिथि से क्यों नहीं दिया गया तथा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग

क्रमांक 14 के बाद वरिष्ठता विवादास्पद होने के कारण रिक्त तीन पदों पर आशुलिपिकों को सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया । इस सम्बन्ध में आशुलिपिकों की एक अनन्तिम (tentative) वरिष्ठता सूची, दिनांक 15 अक्तूबर, 1980 को आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु निर्गत की गई हैं । आशा है फरवरी, 1981 के अन्त तक वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और तत्पश्चात् पद रिक्त होने की तिथि से सेलेक्शन ग्रेड दे दिया जायेगा ।

श्री सन्त बख्श रावत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरी लिस्ट बन जाने के बाद वरिष्ठता का क्या विवाद था ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

आशुलिपिकों की जो सूची बनी हुई है उसमें वरिष्ठता को ठीक तरह से निर्धारित नहीं किया गया, तो उस पर आबजेक्शन उठाया गया । अब सारे आबजेक्शन को आमंत्रित किया गया है और सारे आबजेक्शन प्राप्त हो जाने के बाद फरवरी, 1981 तक मामला डिसाइड कर दिया जायेगा और वरिष्ठता के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड भी दे दिया जायेगा ।

गंगाजल प्रदूषण पर संगोष्ठी

*8—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सितम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में गंगाजल प्रदूषण पर संगोष्ठी, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भाग लिया, आयोजित हुयी ? क्या यह सही है कि इस संगोष्ठी में आम राय यह थी कि गंगाजल नहाने के योग्य नहीं रह गया तथा इसके निवारण हेतु संगोष्ठी ने ठोस समयबद्ध कार्यक्रम भी सुझाया ? यदि हां, तो कार्यक्रम के विवरण क्या हैं और उससे लागू करने के लिये सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

जी हां ।

इन्डियन मेडिकल एसोसिएशन की वाराणसी शाखा द्वारा यह संगोष्ठी आयोजित की गई थी । संगोष्ठी में गंगाजल के प्रदूषित होने की चर्चा भी हुई थी । प्रदूषण रोकने के सम्बन्ध में संगोष्ठी में व्यक्त किये गये सुझावों पर उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण परिषद् में विचार किया जावेगा ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सितम्बर मास में बनारस में गंगा जल प्रदूषण निवारण की एक संगोष्ठी हुई थी, उसमें माननीय मंत्री जी ने भी भाग लिया था । तब से अब तक बीच में पांच माह का समय व्यतीत हो गया है, इस अवधि में इस बीच में उत्तर प्रदेश जल

प्रदूषण की कोई बैठक बुलाई गई ? यदि नहीं, तो बैठक न बुलाने के कारण क्या है ?

श्री लोकपति—

यह राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है । अभी जब बनारस में साइन्स कान्फ्रेन्स हुई थी, उसमें भी यह विषय, गंगाजल प्रदूषण निवारण की बात आयी थी । वास्तव में इसमें कई प्रदेश सम्मिलित हैं जैसे हिमांचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली इत्यादि । इसकी कोई प्रक्रिया भारत सरकार अपना रही है इसी सन्दर्भ में ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण परिषद् की बैठक बुलाई गई या नहीं बुलाई गई ?

श्री लोक पति—

नहीं बुलाई गई ।

इटावा, औरय्या के महिला अस्पताल की आया, श्रीमती चन्द्राकली के साथ कथित मार-पीट की घटना

*9—श्री चेतराम गंगवार (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि इटावा जिला के औरय्या सरकारी डिस्पेन्सरी के एक चिकित्सक ने वहीं के महिला अस्पताल की वार्ड आया चन्द्राकली को दिनांक 5 अक्तूबर, 1980 को डंडों, जूतों, लातों से डट कर मारा पीटा ? यदि हां, तो सारी घटना क्या है तथा सरकार ने दोषी डाक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

इटावा जिले के औरय्या सरकारी अस्पताल के एक चिकित्सक द्वारा महिला अस्पताल की वार्ड आया श्रीमती चन्द्राकली के साथ हुये झगड़े की सूचना पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा द्वारा जांच करायी गई थी । जांच पर मारपीट की बात सत्य नहीं पायी गयी ।

बिल्हौर, जिला कानपुर म शकर का जाली परमिट

*10—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत बिल्हौर को माह सितम्बर, 1980 को असली कोटेदारों की जो 105 बोरी शक्कर जाली फर्जी परमिटों पर खाद्य निगम से उठा ली गयी ? उन फर्जी परमिटों पर किस-किस अधिकारी के हस्ताक्षर हैं ? तथा तत्सम्बन्धी जांच किसके द्वारा कराई जा रही है ? और वह जांच कब तक परिणाम देगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां । परमिटों पर तत्कालीन तहसीलदार श्री उदय शंकर पाण्डेय के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये थे । इसकी जांच श्रीकृष्ण गुप्ता, एस० एस० आई०, थाना

श्री बासुदेव सिंह--

बाबूपुरवा द्वारा की जा रही है तथा जिला पूर्ति कार्यालय के लिपिक श्री मकबूल अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। जांच परिणाम का समय निश्चित नहीं किया जा सकता है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह अफसोस की बात है कि प्रश्न जितना गम्भीर है वह उतनी गम्भीरता से इसको नहीं लिया जा रहा है। मान्यवर, अगर फर्जी दस्तखत होने लगेंगे तो सारा खजाना खोल दिया जायेगा, इससे बड़े से बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार का एक गैंग इसमें है। यह जो नियम 301 में हमने उठाया था, तो हमने पूर्ण विवरण इसका दिया था। अब जांच सरकार किससे करा रही है वह भी एक दरोगा से मैं यह जानना चाहता हूं मान्यवर, कि क्या मन्त्री जी इसकी जांच सी० आई० डी० से कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री बासुदेव सिंह--

अभी यह जांच हो रही है। जरूरत पड़ी तो सी० आई० डी० से भी करा ली जायगी।

श्री मोती लाल देहलवी--

मेरा निवेदन यह है कि इसमें मन्त्री जी यह बता दें कि परमिट पर जो फर्जी दस्तखत हैं क्या हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट से उसकी शिनाख्त कराई कि दस्तखत किसने बनाये ? फर्जी दस्तखत उस ने बनाये जो जेल भेजा गया या जिसका मैंने उल्लेख किया था, एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता, एक सांसद के पैड पर जाली दस्तखत बना दिये। कानपुर से दूसरे विधायक हरी किशन श्रीवास्तव के सामने वह एम० पी० स्वीकार कर चुके हैं। मामला गम्भीर है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर फर्जी दस्तखत किसने बनाये हैं ?

श्री बासुदेव सिंह--

जांच हो रही है, सारी बातें अभी बता दी जायं वह जनहित में नहीं होगा।

श्री मोती लाल देहलवी--

सी० आई० डी० से कराने में क्या आपत्ति है ? मामला गम्भीर है।

श्री बासुदेव सिंह--

मान्यवर, अभी तक जो कार्यवाही हो रही है उस से मैं समझता हूं कि मोती लाल जी देहलवी को सन्तोष है असन्तोष नहीं है। वह कह रहे हैं कि इस की जांच हो। मैंने कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ी और मोती लाल जी देहलवी और कोई तथ्य हमारे सामने रखें तो जरूर सी० आई० डी० की इनक्वायरी हो जायगी लेकिन जरूरत अभी तो नहीं है।

बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर के कर्मचारियों की हड़ताल

*11--श्रीमती गौरी देवी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्टूबर, 1980 में बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में

हड़ताल की थी ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरि सिंह--

इस कालेज के कर्मचारी माह अक्टूबर, 1980 में अपनी मांगों के समर्थन में क्रमिक अनशन पर बैठे थे। उनकी मांगें तथा उस पर कृत कार्यवाही का †विवरण संलग्न है।

श्रीमती गौरी देवी--

मांग नम्बर 1 के बारे में क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि शेष 34 कर्मचारी कब तक स्थायी कर दिये जायेंगे ?

श्री हरि सिंह--

जल्दी से जल्दी कर दिये जायेंगे।

आयुर्वेदिक कालेजों में बी० ए० एम० एस० में प्रवेश

*12--श्री सत्यपाल सिंह यादव तथा श्री नाजिर अली (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयुर्वेदिक कालेजों में बी० ए० एम० एस० (उपाधि पाठ्यक्रम) में प्रवेश पूल सिस्टम द्वारा हो रहा है ? यदि हां, तो मेरिट लिस्ट तथा वेटिंग लिस्ट में आये छात्रों को सूचना देने का क्या तरीका है ? क्या यह सच है कि सम्बन्धित कर्मचारी उक्त सूचना महाविद्यालय से सही समय व सही पते पर नहीं भेजते हैं और फलस्वरूप प्रवेश का दावेदार छात्र प्रवेश से वंचित रह जाता है और इन कर्मचारियों की प्राप्त छत्रछाया वाला अकुशल छात्र प्रवेश पा जाता है ? यदि हां, तो क्या शासन कोई ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे हकदार अपने हक से वंचित न रह जाय ?

श्री लोकपति--

जी हां, इस वर्ष भी गतवर्ष की भांति बी० ए० एम० एस० में प्रवेश पूल सिस्टम के आधार पर हो रहा है।

प्रवेश हेतु चयनित छात्रों को उनके चयन की सूचना उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में लिखे पत्र व्यवहार के पते पर 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक से तथा स्थायी पते पर साधारण डाक से भेजी जाती है। वर्तमान व्यवस्था समुचित है।

तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में अस्पताल निर्माण की मांग

*13--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील पर 50 बेड का संयुक्त अस्पताल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो इसी योजनान्तर्गत एक अस्पताल बनाने की योजना बस्ती जनपद की तहसील डुमरियागंज में शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वहां पर भूमि की उपलब्धता को देखते हुए भवन का निर्माण कब प्रारम्भ किया जा सकेगा ?

---

†छापा नहीं गया।

श्रीहरि सिंह--

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कतिपय तहसील मुख्यालयों पर संयुक्त अस्पताल के लिए भवन निर्माण कराये जाने सम्बन्धी योजना प्रस्तावित है। जिला बस्ती के तहसील डुमरियागंज में उक्त निर्माण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण वहाँ अस्पताल भवन बनवाने का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि यह प्रस्तावित है और जमीन न होने के कारण उसका बनना भी विचाराधीन नहीं है तो क्या मन्त्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर कि वहां पर पुराने अस्पताल के कैम्पस में जमीन उपलब्ध है और उसके अगल-बगल में भी जमीन उपलब्ध है, अस्पताल का निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

आप जमीन दिलाइये।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

ठीक है मैं जमीन की व्यवस्था करा दूंगा।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि हर तहसील हेडक्वार्टर में अस्पताल बनाने की योजना है तो क्या यदि वहां का विधायक तहसील हेडक्वार्टर में जमीन की व्यवस्था करा दें तो तभी आप वहां पर अस्पताल का निर्माण करायेंगे सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री लोकपति--

हर तहसील हेडक्वार्टर का प्रश्न अभी तो नहीं है इस समय प्रश्न डुमरियागंज का है।

वाराणसी, पड़ाव स्थित शाह कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्टरी से लिया गया सरसों के तेल एवं सोयाबीन के तेल का नमूना

*14--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पड़ाव स्थित एक गोदाम पर छापा मार कर लाखों रुपये का ऐसा तेल पकड़ा गया था जिसे केमिकल्स डाल-कर कड़ुआ (सरसों का तेल) बना कर बेचा जाता रहा है ? क्या उसका सैम्पुल भी लिया गया और उसमें क्या निकला ? क्या जिलाधीश, वाराणसी ने सैम्पुल पंजाब-चंडीगढ़ में भी केमिकल लेबोरेटरीज में टेस्ट के लिए भेजा था वहाँ की रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सत्य है कि इस तेल से पोलियो की बीमारी पैदा होती है ?

श्रीहरि सिंह--

दिनांक 13 मार्च, 1980 को पुलिस एवं जिला प्रशासन के सहयोग से वाराणसी में पड़ाव स्थित शाह कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्टरी के यहां छाप

मार कर सरसों के तेल के तीन और सोयाबीन तेल का एक नमूना प्राप्त किया गया। जांचोपरान्त सरसों के तेल के तीनों नमूने मिलावटी तथा सोयाबीन तेल नमूना विशुद्ध पाया गया। मिलावटी सरसों के तेल के नमूनों में कोलतार डाई पाया गया। जन विश्लेषक चण्डीगढ़ ने भी अपनी रिपोर्ट में सरसों के तेल के इन तीन नमूनों को मिलावटी तथा सोयाबीन के तेल के नमूने को विशुद्ध घोषित किया है। अपमिश्रित पाये गये नमूनों में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकद्दमा दायर कर दिया गया है।

इस बात की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती कि इन तेलों जिनमें कोलतार डाई पाया गया है, के प्रयोग से पीलिया की बीमारी होती है अथवा नहीं।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि इसके प्रयोग से पीलिया की बीमारी होती है। क्या मंत्री जी ने इसको चंडीगढ़ अथवा आगरा किसी भी लेबोरेटरी में जांच करवाई है? यदि नहीं करवाई है, तो क्या अब करवायेंगे?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, ऐसी रिपोर्ट नहीं आयी है कि इस तेल से पीलिया की बीमारी फैलती है या होती है।

*15--श्री जसवन्त सिंह 'विष्ट'--

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बढ़नी टाउन एरिया, जिला बस्ती में दुकानों का आवंटन

*16--श्रीमती कमला साहनी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जनपद के बढ़नी टाऊन एरिया द्वारा कुछ झोपड़ियों को हटाकर दुकानों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो जिन लोगों की झोपड़ियां हटाई गई हैं उन्हें ये दुकान न देकर उन्हें अनधिकृत लोगों को आवंटित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार मामले की जांच कराकर जिन लोगों की झोपड़ियां हटाई गई हैं, उन्हें उक्त दुकानों को आवंटित कराने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां।

जिन दुकानों का निर्माण कराया गया है उनमें से 30 दुकानें ऐसे व्यक्तियों को आवंटित की गई हैं जिनकी झोपड़ियां हटाई गयीं थीं।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि किसी अनधिकृत व्यक्ति को दुकानों का आवंटन नहीं किया गया है।

श्रीमती कमला साहनी--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि वहां पर कुल कितनी दुकानें बनीं और वे कितने लोगों को दी गई हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, लगभग 73 आदमियों को वहां से हटाया गया है और सभी लोगों को, जो बाकी 43 आदमी रह गये थे, उनको भी जगह दी जा रही है।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहती हूं कि निकट भविष्य में कब तक ये दूकानें बनकर तैयार हो जायेंगी और कब तक उन लोगों को दी जायेंगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

श्रीमन्, बहुत शीघ्र उनको स्थान दे दिया जायगा।

मैनपुरी नगर में सीवर लाइन की व्यवस्था

*17—श्री सूबेदार सिंह तथा श्री केदार नाथ सिंह—

क्या सरकार इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए कि मैनपुरी शहर में सीवर लाइन की व्यवस्था न होने के कारण वहां भयंकर गंदगी, मच्छरों का प्रकोप और बीमारियों का दौर बना रहता है, वहां पर सीवर लाइन की शीघ्र व्यवस्था पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मैनपुरी नगर में सीवर लाइन बिछाने की योजना उत्तर प्रदेश जल निगम के विचाराधीन है। जिसके प्राक्कलन उनके द्वारा बनाये जा रहे हैं परन्तु धनाभाव के कारण उसे कार्यान्वित करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

श्री सूबेदार सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो बातें कही हैं। एक ओर तो एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है और दूसरी ओर कहते हैं कि धन का अभाव है, इसलिए उसे लागू नहीं किया जा सकता, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि धन की पूर्ति कब तक हो जायेगी और कब तक उसको लागू किया जायेगा ? अगर धन नहीं है, तो एस्टीमेट इस वक्त क्यों तैयार किया जा रहा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सीवर का एस्टीमेट इसलिए बनाया जाता है, जिससे कि योजना आयोग से समय-समय पर धन उपलब्ध किया जा सके और जैसे ही हमें धन उपलब्ध हो जायेगा इनका निर्माण करा दिया जायेगा।

श्री सूबेदार सिंह—

कब तक धन मिलने की सम्भावना है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, समय बताना सम्भव नहीं है।

श्मशान भूमि, पत्तौरागंज, लखनऊ

*18—श्री मित्रसेन—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा विधान सभा की बैठक दिनांक 24-5-79 को पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सन्दर्भ में हिन्दुओं की प्राचीन श्मशान भूमि पत्तौरागंज, लखनऊ में लाशें गाड़ने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लगाई गई पाबन्दी के फलस्वरूप उसके स्थान पर जो वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था की गई थी उसकी क्या शासन से विधिवत् स्वीकृति ली गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह वैकल्पिक भूमि रेलवे विभाग की है और इस भूमि में भी लाशें गाड़ने की पाबन्दी लग गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में नागरिकों की ओर से नगर स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 14-10-80 व 30-10-80 को कोई शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इनमें मुख्य क्या-क्या बातें हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? और इसमें दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह लखनऊ का मामला है और बड़ा सेंसिटिव है । यह हिन्दुओं के दफनाने की जगह है, उसको वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर रोक लगा दी गयी है । वैकल्पिक व्यवस्था के होने तक हिन्दू अपनी लाशें कहां गाड़ेंगे और कहां जलायेंगे ? इस मामले को शासन कब तक तय कर देगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्रित करा रहे हैं शीघ्र सूचना एकत्रित करा कर कार्यवाही कर दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

15 दिन के बाद फिर यह प्रश्न आयेगा तब देखा जायेगा ।

परिवार कल्याण विभाग, आगरा की सामाजिक कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति

*19—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अतिरिक्त निदेशक एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या पक0 क0/2 अनु0/305/77-78/3778-4-21, दिनांक 30-9-1977 के अनुसार नगरमहापालिका, आगरा द्वारा संचालित नगर परिवार कल्याण केन्द्रों में कार्यरत तीन महिला सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को प्रसार शिक्षक के पदों पर समायोजित कर दिया गया है, परन्तु उन्हें वेतनमान स्नातक महिला सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का ही मिल रहा है ? यदि

हां, तो क्या उन्हें शीघ्र प्रसार शिक्षक पद का वेतनमान दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति—

जी हां, ऐसा भारत सरकार के निर्देशानुसार किया गया है। चूंकि प्रश्नगत तीन महिला सामाजिक कार्यकत्रियां प्रसार शिक्षक पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखती हैं। अतः भारत सरकार के निदशानुसार उन्हें महिला सामाजिक कार्यकत्रियों का वेतनमान ही दिया गया है।

अस्पतालों की दवाओं के क्रय एवं वितरण के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*20—श्री पंचानन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के पांचवे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं के क्रय एवं वितरण में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आये तथा दोषी डाक्टरों तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? क्या दोषी औषधि विक्रेता फर्मों को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की गई है ? क्या इस बात को देखते हुए कि जीवनरक्षक औषधियों म गंभीर अनियमितताएं की गई हैं, सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जिसके दवाइयां बनाने वाले तथा अधिकारियों को इस प्रकार की गंभीर अपराध के लिए मृत्यु दंड अथवा अन्य कोई कठोर दंड दिया जा सके ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत जांच अभी भी जारी है और लगभग अन्तिम चरण पर है। इस जांच के सम्बन्ध में इस स्टेज पर कोई अतिरिक्त विवरण दिया जाना जनहित में न होगा। जांच परिणाम ज्ञात होने पर ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करना सम्भव होगा।

इस सम्बन्ध में एक निवेदन है कि इस सत्र के अंतिम दिनों में कोई दिन मुकर्रर कर दें, हम सदन को अवगत करा देंगे तब तक हमारे पास रिपोर्ट भी आ जायेगी।

श्री पंचानन—

मान्यवर, पिछले सत्र में यह अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत हुआ था तब कहा गया कि तारांकित के रूप में जवाब दे दिया जायेगा। जब तारांकित आ गया, तो कहा गया कि जनहित में नहीं है और शरदकालीन अधिवेशन में बता दिया जायेगा, फिर कहा गया कि जांच चल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब तमाम राष्ट्रीय अखबारों में खबर छपती है कि इतना घोटाला पकड़ा गया, तो इस सदन को बताने में क्या कठिनाई है ? इसका दूसरा हिस्सा भी है जिसमें कहा गया है कि क्या सरकार कोई कानून बनाने पर विचार करेगी ताकि दोषी पाए जाने वाले लोगों को दंडित किया जा सके, तो यह तो नीति-

विषयक प्रश्न है कि सरकार कानून बनाने पर विचार करेगी। इसको बताने में क्या कठिनाई है ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, शरदकालीन अधिवेशन चल रहा है और इसी में बजट सत्र भी आ गया है तो इसी सत्र में निश्चित रूप से रिपोर्ट पेश कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने कह दिया कि इस सत्र में उत्तर दिया जायगा।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

स्थानीय निकायों के चुनाव की मांग

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों, नगरपालिका, टाउन एरिया कमेटी तथा नगर महापालिकाओं के आम चुनाव कब कराये जायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

स्थानीय निकायों के आम चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश में जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। जनगणना में प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारी कार्यरत हैं। अतः जनगणना का कार्य पूर्ण होने तक चुनाव न कराने का अनुरोध भारत सरकार ने किया है अन्यथा जनगणना का कार्य अस्त-व्यस्त हो जायगा।

मतदाता सूचियों को अद्यावधिक कराने तथा अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने के उपरान्त चुनाव कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर की तीसरी कंडिका में दिया गया है कि मतदाता सूची को ठीक कराया जा रहा है, तो इसी पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, वहां पर सरकार ने जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी थी उसे बदलकर फिर 21 कर दिया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस तरह का विचार कर रही है कि 21 साल से जो 18 साल की गई है, उसे फिर 21 साल करने का विचार कर रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

अभी समस्त मामला चुनाव का विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने जो प्रश्न पूछा है यह चुनाव के बारे में विचाराधीन है, उसका दूसरा हिस्सा मतदाताओं की आयु का है। चुनाव को तो बता दिया कि मामला विचाराधीन है, जिसकी कुछ परिस्थितियां बता दी।

यह तो नीतिगत मामला है। जनता पार्टी की सरकार ने 21 साल से घटाकर जो 18 साल मताधिकार की आयु कर दी थी, क्या उसको पलटने के बारे में वह विचार कर रही है ? नम्बर दो, यह सेन्सस का काम तो फरवरी-मार्च तक पूरा हो जाएगा, तो क्या अप्रैल और मई में आप चुनाव करा देंगे।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जहां तक 18 या 21 साल की बात है, उसे आपने प्रश्न में पूछा नहीं है, इसलिए उसका प्रश्न ही नहीं उठता। अब जो आपने पूछा है उसका जवाब है कि जैसे ही जनगणना का कार्य समाप्त होगा, इसका कार्य शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न कराने का प्रयास किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी ने अपने मूल उत्तर के कंडिका-3 में जो यह कहा है कि मतदाता सूचियों को अद्यावधिक कराने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण हो जाने के उपरान्त चुनाव कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, कहा है के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मान्यवर ने आज्ञा दे दी, तो क्या इसके बावजूद भी किसी मंत्री को यह कहने का अधिकार है कि प्रश्न नहीं उठता है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसमें कहां एलाऊ किया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

जनगणना की रिपोर्ट तो 31 मार्च तक पूरी होने को है, तो इसे देखते हुए क्या मंत्री जी इस बात की घोषणा फूल अप्रैल यानी प्रथम अप्रैल के दिन कर देंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री ऊदल—

आपने कहा कि जनगणना का कार्य हो रहा है, उसके बाद करा देंगे। जनगणना तो हो रही है, यह तय हुआ था कि नगरपालिका, नगरमहापालिका और टाउन एरियाज के चुनाव, 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं की सूची अलग से बनाकर कराये जाएंगे, तो क्या सरकार का इरादा इन चुनावों में 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को मताधिकार देने का है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो मतादाता सूची वाला रेफरेन्स दिया गया है, इसे इसके पहले भी बताया है और आज भी बताया है, तो जो शासन के पहले आदेश दिये गये थे कि 18 साल वालों की सूची बनाकर कराये जायं, आदेश क्या अब भी कायम हैं या कोई नये आदेश दिये गये हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मैंने आपसे कहा कि सारा मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पहले आदेश दिया गया था कि 18 साल की आयु के आधार पर सूची बनाई जाएगी और मंत्री जी ने अभी कहा है—'मतदाता सूचियों को अद्यावधिक कराने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण हो जाने के उपरान्त चुनाव कार्य प्रारम्भ किया जाएगा', इसके मायने हैं कि सूची बनाने का कार्य जारी है, तो उसी 18 साल के आधार पर सूची बनाने का कार्य जारी है या आप उसमें कोई रद्दोबदल पर विचार कर रहे हैं ? यदि आप कहते हैं कि वह भी विचाराधीन है, तो क्या सूची बनाने का कार्य रोक दिया गया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जब जनगणना का कार्य समाप्त हो जाएगा, तो सूची बनाने का काम अप-टू-डेट किया जाएगा, यही मैंने कहा है।

श्री अध्यक्ष—

मतदाता सूची बन रही है। आपका कहना है कि पहले 18 वर्ष की आयु के आधार पर सूची बनाने के आदेश थे, तो जो बन रही है वह पहले के आधार पर बन रही है या उसमें कोई परिवर्तन हो गया है ? यह आप बता दें ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जो शासन के पहले के आदेश थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो आदेश थे वही अब तक कायम हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद झा—

मतदाता सूचियों में उम्र भी लिखी जाती है, तो जब मंत्री जी ने मतदाता सूचियों का जिक्र किया तो यह भी बताना चाहिए ? मैं आपसे कंटेगे रिकली यह जानना चाहता हूं कि क्या आदमी बदल जाने से शासन की नीतियां भी बदल जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया है कि पहले आदेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री हुकम सिंह—

जनगणना का कार्य एक निश्चित अवधि के अन्दर समाप्त हो जाना चाहिये। यह निश्चित अवधि 31 मार्च तक समझी जाती है। जनगणना का कार्य समाप्त होने के कितने दिन के बाद आप चुनाव कराने का कार्य करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

शीघ्रातिशीघ्र।

श्री हुकम सिंह—

कोई निश्चित अवधि बताइये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पंचानन—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने यह फैसला किया था कि 18 वर्ष के लोगों को मतदान का अधिकार दिया जायेगा और ऐसे लोगों की सूची बनाई जायेगी। क्या अभी तक वह सूची नहीं बन पाई है और इसी कारण चुनाव में विलम्ब हो रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

सीतापुर जिले के ग्राम परसेंडी के नेत्र शिविर में नेत्र रोगियों की मृत्यु

**2—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मास जनवरी, 1980 के द्वितीय सप्ताह में जनपद सीतापुर के अन्तर्गत ग्राम परसेंडी में लगे नेत्र शिविर में गलत इंजेक्शन लगाये जाने से 5 नेत्र रोगियों की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उक्त कांड से सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरि सिंह—

जी हां। जनवरी, 1980 के द्वितीय सप्ताह में नहीं वरन् जनवरी, 1981 के द्वितीय सप्ताह में दिनांक 12 जनवरी, 1981 को यह दुर्घटना हुई थी।

ग्राम परसेंडी, जिला सीतापुर में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय द्वारा आयोजित नेत्रोपचार शिविर में दिनांक 12-1-1981 को नेत्र आपरेशन से पूर्व दिये गये इन्जेक्शन की प्रतिक्रिया (रिएक्शन) के कारण पांच रोगियों की मृत्यु हो गयी थी? समस्त शवों को तत्काल पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया था। औषधियों, खाली शीशियों तथा अन्य सम्बन्धित सामान को कब्जे में ले लिया गया है और ऐसे समस्त रोगियों को, जिनका आपरेशन हो चुका था, अग्रेतर उपचार हेतु सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रत्येक मृतक के आश्रित को एक हजार रुपया स्वीकृत किया जा चुका है। इस घटना की न्यायिक जांच तथा वैभागिक जांच हेतु आदेश दिया जा चुका है। जांच पूर्ण होने के उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उठेगा।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मास जनवरी, 1981 के द्वितीय सप्ताह में जनपद सीतापुर के अन्तर्गत ग्राम परसेंडी में लगे नेत्र शिविर में गलत इंजेक्शन लगाए जाने से 5 नेत्र रोगियों की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उक्त कांड से सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरि सिंह—

जी हां। जनवरी, 1980 के द्वितीय सप्ताह में नहीं वरन् जनवरी, 1981 के द्वितीय सप्ताह में दिनांक 12 जनवरी, 1981 को यह दुर्घटना हुई थी। ग्राम परसेन्डी, जिला सीतापुर में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय द्वारा आयोजित नेत्रोपचार शिविर में दिनांक 12-1-1981 को ने आपरेशन से पूर्व दिए गए इन्जेक्शन की

प्रतिक्रिया के कारण 5 रोगियों की मृत्यु हो गई थी। समस्त शवों को तत्काल पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया था। औषधियों, खाली शीशियों तथा अन्य संबंधित सामान को कब्जे में ले लिया गया और ऐसे समस्त अवशेष रोगियों को, जिनका आपरेशन हो चुका था, अग्रेतर उपचार हेतु सीतापुर नेत्र चिकित्सालय को स्थानान्तरित कर दिया गया।

प्रत्येक मृतक के आश्रित को एक हजार रुपये स्वीकृत किया जा चुका है। इस घटना की मैजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक जांच तथा वैभागिक जांच हेतु आदेश दिया जा चुका है। जांच पूर्ण होने के उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उठेगा।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नेत्र रोगियों को आपरेशन करने से पूर्व जो इन्जेक्शन लगाया गया, वह किस कम्पनी का था और कौन सा इन्जेक्शन उन्हें दिया गया और वह इन्जेक्शन कब तक वैलिड था ?

श्री हरि सिंह---

जांच से जो पता चला है, वह यह है कि जिस कम्पनी से दवा ली गई थी, वह कोई रजिस्टर्ड या रिकोग्नाइज्ड कम्पनी नहीं है, बल्कि उस पर किसी तरह का कोई लेबिल भी नहीं लगा है। इस सम्बन्ध में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि यह क्या है। यह बम्बई की कोई फर्म है।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

क्या ये इंजेक्शन सीतापुर नेत्र चिकित्सालय में तैयार किए जाते थे और ऐसे लोग तैयार करते थे जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है ?

श्री हरि सिंह---

यह बात सही है कि इंजेक्शन लगाने का काम एक फार्मेसिस्ट करता था जिसके पास कोई डिप्लोमा नहीं था, लेकिन पिछले अनेक सालों का उसके पास तजुर्बा था। एक दूसरा वार्डनमैन था, जो शीशियों को धोकर डिस्टिल्ड वाटर तैयार करता था। उस अस्पताल में डिस्टिल्ड वाटर तथा दवाई तैयार की जाती थी लेकिन तैयार करने वाले ट्रेन्ड नहीं थे।

श्री माता प्रसाद पांडेय---

केवल सीतापुर अस्पताल में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इंजेक्शन लगाये गये, आदमी मर गये, तो क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनायेगी जिसकी मृत्यु इस प्रकार की दवा से ही उसको आर्थिक क्षतिपूर्ति की जाय ?

श्री हरि सिंह---

माननीय सदस्य का अच्छा मशविरा मालूम होता है। इस पर विचार करके देखूंगा।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

क्या सरकार द्वारा इन इंजेक्शंस को बनाए जाने की अनुमति ली गई थी ?

श्री हरि सिंह—

कोई अनुमति या लाइसेन्स नहीं दिया गया था ।

श्री रियासत हुसैन—

बाम्बे की यह जो फर्म थी क्या वह रजिस्टर्ड थी और यदि रजिस्टर्ड नहीं थी, तो क्या किसी मेडिकल आफिसर द्वारा इस घटना के पहले इस ओर संकेत किया गया था कि इस फर्म द्वारा जो दवा सप्लाई की जा रही है, वह रजिस्टर्ड नहीं है ?

श्री हरि सिंह—

जैसा मैंने पहले उत्तर में निवेदन किया यह अस्पताल सीतापुर के एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है और सरकार की ओर से केवल उसे एड दी जाती है । सरकार केवल यह देखती है कि वह एड ठीक से खर्च हो रही है या नहीं । वह किस माध्यम से दवा लेता है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

इस इंजेक्शन का क्या नाम था ? अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया कि इसे बम्बई की फर्म से खरीदा गया या स्वयं तैयार किया गया और जिस चिकित्सा अधिकारी ने सब स्टैंडर्ड फर्म से दवा खरीदी, उसके खिलाफ क्या शासन ने कोई अब तक कार्यवाही की या नहीं की ? तीसरे पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है ?

श्री लोकपति—

उस इंजेक्शन का नाम पेथड्रीन है । डिस्टिल्ड वाटर तथा इंजेक्शन स्वयं अस्पताल तैयार करता है । रिएक्शन हुआ, इंजेक्शन लगने के बाद । इससे पूर्व भी इंजेक्शन लगे थे और इसके बाद भी 16 पेशेंट्स के लगाए गए हैं लेकिन कोई मृत्यु नहीं हुई । सीतापुर अस्पताल हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं इस देश का प्रतिष्ठित नेत्र संस्थान माना जाता है और इस प्रदेश के 19 जिले उससे सम्बद्ध हैं । अब एक्सिडेंट हो गया उसकी जांच हो रही है । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट इस विषय पर चुप है । काज आफ डेथ इज अननोन । इसकी जांच हो रही है । वह कैपसूल विश्लेषण के लिए भेजा गया है । विश्लेषण आने पर रिपोर्ट आपके सम्मुख रख दी जायगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मंत्री जी ने कहा कि यह चेरिटेबिल ट्रस्ट बम्बई से इंजेक्शन मंगाता है और उनको अपने ही ढंग से इस्तेमाल करता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसी चेरिटेबिल ट्रस्ट को इस बात की इजाजत है कि वह इस प्रदेश के मासूम लोगों को जहर दे दे दवाओं के नाम पर । मुझे मालूम है कि यू0 पी0 की सरकार ने कुछ फर्म्स को एप्रूव कर रखा है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी मरफिया के इंजेक्शन ले तो उससे ही ले ।

श्री लोकपति—

यह तो प्रश्न ही नहीं कि जहर दिया गया । वह प्रोकेन हाइड्रो क्लोराइड था । इन व्यक्तियों के पूर्व भी ये इंजेक्शन्स लगे और उसके बाद में भी 16 आदमियों के आपरेशन हुए । इन 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । बहुत से

लोगों को पेन्सलीन इंजेक्शन्स का भी असर हो जाता है। लेकिन वे ये डाक्टर हैं जिन्होंने 40–50 आपरेशन किए हैं। अतः सदन से मैं यह अनुरोध करता हूं कि जब तक सम्पूर्ण रिपोर्ट इस बारे में न आ जाए तब तक सीतापुर आई हास्पिटल के ऊपर कोई लांछन लगाने की कृपा न करें। अगर कोई अपराधी सिद्ध होगा, तो सदन सदैव सक्षम है कि उनके विरुद्ध ऐक्शन लिया जाय।

श्री ऊदल—

अनएप्रूव्ड फर्म्स से दवा खरीदी गई जिसके कारण 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 5 व्यक्तियों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री विद्या सागर नौटियाल—

इस भयानक दुर्घटना के बाद इस चेरिटेबिल ट्रस्ट का जो स्टाक है, इंजेक्शन्स आदि का क्या उसकी जांच कराई गई ?

श्री लोकपति—

जो पाउडर आदि बचा था उसको सील कर लिया गया है।

श्री मुख्तार अनीस—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीतापुर का जो आंखों का अस्पताल है, जिसकी प्रतिष्ठा प्रदेश में ही नहीं सारे देश में है उसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, वहां पर अच्छे डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं और पूरी व्यवस्था ही चौपट है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए परसैन्डी के जो 5 आदमी मरे हैं तो क्या सरकार इस सम्पूर्ण अस्पताल के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कराने की कृपा करेंगी।

श्री लोकपति—

जांच हो रही है।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट :—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

प्रदेश के पैथालोजी विभाग में लैब टेक्नीशियन के रिक्त पद

2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1978 में प्रदेश के किन-किन राजकीय चिकित्सालयों में पैथालोजी का व्यवस्था की गई। क्या यह सही है कि इस व्यवस्था को करते समय लैब टेक्नीशियन का पद रिक्त छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो इसके अभाव में कार्य का क्षति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार तत्काल उक्त पद सृजित कर टेक्नीशियन की नियुक्ति करने का कृपा करेगी ?

श्री लोकपति—

वर्ष 1978 में जिला अस्पताल ललितपुर, गाजियाबाद, एटा, बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, हरदोई तथा उन्नाव में पैथालोजी, विभाग के स्थापना के आदेश दिये गये थे तथा प्रत्येक स्थान के लिए एक-एक पद लैब टेक्नीशियन के भी स्वीकृत किये गये थे। लैब टेक्नीशियन के पद रिक्त रखने के सम्बन्ध में सूचनाएं सम्बन्धित जिलों से प्राप्त की जा रही हैं।

नगरपालिका, फर्रुखाबाद के अवकाश प्राप्त, शिक्षा अधीक्षक, श्री हरदयाल शर्मा का ज्ञापन

3—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि नगरपालिका, फर्रुखाबाद के अवकाश प्राप्त शिक्षा अधीक्षक (श्री हरदयाल शर्मा) को 23-1-69 से 6-9-69 तक अध्यक्ष, नगरपालिका की आज्ञा से अविशासी अधिकारी के पद पर कार्य करने का मानदेय अब तक स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि इस विषय में अनेक ज्ञापन एवं स्मृति पर्चे दिये गये ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग में पी० सी० एस० अधिकारियों की नियुक्ति की मांग

4—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह स्वास्थ्य विभाग में बेहतर व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर प्रशासकीय कार्य हेतु पी० सी० एस० अधिकारी की नियुक्ति तथा वरिष्ठ चिकित्सकों से शुद्ध चिकित्सा सेवा करने तक सीमित करने सम्बन्धी योजना पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू हो जाने की सम्भावना है ?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

ऐसी कोई योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है।

जय प्रकाश नगर एवं विशेश्वर नगर, लखनऊ की जल निकासी एवं सड़क

5—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जय प्रकाश नगर एवं विशेश्वर नगर, आलमबाग, लखनऊ के निवासियों की ओर से जय प्रकाश नगर

रोड से विशेश्वर नगर तक सड़क बनाने तथा इन मुहल्लों में जल निकासी के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 1-8-80 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

गत भीषण वर्षा के कारण निचली जमीन पर बसे जय प्रकाश नगर एवं हाल में अनधिकृत रूप से बसे विशेश्वर नगर में जल भराव हो गया था ।

2—बड़े हार्स पावर के बड़े पम्प लगाकर इन क्षेत्रों में भरे पानी को शारदा नहर में डाला गया तथा स्वतन्त्र गर्ल्स कालेज के निकट 2 अन्य पम्प लगा कर कानपुर रोड के नीचे बन्द नाले में पानी डाला गया, जिससे पानी का दबाव कम हो सके । जिन नालों, नालियों से पानी बहना सम्भव था, उनको गहरा करा दिया गया और शारदा नहर के नीचे बनी पुलिया के मोरवों को साफ कराकर तीव्र जल निकासी की व्यवस्था कर दी गई थी । इन क्षेत्रों में सड़क, नालियों व प्रकाश की व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी है ।

रायबरेली के जायस अस्पताल के डाक्टर रमाकान्त दीक्षित के विरुद्ध शिकायती-पत्र

6—हाजी मोहम्मद वसीम—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रायबरेली के जायस अस्पताल के डाक्टर दीक्षित के विरुद्ध दिनांक 10 जुलाई, 1980 को भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति—

जी हां । डाक्टर रमाकान्त दीक्षित के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली द्वारा करायी गयी थी । जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

बाराबिरवा-सुभाष नगर मार्ग, लखनऊ की स्ट्रीट लाइट

7—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कानपुर रोड पर स्थित बाराबिरवा से सुभाष नगर (भोला खेड़ा) मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट (ट्यूब) लगवाने हेतु कितने पत्र प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को विधायकों तथा वहां की क्षेत्रीय जनता के गत तीन माह में प्राप्त हुए हैं ? उन पर अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? तथा कब तक उपरोक्त मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट (ट्यूब) लग जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

कानपुर रोड पर स्थित बारा बिरवा से सुभाष नगर (भोला खेड़ा) मार्ग पर ट्यूब लाइट फिटिंग हेतु प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ के विधायकों तथा क्षेत्रीय जनता से गत तीन माह में कुल 12 पत्र प्राप्त हुये हैं ।

उक्त मार्ग पर 2 × 20 वाट की 12 ट्यूब लाइट एक-एक पोल छोड़कर लगा दी गयी हैं ।

आलमबाग क्षेत्र, लखनऊ की ड्रेनेज व्यवस्था

8—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र हेतु नगरपालिका, लखनऊ द्वारा 3 करोड़ 90 लाख रुपये की ड्रेनेज की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

लखनऊ नगर के आलमबाग क्षेत्र हेतु ड्रेनेज की योजना का कार्यान्वियन नगर महापालिका, लखनऊ के कार्यकलापों के अन्तर्गत आता है। वह अपने सीमित संसाधनों से ड्रेनेज योजना को यथासम्भव कार्यान्वित कर सकेगी।

सीतापुर नगर में हैजे का प्रकोप

9—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या नगरपालिका, सीतापुर क्षेत्र में जुलाई, 1980 में हैजे का व्यापक प्रकोप रहा, जिसमें 22 जुलाई, 1980 तक 10 मौतें भी हुईं ? क्या यह सही है कि नगरपालिका अधिकारी रोकथाम की कार्यवाही के प्रति उदासीन रहे ? यदि हां, तो क्या सरकार ने दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या आवश्यक कार्यवाही की ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगरपालिका सीतापुर क्षेत्र में जुलाई सन् 1980 में हैजे के केवल दो मरीज जिला चिकित्सालय में भर्ती किये गये जिसमें से एक की मृत्यु हो गई।

बीमारी की रोकथाम के लिये हैजा निरोधक 11,963 टीके लगाये गये। पालिका क्षेत्र से 4 वाटर सम्पुल का विश्लेषण कराया गया जिनमें से 3 सैम्पुल उत्तम तथा 1 सन्देहास्पद पाया गया। जुलाई/अगस्त माह में 3418 कुओं का विसंक्रमण किया गया तथा 1263 भवनों में गैमेक्सीन का छिड़काव किया गया। बीमारी के रोकथाम के लिये पालिका अधिकारियों द्वारा समुचित कार्यवाही किए जाने के कारण किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

नगरपालिका, आयोध्या के कर्मचारियों का वेतन

10—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को पता है कि नगरपालिका, अयोध्या अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन देने में असमर्थ पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति को खत्म करने के लिये नगरपालिका, अयोध्या को तुरन्त तोड़कर उसके क्षेत्रफल को 1977 के पहले की तरह नगरपालिका, फैजाबाद में शामिल करने के प्रश्न पर तुरन्त विचार करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला पूर्ति अधिकारी, जालौन के विरुद्ध शिकायती पत्र

11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के राज्यपाल जी के सलाहकार तथा खाद्य सचिव उ० प्र० को क्या 28 मार्च, 1980 को जालौन जिले के जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो शिकायत के मुख्य तथ्य क्या थे ? और जांच के दौरान शिकायतकर्त्ता को अपने आरोप सिद्ध करने का अवसर दिया गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां। राज्यपाल महोदय के तत्कालीन सलाहकार तथा खाद्य सचिव को सम्बोधित श्री राधेश्याम दातरे, जिला पत्रकार संघ, कोंच, जालौन के शिकायती पत्र दिनांक 28 मार्च, 1980 प्राप्त हुए थे। शिकायत में मुख्य रूप से श्री राजेन्द्र छाबड़ा को शासनादेशों के विरुद्ध नदी गांव ब्लाक में सीमेन्ट स्टाकिस्ट नियुक्त करने, एक राशन के दुकानदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उसकी दूकान का लाइसेन्स निलम्बित न करने तथा उसकी दुकान की चौहद्दी बदलने, स्कूटर और मोटर साइकिलों के कार्ड बना कर अवैध रूप से डीजल देने तथा श्री माधो स्वरूप राशन विक्रेता को कानून के शिकंजे से बचाने के आरोप लगाये गये थे। आरोपों की जांच क्षेत्रीय खाद्य, नियन्त्रक झांसी को सौंपी गयी थी जिन्होंने उप क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक से जांच कराई। जांच कर्त्ता अधिकारी ने शिकायत कर्त्ता से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें आरोपों को सिद्ध करने का अवसर दिया था।

प्रयोगशाला प्रविधिज्ञों के स्थायीकरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

12—श्री दल सिंगार यादव—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 6 अगस्त, 1980 को दी प्रयोगशाला प्रविधिज्ञों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में उनके कार्यालय में जो प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को भेजा गया था उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

मामले में जांच सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

13—श्री पंचानन—

[1ले शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आलमबाग क्षेत्र, लखनऊ के लिये शौचालय एवं जल निकासी की मांग

14—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में स्थित ग्राम बजावां, संभल खेड़ा, मदारी खेड़ा व वल्दीखेड़ा में सार्वजनिक शौचालय व जल निकासी की व्यवस्था के विषय में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के रेजीडेन्ट हास्टल के कर्मचारियों का स्थायीकरण

15--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जब शासनादेश संख्या 2475 से 1/पांच 624/57, दिनांक 22 अप्रैल, 1976 के द्वारा क्रमशः 17 व 23 कर्मचारियों की सेवाओं को मान्यता मिली थी तब उनमें से केवल 17 कर्मचारियों को ही स्थायी कर्मचारी बनाने और शेष 23 को स्थायी न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार इन्हें भी स्थायी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति--

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के रेजीडेन्ट हास्टल के लिए शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 1974 में 17 पद तथा शासनादेश दिनांक 22 अप्रैल, 1976 में 23 पद सृजित किये गये थे। शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 1974 में सृजित 17 पदों को स्थायी किये जाने का प्रस्ताव शासन को अगस्त, 1978 में प्राप्त हुआ था और उन पदों को स्थायी किये जाने के आदेश 2 अप्रैल, 1979 को जारी कर दिये गये। शासनादेश दिनांक 22 अप्रैल, 1976 में सृजित 23 पदों को भी स्थायी किये जाने का प्रस्ताव शासन को अब प्राप्त हो गया है और इन पदों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

महानगर, लखनऊ के नागरिकों का पार्क निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

16--श्री पंचानन--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-8-79 के प्रार्थना पत्र द्वारा महानगर लखनऊ के बीस नागरिकों ने प्रशासक एवं उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को मकान नं0 सी-117 के सामने नजूल की खाली भूमि पर पार्क बनाने के लिए निवेदन किया था ? उस भूमि पर पार्क न बनाकर क्या किसी व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उन अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए दिनांक 3-6-80 तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा उस नजूल की भूमि पर कब तक जन सुविधा के लिए पार्क निर्मित हो जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं।

आजमगढ़ जनपद में दोहरीघाट रोड की आवास योजना

17--श्री पंचानन--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में दोहरीघाट रोड, आवास योजना से सम्बन्धित जनता का कोई प्रत्यावेदन किसी विधायक

की संस्तुति के सहित उन्हें 6 अगस्त, 1980 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां । इस योजना के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कार्यवाही कर सूचित किया गया कि दोहरी-घाट योजना में समाविष्ट भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । कतिपय भूमि का कब्जा भी परिषद् को प्राप्त हो चुका है उक्त स्थिति में योजना का परित्याग करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्वास्थ्य विभाग के लिपिक एवं ज्येष्ठ लिपिक के रिक्त पद एवं कर्मचारियों का स्थायीकरण

18--श्री पंचानन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालय में मुख्य लिपिक एवं ज्येष्ठ लिपिक के पृथक्-पृथक् कितने पद कब से रिक्त है ? उक्त रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा अब तक न भरने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं ? और स्वास्थ्य विभाग में लिपि वर्ग के कितने पदों को अब तक स्थायी किया जा चुका है तथा क्या उन पर कर्मचारियों को भी स्थायी किया जा चुका है ? स्थायी पदों पर कर्मचारियों को यदि स्थायी नहीं किया गया है तो उसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में मुख्य लिपिक के 10 पद तथा ज्येष्ठ लिपिक के 132 पद रिक्त हैं जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

	वर्षानुसार रिक्त पदों की संख्या						
पद नाम	1975	1976	1977	1978	1979	1980	योग
मुख्य लिपिक	..	..	..	..	..	10	10
वरिष्ठ लिपिक	1	3	2	10	88	28	132

पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों की गोपनीय प्रविष्टियां एवं उनके कार्य एवं आचरण की आख्या अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त न होने के कारण रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा अभी तक नहीं भरा जा सका है । विवरण उपलब्ध न होने के विभिन्न कारणों में कतिपय कर्मचारियों तथा अधिकारियों की शिथिलता भी है । इस सम्बन्ध में प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा और उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में स्थायी किये गये लिपिक वर्गीय पदों एवं उनके विरुद्ध स्थायी घोषित किये गये कर्मचारियों तथा रिक्त स्थायी पदों

का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :—

स्थायी पद एवं स्थायी कर्मचारी	सहायक	मुख्य लिपिक	वरिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक	जाता लिपिक	स्टोरकीपर कमकालर्क	स्टवड	योग
स्थायी पदों की संख्या	3	144	473	783	86	43	13	1545
स्थायी किये गये कर्मचारियों की संख्या	..	91	31	565	..	20	5	712
रिक्त स्थायी पदों की संख्या	3	53	442	218	86	23	8	833

लिपिकों की वरिष्ठता सूची तैयार न होने एवं स्थायीकरण के पात्र लिपिकों के कार्य एवं आचरण की अंख्या सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त न हो सकने के कारण 833 रिक्त स्थायी पदों के विरुद्ध लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया जा सका है।

पदोन्नति एवं स्थायीकरण के लिये उपर्युक्त औपचारिकतायें पूरी हो जाने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

19—श्री पंचानन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में लिपिक वर्ग के कितने पदों को 31-10-80 को स्थाई किया जा चुका है ? और उन पर कितने कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है ? स्थायी पदों पर कर्मचारियों को यदि स्थाई नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है ? और इसे पूरा करने हेतु क्या सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री लोकपति—

प्रश्न संख्या 18 में दिये गये उत्तर के अनुसार।

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के टेक्नीशियन एवं सुपरवाइजर के आवास की सुविधा

20—श्री पंचानन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कुल कितने आपरेशन थियेटर टेक्नीशियन एवं सुपरवाइजर 31 जुलाई, 1980 को कार्यरत थे ? और क्या अन्य टेक्नीशियन्स की भांति उन्हें भी आवासीय सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या शासन इन्हें उक्त सुविधा दिलाने के लिए कार्यवाही पर विचार करेगी ?

श्री लोकपति—

इस मेडिकल कालेज में दिनांक 31 जुलाई, 1980 को चार थियेटर टेक्नो-शियन कार्यरत थे, कोई थियेटर सुपरवाइजर कार्यरत नहीं था। थियेटर सुपर-वाइजरों को निःशुल्क आवास की सुविधा या नियमानुसार मकान किराया भत्ता अनुमन्य है, लेकिन थियेटर टेक्नीशियन को निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन्हें निःशुल्क आवास की सुविधा दिये जाने का कोई प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है।

आलमबाग क्षेत्र लखनऊ हेतु जल निकासी योजना की मांग

21—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलमबाग क्षेत्र के लिए जहां जल भराव होता है उसके लिए क्या सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं।

नगरपालिका सांडी, जिला हरदोई के कर्मचारियों की भविष्य निधि

22—श्री रामआसरे वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका सांडी, जिला हरदोई के कर्मचारियों के भविष्य निधि की संपूर्ण धनराशि उनके खातों में जमा नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगरपालिका सान्डी के कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि उनके खातों में केवल माह नवम्बर, 1976 से मई, 1978 तक पालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जमा नहीं की गई। मई, 1978 के बाद से कर्मचारियों का भविष्य निधि का धनराशि उनके खातों में जमा की जा रही है।

23—श्री गोपाल रामदास—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

एटा जिले के डाक्टर एस0 के0 सक्सेना का निलम्बन एवं निर्वाहन भत्ता

24—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर, एटा तथा मैनपुरी में 31-10-80 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कितने मेडिकल आफिसर निलम्बित चल रहे हैं और कितनी-कितनी अवधि से ? क्या निलम्बित डाक्टरों को नियमित निर्वाहन भत्ता मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

कानपुर तथा मैनपुरी में 31-10-80 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कोई मेडिकल आफिसर निलम्बित नहीं रहे। एटा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

में डा0 एस0 के0 सक्सेना दिनांक 29-4-1976 से निलम्बित हुए जो अब बहाल कर दिए गए हैं। डा0 सक्सेना को दिनांक 29-4-1976 से 28-2-1978 तक नियमित निर्वाहन भत्ता मिला। दिनांक 29-2-1978 से किन परिस्थितियों में नियमित निर्वाहन भत्ता बंद किया गया इसकी जांच कराई जा रही है।

ई0 एस0 आई0 चिकित्सालय, कानपुर के डा0 एस0 के0 त्रिपाठी का निलम्बन

25--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ई0 एस0 आई0 चिकित्सालय, कानपुर के डा0 एस0 के0 त्रिपाठी को कब निलम्बित किया गया था और कब से किसके आदेश के अन्तर्गत उनका निलम्बन भत्ता बंद कर दिया गया है? क्या उस आदेश की प्रति सरकार सदन के पटल पर रखेगी?

श्री लोकपति--

ई0 एस0 आई0 चिकित्सालय, कानपुर के डा0 एस0 के0 त्रिपाठी को 14-5-70 से रिश्वत लेने के अपराध में निलम्बित किया गया था। उनका निलम्बन भत्ता संयुक्त निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कानपुर द्वारा 1-6-75 से विशेष जज के न्यायालय द्वारा दंडित किये जाने के कारण रोक दिया गया था। डा0 त्रिपाठी को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त पाये जाने पर दिनांक 31-12-80 से सेवा में बहाल कर दिया गया है।

सीतापुर जिले में कोयले का आवंटन

26--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में 1-7-79 से 30-8-80 के बीच कोयला प्राप्त करने के लिये कोलरेज या उनके एजेन्टों से थोक मात्रा में जिला में लेने के लिए किन-किन व्यक्तियों अथवा संस्थानों को डी0 ओ0 जारी किये गये? कितना-कितना कोयला दिया गया तथा वह प्राप्त कोयला जिले में किस-किस व्यक्ति को बांटा गया?

श्री वासुदेव सिंह--

1 जुलाई, 1979 तथा 30 अगस्त, 1980 के बीच सीतापुर जिले के थोक कोयला अभिकर्ताओं, सर्वश्री नरायन कोल कम्पनी, राम किशोर रस्तोगी, कुमार एन्ड ब्रादर्स व कोल ट्रेडिंग कारपोरेशन को गैर कोयला लाने हेतु संलग्न सूची "क" के अनुसार संस्तुतियां भेजी गई, जिसमें से केवल नरायन कोल कम्पनी द्वारा 855.950 मि0 टन स्लैक कोल आयात किया गया, जिसे जनपद के 7 ईंट भट्ठों को संलग्न सूची "ख" के अनुसार भेजा गया।

जिला चिकित्सालय, सीतापुर के शव गृह में श्री बैजनाथ का शव

27--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1980 के अन्तिम दिनों में सीतापुर जिला चिकित्सालय में कोई शव आया व मामला प्रकाश में आया।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 412 पर)

कि 15 दिनों से एक लावारिस शव जिला चिकित्सालय के शवगृह में ही पड़ा सड़ रहा है ? यदि हां, तो वह शव किसका था । शवगृह में कब और किसके आदेश से शव रखा गया ? उस शव का पोस्टमार्टम कब किया गया ?

श्री लोकपति--

दिनांक 14-7-80 को जिला चिकित्सालय सीतापुर में भर्ती किये गये श्री बैजनाथ पुत्र श्री बासूराम, निवासी ग्राम जय नगर, जिला औरंगाबाद का देहान्त 20-7-80 को हो जाने के कारण उनके शव को शवगृह में उसी दिन डा0 एल0 पी0 शुक्ला, तात्कालिक चिकित्साधिकारी के आदेश से रखा गया था । भीषण वर्षा के कारण शहर में बाढ़ आ गयी थी तथा शवगृह के चारों तरफ 2-3 फीट पानी भर गया था जिस कारण शवगृह का रास्ता भी बन्द हो गया था । अतः इस शव का पोस्टमार्टम दिनांक 31-7-80 को किया गया ।

पूर्वी जिलों में मस्तिष्क ज्वर (इन्सेफलाइटिस) का प्रकोप

28--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर (इन्सेफलायटिस) रोग तेजी से फैल रहा है और क्या यह सत्य है कि पूर्वी जिलों में इस रोग से हाल ही में कई रोगियों की मृत्यु हो चुकी है । यदि हां, तो इस रोग की रोकथाम और उसके उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति--

मस्तिष्क ज्वर (इन्सेफलाइटिस) का प्रकोप प्रदेश के पूर्वी जिलों में सितम्बर से दिसम्बर, 80 तक रहा था । इस अवधि में इस रोग से 496 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी । अब इस रोग का प्रकोप प्रदेश में नहीं है । स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रोकथाम के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की है :--

1--विशेष उपचार केन्द्रों की स्थापना ,

2--इस रोग से ग्रसित रोगियों की खोज तथा उनको उपचार केन्द्रों पर पहुंचाने की सुविधा ,

3--प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक औषधियों का छिड़काव ।

4--नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ कम्युनिकेबुल डिजीजेज दिल्ली तथा के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ की टीमों द्वारा रोग प्रसार के कारणों का अध्ययन तथा उनके परामर्श के अनुसार रोग निरोधात्मक कार्यवाहियां एवं मरीजों का उपचार ।

5--जनता को इस रोग से बचाव के लिये आवश्यक बातों की जानकारी का कराया जाना ।

ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा सुविधायें

29--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजनायें क्रियान्वित की जा

रही है और उनसे कितने प्रतिशत जनता को लाभ पहुंच रहा है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त योजनाओं पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी जिसे सरकार चालू वर्ष के दौरान क्रियान्वित करने का विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति--

ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही मुख्य संस्थान है जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त एलोपथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत ग्रामीण अस्पतालों के माध्यम से सभी चिकित्सा सुविधा प्रदान करायी जाती हैं। निम्नलिखित योजनायें ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये चलाई जा रही हैं :

(1) बहुधन्धी कार्यकर्त्ता योजना,

(2) उपकेन्द्रों की स्थापना तथा उनके भवनों का निर्माण,

(3) इमुनाइजेशन कार्यक्रम,

(4) संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम,

(5) मलेरिया उन्मूलन परियोजना,

(6) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम,

(7) क्षय नियंत्रण कार्यक्रम,

(8) फाइलेरिया सर्वेक्षण,

(9) कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम,

(10) नेत्रोपचार।

(11) एन्टीरेविक उपचार।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है और इसका 80 प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। स्वास्थ्य विभाग का कुल आय व्ययक 10501.43 लाख रु० है जिसका लगभग 53 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यय किया जावेगा।

होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट

30--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् की अनियमितताओं की जाँच हेतु जांच समिति दिनांक 22 सितम्बर, 1977 को डा० एस० एन० गुप्त की अध्यक्षता में गठित की थी ? यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट क्या है और उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां। समिति की रिपोर्ट में बोर्ड द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं का उल्लेख है। इस विषय में कार्यवाही विचाराधीन है।

भोगांव तहसील, मैनपुरी में चीनी की दुकानों का आवंटन

31—श्री सूबेदार सिंह तथा श्री फखरे आलम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद की भोगांव तहसील में 1 जून, 1980 से 31 अक्तूबर, 1980 तक किन-किन ग्राम सभाओं में किन-किन लोगों को चीनी की दुकानें आवंटित की गईं ? यदि हां, तो आवंटित की गई दुकानों में कितने हरिजन, बेरोजगार स्नातक या भू० पू० सैनिकों को दी गईं ?

(क) उपरोक्त अवधि में चीनी की कितनी और कौन-कौन सी दुकानें निलम्बित की गयीं तथा निलम्बित दुकानों में से कितनी को निरस्त तथा कितनी को बहाल कर दिया गया ? निलम्बन, निरस्तीकरण और बहाल किये जाने का आधार क्या था ?

(ख) उक्त अवधि में चीनी की कितनी मात्रा किन-किन दुकानों को आवंटित की गई और ऐसी कौन-कौन सी ग्राम सभायें हैं जहां अक्तूबर, 1980 में नवीन दुकान खोली गईं तथा किस आधार पर ?

श्री वासुदेव सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में संक्रामक रोग से मृतकों की संख्या

32—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में 31 अक्तूबर, 1980 गैस्ट्रो, पोलियो, कालरा, मियादी बुखार तथा खूनी दस्तों जैसे संक्रामक रोग से मरजवार कितनी मौतें हुईं ? क्या सरकार बतायेगी कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए संयुक्त निदेशक संचारी रोग ने प्रदेश के कितने जिलों का दौरा किया ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत बीमारियों से प्रदेश में जनवरी से 31 अक्तूबर, 1980 तक निम्नलिखित मौतें हुई हैं :—

गैस्ट्रो से	1628
पोलियो से	391
कालरा से	5
मियादी बुखार से	28
खूनी दस्त से	139

संयुक्त निदेशक (संचारी रोग) ने प्रदेश के तीन जिलों का दौरा किया ।

गाजियाबाद में मारा गया छापा एवं पकड़ी गयी चीनी

33--श्री पंचानन--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री बतायेंगे कि जनपद गाजियाबाद में जुलाई/अगस्त/सितम्बर, 1980 में मारे गये छापों में कितनी चीनी पकड़ी गयी तथा इस चीनी के गोदामों के मालिक कौन-कौन सी फर्म हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद गाजियाबाद में माह जुलाई/अगस्त व सितम्बर, 1980 में मारे गये छापों में 1235 कुन्टल 40 किलोग्राम चीनी तथा 6716 कुन्टल खान्डसारी पकड़ी गई। पकड़ी गई चीनी के गोदामों के मालिकों की सूची संलग्न है। इन फर्मों के मालिकों ट्रान्सपोर्टर्स के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अभियोजन दर्ज कर दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 416 पर)।

फर्रुखाबाद जिले में आवास विकास परिषद् की हाउसिंग स्कीम

34--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद में आवास विकास परिषद् द्वारा हाउसिंग कालोनी का निर्माण स्वीकृत है ? यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् ने फर्रुखाबाद में "बढ़पुर भूमि विकास एवं सड़क संजाल संख्या-1 फतेहगढ़, क्षेत्रफल 165 एकड़ एवं अनुमानित लागत 268.48 लाख रुपये, बनाई है। उक्त योजना के सम्बन्ध में परिषद् अधिनियम की धारा 32 की अन्तिम विज्ञप्ति, दिनांक 20 सितम्बर, 1980 को बजट में प्रकाशित की गई है। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 7/17 के आदेश एवं विज्ञप्ति जारी करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

2--उक्त योजना के विरुद्ध शासन में माननीय संसद सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यावेदन प्राप्त हुए। फलतः शासन द्वारा योजना के संचालन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

निर्वाचन क्षेत्र नत्थूपुर, आजमगढ़ में ईद एवं शब-ए-बरात के अवसर पर चीनी का आवंटन

35--श्री राजकुमार राय--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1980 में प्रश्न-कर्त्ता के निर्वाचन क्षेत्र नत्थूपुर जनपद आजमगढ़ के किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से ईद एवं शबे-बरात मुस्लिम त्योहारों पर चीनी नहीं दी गई? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

नत्थूपुर क्षेत्र, जनपद आजमगढ़ की सभी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से वर्ष 1980 में ईद एवं शब-ए-बरात के त्योहारों के पूर्व चीनी का वितरण भारतीय

खाद्य निगम के पास पर्याप्त मात्रा में चीनी का भंडार न होने के कारण नहीं हो सका। प्रश्नगत चीनी का वितरण सम्बन्धित क्षेत्र में बाद में करा दिया गया।

आजमगढ़ नगर के बैरियर कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

36—श्री राजकुमार राय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ में 1-5-79 को नगर क्षेत्रों के पथकर बैरियरों पर अलग-अलग नगर क्षेत्रों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत थे ? 16-9-80 को कितने कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों में से 9 कर्मचारियों को माह मार्च, 80 में बिना किसी कारण सेवा से पृथक् कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? सेवा से पृथक् किये गये कर्मचारियों द्वारा माह मार्च, अप्रैल, मई, जून व जुलाई तथा अगस्त महीनों में जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्रत्यावेदन दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

आजमगढ़ जिले की नगर क्षेत्र समितियों में दिनांक 1-5-79 को कुल 43 बैरियर कर्मचारी कार्यरत थे। दिनांक 16-9-80 को कुल 41 नियमित बैरियर कर्मचारी कार्यरत रहे क्योंकि 2 कर्मचारी, जिन्हें अन्य विभागों में नौकरी मिल गई थी, त्याग-पत्र देकर चले गए हैं। अलग-अलग नगर क्षेत्रों के बैरियर कर्मचारियों का सूची संलग्न है। किसी भी नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं। टोल की समाप्ति के फलस्वरूप टाउन एरिया मोहम्मदाबाद के 9 कर्मचारी, जो दैनिक वेतनभोगी थे, की सेवायें मार्च, 1980 में समाप्त कर कर दी गई हैं जिन्हें टाउन एरिया में बैरियर के कार्य संचालन हेतु दैनिक वेतन पर रखा गया था। इनके प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे। इनसे कहा गया था कि ये अपनी नियमित नियुक्ति की पुष्टि हेतु नियुक्ति आदेश प्रस्तुत करें परन्तु इन कर्मचारियों ने यह आदेश प्रस्तुत नहीं किए। ये सभी कर्मचारी कुछ समय के लिये दैनिक वेतन पर रखे गये थे और बैरियर समाप्ति के उपरान्त इनके लिए कार्य न होने तथा समिति की आय में कमी के कारण इनको सेवा में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रहा। पथकर की समाप्ति पर शासन द्वारा यह आदेश जारी किए गए थे कि इस कार्य में लगे नियमित कर्मचारियों की सेवायें समाप्त न की जायं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित कर्मचारी नहीं होते। वे प्रतिदिन के कार्य की मजदूरी पाते हैं। कार्य न रहने पर उनसे काम लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 419 पर)

लखनऊ विजयनगर कालोनी के विकास कार्य हेतु सेक्योरिटी मनी एवं प्रदान की गई मान्यता

37—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या शासन को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका ने अपने पत्र सं0 1585/Now./C.A., दिनांक 7-8-71 द्वारा विजय नगर गृह निर्माण समिति को विजयनगर कालोनी के विकास कार्यों के पूरे होने का प्रमाण-पत्र देने हेतु मु0 6,000 रु0 जमा करने का आदेश दिया था जो कि विकास कार्यों को पूरा होने की सिक्यूरिटी मनी के रूप में मांगा गया था—

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

38—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

उपरोक्त मांग के परिपालन में विजय नगर गृह निर्माण समिति ने रसीद बुक संख्या 98, क्र0 सं0 79 के अधीन उक्त धन को 9-8-71 को जमा कर दिया था । पत्र संख्या 1740/Nov/C. A. द्वारा नगर महापालिका ने आंतरिक विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए कुछ त्रुटियां भी व्यक्त की थीं ? यदि हां, तो लखनऊ नगरमहापालिका ने उन त्रुटियों को दूर कर दिया है और सिक्यूरिटी मनी की राशि से त्रुटियों को दूर करके विजय नगर कालोनी को मान्यता प्रदान कर दी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

विजय नगर कालोनी को मान्यता प्रदान कर दी गई है और भवन चित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं ।

आजमगढ़ के रसूलपुर अस्पताल के डाक्टर

39—श्री राज कुमार राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में रसूलपुर सरकारी अस्पताल में मार्च, 1977 से कितने डाक्टर आये और कितने दिन रहे ?

श्री लोकपति—

आजमगढ़ के रसूलपुर सरकारी अस्पताल में मार्च, 1977 से दो डाक्टर आये :—

1—डा0 ए0 के0 अंसारी, 31-3-78 से 14-12-79 तक रहे ।

2—डा0 आर पी0 मिश्रा, 5-4-80 से अब तक कार्यरत हैं ।

लखनऊ स्थित आदर्शनगर-सिंगारनगर नाला

40—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आदर्श नगर से जो नाला सिंगार नगर तक अंडर ग्राउन्ड बना है यह आज तक किन कारणों से चालू नहीं किया गया और कब तक चालू हो जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

यह नाला चालू हालत में है ।

नगरमहापालिकाओं द्वारा बाढ़ के समय दवाओं की खरीद

41—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बाढ़ और वर्षा की विभीषिका के समय प्रदेश की पंच महानगरियों की महापालिकाओं के स्वास्थ्य

विभाग ने पीड़ित जनता को कौन-कौन सी सुविधाय पहुंचाई ? पांचों महापालिकाओं के स्वास्थ्य विभाग ने कितने रुपये की दवाएं खरीदी और किस तरह बांटी ? क्या शासन बताने की कृपा करेगा कि लखनऊ महापालिका स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ के समय कुल कितने रुपये की दवा कहां-कहां से खरीदी और किन-किन दिनों में कौन-कौन से मोहल्लों में दवा बांटी ? क्या महापालिका के पास उसका कोई लिखित लेखा जोखा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डुमरियागंज, बस्ती की फर्म की पकड़ी गयी अरहर

42--श्री मालिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री भूरे लाल, सचिव, मुख्य मंत्री एवं कमल टाउरा खाद्य एवं रसद विशेष आयुक्त ने सितम्बर व अक्तूबर, 1980 में डुमरियागंज जनपद बस्ती में एक दुकानदार के घर 300 क्विंटल अरहर अवैध रूप से रखी हुई पकड़ी थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वह बिना उपरोक्त अधिकारियों के अनुमति के रिलीज कर दी गई है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित अधिकारियों ने डुमरियागंज बस्ती स्थित फर्म के स्टाक के निरीक्षण करने के लिए परगनाधिकारी, डुमरियागंज (बस्ती) को आदेश दिये थे । प्रश्नगत अरहर उक्त फर्म की स्टाक सीमा के अन्तर्गत थी और नियमानुसार फर्म के स्टाक रजिस्टर में दर्ज थी । चूंकि फर्म के स्टाक में पाई गयी अरहर अवैध नहीं थी अतः उक्त अधिकारियों से अनुमति लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर नगर की पेयजल योजना

43--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगरपालिका में पुराना सीतापुर के लिए पुनरीक्षित पेयजल योजना का प्रारूप शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे अब तक स्वीकृति प्रदान न करने का क्या कारण है ? कार्यारम्भ कब तक हो जायगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सीतापुर नगरपालिका, क्षेत्र के अन्तर्गत पुराना सीतापुर के लिये पेयजल योजना (प्रथम चरण-प्रथम भाग अनुमानित लागत रु0 36.79 लाख) का उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विरचन कार्य पूर्ण किया जा चुका है । योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नगरपालिका सीतापुर से प्रस्ताव मांगा गया है, जिसके प्राप्त होने पर जल निगम द्वारा वित्त पोषण करके निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटहट, गोरखपुर के फार्मेसिस्ट, श्री अब नारायण सिंह की सेवासमाप्ति

44--श्रीमती गौरी देवी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटहट, गोरखपुर से दिनांक 3-5-79 को श्री अब नारायण सिंह पुत्र श्री शिव प्रसाद सिंह, फार्मेसिस्ट का सेवा समाप्ति के बाद उनको सभी प्रकार को मिलने वाली धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कौन-कौन सी धनराशि भुगतान नहीं की गई है ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

ग्रुप इन्सोरेन्स एवं ग्रेच्चुटी तथा पेनशन का भुगतान इस कारण अवशेष है कि अभिलेख पूर्ण कराने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बुलाये जाने पर श्री सिंह उपस्थित न हुए इस हेतु उन्हें पुनः बुलाया गया है ।

आलमबाग, लखनऊ के जल भराव क्षेत्र की कथित मलिन बस्ती योजना

45--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलमबाग के उस क्षेत्र को जिसमें जल भराव होता है उसे इस वर्ष मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्य किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं । आलमबाग के जिन क्षेत्रों में जल भराव होता है वह अधिकतर भट्ठों की जमीन पर बने हुये निचले भू-भाग हैं, जो मलिन बस्ती में सम्मिलित करने योग्य स्थल नहीं है । इस क्षेत्र का अधिकतर भू-भाग अभी तक खाली स्थान एवं गड्ढों के रूप में पड़ा हुआ था । अब यहां क्षेत्रीय नागरिकों ने अनधिकृत रूप से मकान बना लिये हैं । यह स्थल मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता चूंकि वह जमीन बहुत निचली है और विकास कार्य के लिये उपयुक्त नहीं है ।

लखनऊ की नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा बरगवां की अधिग्रहीत भूमि

46--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा बरगवां की सारी भूमि सरकार ने अधिग्रहण कर ली है ? ग्राम सभा बरगवां के अन्तर्गत ग्राम बरगवां, संभल खेड़ा, मदारी खेड़ा, बल्दी खेड़ा के मूल निवासियों की सुख सुविधा व स्वास्थ्य लाभ हेतु विभिन्न मोहल्लों के निकट क्या सरकार पार्क बनवाने पर विचार कर रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

लखनऊ-कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा बरगवां की सम्पत्ति योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर ली गयी है एवं उसे अधिग्रहीत करने की कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम सभा बरगवां के अन्तर्गत आने वाले गांवों के निवासियों की सुख सुविधा हेतु इस योजना के अन्तर्गत नागरिक सुविधाओं तथा पार्क की व्यवस्था योजना के अनुसार की जायेगी ।

47--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विन्ध्याचल, जिला मिर्जापुर में अस्पताल निर्माण की योजना

48--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विन्ध्याचल, जिला मिर्जापुर में 24 शैय्या के अस्पताल हेतु भवन बनना वित्तीय वर्ष 1978-79 अथवा 1979-80 में स्वीकृत हो चुकने के बाद भी अभी तक उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों तथा कार्य आरम्भ कब से हो जायेगा ?

श्री लोकपति--

यद्यपि वर्ष 1973 में प्रश्नगत भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी किन्तु समय से भूमि उपलब्ध होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया जा सका ।

दिसम्बर, 1980 से उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

49--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[2रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका रामनगर, नैनीताल के सहायक टोल मोहर्रिर, श्री चन्दन सिंह विष्ट की वेतन वृद्धि

50--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नगरपालिका रामनगर, जिला नैनीताल में कार्यरत टोल मोहर्रिर श्री चन्दन सिंह विष्ट का वेतन सन् 1976-78 का कुल 9 माह का एवं तीन वार्षिक वृद्धियां नहीं दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगरपालिका रामनगर जिला नैनीताल में कार्यरत नायब टोल मोहर्रिर श्री चन्दन सिंह विष्ट का वर्ष 1976-78 का 9 माह का अवशेष वेतन तथा रुकी हुई तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों का भुगतान उनको दिनांक 8 जनवरी, 1981 को कर दिया गया है ।

विकास खंड अमानीगंज, जिला फैजाबाद के जनस्वास्थ्य रक्षकों एवं हरिजनों का आरक्षण

51--श्री मित्रसेन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड खंडासा (अमानीगंज), जनपद फैजाबाद में कितने जनस्वास्थ्य रक्षकों (सी० एच० वी०) का चयन 1979-80 में

किया गया है ? उनमें कितने प्रधान और उप प्रधान और आरक्षण के आधार पर कितने हरिजन जन स्वास्थ्य रक्षक (सी० एच० वी०) भर्ती किये गये हैं ? क्या इनका कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

वर्ष 1979-80 में जनपद फैजाबाद में कुल 35 जन स्वास्थ्य रक्षकों का चयन किया गया । इनमें एक उप प्रधान है तथा प्रधान कोई नहीं है । जन स्वास्थ्य रक्षकों के चयन में हरिजनों के लिए कोई आरक्षण का कोटा नहीं रखा गया है जन स्वास्थ्य रक्षक वालन्टियर के रूप में कार्य करते हैं और सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खन्डासा, जिला फैजाबाद के भवन का कथित उच्चीकरण

52--श्री मित्र सेन--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडासा (अमानीगंज), जिला फैजाबाद के उच्चीकरण (भवन निर्माण) का निर्णय कब लिया गया था ? अब तक भवन निर्माण न किये जाने का क्या कारण है ? इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद तथा चीफ मेडिकल अफसर, फैजाबाद ने विगत वर्ष स्वास्थ्य निदेशालय उत्तर प्रदेश से जो पत्र व्यवहार किये उससे क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री लोकपति--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडासा (अमानीगंज), जिला फैजाबाद के उच्चीकरण हेतु न तो भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है और न ही इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से कोई पत्र व्यवहार किया है ।

53--श्री मोती लाल देहलवी--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

सीतापुर जिले के कतिपय विकास खन्डों में यूनीसेफ रिगों से हैन्ड पम्प लगाये जाने की कथित योजना

54--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यूनीसेफ ग्रामीण पेयजल योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 1980-81 में कुल कितने हैन्ड पम्प सम्पूर्ण प्रदेश में लगाये जायेंगे तथा इनमें से सीतापुर जिले के विकास खंड खैराबाद, परसेंडी तथा ऐलिया के उन गांवों में लगाये जायेंगे जहां पेयजल संकट व्याप्त है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

वर्ष 1980-81 में यूनीसेफ से प्राप्त दो रिगों के माध्यम से 150 हैन्ड पम्प उत्तर प्रदेश में लगाये जायेंगे । इनमें से सीतापुर जिले के विकास खन्ड खैराबाद, परसेंडी तथा ऐलिया के गांवों में यूनीसेफ रिगों से कोई हैन्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि उक्त रिगें केवल चट्टानी क्षेत्रों में ही बोरिंग हेतु उपयुक्त है ।

अमानीगंज बाजार, जिला फैजाबाद में पकड़ी गयी चीनी

55--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 25-9-80 को पुलिस थाना खंडासा, जनपद फैजाबाद में 22 बोरी चीनी बाजार अमानीगंज में पकड़ी गयी थी ? यदि हां, तो यह चीनी किन कोटेदारों की थी ? इनके खिलाफ पुलिस तथा जिला प्रशासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

दिनांक 25 सितम्बर, 1980 को पुलिस थाना खंडासा जनपद फैजाबाद में 22 बोरी चीनी बाजार अमानीगंज में पकड़ी गई। प्रारम्भिक जांच से यह निष्कर्ष निकला कि यह चीनी निम्नलिखित कोटेदारों की थी :

1--श्री हरी शंकर, न्याय पंचायत, कोटिया ।

2--श्री जगदीश प्रसाद, न्याय पंचायत, कोटिया ।

3--श्री सहजराम तिवारी, न्याय पंचायत, गंडौली ।

4--श्री सहदेव सिंह, न्याय पंचायत, गट्टोपुर ।

5--श्री राम प्रताप तिवारी, न्याय पंचायत, खंडासा ।

अतः उक्त कोटेदारों के लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये तथा पांचों दुकानदारों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ।

आजमगढ़, दोहरी घाट में पकड़ी गयी चीनी

56--श्री पंचानन--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के दोहरी घाट थाने में 20 अगस्त, 1980 से 5 सितम्बर, 1980 के बीच 80 बोरे अवैध चीनी पकड़ी गयी थी ? यदि हां, तो इसके मालिक कौन थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

दोहरीघाट थाने में प्रश्नगत अवधि में 100 बोरी चीनी पकड़ी गयी थी जिनके मालिक निम्नवत हैं :

मालिक का नाम	पकड़ी गयी चीनी की मात्रा
1	2
1--श्री कपिल देव सिंह, न्याय पंचायत दरगाह	8 बोरी
2--श्री लखो चन्द, न्याय पंचायत, दरगाह	10 बोरी
3- श्री चौथी प्रसाद, न्याय पंचायत, दरगाह	9 बोरी
4--श्री नन्द लाल, न्याय पंचायत, दरगाह	7 बोरी

1	2
5—श्री राम रक्षा राय, न्याय पंचायत, दरगाह	8 बोरी
6—श्री परसुराम राय, न्याय पंचायत, सूरजपुर	9 बोरी
7—श्री चन्द्र पति राय, न्याय पंचायत, सूरजपुर	6 बोरी
8—श्री उदय भान यादव, न्याय पंचायत, सूरजपुर	7 बोरी
9—श्री रघुराज किशोर नरायन सिंह, न्याय पंचायत, सूरजपुर	6 बोरी
10—श्री सूर्यनाथ राय, न्याय पंचायत, सूरजपुर	6 बोरी
11—श्री बृज नाथ, न्याय पंचायत, गोन्डा	10 बोरी
12—श्री छविनाथ राय, न्याय पंचायत, रामपुर धौली	8 बोरी
13—साधन सहकारी समिति न्याय पंचायत, कोरौली श्री राम नौमी दुबे, सेल्समन	6 बोरी
योग ..	100 बोरी

उपरोक्त सभी दुकानें निरस्त कर दी गई हैं ।

नवीन मार्केट, कैसरबाग, लखनऊ की क्षतिग्रस्त छत

57—श्री धरमपाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि नवीन मार्केट, कैसरबाग, लखनऊ के आवासीय खंड क्रमांक 1 से 10 तक की छतें चू रही हैं ? यदि हां, तो प्रशासन से अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

असाधारण वर्षा के कारण प्रश्नगत भवनों की छतें चूने लगी थीं । इन भवनों की मरम्मत हेतु 13,000 रुपया का व्ययानुमान स्वीकृतार्थ विचाराधीन है ।

प्रान्तीय सहकारी संघ की चीनी का आवंटन एवं अत्यधिक चीनी

58—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सहकारी संघ द्वारा मिले कुछ महीनों से हजारों टन चीनी प्रदेश की कुछ विशिष्ट दुकानों के माध्यम से 8 रु0 किलो के हिसाब से बेची जा रही है ? मिलों से 5 रु0 50 पैसे में

खुले बाजार में बेचने हेतु एक बार 10 हजार टन तथा एक बार 15 हजार टन चीनी प्राप्त की गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

8 मई, 1980 में प्रान्तीय सहकारी संघ को 7,000 कुंटल चीनी आवंटित की गयी थी जिसके विपरीत उन्होंने 6,160 कुंटल चीनी उठाई । इसका वितरण, आगरा अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ व गोरखपुर जनपदों में सहकारी उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से करने हेतु उन्हें 545 रुपये प्रति कुंटल की दर से दी गई ।

59—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि जून, 80 से लेकर अगस्त, 80 तक प्रान्तीय सहकारी संघ ने कितना टन आयातित चीनी लिया है ? यदि हां, तो ये किस भाव में आयातित चीनी की शर्तों पर संघ को दिया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रश्नगत अवधि में, अगस्त, 1980 में प्रान्तीय सहकारी संघ को 1504.150 मी0 टन आयातित चीनी प्राप्त हुयी । आयातित चीनी के लिये निम्न शर्त थी :

(1) संघ कान्डला बन्दरगाह से आयातित चीनी उठाकर प्रदेश के डिवीजनल हेडक्वार्टर पर पहुंचायेगा ।

(2) आयातित चीनी लाने के खर्चे संघ द्वारा बताये जाने पर शासन मूल्य का निर्धारण करेगा ।

(3) तदनुरूप संघ द्वारा लाई गई आयातित चीनी का थोक विक्रय मूल्य शासन द्वारा 638 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया ।

(4) संघ ने जिलाधिकारियों द्वारा नामित व्यापारियों को 638 रुपये प्रति कुंटल की दर से दिया ।

(5) जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद के नामित व्यापारियों का फुटकर विक्रय मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि विक्रय मूल्य किसी दशा में 650 रुपये प्रति कुंटल से अधिक न हो ।

भूतपूर्व जिलाधीश, श्री भूरे लाल द्वारा वाराणसी में पकड़ा गया कोयला, पाम आयल एवं रेपसीड आयल

60—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश श्री भूरे लाल, वाराणसी ने अपने कार्यकाल में कितना कोयला, कितना पाम आयल तथा रेपसीड आयल, अरहर की दाल, आदि पकड़ा था और वह सामान कितना तथा कितने रुपये का था ? यदि हां, तो क्या उसको जब्त किया गया या नहीं ?

श्री वासुदेव सिंह—

जिलाधिकारी श्री भूरेलाल ने अपने कार्यकाल में संलग्न तालिका "क" के अनुसार सामान पकड़ा था । जी हां, यह सामान जब्त किया गया था, जिसकी अधिकांश मात्रा बाद में न्यायालय के आदेश पर अवमुक्त कर दी गयी ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 420 पर ।)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ागांव, चोलापुर आदि को दवाइयों की आपूर्ति

61--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० एच० सी० पिंडरा, बड़ागांव चोलापुर, हरहुआ, जिला वाराणसी में मात एवं शिशु कल्याण तथा परिवार कल्याण के लिये वहां वर्ष 1977 से अब तक कितने रुपये की दवाइयां एवं सामान दिया गया ? क्या यह सत्य है कि दवाइयां सेन्टरों पर नहीं दिया जाता है ?

श्री लोकपति--

प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए वर्ष 1977 से अब तक लगभग 1·05 लाख रु० की दवाइयां तथा अन्य सामग्री मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी के स्तर से क्रय की गई तथा वे चारों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेज दी गई ।

वाराणसी के ताड़ी एवं बरही नेवादा में अस्पताल निर्माण की मांग

62--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान ताड़ी या बरही नेवादा ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी में एक एलोपैथिक अस्पताल खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति--

ग्राम ताड़ी या बरही, ब्लाक बड़ा गांव में यदि ग्राम सभा द्वारा दान स्वरूप भूमि तथा भवन की व्यवस्था करा दी जाती है तो एक एलोपैथिक डिस्पेन्सरी की स्थापना पर विचार किया जा सकता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिशासी अभियन्ता के पद का विज्ञापन

63--श्री रियासत हुसैन--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 4 अप्रैल, 1979 को एक अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु पायनियर व स्वतंत्र भारत के नगर संस्करण में विज्ञापन निकलवाया था और उसके संदर्भ में कुछ आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुए थे, किन्तु उन आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही न करके उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष ने मई, 1980 में केन्द्रीयित सेवा के एक गैर अनुमोदित कनिष्ठ सहायक अभियन्ता को उक्त पद पर नियुक्त कर दिया और बाद में विकास प्राधिकरण के सदस्यों में परिचालन द्वारा उसका अनुमोदन कराया गया ? यदि हां, तो केन्द्रीयित सेवा के अन्य ज्येष्ठ सहायक अभियन्ताओं के हितों की उपेक्षा करते हुए इस असाधारण पक्रिया को अपनाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं ने प्रत्यावेदन किया था कि अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद पर सीधे भर्ती न करके सहायक अभियन्ताओं में से ज्येष्ठता के आधार पर भरा जाना चाहिये । इस मांग को उचित पाये जाने पर विज्ञापन के आधार पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार नहीं

किया गया एवं दिनांक 30 मई, 1980 को लखनऊ विकास प्राधिकरण की सेवा में कार्यरत ज्येष्ठतम सहायक अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता को प्रोन्नति द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया। श्री गुप्ता केन्द्रीयित सेवा में गैर अनुमोदित सहायक अभियन्ता हैं, परन्तु प्राधिकरण की सेवा में कार्यरत सभी सहायक अभियन्ताओं में ज्येष्ठतम हैं।

जी हां।

अस्थायी एवं तदर्थ नियुक्ति होने के कारण प्राधिकरण मे अन्य व कार्यरत केन्द्रीयित सेवा के किसी सदस्य के हित की उपेक्षा नहीं हुई है।

यह नियुक्ति जनहित में की गई है।

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल मन्डल के कार्यालय का स्थानान्तरण

64--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रीजनल फूड कमिश्नर (आर० एफ० सी०) का कार्यालय ऋषिकेश से जून, 1980 में किसके आदेश से स्थानान्तरित कर देहरादून ले जाया गया था उसे हटाये जाने के क्या कारण थे? उक्त कार्यालय को फिर से वापिस ऋषिकेश लाने के बारे में सरकार निर्णय ले रही है?

श्री वासुदेव सिंह--

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल मन्डल का मुख्यालय जून, 1980 में शासन के आदेशानुसार कार्यहित एवं प्रशासनिक आधार पर ऋषिकेश से हटा कर देहरादून में स्थापित किया गया।

उक्त कार्यालय को पुनः ऋषिकेश ले जाने का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है।

मुजफ्फरनगर जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन

65--श्री धर्मवीर सिंह त्यागी--

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी सहकारी सस्ते गल्ले की दुकाने तहसील जानसठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर में तहसीलवार 1 जून, 80 से 31 अक्तूबर, 80 तक एलाट की गयी? कितने आवेदनों पर विचार हो रहा है? क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वासुदेव सिंह--

1 जून, 1980 से 31 अक्तूबर, 1980 तक जनपद मुजफ्फरनगर की तहसीलों में निम्नवत् सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें एलाट की गईं।

जानसठ	67
मुजफ्फरनगर	18
कैराना	76
बुढ़ाना	67

वर्तमान समय में कोई आवेदन-पत्र किसी भी तहसील का विचाराधीन नहीं है।

तहसील बुढ़ा, जिला मुजफ्फरनगर में सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन

66--श्री धर्मवीर सिंह त्यागी--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद में तहसील बुढ़ाना के परगनाधिकारी को प्रश्नकर्त्ता ने 15 जून से 31 अक्तूबर, 80 तक कितने प्रार्थना-पत्र फेयर प्राइस शाप की जांच के संबंध में दिये थे व अग्रसारित किये थे ? कितनों के संबंध में जांच करायी गयी और उनमें क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पूर्ण विवरण सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्नगत अवधि में 21 प्रार्थना-पत्र फेयर प्राइस शाप की जांच के विषय में दिये थे व अग्रसारित किये थे।

उन समस्त, 21 प्रार्थना पत्रों की जांच कराई गयी। जांच उपरान्त उनमें से 13 प्रार्थियों को फेयर प्राइस शाप आवंटित कर दी गई। 2 प्रार्थियों के संबंध में जांच के उपरान्त यह पाया गया कि वे पूर्व से ही अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हैं तथा छः प्रार्थियों को फेयर प्राइस शाप की दुकानें आवंटित नहीं की गई क्योंकि उक्त छः प्रार्थियों ने जिन स्थानों पर फेयर प्राइस शाप की नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था उन स्थानों पर पहले से ही पर्याप्त दुकानें कार्यरत थी।

आजमगढ़ जिले की टाउन एरिया जोयनपुर की सड़क का निर्माण

67--श्री पंचानन--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की जोयनपुर टाउन एरिया में खड़ंजा एवं नाली निर्माण के लिए लगभग 80 हजार रुपया वर्ष 1979-80 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री यह बतायेंगे कि यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा और कब पूरा हो जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निर्धारित समय में काम पूरा न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

वित्तीय वर्ष 1979-80 में टाउन एरिया कमेटी, जोयनपुर को रु0 70,000 का विशेष सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया था और कमेटी के अंशदान सहित रु0 70,000 का सड़क निर्माण कार्य कराया जाना अभीष्ट था। उक्त सड़क निर्माण कार्य माह नवम्बर, 1980 में प्रारम्भ किये जा चुके हैं और फरवरी 1981 तक सम्पन्न होने की आशा है। ये सड़क निर्माण कार्य, लोक सभा, विधान सभा के चुनाव और तत्पश्चात् जनपद आजमगढ़ के भीषण सूखा व अतिवृष्टि तथा बाढ़ से प्रभावित होने के कारण राहत कार्यों व जनगणना के कार्यों में कर्मचारियों/अधिकारियों के व्यस्त रहने की वजह से समय से पूर्ण कराये जाने सम्भव नहीं हो सके। उपर्युक्त के लिए किसी कर्मचारी/अधिकारी को

दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश का नियंत्रित कपड़े का कोटा

68--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसे प्रतिवर्ष मोटे कपड़े (कन्ट्रोल क्लाथ) का कितना कोटा उपलब्ध होता है? क्या प्रदेश के मजदूर एवं ग्रामीण जनता की आवश्यकता को देखते हुये उपलब्ध कोटा पर्याप्त है? यदि नहीं, तो मोटे कपड़े का उत्पादन एवं उपलब्धता के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रदेश को प्रति वर्ष 43044 गांठ नियंत्रित कपड़े का कोटा भारत सरकार से प्राप्त होता है। उक्त कोटा प्रदेश की जनसंख्या को दृष्टिगत करते हुए अपर्याप्त है। नियंत्रित कपड़े के कोटे को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है।

नगरपालिका, साण्डी, जिला हरदोई के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

69--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद हरदोई की नगर पालिका, साण्डी के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं तथा अधिकारियों को धोखे में रख कर, अधिक वेतन प्राप्त करने के संबंध में कितनी शिकायतें अगस्त, 80 तक जिला अधिकारी, हरदोई व शासन को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई? तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगरपालिका साण्डी के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी सात शिकायती पत्र अगस्त, 1980 में केवल जिलाधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुए थे। उन शिकायती पत्रों पर जांच प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, साण्डी द्वारा कराई गई जिसमें केवल मुख्यालय की अधिकतर अनुपस्थिति की शिकायत को छोड़कर अन्य शिकायतें निराधार पाई गई। मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने संबंधित शिकायत में कुछ सत्यता पाई गई। उसके लिए उनको लिखित चेतावनी दी गई।

बांदा नगर के लिए सीवर योजना की मांग

70--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बांदा नगर में सीवर योजना लागू करने का निर्णय कर लिया है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं ।

71—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अप्रशिक्षित फार्मेसिस्टों के प्रशिक्षण की योजना

72—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अधीन कार्यरत अप्रशिक्षित फार्मेसिस्टों, जो मट्रीकुलेट हैं और लगातार दो वर्षों से अधिक सेवा कर चुके हैं, को सेवारत प्रशिक्षण दिया जाना है ? यदि हां तो विलम्ब का कारण क्या है तथा इसके लिए जिम्मेदार कौन है एवं उन्हें कब तक प्रशिक्षण दिया जायेगा ? क्या इनमें से अधिकांश सेवायें 15 वर्ष से अधिक हो चुकी हैं तथा वे प्रशिक्षित वेतन से वंचित हैं ?

श्री लोकपति—

जी हां । प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत ऐसे अप्रशिक्षित फार्मेसिस्टों की सूची, जो मैट्रीकुलेट हों तथा कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, मांगी गयी है । विलम्ब का कारण यह है । कि उक्त सूचना प्रदेश के विभिन्न जनपदों से संकलित की जा रही है । उक्त सूचना प्राप्त होते ही ऐसे फार्मेसिस्टों की सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करा दी जायगी ।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका करनैलगंज, जिला गोंडा का स्थानान्तरण

73—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि करनैलगंज नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का स्थानान्तरण शिकायत के आधार पर हुआ था फिर रोकने का कारण क्या था ? तथा यह अधिशासी अधिकारी कितने दिनों से गोंडा जिले की करनैलगंज नगरपालिका में है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं ।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, करनैलगंज के पिता के अनुरोध पर कि उनकी लड़की की शादी होने वाली है, स्थानान्तरण रोक दिया गया था ।

यह अधिशासी अधिकारी, करनैलगंज नगरपालिका में 11 जून, 1976 से कार्यरत हैं ।

तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के अन्तर्गत दिया गया चीनी का लाइसेन्स

74—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की तहसील तरबगंज में 1 जुलाई, 1980 से 15 नवम्बर, 1980 तक कितने नये शक्कर के लाइसेंस

दिये गये ? क्या उन लाइसेंसों को नियुक्ति पत्र देने में पहले निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई, प्रार्थना-पत्र मांगे गये तथा औसतन कितने प्रार्थना-पत्र एक दूकान के लिए आये और उन पर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनियंत्रित लाइसेंसों को निरस्त करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री वासुदेव सिंह—

गोंडा जनपद की तरबगंज तहसील में प्रश्नगत अवधि में शक्कर का एक लाइसेन्स जारी किया गया । उक्त अवधि में 24 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों/चीनी के फुटकर दुकानदारों की नियुक्ति की गई जिसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई तथा प्राथमिकता के अनुसार नियुक्ति की गई है । औसतन, प्रत्येक दुकान के लिए दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ।

75—श्री जंगबहादुर—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया] ।

76—श्री संत बख्श रावत—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चिकित्साधिकारी, लार, जिला देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

77—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या प्रश्नकर्त्ता द्वारा 3 अगस्त, 80 को चिकित्साधिकारी, लार, देवरिया के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

जी हां । शिकायती-पत्र पर संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मंडल, डा0 ए0 के0 सान्याल द्वारा जांच की गयी तथा जांच में एक आरोप, प्राइवेट प्रैक्टिस करने से सम्बन्धित सत्य पाया गया । डा0 ए0 एन0 राय तथा डा0 आर0 पी0 गुप्ता को इस सम्बन्ध में चेतावनी दी जा रही है । डा0 राय का लार से स्थानान्तरण भी कर दिया गया है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की मास्टर प्लान के उल्लंघन के सम्बन्ध में पत्र

78—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ मास्टर प्लान के उल्लंघन के सम्बन्ध में दिनांक 11-9-80 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रश्नकर्त्ता विधायक श्री राम आसरे वर्मा का पत्र दिनांक 11-9-80 शासन को प्राप्त हुआ था किन्तु वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ नगर नियोजक व सहायक वास्तुविदों के विरुद्ध एवं अतिरिक्त सचिव विकास प्राधिकरण की प्रशंसा का था ।

क्योंकि प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा ही इस पत्र के पूर्व दिनांक 19-8-80 को एक पत्र प्राप्त हो चुका था जिसके अन्तर्गत भवन विभाग के अधिकारी (अतिरिक्त सचिव) विकास प्राधिकरण एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें की गई थी अतः परस्पर विरोधात्मक होने के कारण माननीय विधायक की वास्तविक राय जानने का निर्णय किया गया ।

दोनों पत्रों में उल्लिखित मामलों के विषय में उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को अपने स्तर से जांच करके प्रत्येक मामले में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं । अभी उत्तर अपेक्षित है ।

दरबारी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ का प्रतिभा सिनेमा भवन एवं बैंक की इमारत

79—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दरबारी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ पर बने प्रतिभा सिनेमा भवन के साथ एक बैंक की इमारत भी बनी हुई है जब कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो इस सिनेमा भवन का मानचित्र स्वीकृत किया गया था उसमें बैंक या किसी व्यवसायिक भवन के बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं था ? यदि हां, तो स्वीकृत मानचित्र के खिलाफ निर्माण करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

दरबारी लाल शर्मा मार्ग पर बने प्रतिभा सिनेमा भवन के साथ ही साथ कोई भी बैंक की इमारत नहीं बनी हुई है । इस मार्ग के दूसरी ओर बने इमारत में पहले रिजर्व बैंक का कार्यालय किराये पर था जो अब वहां से अन्यत्र चला गया है। यह क्षेत्र महायोजना में कार्यालय उपयोग के लिए आरक्षित है ।

मोहल्ला सफदरबाग, लखनऊ के श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव तथा श्री मुक्ता प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा

80—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1978 के दूसरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास मंत्री बतायेंगे कि जांच कब तक, किस अधिकारी द्वारा की गई तथा जांच रिपोर्ट क्या है एवं शासन द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई, तो अब मामले में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जांच उप प्रशासक, नगर महापालिक, लखनऊ द्वारा 5 फरवरी, 1979 को सम्पन्न की गई है । जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता । आश्वासन पूर्ति की सूचना विधान सभा की आश्वासन समिति को 25 नवम्बर, 1980 को भेज दी गई है ।

81—श्री राम आसरे वर्मा—

[2रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शिवाजी मार्ग, लखनऊ पर श्रीमती बीना दुग्गल का भूखण्ड एवं रायल होटल, लखनऊ के सामने का भूखण्ड

82—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के चौथे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के क्रम में क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महायोजना में जून, 80 तक शासन द्वारा शिवाजी मार्ग, लखनऊ पर श्रीमती बीना दुग्गल के भूखंड का और रायल होटल, लखनऊ के सामने 14, विधान सभा मार्ग का आवासीय से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन भी किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री उक्त भू-उपयोग की स्वीकृति सम्बन्धी पत्र भी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जून, 80 तक शासन द्वारा रायल होटल लखनऊ के सामने 14, विधान सभा मार्ग का आवासीय से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है जिसकी प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

शिवाजी मार्ग, लखनऊ पर श्रीमती बीना दुग्गल के भूखंड का भू-उपयोग परिवर्तन अभी नहीं किया गया है ।

आजमगढ़ नगर के जीयनपुर का कथित मातृ शिशु-कल्याण केन्द्र

83—श्री पंचानन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के नगर क्षेत्र जीयनपुर में कोई मातृ शिशु केन्द्र वर्ष 78-79 या 79-80 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उसे क्यों स्थापित नहीं किया गया ?

श्री लोकपति—

जीयनपुर में कोई मातृ शिशु केन्द्र स्वीकृत नहीं हुआ था। अतः स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले में कोयले की कमी

84—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि इस समय बांदा जनपद में कोयले का अभाव है ? क्या जिला पूर्ति अधिकारी ने राज्य सरकार से बांदा जनपद के लिये अधिक कोयले का कोटा मांगा है ? यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री वासुदेव सिंह—

बांदा जनपद में सड़क द्वारा आयातित कोयले का कोई अभाव नहीं रहा है । रेल बैगनों के अभाव के कारण जिले के रेल द्वारा आयातित कोयले की मात्रा में वृद्धि सम्भव नहीं हो सकी । प्रदेश को आवंटित रेल बगनों, रेलों की संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में भारत सरकार रेल मंत्रालय से बराबर अनुरोध किया जाता रहा है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 421 पर)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर जिला बलिया की स्वास्थ्य निरीक्षिका श्रीमती शैल कुमारी शुक्ला का स्थानान्तरण

85—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, जिला बलिया में 17 वर्ष तक लगातार कार्य करने के बाद स्वास्थ्य निरीक्षिका श्रीमती शैल कुमारी शुक्ला का स्थानान्तरण गत 10 माह पूर्व सीयर से 15 दिन के लिए हो गया, लेकिन श्रीमती शुक्ला ने आज तक सरकारी क्वार्टर खाली नहीं किया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की जाती है ?

श्री लोकपति—

जी हां । श्रीमती शैल कुमारी शुक्ला का स्थानान्तरण वर्ष 1979 में सीयर से पन्द्रह को हो गया था । परन्तु उनका स्थानान्तरण सीयर को पुनः हो गया । स्थानान्तरित रहने की अवधि का सरकारी क्वार्टर के नियमानुसार देय का भुगतान वे करती रहीं । अतएव उनसे प्रश्नगत सरकारी क्वार्टर खाली कराने या किसी अन्य कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कटरा टाउन एरिया, शाहजहांपुर के अवैध कब्जा सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

86—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता विधायक ने माह जुलाई, 80 में जिला शाहजहांपुर की कटरा टाउन एरिया के अवैध कब्जों को हटाने के विषय में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त कब्जों को हटाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई और कब तक हटवा दिया जायगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां । जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस दिये गये हैं । तीन व्यक्तियों ने उक्त नोटिस के विरुद्ध जिला एवम् सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं जिसे खारिज करने की प्रार्थना न्यायालय से की गई है । शेष 9 व्यक्तियों के विरुद्ध कब्जा हटाने हेतु यू0 पी0 पब्लिक प्रेमिसेज ऐक्ट के अधीन विहित प्राधिकारी के न्यायालय में मुकदमे दायर कर दिए गए हैं जो न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

सलेमपुर तहसील, जिला देवरिया के अन्तर्गत सस्ते-गल्ले की दुकान सम्बन्धी मुकदमा

87—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतायेंगे कि जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर में 3/7 ईसी0 ऐक्ट के अधीन कितने सस्ते गल्ले की दुकानदारों के खिलाफ 1-6-80 से 31-10-80 तक मुकदमें कायम थे ? उनमें से कितने को परगनाधिकारी ने बहाल कर दिया ?

श्री वासुदेव सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका सांडी, जिला हरदोई के अधिशासी अधिकारी का स्थानान्तरण

88—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि न० पा० सांडी, जिला हरदोई के अधिशासी अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण पालिका कार्यभार एक ऐसे कर्मचारी को दे दिया गया है जिससे कि पालिका की अर्थ व्यवस्था अत्यन्त प्रभावित हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब किसी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति कर पालिका का कार्यभार सौंपेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं । नगरपालिका, सांडी, जिला हरदोई के अधिशासी अधिकारी के दिनांक 14-10-80 को स्थानान्तरित होने के बाद वरिष्ठ पद के कर्मचारी (चुंगी निरीक्षक) ने अपने कार्य के अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी का कार्य बिना अतिरिक्त वेतन भत्ते के किया । इस अवधि में अर्थ व्यवस्था पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा ।

दिनांक 10-1-81 से श्री राम चन्द्र पान्डे की नियुक्ति अधिशासी अधिकारी के पद पर करा दी गई है ।

मेसर्स मंगल प्रसाद राम गोपाल, सेमरा घुघली, गोरखपुर के विरुद्ध मिट्टी के तेल कम नापने की शिकायत

89—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें माह अक्तूबर, 80 में घुघली विकास क्षेत्र (गोरखपुर) के मिट्टी तेल विक्रेताओं का शिकायती-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि स्टाकिस्ट मेसर्स मंगल प्रसाद राम गोपाल, सेमरा, घुघली दुकानदारों को कम तौल तथा पुराने बांट से तौल करता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या जांच हुई ? यदि हां, तो कब और जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां, इस सम्बन्ध में दिनांक 20 जनवरी, 81 को सहायक नियंत्रक, बाट तथा माप, गोरखपुर से आकस्मिक जांच कराई गयी जिसमें उक्त स्टाकिस्ट के विरुद्ध मिट्टी का तेल कम नापने अथवा पुराने माप प्रयोग करने की शिकायत सही नहीं पायी गयी ।

गोरखपुर जिले के मिठौरा व खोराबार के प्रधानों के नाम सस्ते गल्ले की दुकान

90—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक महराजगंज, मिठौरा व खोराबार के प्रधानों, उप प्रधानों एवं इनके परिवार के नाम सरकारी सस्ते गल्ले व चीनी आदि की दुकानें होने की शिकायतें माह जुलाई, 80 से अब तक प्रश्नकर्ता व जनता की ओर से प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वासुदेव सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरमहापालिका, वाराणसी के कर्मचारी स्व0 फूलचन्द्र एवं श्री जवाहर लाल के आश्रितों की नियुक्ति

91—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश संख्या 620—ए/11—न0 प0—4—74, दिनांक 26—4—74 के अनुसार महापालिका कर्मचारी के सेवा काल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार के सदस्य को सेवा में लिया जायेगा ? क्या उसे शासनादेश संख्या 10210 टी/9—1—79—217 आर (1)—79, दिनांक 27 जनवरी, 80 स्वायत्त शासन अनुभाग—1 द्वारा निष्प्रभावी कर चतुर्थ श्रेणी के तमाम मामलों में प्रभावहीन मान लिया गया है ? यदि नहीं, तो वाराणसी नगर महापालिका के स्वास्थ्य विभाग में सेवाकाल में ही दिनांक 15—2—79 एवं 13—10—80 को मृत क्रमशः फूलचन्द नालबंद एवं जवाहर लाल हवलदार की पत्नी एव लड़के की नियुक्ति के मामले को नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विवादास्पद बनाते हुए क्या शासन से स्पष्टीकरण की मांग की गई है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

जी नहीं ।

नगरमहापालिका, वाराणसी के स्वास्थ्य विभाग में मृतक स्व0 फूलचन्द्र की पत्नी श्रीमती दुर्गावती तथा मृतक श्री जवाहर लाल हवलदार के पुत्र श्री भोलानाथ की नियुक्ति क्रमशः चपरासी तथा सहायक सफाई हवलदार के पद पर की जा चुकी है ।

नगरपालिका, गोंडा के नलकूप

92—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा नगरपालिका के जलकल विभाग में लगे नलकूपों पर वर्ष 1975 से आज तक कितना मरम्मत पर खर्चा किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो मंत्री नये नलकूप लगवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगरपालिका गोंडा के दोनों नलकूपों की मरम्मत पर सन् 1975 से दिसम्बर, 1980 तक कुल रु0 33,467·46 की धनराशि व्यय की जा चुकी है । दोनों नलकूप सुचारुरूप से कार्य नहीं कर रहे हैं । इसके समाधान के लिये नगरपालिका गोंडा द्वारा जल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना (अनुमानित लागत रु0 88·36 लाख) जिसके अन्तर्गत 9 नलकूप तथा 2 ओवर हेड टैंकों का निर्माण प्रस्तावित है, के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को ऋण हेतु प्रार्थना—पत्र प्रेषित किया गया है । जिसकी औपचारिकता पूर्ण हो जाने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

बहुधंधी स्वास्थ्य योजना के बेसिक स्वास्थ्य वर्कर की पदोन्नति

93—श्री दीपनारायण—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहुधंधी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत तकनीकी स्वास्थ्य सहायक को पर्यवेक्षक बनाने का क्या कारण है ? तकनीकी बेसिक हेल्थ वर्कर जिनको 20 वर्ष का विभागीय अनुभव है पर्यवेक्षक बनाने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री लोकपति—

बहुधंधी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत उच्च वेतनमान (300-500 रु०) में कार्यरत स्वास्थ्य सहायकों को पर्यवेक्षक बनाए जाने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है। उक्त स्वास्थ्य सहायकों की शैक्षिक योग्यता, वेतनमान तथा बेसिक प्रशिक्षण की अवधि अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा जिन्हें पर्यवेक्षक बनाये जाने का प्रस्ताव है, अधिक है। अतः भारत सरकार के अनुमोदन से इन्हें पर्यवेक्षक बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है। इन स्वास्थ्य सहायकों को प्रस्तगत योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पर्यवेक्षक बनाया जायेगा। अतः इनके अतकनीकी होने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के निदेशानुसार विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में कार्यरत पर्यवेक्षण कार्य करने वाले कर्मचारियों को ही बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ता योजना के अन्तर्गत पर्यवेक्षक के पदों पर समायोजित किया जाना है। ऐसी स्थिति में बेसिक हेल्थ वर्कर, जो वर्तमान में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, को उक्त योजना के अन्तर्गत पर्यवेक्षक के पदों पर समायोजित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवर्तन

94—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवर्तन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां। शासन ने दिनांक 1 जनवरी, 1981 से निजी क्षेत्र में कार्यरत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को समाप्त कर सहकारी क्षेत्र को आवंटित करने तथा उन दुकानों से आवश्यक वस्तुएं जैसे—

खाद्यान्न व चीनी का वितरण कराये जाने का निर्णय लिया है। जहां उक्त दुकानें सहकारी क्षेत्र को तत्काल हस्तान्तरित करना सम्भव न हो, वहां वर्तमान व्यवस्था ही चालू रखने के आदेश हैं।

देहाती क्षेत्र में कार्यरत सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों को दिनांक 25 दिसम्बर, 1980 से ब्लाक व तहसील स्तर पर खाद्य विभाग द्वारा खोले गये गोदामों से खाद्यान्न व शक्कर की सम्पूर्ति किये जाने का भी शासन ने निर्णय लिया है। इस प्रकार अब देहाती क्षेत्र में कार्यरत फुटकर विक्रेताओं को देहात में ही आवश्यक वस्तुओं की सम्पूर्ति की जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला चिकित्सालय, बांदा में डाक्टरों की कमी

95—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के जिला चिकित्सालय में डाक्टरों के अभाव से जनता को भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा ह ? यदि हां, तो डाक्टरों की कमी दूर करने के लिए शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री लोकपति—

जिला चिकित्सालय बांदा में डाक्टरों का अभाव नहीं है । सभी चिकित्सा-अधिकारी कार्यरत हैं । केवल एक ई० एम० ओ० का पद रिक्त है जिसे शीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है ।

बांदा जिले में फाइलेरिया का प्रकोप

96—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को यह जानकारी है कि बांदा जनपद फाईलेरिया रोगग्रस्त है ? यदि हां, तो इस रोग को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लोकपति—

जी हां, जिला बांदा में फाईलेरिया के रोग का प्रभाव है । वहां अलग से एक फाईलेरिया नियंत्रण इकाई खोलने के प्रश्न पर विचार किया गया था किन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण यह इकाई अभी तक नहीं खोली जा सकी है ।

97—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

आजमगढ़ जिले के पोस्ट-मार्टम हाउस का निर्माण

98—श्री बल सिंगार यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ में पुराना पोस्ट मार्टम हाउस के जगह पर जो नया पोस्ट मार्टम हाउस बनना है वह कार्य शुरू हुआ कि नहीं ? यदि हां, तो कब तक वह बन कर तैयार होगा ?

श्री लोकपति—

जी हां, जिला आजमगढ़ में नया पोस्ट मार्टम हाउस का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका ह और उसके वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

आयुर्वेदिक अस्पताल, शेखा, जिला मिर्जापुर के कम्पाउन्डर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

99—श्री कवल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक अस्पताल, शेखा, जिमिर्जापुर के कम्पाउन्डर के खिलाफ, सन् 80 में बहुत सी शिकायती

प्रार्थना-पत्र निदेशक, उप निदेशक एवं सरकार के पास प्रधानों तथा आम जनता ने भेजे हैं और क्षेत्रीय अधिकारी आयुर्वेद वाराणसी ने भी एक रिपोर्ट निदेशक, उत्तर प्रदेश के पास भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है और शिकायतें क्या-क्या हैं ?

श्री लोकपति—

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, शेखा, जिला मिर्जापुर के कम्पाउन्डर के विरुद्ध क्षेत्रीय जनता ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, इलाहाबाद के पास शिकायतें भेजी थी, जो कि जातिगत भावना फैलाने से सम्बन्धित थी । क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, इलाहाबाद ने शिकायतों की जांच करने के पश्चात् कम्पाउन्डर को भविष्य के लिये सचेत रहने की चेतावनी दी । उक्त कम्पाउन्डर को क्षेत्रागत किसी अन्य राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में स्थानान्तरण करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

सलेमपुर तहसील, जिला देवरिया के अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दुकानों का निरसन

100—श्री मोहन सिंह (देवरिया)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर में परगनाधिकारी ने जून, 1980 से नवम्बर, 1980 के बीच सरकारी सस्ते गल्ले की कितनी राशन दुकानों को निरस्त किया तथा इस अनुपात में इन्हीं महीनों में कितनी नई दूकानें स्वीकृत की ? निरस्त राशन की दुकानों के उपभोक्ताओं को किस पद्धति से राशन तथा आवश्यक उपभोक्ता सामग्री वितरित की जा रही है ?

श्री वासुदेव सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका सीतापुर में प्रकाश अधीक्षक के पद का सृजन

101—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका सीतापुर के प्रथम श्रेणी की नगरपालिका होने के बाद भी अभी तक वहां प्रकाश अधीक्षक के पद का सृजन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा पद का सृजन कब तक हो जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

पद सृजन के सम्बन्ध में पालिका के प्रस्ताव आने पर ही शासन विचार करता है । ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलरियागंज, आजमगढ़ के कर्मचारी की मृत्यु

102—श्री पंचानन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलरियागंज, आजमगढ़ पर नियुक्त किसी कर्मचारी की मृत्यु 21-9-80 को हो गयी ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि उक्त कर्मचारी की मृत्यु उसे देय यात्रा भत्ता तथा अन्य अवशेषों का भुगतान, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरैया, आजमगढ़ के चिकित्सा अधिकारी द्वारा न किये जाने से हुए सदमे से हुई है ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसके लड़के को नौकरी देने पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

मृत्यु यात्रा भत्ता अथवा अन्य अवशेषों का भुगतान न किये जाने के सदमे से नहीं हुई, क्योंकि ऐसी कोई धनराशि भुगतान हेतु अवशेष नहीं है । अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं है । उसके लड़के द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर योग्यता एवं उपयुक्ततानुसार नियमानुसार नौकरी देने पर विचार किया जायेगा ।

मुजफ्फरनगर में विधायकों की संस्तुति पर दिया गया सीमेन्ट

103—श्री हुकम सिंह—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय से जून, 1980 से नवम्बर, 1980 तक किन-किन मंत्रियों या विधायकों की संस्तुति के आधार पर कितना सीमेन्ट वितरित किया गया ? क्या उक्त वितरण साधारण दिये गये नियमानुसार आवेदन-पत्रों की अपेक्षा प्राथमिकता दे कर किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जिला पूर्ति कार्यालय मुजफ्फरनगर से प्रश्नगत अवधि में मंत्रियों तथा विधायकों की संस्तुतियों पर दिये गये सीमेन्ट का विवरण निम्नवत है :—

(1) श्री विद्या भूषण, मंत्री, उत्तर प्रदेश	381 बोरे
(2) श्री अजीत सिंह सेठी, राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	95 ,,
(3) श्री राम प्रसाद, विधायक,	225 ,,
(4) श्री सोमांश प्रकाश, विधायक	50 ,,
(5) श्री दीपक कुमार, विधायक	360 ,,
(6) श्री वीरेन्द्र सिंह, विधायक	180 ,,
(7) श्री नकली सिंह, विधायक	835 ,,
(8) श्री धर्मवीर सिंह, विधायक	135 ,,

मंत्रियों/विधायकों की संस्तुति को ध्यान में रखकर सीमेन्ट प्राथमिकता के आधार पर दी गई ।

गोंडा जिले की सस्ते गल्ले की दुकानों को चावल व चीनी का आवंटन

104--श्री मसरूर जाफरी--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोंडा में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी के दुकानदारों को गेहूं, चावल, चीनी जन संख्या के आधार पर वितरण हेतु दिया जाता है जब कि उपरोक्त सामग्री राशन कार्डों तथा यूनिट के आधार पर देने के लिये आदेश है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

105--श्री मसरूर जाफरी--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त खाद्य एवं आपूर्ति कर्मचारियों को जो तीन साल से सरकारी सेवा में लिप्त हैं, को स्थायी किया गया है ? यदि स्थायी नहीं किया गया है, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

कर्मचारियों का स्थायीकरण उनकी ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है और स्थायीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है । विभाग में कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही तीव्र गति से की जा रही है । जैसे-जैसे और पद स्थायी होते जायगे, कर्मचारियों का स्थायीकरण भी होता जायेगा ।

आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ हाइजिन एवं पब्लिक हेल्थ प्रशिक्षण हेतु भेजे गये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी

106--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्लोमा इन हेल्थ एजूकेशन हेतु दो व्यक्तियों को आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ हाइजिन एन्ड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता में एक वर्ष के लिए 2-7-80 से भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश से आदेश वहां भेज दिया है या नहीं, यदि भेजा गया तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी नहीं,

संबंधित 2 व्यक्ति बिना शासन की पूर्वानुमति के आलइंडिया इन्स्टीट्यूट आफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ प्रशिक्षण हेतु चले गये थे । शासन द्वारा प्रशिक्षण को नियमित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

नगरमहापालिका, लखनऊ की कालोनियों में अवैध कब्जा

107--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर महापालिका लखनऊ के अन्तर्गत किस-किस कालोनी में कितने लोग कौन-कौन सा मकान अवैध ढंग से कब्जा

[श्री माता प्रसाद पान्डेय—]

करके रह रहे हैं । क्या यह सही है कि बहुत से लोग मकान आवंटित करा कर बाहर चले गये है और उस मकान में दूसरे लोग अवैध ढंग से रह रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध कब तक और कौन सी कार्यवाही करने जा रही है और यदि नही, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगर महापालिका लखनऊ के अन्तर्गत जिन कालोनियों के भवनों मे जो-जो व्यक्ति अवैध ढंग से रह रहे हैं उनकी सूची संलग्न है ।

जैसा कि सूची से विदित होगा कतिपय भवनों में अनधिकृत लोग रह रहे हैं । ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो महापालिका/विकास प्राधिकरण को बिना सूचित किये लम्बी अवधि के लिये बाहर चले जाते हैं और किसी अन्य को कब्जा दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक जांचोंपरान्त गुण-अवगुण के आधार पर समुचित कार्यवाही की जाती है ।

नगरपालिका, गाजीपुर की आय एवं व्यय

108—श्री राम नारायण—

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगरपालिका की वर्ष 1978 से मार्च, 1980 तक कितनी आय हुई एवं राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता मिली है और किन-किन मदों में उक्त धनराशि का खर्च हुआ है और वर्ष 1979-80 में नगर में किन-किन सड़कों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और किन-किन सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ423 पर) ।

मुजफ्फरनगर जिले में सीमेन्ट का आवंटन

109—श्री हुकम सिंह—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जुलाई, 1980 से लेकर 15 नवम्बर, 1980 तक मुजफ्फरनगर जनपद को रेल बैगन द्वारा कितने बैगन सीमेन्ट दिया गया और उक्त सीमेन्ट का कितना हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को व कितना हिस्सा शहरी क्षेत्र को दिया गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रश्नगत अवधि में मुजफ्फरनगर जिले में रेल बैगनों द्वारा 27,031 बोरे सीमेन्ट प्राप्त हुए जिसका वितरण निम्न प्रकार से किया गया :

शहरी क्षेत्र	41%	11,309 बोरे
ग्रामीण	59%	15,722 बोरे
योग ..		27,031 बोरे

छापी नहीं गई ।

सहकारी बैंक, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के भवन में सीनियर मार्केटिंग इन्स्पेक्टर का कार्यालय

110—श्री पंचानन—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ का कार्यालय जो ग्रामीण सहकारी बैंक, मऊनाथ भंजन के भवन में है को खाली कराने से सम्बन्धित कोई पत्र सचिव, खाद्य एवं रसद को अक्तूबर, 80 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध म क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

ग्रामीण सहकारी बैंक मऊनाथ भंजन आजमगढ़ के भवन, जिसमें स्थानीय सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर का कार्यालय स्थित है को खाली कराने की मांग से सम्बन्धित एक पत्र उक्त बैंक के मंत्री का अक्तूबर, 1980 में प्राप्त हुआ था। पत्र की प्राप्ति के पश्चात सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर के कार्यालय के लिए वैकल्पिक स्थान तलाश करने और बैंक का भवन खाली करने के आदेश उसी माह जारी कर दिये गये थे। वैकल्पिक स्थान जो बैंक के मंत्री के पत्र में इंगित किया गया था उपयुक्त नहीं पाया गया। कार्यालय के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध हो जाने पर बैंक का भवन खाली कर दिया जायेगा।

आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया के छात्रों की परीक्षा

111—श्री पंचानन तथा डाक्टर विनोद कुमार तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया का अधिग्रहण किया है ? यदि हां, तो उक्त कालेज में पढ़ने वाले तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा की क्या व्यवस्था की जा रही है ? प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

इस कालेज के अधिग्रहण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने के लिये कानपुर विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया है।

प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा उच्च न्यायलय के आदेशानुसार कराई गई थी तथा उच्च-न्यायालय के आदेश प्राप्त होने पर ही परीक्षाफल घोषित करना सम्भव होगा।

डाक्टर एच० एन० श्रीवास्तव, सिविल अस्पताल ललितपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

112—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रार्थी श्री मुन्ना लाल ग्वाला ने कोई प्रार्थना पत्र डाक्टर एच० एन० श्रीवास्तव, सिविल अस्पताल ललितपुर के

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—]

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अक्तूबर, 80 में दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? मन्त्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त, डाक्टर कब से ललितपुर में अनवरत कार्यरत है ? क्या इसको स्थानान्तरित कर जांचोपरान्त समुचित दंड देने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला पूर्ति कार्यालय, बुलन्दशहर में चौकीदार के पद पर पिछड़ी जाति के व्यक्ति की नियुक्ति

113—श्री किरन पाल सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के आपूर्ति अधिकारी ने 12-9-80 को एक गैर अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की नियुक्ति चौकीदार (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर कर ली है ? क्या यह सही है कि उक्त स्थान सिर्फ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित था ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के आदेशानुसार जिला पूर्ति कार्यालय, बुलन्दशहर में दिनांक 12-9-80 को एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की नियुक्ति चौकीदार (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर की गई है । चौकीदार का उक्त पद अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये सुरक्षित नहीं था वरन उक्त पद एक पिछड़ी जाति के कर्मचारी के सेवा निवृत्ति के फलस्वरुप रिक्त हुआ था । उक्त पद के भरे जाने हेतु जिला सेवायोजन कार्यालय से केवल पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये थे और उनका साक्षात्कार लिया गया जिसमें एक पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को उक्त पद के लिये उपयुक्त पाया गया और फलस्वरूप उसकी नियुक्ति कर दी गयी ।

नगरपालिका बिलग्राम, जिला हरदोई में गन्दगी

114—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की नगरपालिका बिलग्राम में इतनी गन्दगी रहती है तथा वर्षा का गन्दा पानी तक सड़कों पर भरा रहता है सभी सड़क टूटी है तथा सुभाष पार्क का फाटक तथा प्राइमरी पाठशाला मंडई के टूटे भवन का गाटर तक लापता हो गये हैं तथा कर्मचारियों के फंड आदि का कोई लेखा कर्मचारियों को नहीं मिला है ? यदि हां, तो इस ओर शासन क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण जनपद हरदोई की नगरपालिका बिलग्राम की सड़कों पर गन्दा पानी एकत्र हो जाने के फलस्वरूप हुयी गन्दगी की सफाई कराई जा चुकी है । अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की यथासम्भव आवश्यक मरम्मत की व्यवस्था नगरपालिका द्वारा अपने सीमित संसाधनों तथा शासन से प्राप्त सड़क अनुदान धनराशि से की जा रही है । सुभाष पार्क का फाटक तथा प्राइमरी पाठशाला मन्डई के टूटे भवन के गाटर गायब होने के सम्बन्ध

में जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । वर्ष 1973 से पूर्व नगरपालिका के कर्मचारियों का भविष्य निधि लेखा एकजाई खाते में है । वर्ष 1973–74 से कर्मचारियों का भविष्य निधि लेखा पोस्ट आफिस सेविंग बैंक में अलग–अलग खाते खोलकर उनकी व्यक्तिगत पासबुकों में अंकित किया जा रहा है जिसे कर्मचारियों को समय–समय पर दिखा दिया जाता है ।

नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों का स्थानान्तरण

115—श्री पंचानन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, 1980 से 10 सितम्बर, 1980 के बीच कितने नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये, इनमें से कितने निरस्त किये गये तथा कितने स्थानान्तरणों में परिवर्तन किया गया ? कौन–कौन से ऐसे अधिशासी अधिकारी हैं जिनका इस अवधि में एक बार से अधिक स्थानान्तरण किया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

दिनांक 1 जुलाई, 1980 से 10 सितम्बर, 1980 के बीच 61 नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये । इनमें से 7 स्थानान्तरण निरस्त/स्थगित किए गए तथा 6 स्थानान्तरणों में परिवर्तन किया गया । सर्वश्री विश्वनाथ दुबे, वीरेन्द्र प्रसाद, बलायत हुसेन खां, शिव कुमार शर्मा, अक्षयवर सिंह, श्रीमती निरूपमा मिश्रा क्रमशः अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, गोलागोकर्णनाथ, सम्भल, बिलारी, बागेश्वर, दादरी तथा सहायक नगर अधिकारी नगरमहापालिका लखनऊ का उक्त अवधि में एक बार से अधिक स्थानान्तरण किया गया ।

116–118—श्री गोवरधन तिवारी—

(मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

मिहीपुरवा कस्बा, बहराइच को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव

119—श्री जटा शंकर सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच स्थित मिहीपुरवा कस्बे को टाउन एरिया घोषित किये जाने सम्बन्धी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं ? यदि हां, तो अब तक इसे टाउन एरिया न घोषित किए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

बहराइच जिले के मिही पुरवा गांव को टाउन एरिया घोषित करने के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इस सम्बन्ध में निदेशक, पंचायत राज को संस्तुति प्राप्त की जा रही है । अन्य औपचारिकताएं भी पूरी की जा रही हैं किन्तु जनगणना कार्यों के कारण भारत सरकार के निर्देश पर नई टाउन एरियाओं के सृजन के कार्य 30 जून, 1981 तक स्थगित हैं । उक्त तिथि के बाद ही इस प्रस्ताव पर कार्यवाही करना सम्भव होगा ।

गोरखपुर महिला अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा किये गये आपरेशन

120—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर महिला अस्पताल की वरिष्ठ अधीक्षिका द्वारा कुल कितने आपरेशन 1 जनवरी, 1980 से 15 नवम्बर, 1980 तक किये गये ? क्या अन्य डाक्टरों द्वारा किये आपरेशनों की तुलना वरिष्ठ अधीक्षिका द्वारा किये गये आपरेशनों में मरने वालों की संख्या अधिक है ? यदि हां, तो सरकार जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत अवधि में वरिष्ठ चिकित्सा अधिक्षिका गोरखपुर द्वारा कुल 148 आपरेशन किये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खंड, विक्रम जोत, जिला बस्ती में जन स्वास्थ्य रक्षक का कथित चयन

121—श्री राम लाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत विकास खंड विक्रम जोत में जुलाई, 1980 में जन स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया ? यदि हां, तो क्या ग्राम सभा द्वारा प्रेषित नामों को वरीयता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जनपद बस्ती के विकास खंड विक्रम जोत में जुलाई, 1980 में जन स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण हेतु कोई चयन नहीं किया गया अतः ग्राम सभा द्वारा प्रेषित नामों को वरीयता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामजी पाण्डेय इक्सटेंशन एजूकेटर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खलीलाबाद, बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

122—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री रामजी पाण्डेय, ब्लाक एक्सटेंशन एजूकेटर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुदौली, जनपद बस्ती के विरुद्ध जब वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खलीलाबाद, जनपद बस्ती में नियुक्त थे तत्कालीन विधायक श्री राम आसरे पासवान ने फर्जी यात्रा भत्ता तथा घोर अनियमितताओं के बारे में शिकायत किया था तथा क्या उक्त मामले की जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी और उसकी आख्या क्या शासन को प्राप्त हो गयी है । यदि हां, तो जांच आख्या क्या है तथा श्री पाण्डेय के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती द्वारा प्रश्नगत शिकायतों की जांच करायी गयी थी। श्री पाण्डेय के विरुद्ध मुख्यतया निम्न शिकायतें थीं--

1--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अधिक अवधि से कार्यरत रहना, क्षेत्र का दौरा न करना, भ्रमण पंजिका गायब कर देना।

2--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफ को डराना, धमकाना तथा अभद्र व्यवहार करना।

3--अनैतिक ढंग से पैसे की वसूली करना।

4--फर्जी यात्रा भत्ता लेना आदि। मुख्य चिकित्साधिकारी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाये, अतः उक्त शिकायतों की वरिष्ठ अधिकारी को पुनः जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं।

विकास खंड, इटवा जिला बस्ती के सस्ते गल्ले के दुकानदारों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

123--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के विकास खंड इटवा न्याय पंचायत क्षेत्र महादेव घुरहू के सस्ते गल्ले के दुकानदार मोहम्मद हरीश पुत्र नसरुल्लाह व न्याय पंचायत मुहिला के दुकानदार श्री अकबर अली पुत्र सोहरत अली व न्याय पंचायत इनरीगाट के दूकानदार श्री जनीउल्लाह पुत्र अहमद व न्याय पंचायत मेहदावी के वली मोहम्मद पुत्र हुब्बा व न्याय पंचायत कमिया सेवा के दुकानदार मोहम्मद यार पुत्र याकूब तथा विकास खंड भनवापुर के दुकानदार श्री असगर अली पुत्र छांगुर के विरुद्ध चीनी न वितरण करने का शिकायती-पत्र वहां की जनता ने परगनाधिकारी, डुमरियागंज के क्षेत्रीय विधायक के संस्तुति के साथ दी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त दुकानदारों के विषय में उनकी शिकायतों की जांच परगनाधिकारी, डुमरियागंज ने कराई ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री दसई राम, वार्ड ब्वाय, होम्योपैथिक चिकित्सालय, भटौली, आजमगढ़ का शिकायती-पत्र

124--श्री पंचानन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को श्री दसई राम, वार्ड ब्वाय, जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ का कोई शिकायती-पत्र 1-9-80 से 25-9-80 के बीच प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायत क्या है और उसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी है ? जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति--

जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में श्री दसई राम नामक कोई भी वार्ड ब्वाय नहीं है वरन् राजकीय होम्योपथिक चिकित्सालय, भटौली (आजमगढ़) में श्री दसई

[श्री लोकपति—]

राम नामक वार्ड व्याय कार्यरत हैं जिनका शिकायती-पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशक को प्राप्त हुआ है। प्रमुख शिकायतें निम्नवत् हैं—

(1) प्रार्थी की 28-2-76 को जबर्दस्ती नशबन्दी करा दी गई है।

(2) प्रार्थी को तभी से बाहिनी तरफ दर्द रहता है और इस बीच उसे साइटिका हो गया है ? इस कारण प्रार्थी की पत्नी चिन्ताग्रस्त होकर तभी से बीमार चल रही है।

(3) अस्पताल में गरीब एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बढ़िया दवा नहीं मिल पाता है।

(4) प्रार्थी बीमार होकर दिनांक 6-10-80 से छुट्टी पर चल रहा है, उसका दो माह का वेतन रोक लिया गया है।

(5) स्थानान्तरण के लिए उससे रिश्वत मांगी जाती है।

(6) आजमगढ़ चिकित्सालय के घूसखोर एवं चोर अधिकारियों जैसे मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षक एवं वहां के चोर क्लर्कों के विरुद्ध जांच की जाय तथा इनको वहां से स्थानान्तरित किया जाय। शिकायतों की जांच मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ ने प्रारम्भ की लेकिन शिकायत कर्त्ता द्वारा जांच में वांछित सहयोग नहीं दिया गया। अतः दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

शोहरतगढ़ टाउन एरिया, जिला बस्ती के सफाई कर्मचारी श्री राम शंकर की सेवा समाप्ति

125—श्री राम लाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के शोहरतगढ़ टाउन एरिया में कितने सफाई नायक पिछले 12 माह से कार्यरत थे ? उसमें से क्या कोई ऐसे भी सफाई नायक हैं जिसे माह नवम्बर, 1980 में कार्य मुक्त किया गया है ? यदि हां, तो उसे कार्य मुक्त करने का कारण क्या है ? क्या कोई शासनादेश सफाई कर्मचारियों के छटनी के सम्बन्ध में दिनांक 16 अगस्त, 1980 को जारी किया गया था ? यदि हां, तो शासनादेश क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

बस्ती जिले की शोहरतगढ़ टाउन एरिया में एक सफाई नायक तथा 10 सफाई कर्मचारी पिछले 12 माह से कार्यरत थे।

सफाई नायक श्री राम शंकर दैनिक वेतन के कर्मचारी थे। उनका कार्य बहुत असन्तोषजनक था। वे न तो कार्य करते थे न कार्यालय आते थे और न ही आदेशों का पालन करते थे। उन्हें असन्तोषजनक कार्य और व्यवहार के कारण 17-10-1980 से कार्य से हटा दिया गया।

सफाई कर्मचारियों की छटनी के सम्बन्ध में 16 अगस्त, 1980 का कोई शासनादेश नहीं है। 18 अगस्त, 1980 का एक शासनादेश है जिसमें कहा गया है कि नियमित सफाई कर्मचारियों को अकारण छटनी न की जाय। श्री राम शंकर

नियमित कर्मचारी नहीं थे बल्कि दैनिक कर्मचारी थे और उनका कार्य एवं व्यवहार ठीक नहीं था। इसलिये उन्हें कार्यरत नहीं रखा गया।

आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के प्राचार्य, डा० बी० के० शर्मा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

126--डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ल० ह० राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के प्राचार्य (डा० बी० के० शर्मा) के विरुद्ध जनपद के चारों विधायकों व छात्र नेताओं द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र 1980 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पत्र में क्या शिकायतें एवं सुझाव थे उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या जांच कार्यवाही में शिकायतकर्त्ताओं को सूचना दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां।

उक्त पत्र में की गई शिकायतों का विवरण संलग्न है। शिकायतों पर उप-निदेशक (शिक्षा) द्वारा जांच कराई गई तथा जांच आख्या शासन के विचाराधीन है।

शिकायत कर्त्ताओं को सूचना दी गई थी।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 452 पर)।

गौरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर की पेयजल योजना

127--श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के धर्मापुर ब्लाक के अन्तर्गत गौरा बादशाहपुर नामक स्थान पर पेयजल योजना के अन्तर्गत दो साल पूर्व स्वीकृत नलकूप अभी तक नहीं लगाया गया ? क्या इसको शीघ्र लगवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

प्रश्नगत ग्राम की पेयजल योजना वर्ष 1980 में विरचित हुई है।

इस योजना पर निर्माण कार्य वर्ष 1981-82 में प्रारम्भ होने की आशा है।

चौकाघाट, वाराणसी में सी० एम० ओ० कार्यालय की जीप एवं बसें

128--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चौकाघाट, वाराणसी स्थित सी० एम० ओ० तथा डिप्टी सी० एम० ओ० के आफिस के सामने वर्षों से बड़ी छोटी बीसों गाड़ियां (जीप, बसें एम्बुलेंस) खराब होकर जंग खा रही हैं और उनका अच्छा सामान निकाल कर बेच दिया गया है ? यदि हां, तो उनका नीलाम अब तक न करने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति--

कुल 11 वाहन निष्क्रिय हैं। इन वाहनों में से कोई भी सामान निकाल कर बेचा नहीं गया है। इनमें से 8 को निष्प्रयोज्य घोषित कराने के लिए अपेक्षित

[श्री लोकपति---]

प्रस्ताव भारत सरकार तथा परिवहन विभाग को भेजे गये हैं। उक्त वाहनों के निष्प्रयोज्य घोषित होने पर नीलाम होगा। शेष तीन बड़ी बेडफोर्ड वाहन पेट्रोल की अत्याधिक खपत के कारण मितव्ययिता की दृष्टि से उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं। भारत सरकार से इन्हें अपने स्तर पर उपयोग करने या डीजल वाहन में परिवर्तित करने का अनुरोध किया जा रहा है।

भूतपूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी द्वारा दवाओं की खरीद में घोटाला

129---श्री ऊदल---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० एम० ओ०, मिर्जापुर जब वाराणसी में थे तब दवा खरीदने में लाखों रुपया का घोटाला किया था जिसकी जांच विजिलेंस द्वारा करायी जा रही थी ? यदि हां, तो उस मामले में क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री लोकपति---

मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर जब वाराणसी में थे तब उनके द्वारा दवा खरीदने में किए गए लाखों रुपये के घोटाला से सम्बन्धित जांच विजिलेंस द्वारा नहीं कराई गई। परन्तु इस सम्बन्ध में की गई विशेष सम्प्रेक्षा की आख्या, जो शासन को दिनांक 23 जनवरी, 1981 को प्राप्त हुई है, शासन के विचाराधीन है।

मुजफ्फरनगर में पकड़ी गई सीमेन्ट

130---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या खाद्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि मुजफ्फरनगर शहर में दिनांक 16 सितम्बर, 1980 को अथवा आसपास किसी दिन चोरी से सीमेन्ट ले जाने वाले (50 बोरी) किसी व्यक्ति को सीमेन्ट सहित सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पकड़ा गया ? यदि हां, तो सीमेन्ट किसके नाम जारी की गई थी तथा कौन ले जा रहा था, इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया ? यदि हां, तो किसको ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह---

जी हां। 16 सितम्बर, 1980 को मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर के नाम जारी 50 बोरी सीमेन्ट चिकित्सालय के ठेकेदार श्री दाता राम को ले जाते हुये पकड़ा गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

जांचोपरान्त रसीद व परमिट नियमित पाये जाने पर मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की न्यायालय के आदेशानुसार सीमेन्ट मुक्त कर दी गई।

सिगरामऊ अस्पताल, जिला जौनपुर का भवन

131---श्री जंगबहादुर---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जौनपुर जनपद के विकास खंड, बदलापुर में स्थित राजकीय अस्पताल, सिगरामऊ का भवन जर्जर हो

गया है और ध्वस्त होने की स्थिति में है ? यदि हां, तो शीघ्र ही चिकित्सालय का भवन निर्माण कराया जायेगा ?

श्री लोकपति--

जी हां।

ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालयों के भवन निर्माण की योजना न होने के कारण अस्पताल भवन का निर्माण कराया जाना सम्प्रति सम्भव न हो सकेगा। फिर भी स्वास्थ्य सेवा निदेशक को आदेशित किया जा रहा है कि अस्पताल को निःशुल्क अथवा किराये के भवन में स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में तुरन्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।

ग्राम ककरा कलां, जिला बरेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

132--श्री नन्द राम--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 78 में ग्राम ककरा कलां मुता ब्लाक जिला बरेली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो योजना इस समय कहां तक पहुंच गई और कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री लोकपति--

मार्च, 1978 में ग्राम ककरा कलां, विकास खन्ड मुता, जिला बरेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति नहीं दी गयी थी। अतः योजना पूरी करने का प्रश्न नहीं उठता।

133--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[2सरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था

134- श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कोई नयी योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां। आवश्यक वस्तुऐं जैसे--खाद्यान्न व चीनी के वितरण के संबंध में शासन ने यह निर्णय लिया है कि 1 जनवरी, 1981 से निजी क्षेत्र में कार्यरत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को समाप्त कर सहकारी क्षेत्र को हस्तान्तरित करके सहकारी समितियों द्वारा संचालित कराया जाय। जहां सहकारी क्षेत्र को इस कार्य को तत्काल हाथ में लेना सम्भव न हो वहां वर्तमान वितरण व्यवस्था चलने दी जायेगी।

देहाती क्षेत्र में कार्यरत सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों व समकक्ष फुटकर विक्रेताओं को दिनांक 25 दिसम्बर, 1980 से ब्लाक व तहसील स्तर पर खाद्य विभाग द्वारा खोले गये गोदामों से ही खाद्यान्न व शक्कर निर्गत किये जाने का भी शासन ने निर्णय लिया है। इस प्रकार देहात में कार्यरत फुटकर विक्रेताओं को देहात में ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाना सम्भव हो सकेगा।

शाहजहांपुर अस्पताल के डाक्टरों की ज्येष्ठता सूची

135—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जनपदीय अस्पताल शाहजहांपुर के ऐसे कितने डाक्टर हैं जिनका नाम वरिष्ठता क्रम सूची में नहीं है जबकि वह 1970-71 में लोक सेवा आयोग से अनुमोदित हैं ? सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने जा रही है और कब तक ?

श्री लोकपति—

जनपदीय अस्पताल शाहजहांपुर में केवल ऐसे एक डाक्टर हैं जो वर्ष 1970-71 में लोक सेवा आयोग से अनुमोदित हैं परन्तु उनका नाम वरिष्ठता क्रम सूची में नहीं है । उनका नाम वरिष्ठता क्रम सची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

शाहजहांपुर, जिला परिषद् अस्पताल कटरा के भवन का स्थानान्तरण

136—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर में जिला परिषदीय चिकित्सालय भवन कटरा को स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव, जो जिला परिषद्, शाहजहांपुर ने भेजा है, शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका स्थानान्तरण कब तक हो जायगा और इस प्रक्रिया में देरी क्यों है ?

श्री लोकपति—

जी हां । परन्तु उक्त प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसकी त्रुटियां दूर हो जाने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा ।

जिला एटा के डाक्टर लज्जाराम सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

137—श्री मित्र सेन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 14 अगस्त, 1980 को श्री मुरारी लाल श्रीवास्तव, पो० जैथरा, जिला एटा द्वारा स्वास्थ्य निदेशक को नौ सूत्री कोई प्रार्थना-पत्र डा० लज्जाराम सिंह के विरुद्ध दिया है । यदि हां, तो वे 9 सूत्र क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री लोकपति—

जी हां, नौ सूत्र की सूची संलग्न है । उन नौ सूत्रों के सम्बन्ध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 426 पर)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैथरा, जिला एटा द्वारा खरीदा गया सामान

138—श्री मित्रसेन—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैथरा, एटा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 17-12-80 को बिल नं० 3255 द्वारा क्रय किया गया सामान अस्पताल

में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर वस्तु स्थिति की जानकारी देगी ।

श्री लोकपति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रबी अभियान के लिए झांसी तथा ललितपुर जनपद के लिए आवंटित खाद तथा बीज किसानों में वितरित न किये जाने से किसानों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

(समय अपरान्ह 12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत आज मेरे पास 12 सूचनायें आयीं थीं जिनमें से 5 सूचनायें स्वीकृत की हैं । पहली श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की रबी अभियान के लिए झांसी तथा ललितपुर जनपद के लिए आवंटित खाद तथा बीज का किसानों में वितरित न किए जाने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में है ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अति लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । सन् 1980-81 (वर्तमान) रबी अभियान के समय झांसी तथा ललितपुर जनपद के लिये आवंटित, खाद, बीज किसानों को नहीं मिल सका, जब कि खाद, बीज का भंडार अपने निश्चित कोटे के अनुसार था, जिसके कारण किसान रबी की बोवाई न कर सका, अल्प जोत के किसान को भिन्न-भिन्न सहकारी एवं कामर्शियल बैंक के माध्यम से कर्ज के साथ चेकें दे दी गयीं और अन्त में जो भी बीज गेहूं का दिया गया वह एफ0 सी0 आई0 में वर्षों से रखा हुआ था जिसकी अंकुरण शक्ति बहुत ही कम थी तथा डी0 ए0 पी0 और यूरिया मिट्टी मिली किसानों को दी गयी जिसके कारण फसल समाप्त हो गयी तथा इस समय जो भी रबी की फसल बची है वर्तमान में गेरुआ एवं कड़आ रोग बड़ी ही जोर से झांसी एवं ललितपुर जनपद में व्याप्त है । इन सब कारणों से किसान तबाही के कगार पर खड़ा है । उपरोक्त कारणों से जन असन्तोष व्याप्त है अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय को आवश्यक निर्देश दें कि इस प्रकार के पीड़ित किसानों की क्षति पूर्ति की जाये तथा वसूल की जा रही लगान एवं सहकारी करों की वसूली को तुरन्त रोका जाये ।

थानाध्यक्ष बनकटा, देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत तथा श्री इन्द्रासन मिश्र द्वारा आत्मदाह की धमकी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, श्री इन्द्रासन मिश्र, ग्राम रामपुर बुजुर्ग, थाना बनकटा, जिला देवरिया का 195 बोरी यूरिया गत 15 दिसम्बर, 1980 को थानाध्यक्ष बनकटा ने जब्त कर उनको हवालात में बन्द कर दिया । उनसे 5 हजार रुपया लेकर छोड़ा तथा 20 हजार रुपये में यूरिया को चोर बाजारी में बेच दिया । थानाध्यक्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरिवंश सहाय--]

ने यूरिया के 20 हजार रुपये को पुलिस अधीक्षक, देवरिया के पास ले जाकर जमा कर दिया । इन्द्रासन मिश्र 25 हजार रुपये के गम में पागल होकर सड़क पर घूमता रहता है । पता चला है कि न्याय न मिलन पर वह 15 फरवरी, 1981 को बनकट थाने पर आत्मदाह करने वाला है । पुलिस अधीक्षक ने माफिक रिपोर्ट कराने के लिये सी0 ओ0 का हल्का बदल दिया है । इसी प्रकार 200 बोरी सीमेंट सच्चिदानन्द मिश्र का था । उसे भी छीनकर चोरी बाजार में बेचकर पुलिस ने रकम हड़प लिया । सामरथ चौधरी को गोली मार कर उनका 10 हजार नकद, तीन सोने व हीरे की अंगूठी ले लिया । कहा जाता है कि नकद और तीन सोने की अंगूठी पुलिस अधीक्षक के पास जमा है । एक ट्रक कोयला बेच दिया गया । श्री इन्द्रासन मिश्र को न्याय न मिलने से वे आत्मदाह करेंगे जिससे समाज एवं शासन को कलंक की बात होगी । अस्तु आज उक्त तथ्यों को सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि न्याय दिलाकर इन्द्रासन मिश्र को आत्मदाह से रोका जाये ।

बांदा जिले के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में ओलावृष्टि से क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरवंश प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि निर्वाचन क्षेत्र नरैनी में भयंकर ओला पड़ने से बड़ी भयावह, विकराल स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जन-जीवन तबाही के कगार पर है । इस प्रलयकारी स्थिति से जन-मानस, पशु-पक्षी जाड़े एवं भूख से मरने की स्थिति में हैं । अति ओला वृष्टि से फसल को तो शतप्रतिशत नुकसान हुआ ही है घरों के खपरैल, बाग, बगीचा भी नष्ट हुए हैं, पेड़ों में पत्तियां भी नहीं रह गयी हैं । पक्षियों के मरने के ढेर लगे हैं । ओला आज तक पिघला नहीं है ।

यहां यह भी बताना आवश्यक है कि इस तरह की दैवी आपदाओं के कारण जिला बांदा गत तीन-चार वर्षों से भयंकर तबाही से लगातार गुजर रहा है । पहले भयंकर सूखा पड़ा है दूसरे वर्ष अति वृष्टि से या तो फसल बोई नहीं जा सकी है, जो कोई बोई गई वह सड़ गयी । अब इस वर्ष किसी तरह अपने खेत, जेवर रेहन रख कर या बेच कर फसल बो पाया था वह भी इस भयंकर ओला वृष्टि से नष्ट हो गयी है । अब एकदम अन्धकारमय स्थिति है कि कुछ भी नहीं कर सकता है ।

इस समय बहुत ही दुख का एवं गंभीर वातावरण छाया हुआ है । अतः मान्यवर, इस भयंकर प्रलयकारी लगातार दैवी आपदा वाली स्थिति से क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधा एवं सम्भव सुविधा प्रदान कराने की कृपा करें तथा सींच, बाकी खाद, बीज की वसूली रोकते हुए उसे पूर्णरूपेण गत 4 वर्षों की माफ करने की कृपा करें । साथ ही साथ हर प्रकार के ऋणों की वसूली भी स्थगित कराते हुए ब्याज माफ करके मूल धन की आसान किस्तों में ऋण अदा करने के आदेश प्रदान करें ।

उक्त प्रकार की मदद एवं सहयोग की मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं ।

भारत नेपाल सीमा पर हो रही तस्करी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल सदियों से तस्करी का प्रमुख केन्द्र बना हुआ है। गोण्डा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिलों की सीमाओं को पार करते ही नेपालगंज, कोयलावास, बढ़नी, कृष्णानगर, गोरी कंटा, मेरहुवी आदि छोटे-छोटे बाजारों से लाखों रुपये की विदेशी वस्तुयें खुलेआम बगैर कस्टम चुकाये प्रतिदिन भारत में लायी जाती हैं और उन्हें विभिन्न शहरों में बेंच दिया जाता है। सीमा पर लगे विभिन्न विभागों के कर्मचारी जो तस्करी रोकने हेतु सीमाओं पर लगाये गये हैं, तस्करी की गतविधियों से बड़ा लाभ अर्जित करते हैं। यह प्रहरी स्वयं तो विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल ही करते हैं साथ ही सगे संबंधियों के घरों में भी विदेशी वस्तुओं का ढेर लगा देते हैं। इस सीमा पर लगे हुये सजग प्रहरियों द्वारा स्वयं तस्करी की जाती है। साथ ही इन्हीं से छोटे बड़े तस्करों को संरक्षण भी मिलता है जिसके एवज में उन्हें एक अच्छी खासी रकम मिल जाती है। विशिष्ट तस्करों की तो स्वयं की मोटर गाड़ियां हैं और कुछ रेल तथा ट्रकों के माध्यम से तस्करी करते हैं। जिन्हें पुलिस तथा कस्टम के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। इसके अतिरिक्त नेपाल विदेशी माल को प्रदेश की सीमा में कच्चे मार्गों द्वारा साइकिल तथा घोड़े पर लादकर गांवों तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार भारत नेपाल की सीमा पर निगरानी करने वाले जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी स्वयं बड़े पमाने पर तस्करी कराने में सहयोग देते हैं।

अतएव प्रशासन से मेरी जोरदार मांग है कि भारत-नेपाल सीमा पर होने वाली उक्त तस्करी को रोकने हेतु अविलम्ब कारगर कार्यवाही करें।

फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़ नगरों में राशन की दूकानों में गेहूं व आटा कम दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ युग्म नगरों के नागरिकों की गम्भीर कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन युग्म नगरों में कुल 40 सस्ते गल्ले की दूकानें सरकारी हैं जिन पर लगभग 1,60,000 यूनिट लगा हुआ है और राजकीय आदेश के अनुसार प्रति यूनिट प्रति माह 6 किलो गेहूं या आटा दिया जाना चाहिए। इसके अनुसार इन युग्म नगरों की आवश्यकता पूर्ति के लिए शासन को प्रति माह 9360 क्विंटल गेहूं अथवा आटा मिलना चाहिए परन्तु नवम्बर, 1980 से केवल 1,000 क्विंटल गेहूं आवंटित किया जा रहा है जिसका औसत प्रति यूनिट 1/2 किलो आता है। आटा यह कह कर नहीं दिया जा रहा है कि वह केवल मिल वाले नगरों को ही दिया जायेगा। इस स्थिति से नागरिक अत्यधिक त्रस्त हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी—]

अतः मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करते हुए यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अतिशीघ्र इन युग्म नगरों को समुचित मात्रा में गेहूं व आटा आवंटित करें।

अष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधीकरण (पंचम संस्करण) के करण 14(3) के अनुसार अष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र (3 जुलाई, 1980 से 13 अक्तूबर, 1980) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, जिस कारण और जिस-जिस नियम के तहत माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कागज प्रस्तुत किया है, उसमें आपकी भावनाओं की घोर अवहेलना की गयी है। इसमें 172 सूचनायें आयी हैं। अभी मैंने गिना। 17 सूचना ऐसी हैं जिनका अभी उत्तर नहीं दिया गया जबकि एक महीने में अंतिम उत्तर मिल जाना चाहिये। आप, मान्यवर, देखेंगे कि जिन गम्भीर सूचनाओं का उत्तर नहीं दिया गया, उसमें मेरे द्वारा तीन सूचनायें हैं जो ऐसी हैं कि शासन की नीति को निर्दिष्ट करती हैं कि शासन किस तरह से लोक महत्व के प्रश्नों की उपेक्षा कर रहा है। सीतापुर की एक नाव दुर्घटना हुयी जिसमें 20 लोग मर गये। इसी तरह सत्यपाल जी ने प्रश्न उठाया था। शाहजहाँपुर में कई लोग मर गये। कमला साहनी जी ने मामला उठाया था बस्ती में कितने लोग मर गये। एक मामला माननीय ऊदल जी ने उठाया था। बाँदा जिले की खाद्यान्य योजना में लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। भ्रष्टाचार की गम्भीर जानकारी दी थी। इसलिए मान्यवर, बड़ी नम्रता से विनती करना चाहूंगा कि शासन से थोड़ा सख्ती करें और मंत्री जी को निर्देश दें कि कल तक जानकारी दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप की जिन सूचनाओं का उत्तर नहीं दिया गया, उनको लिखकर दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, लिखकर क्या दे दें? आप जो आदेश देंगे, लिखकर दे देंगे। लेकिन क्या दे दें? आपके सामने विवरण रखा हुआ है आप कृपया देख लें। प्रावधान में देख लें कि सत्यता है कि नहीं?

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात मैं समझ गया। उनको देख लेंगे। जिनका अनुत्तरित है, उनके बारे में कहा जायेगा और उनका उत्तर प्राप्त करायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

कृषि मंत्री श्री बलराम सिंह यादव के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में दो निर्णय पिछले शासन के हैं जो आपकी समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

माननीय सदस्य सर्वश्री जनार्दन प्रसाद ओझा, हरिवंश सहाय, नन्द किशोर सिंह, कुबेर भण्डारी तथा जसवन्त सिंह बिष्ट ने 9 अक्तूबर, 1980 को माननीय कृषि मंत्री श्री बलराम सिंह यादव के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने माननीय मन्त्री श्री यादव के विरुद्ध सदन को गुमराह एवं भ्रमित करने का आरोप लगाया है । माननीय सदस्यों का कहना है कि दिनांक 15 सितम्बर, 1980 को विधान सभा की कार्य सूची में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहते हुए कि 9 विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त दिनांक 11 नवम्बर, 1977 के संलग्न सहित पत्र को जो भूतपूर्व गृह मन्त्री चौधरी चरण सिंह भारत सरकार, नई दिल्ली से उचित कार्यवाही के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया था, सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं होगा, उसे सदन के पटल पर नहीं रखा । माननीय सदस्यों का आरोप है कि माननीय कृषि मंत्री ने एक आई० ए० एस० अधिकारी को बचाने हेतु ऐसा करके सदन को गुमराह एवं भ्रमित किया है, जिससे सदन का अवमान हुआ है ।

मैंने माननीय कृषि मंत्री श्री यादव से इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी । माननीय मन्त्री श्री यादव ने अपने दिनांक 26 नवम्बर, 1980 के पत्र द्वारा मुझे यह सूचित किया है कि दिनांक 11 नवम्बर, 1977 के उक्त पत्र को संलग्नकों सहित सदन के पटल पर न रखने की बात, जो प्रश्न के उत्तर में कही गई थी, उसका आशय किसी आई० ए० एस० अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों को छिपाने का नहीं था बल्कि यह था कि शिकायतें गोपनीय प्रकृति की होती हैं । अतएव उन्होंने पत्र को सदन के पटल पर रखना जनहित में उचित नहीं समझा ।

माननीय कृषि मंत्री के उक्त पत्र में दी गई सूचना के अनुसार माननीय सदस्यों की सूचना में, जहां तक सम्बन्धित आई० ए० एस० अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का प्रश्न है, वे सही नहीं हैं तथा जहां तक भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच का सम्बन्ध है, वह विभिन्न अधिकारियों से सतर्कता तथा विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) अपराध अनुसंधान विभाग से भी कराई गई तथा उक्त कृषि अधिकारी के विरुद्ध उनके जनपद हरदोई के कार्यकाल के समय के कुछ मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । माननीय विधायकों की मांग के अनुसार जांच अधिकारी भी बदल दिया गया है ।

अध्यक्ष पीठ से इस प्रकार के निर्णय हो चुके हैं कि किसी प्रश्न के उत्तर में मन्त्री को यह कहने का पूरा अधिकार है कि किसी सूचना देना जनहित में है या नहीं । माननीय सदस्यों ने भी इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया है कि माननीय मन्त्री श्री यादव ने जानबूझ कर कोई तथ्य सदन से छिपाया है या सदन को गुमराह किया है, न ही उन्होंने ऐसे कोई प्रमाण दिये हैं जिससे यह

श्री अध्यक्ष—]

बात सिद्ध हो । केवल अनहित के आधार पर सम्बन्धित पत्र को सदन के पटल पर न रखने के कारण ही उन्होंने अह आशय निकाला है कि ऐसा उन्होंने सदन को गुमराह करने के लिए किया है, जबकि अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय के अनुसार मन्त्री ऐसा उत्तर दे सकते हैं । एसी स्थिति में इसमें विशषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता । अतः मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

विद्युत मन्त्री श्री ब्रह्मदत्त के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री जयदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 1 अक्तूबर 1980 को माननीय विद्युत् मन्त्री श्री ब्रह्मदत्त के विरुद्ध सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी । इसमें उनका कहना है कि 30-9-80 को तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अपने लिखित उत्तर में माननीय मन्त्री ने यह कहा है कि व्यक्तिगत नलकूप पम्पिंग सेट के "इन उपभोक्ताओं" के बिजली आपूर्ति में कटौती न करके उनके चलाने के समय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।" जबकि माननीय सदस्य के कथनानुसार तथ्य इसके बिलकुल विपरीत है, अर्थात उक्त कटौती विद्युत आपूर्ति में की जाती है और नलकूप/ पम्पिंग सेट के चलाने के समय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । श्री जयदीप सिंह की शिकायत है कि यह तथ्य विद्युत मन्त्री के संज्ञान में थे और इस प्रकार माननीय श्री ब्रह्म दत्त ने तथ्यों को जानते हुए भी माननीय सदन के सम्मुख भ्रामक सूचना देकर माननीय सदन एवं सदस्यों का विशेषाधिकार भंग एवं अवमान किया है ।

मैंने माननीय विद्युत मन्त्री से इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी । उन्होंने अपने दिनांक 3 अक्तूबर, 1980 के पत्र में मुझे सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आज कल लगभग छः घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है । नलकूपों के चलाने के लिए कोई विद्युत कटौती नहीं की जा रही है । उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका तात्पर्य यह है कि जिसके नलकूप का कनेक्शन दस अश्वशक्ति का है वह छः घन्टे तक बिना किसी विद्युत कटौती के अपना नलकूप चला सकता है, प्रतिबन्ध केवल विद्युत समय का है, परन्तु उपभोक्ताओं के कनट्क्टेड लोड पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

माननीय विद्युत मन्त्री द्वारा उक्त प्रश्न के लिखित उत्तर तथा उनके द्वारा मुझे लिखे गये पत्र में बतायी गयी स्थिति को देखने से ऐसा नहीं प्रतीत होता कि माननीय मन्त्री ने सदन को जानबूझ कर गुमराह करने हेतु कोई सूचना दी । माननीय श्री जयदीप सिंह ने भी अपनी शिकायत के समर्थन में ऐसा कोई तथ्य या लेख्य नहीं दिया है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि माननीय विद्युत मन्त्री ने जानबूझ कर गलत उत्तर दिया या सदन को गुमराह करने का प्रयास किया ।

अतः मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

कल दिनांक 28-1-81 को सदन में श्री हरिवंश सहाय का तार मुख्य मन्त्री के पास भेजने की सूचना का खंडन

श्री अध्यक्ष--

कल श्री हरिवंश सहाय की विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के सम्बन्ध में मैंने सदन में यह कहा था कि 'आप की ओर से एक तार और एक विशेषाधिकार की सूचना भी मिली है, जिसमें खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन जो आप का तार प्राप्त हुआ है उसमें खतरे की बात लिखी है। वह तार मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास तत्काल कार्यवाही के लिए भेज दिया है।

माननीय हरिवंश सहाय की विशेषाधिकार की सूचना ही आयी थी जिसे मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास सारे तथ्यों का पता लगा कर 3 दिन के अन्दर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए भेज दिया है। माननीय हरिवंश सहाय का कोई तार हमारे सचिवालय को प्राप्त नहीं हुआ है। श्री सुखपाल पान्डे, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा के सम्बन्ध में तार मुझे प्राप्त हुआ था जिसके भ्रम में मैंने श्री हरिवंश सहाय के तार का उल्लेख सदन में कर दिया था। फिर भी कार्यवाही का उद्धरण माननीय मुख्य मन्त्री जी को भेज दिया गया है और उनसे श्री हरिवंश सहाय की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा जा रहा है।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, 1958।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं देता। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश नर्सेज एन्ड मिडवाइज कौन्सिल में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

*स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोक पति)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज एन्ड मिडवाइज कौन्सिल में कार्य करने के लिए, यू0 पी0 नर्सेज एन्ड मिडवाइज असिस्टेन्ट मिडवाइज आग्जिलियरी नर्स मिडवाइज एन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1934 की धारा 4 की उपधारा (1) के खन्ड (बी) के उपखन्ड (ii) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश द, उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइज कौन्सिल में कार्य करने के लिये, यू0 पी0 नर्सेज एंड मिडवाइज, असिस्टेन्ट मिडवाइज, आग्जिलियरी नर्स मिडवाइज एन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1934 की धारा 4 की उपधारा (1) के खन्ड (बी) के उपखन्ड (ii) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

तीन कार्यस्थगन प्रस्ताव आये थे जिनमें से कोई स्वीकार नहीं हुआ ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक बड़ा जबरदस्त काण्ड हो गया है । मैंने लिख कर नहीं दिया है आपकी आज्ञा से सरकार की नोटिस में ले आना चाहता हूं कि एच0 ए0 एल0 में बड़ा जबरदस्त लाठी चार्ज हुआ जिसमें पचासों लोग घायल हो गये हैं । सरकार से कहें कि उस पर कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष--

आपका लिखकर आयेगा तो मैं उसे तुरन्त सरकार के पास भेज दूंगा । अब आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

(श्री यदु नाथ, श्री बदन सिंह एवं अन्य सदस्य खड़े हो कर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष--

आप सभी लोग बैठ जायें ।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि एम0 एल0 ए0 मार्कशीट की एटेस्टिंग अथारिटी है या नहीं ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैंने भी एक लिख कर दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

आप फिर लिख कर दे दें, देख लिया जायेगा ।

श्री यदुनाथ--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप जो कुछ इस तरह से कह रहे हैं, यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा ।

(व्यवधान)

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री यदुनाथ--

[× × ×]

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया . . .

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, स्टाफ नर्स का चयन हो रहा है। आप हमें बता दें कि एम0 एल0 ए0 मार्कशीट अटेस्ट कर सकता है या नहीं? आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आपके हर प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे। नियमों के अन्दर कोई प्रश्न आप करें तो उसका उत्तर दिया जायेगा।

श्री यदुनाथ--

आप विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली, 1958 से चलते हैं जो 22 साल पुरानी है। एम0 एल0 ए0 मार्कशीट अटेस्ट कर सकता है या नहीं। श्री लोक पति त्रिपाठी स्टाफ नर्स का चयन एक-दो दिन के अन्दर कर देंगे और वहां पर एम0 एल0 ए0 द्वारा अटेस्ट की गयी मार्कशीट नहीं ली जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। मेरा उत्तर सुनिये। उसको स्वीकृत करके कार्यवाही चलने दें। विधान सभा की गरिमा है, उसकी एक परम्परा है। आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, कोई ऐसी घटना या प्रक्रिया सदन में नहीं हुई है, जिसके लिये व्यवस्था दी जाय। आपने अलग से कहा है कि कोई सदस्य मार्कशीट अटेस्ट कर सकता है या नहीं। आपका अलग प्रश्न है। यह ऐसा प्रश्न नहीं है, जो सदन में उठा हो और जब सदन में उठा ही नहीं तो उस पर क्या व्यवस्था होगी और उस पर क्या व्यवस्था हम देंगे?

श्री यदुनाथ--

स्टाफ नर्स का चयन हो रहा है। एम0 एल0 ए0 जो मार्कशीट अटेस्ट करके दे रहे हैं, वह रिजेक्ट हो रही है।

(व्यवधान)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

† 28 जनवरी, 1981 की कार्यवाही से।

श्री रियासत हुसैन--

कल माननीय नेता, विरोधी दल, जब राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बातें कहीं थी, माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं थे। आज मैं अपनी बद-किस्मती समझ रहा हूं.....

श्री यदुनाथ--

कोई एम0 एल0 ए0 मार्कशीट एटेस्ट कर सकता है या नहीं, इसका आप उत्तर दे दें। मान्यवर, आप गुस्से में न आयें।

श्री रियासत हुसैन--

आज भी माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मुझे बड़ा अरमान था और मैं समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस मौके पर जरूर में उपस्थित रहेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं नेता विरोधी दल और लोक दल के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य से कहें कि वह बैठ जायं।

श्री यदुनाथ--

मैं निलम्बित हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप जिस प्रकार से बार-बार.....(श्री यदुनाथ सिंह के कुछ कहने पर) अब आप बैठ जायं।

[माननीय सदस्य श्री यदुनाथ बैठ गयें।]

(समय अपरान्ह 12 बज कर 50 मिनट)

*श्री रियासत हुसैन--

यह जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिया है, मैं महसूस करता हूं कि यह अभिभाषण केवल एक शोक प्रस्ताव है। यह उन लोगों के ऊपर शोक प्रस्ताव है जो इस सरकार की नालायकी की वजह से जो 150 आदमी केवल सर्दी की वजह से मर गये हैं, जाड़ा खाकर। यह शोक प्रस्ताव इस चीज के ऊपर है कि जो इस अभिभाषण के अन्दर लिखा गया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था और संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम को चलाया था। लेकिन अगली लाइन में लिखा है 24 सूत्री कार्यक्रम चलाया जायगा। एक सूत्री कार्यक्रम संजय गांधी का कहां रह गया उसके ऊपर यह शोक प्रस्ताव है। गरीबी हटाओ की बात की गयी थी तो 150 गरीब जाड़ा खाकर हट गये यह उनके लिये शोक प्रस्ताव है।

मैं मुरादाबाद से यह मामला शुरू करता हूं। हमारे राज्य मंत्री 14 तारीख को मुरादाबाद गये। 14 तारीख को वह मुरादाबाद तशरीफ ले गये। 13 अगस्त को मुरादाबाद में जो घटना घटी उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्बन्ध में तमाम इंटरनेशनल प्रेस में, तमाम एजेंसियों में यह घटना आयी। 13 तारीख को जो वहां घटना घटी थी मुरादाबाद में वह कम्युनल, सांप्रदायिक घटना नहीं थी। कहीं एक लाइन भी इस बात की नहीं मिलेगी और कोई नहीं मिलेगा जो यह कहे कि वह घटना कम्युनल थी। इससे स्पष्ट होता है 13 तारीख को जो घटना हुयी वह पुलिस ऐक्शन बनाम सरकार बनाम मुसलमान, अल्पसंख्यक थी। लेकिन श्रीमन् बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज 5 महीने गुजर गये, ज्ञानी जैल सिंह भी वहां गये, मुख्य मंत्री जी भी पधारे, मुरादबाद साढ़े 3 महीने लगातार कर्फ्यू में रहा। 9 और 10 अक्तूबर, को जब यशपाल कपूर वहां पहुंचे तो घटना हुयी दूसरी घटना 30 अक्तूबर को हुयी। तो आज मुरादाबाद के 100 फीसदी मुसलमान टेंशन में हैं। 13 तारीख को जो घटना हुयी जो कम्युनल नहीं थी तो फिर यह जो घटनायें हुयीं, वह वाकयात किस वजह से हुये, इसकी जिम्मेदारी किस पर है। साढ़े तीन महीने मुरादाबाद में हिन्दू मुसलमान घरों में बैठे रहे। यह सारी जो घटनायें हुयी उनको सरकार बनाम मुसलमान तब्दील करके हिन्दू बनाम मुसलमान किया गया। यह उत्तर प्रदेश शासन और शासन के अधिकारियों के द्वारा की गयीं।

(शेम-शेम की आवाजें।)

मैं कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद के अन्दर जो अधिकारीगण हैं वह नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस के क्लाज 3 के सेक्शन 2 के आधार पर मुलजिम हैं उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। मैं मांग करता हूं कि महामहिम राज्यपाल को चाहिये था कि एक कमीशन इस बात का अप्वाइंट करते कि जो घटनायें 13 तारीख को मुरादाबाद में हुयीं वह सरकार बनाम मुसलमान थीं लेकिन आज वह हिन्दू बनाम मुसलमान कैसे हो गयीं। उस कमीशन की फाइंडिंग हों और उसकी फाइंडिंग से अगर मुख्य मंत्री मुल्जिम हों तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय, रियासत हुसेन मुलजिम हों तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय और अगर राजेन्द्र त्रिपाठी मुलजिम हों तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय। एक कमीशन सेट अप होना चाहिये ताकि पता चले कि मुरादाबाद की हालत को दिनोदिन बिगाड़ने वाला असल में कौन सख्श है। श्रीमन्, 14 तारीख को माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी वहां तशरीफ ले गये। वहां एकीकरण दिवस मनाया गया था उसमें वह तशरीफ ले गये थे लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने सब देखा होगा कि जो स्टेशन के पास चार चांद वाली मस्जिद है उसको तोड़ कर मन्दिर कर दिया गया है। 13 मस्जिदों को रिस्टोर करके मरम्मत कर दी गयी लेकिन चार चांद वाली मस्जिद आज भी मन्दिर के रूप में है। गुरुद्वारा में जहां आप गये थे वहां से 250 गज के फासले पर यह है। बड़ा अच्छा होता यदि आपने इस जगह को देख लिया होता। मुझे इस बात का खेद है कि माननीय गृह मंत्री ने लोक सभा के अन्दर यह कह दिया कि कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिसको मन्दिर किया गया हो। तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का इंतजाम उनके लिये किया जा रहा है। इस मस्जिद को 60 साल पहले बनवाया गया था। यह जो घटना वहां हुयी इसकी रिपोर्ट भी श्री शहाबुद्दीन इमाम ने की थी कि किस तरह से मस्जिद को तोड़कर मन्दिर बना दिया गया है। वहां पर डी0 एम0 साहब खुद गये थे लेकिन जब रिपोर्ट लांज करायी गयी तो 255 का मुकदमा कायम करके सी0 आई0 डी0 इन्क्वारी में दे दिया गया। 13 तारीख को कर्फ्यू लगा है। 14 और 15 अगस्त की रात को मस्जिद को मन्दिर की शक्ल दे दी गयी थी। मैंने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मुख्य मंत्री को पूरे सबूत के साथ चिट्ठी लिखी है। माननीय मुख्य मंत्री की चिट्ठी का जवाब भी मुझे मिला है। उसमें जो उन्होंने है

(इस समय 12 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खानगुफरान जाहिदी पीठसीन हुए)

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य जी से सूचना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि प्रारम्भ में, 13 तारीख की वह घटना घटी उसकी शक्ल दूसरी थी और 14 और बाद के दिनों में वहां कुछ और घटनायें हुयीं जिनका जिक्र आपने किया है कि उसकी शक्ल हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक हो गयी। तो 14 तारीख की घटना जो आप बता रहे हैं क्या उसको सांप्रदायिकता से संबद्ध नहीं मानते हैं ?

श्री रियासत हुसैन--

मैं बड़ा शुक्र गुजार हूं।

वित्त राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

मुरादाबाद के विषय में आपने यहां बयान दिया है इसी सदन में, उस वक्त आपने पहले वाले बयान में आपने क्यों नहीं कहा ?

श्री रियासत हुसैन--

13 तारीख को 11 बजे कर्फ्यू लग गया। 3 परिवार जो वहां रहते थे तो 14 तारीख की नमाज पढ़ी और 14 तारीख को शाम को वह भाग गये। उसी रात को 2 ट्रक आदमी आकर मस्जिद की शक्ल बदल देते हैं और वह शक्ल आज भी है। माइनारिटी कमीशन भी वहां गया है 29 अक्तूबर को। मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को एक चिठ्ठी तफसील के साथ लिखी है तो उन्होंने जो जवाब दिया है उसको मैं सदन के सामने पढ़ना चाहता हूं। 5-1-81 का मुख्य मंत्री का पत्र है उसे मैं पढ़ रहा हूं--

"मुरादाबाद रेलवे लाइन पर मझैला में स्थित कथित चार चांद वाली मस्जिद को तोड़कर मन्दिर बना दिये जाने के सम्बन्ध में आपका पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1980 को प्राप्त हुआ।"

मैं इसे दिखलवा रहा हूं।

मैं इसे दिखलवा रहा हूं। खेद है कि इस घटना के बाद मुख्य मंत्री मुरादाबाद में कम से कम 6-7 बार गये हैं और जब उनको यह बतलाया गया, मुझे खेद इस बात का है कि मुख्य मंत्री ने स्वयं इसमें जाकर मस्जिद को देखा और जब मैं इस चीज की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करता हूं और पूरी रिपोर्ट दे रहा हूं तो वह लिखते हैं कि मैं दिखलवा रहा हूं। किस चीज को दिखलवा रहे हैं, क्या दिखलवा रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है ?

श्रीमन्, बड़े लोग इस बात में हैं कि मुरादाबाद के सम्बन्ध में कह देते हैं कि वहां सब ठीक है। इसलिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इस सदन में उन सारे लोगों को जिन्होंने 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद की घटना को केवल प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री को झूठा बयान देकर कि मुरादाबाद में पुलिस ने ठीक किया और मुसलमानों ने ज्यादती किया और उन लोगों ने इनाम हासिल कर लिया चाहे वह नियाज हसन खां हों या श्री जावेद अली या फिर नकवी जी क्यों न हों ? कल तो आपको भी इनाम मिल गया और सेक्रेटरी से महामन्त्री बना दिये गए। मुरादाबाद के विधायक को चेयरमन, वक्फ बोर्ड का मेम्बर बना दिया गया सिर्फ इनाम के लिए कि वहां ठीक हुआ। मुसलमानों का खून करके,

सारी मुरादाबाद में घटना कराकर इनाम हासिल किया है, इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं । और उनसे कहना चाहता हूं कि बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया गया तो इसको इंसानियत की नजर से देख कि क्या सही है ।

श्रीमन्, आपको सूचनायें मिलती हैं कि मुरादाबाद में सब ठीक है लेकिन बार्डर सेक्योरिटी फोर्स, सी०आर०पी० और दफा 144 लगी हुई है । जो खबरें छपीं 7 जनवरी को "एलर्ट इन मुरादाबाद, बम ब्लास्ट इन मुरादाबाद", 12 जनवरी की खबर है "एनअदर बम ब्लास्ट इन मुरादाबाद" उसके बाद 22 जनवरी को "बम ब्लास्ट डशाय इंजर्ड इन मुरादाबाद" जिनको सभी लोगों ने पढ़ा होगा । फिर 22 जनवरी को ही खबर है कि बार्डर सेक्योरिटी फोर्स को वापस बुला लिया गया । यह वहां की तस्वीर है । वहां तो अल्पसंख्यकों की क्या हैसियत है, वहां तो सांड़ों की हैसियत हो गई है । 29 दिसम्बर को मुरादाबाद की खबर है कि उस जिले के काठ इलाके में एक सांड के मर जाने के बाद उसकी लाश के जुलूस को बैंड बाजे के साथ श्मशान घाट ले जाया गया । मजहबी रसूम अदा करने के बाद उसकी लाश को 3 बोरी नमक के साथ दफन करके उसकी समाधी बना दी गई और कुछ लोगों ने इस मौके पर गरीबों को खाना खिलाया और कीर्तन भी किया । लेकिन दूसरी तरफ 13 तारीख को मुरादाबाद में वहां मरने वाले बच्चों और नमाजियों का न दफन हुआ और न कफन हुआ और न नमाज ही हुई । क्यों हो जब इंदिरा गांधी ने हमारी तीन चीजें रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर आदेश दिया कि मुसलमानों को खाने के लिए गोली, पहनने के लिए कफन और रहने के कब्रिस्तान दे दो । तो इसके लिए कोई किस्म की परेशानी नहीं है आज भी मुरादाबाद में लगातार वहां की कोतवाली में शिकायत की असली कापी आपके पास रहती है और दूसरी कापी हमारे पास आती है जिसको देख सकते हैं, किस तरह वहां लूट-मार हो रही है । श्रीमन्, आप स्वयं देख लें कि मुरादाबाद के मुतालिक कि वहां से कितने लोगों की शिकायतें आ रही हैं । मुरादाबाद में 13 तारीख के बाद जो कम्यूनल दंग या तरीका अपनाया गया, जो-जो घटनायें घटित हुई, चाहे ज्ञानी जैल सिंह के आने के पहले चाहे उनके जाने के बाद की, श्रीमन् भले ही सरकार की लाठी में आवाज नहीं है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि त्रिपाठी जी आप गये थे और आपको मालूम भी हुआ था कि वहां लालबाग में कितनी मौतें हुयी । ये मौतें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं । बार्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है परन्तु उस फोर्स के लगे होने के बावजूद भी कैसे मौतें हो रही हैं, कैसे यह घटनायें घटित हो रही हैं । जब इस बात की शिकायत की गई तो जवाब मिला कि वहां जिन्नात का प्रकोप है । जिन्द आ गया है जिससे मौतें हो रही हैं । तो लीजये साहब वहां जिन्द आ गया । लेकिन मैं कहता हूं कि वास्तव में जिन्द आ गया है, जो सबको मौत के घाट उतार रहा है ।

(हंसी)

असल में जिन्नात हैं, यह जान ले रहे हैं और लेंगे । जो मुरादाबाद के केस हैं, मैं स्पष्ट रूप से चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी आप मेरी इन बातों का स्पष्ट रूप से जवाब दें और जिन लोगों ने इसको कम्यूनल राइट का शेप दिया, उनको सजा क्यों नहीं मिली ?

किसी भी जिले में श्रीमन् कम्यूनल राइट होता है तो वहां के डी०एम० और एस०पी० का ट्रान्सफर क्यों नहीं किया जाता है ? 13 तारीख का राइट

[श्री रियासत हुसेन]

कम्यूनल राइट नहीं था इसलिए वहाँ दोषी अधिकारियों को सजा मिलनी ही चाहिये। मैं पूछता हूं कि 9 सितम्बर वाला राइट 100 परसेन्ट कम्यूनल राइट था, 30 अक्तूबर वाला राइट 100 परसेन्ट कम्यूनल राइट था ? तो फिर वहां के डी0एम0 व एस0पी0 को क्यों नहीं वहां से हटाया गया, क्यों नहीं उनका ट्रान्सफर किया गया ? श्री मंजूर अहमद एस0पी0 अभी भी वहां मौजूद हैं। ए0आर0 शाह और वी0पी0 सिंह ने जबकि चार्ज ले लिया था। परन्तु मुरादाबाद में यह नियम लागू नहीं हुआ कि वहां के डी0एम0 व एस0पी0 का ट्रान्सफर हो सके। मेरा एक चार्ज है, आप जवाब दीजियेगा कि मुरादाबाद में वहां के डी0एम0 महोदय की इस समय जांच कराई जाय कि वहां मधुबन गुप्त के घर में जो औरत है वह गुप्ता कम्यूनिटी की औरत है या दूसरी कास्ट की है और यदि वह दूसरी कास्ट की है तो उसका मैका कहां का है ? केवल यही कारण है कि वहां के एस0पी0 और डी0एम0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। श्रीमन्, इसके मुताल्लिक बहुत सी खबरें अखबार में छपी हैं, कल मैंने उनको सुनाया भी था उसमें से 2-3 बातें और जोड़ूंगा। असल बात यह है कि लखनऊ में 15 हजार बम पकड़े गये और कहा यह गया कि वे दिवाली में छोड़ने वाले पटाखे थे। जिन्होंने इस खबर को छपवाया उन्होंने बम को पटाखा में बदल दिया।

श्रीमन्, जो 12 आफिसर्स का जिक्र किया गया है, जो 13 टाप के आफिसर्स हैं जो बिजली की चोरी के अन्दर मुअत्तल हैं। अखबारों में खबर छपी कि 10 आदमियों को दिन-दहाड़े गोली मार दी गई। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें कि इसमें हमने ये-ये ऐक्शन लिये हैं ?

श्रीमन्, अब मैं इसकी तरफ आता हूं। मैं दो लाइनें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से पढ़ देना चाहता हूं इसमें पहले ही पेज पर लिखा है कि, फरमाते हैं "यह हर्ष का विषय है कि पिछले 6-7 महीनों में मेरी सरकार ने इन सभी समस्याओं का दृढ़ता से मुकाबला किया और राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का स्तर ऊंचा करने का भरपूर प्रयास किया है।" उसी के अगली लाइन में है "इस थोड़े से समय में मेरी सरकार राज्य को कुशल, स्वच्छ एवं गतिशील प्रशासन प्रदान करने में सफल रही है।" फिर, "मेरी सरकार प्रदेश के नागरिकों के जीवन व उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है।" यह उन्होंने मेन बात कही। इसके अन्दर जो आप की आर्थिक पोजीशन है उसपर जरा आप नजर डालें। मैं आपको बताऊं कि नवम्बर, 1980 में और इस वक्त इन तीन महीनों के अन्दर आर्थिक पोजीशन क्या है ?

मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं। त्रिपाठी जी आप ही सुन लें। लखनऊ के भाव हैं। नवम्बर के महीने में दाल 3-60 रु0 थी इस वक्त 4-90 रु0 किलो है, दाल (अरहर) नवम्बर में 3-20 रु0 किलो थी इस समय 5 रु0 किलो है, चावल (मोटा) नवम्बर के महीने में 1-60 रु0 प्रति किलो था इस वक्त 2-20 रु0 किलो है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहा गया है कि समस्याओं का समाधान किया गया है। चावल (बासमती) नवम्बर में 3-20 रु0 प्रति किलो था इस वक्त 4-60 रु0 से लेकर 6 रु0 प्रति किलो है। घी नवम्बर में 170 रु0 टिन थी इस वक्त 210 रु0 से 215 रुपये का टीन है 16 किलो वाला। तेल, सरसों, नवम्बर में 9 रुपये प्रति किलो था इस वक्त 15 रुपया है, शक्कर का भाव नवम्बर में 4 रुपये किलो था जबकि जनता सरकार ने सिर्फ

2-40 रु० में छोड़ा था इस वक्त तमाम प्लान्ट चल रहे हैं, पीक पीरियड है, इसका भाव साढ़े सात रुपया प्रति किलो है। आटा मिल वाला 130 रुपया 90 किलो की बोरी का भाव था, नवम्बर में जबकि इस वक्त इसका भाव 210 रुपया है। मैदा 90 किलो बोरी का दाम 150 रुपया था जबकि इस समय 280 रुपये में 90 किलो का बोरी मिल रहा है। लकड़ी नवम्बर में 30 रुपये कुन्तल थी आज 50 रुपये कुन्तल है। कोयला 45 रुपया था आज 55 रुपया है। गेहूं का भाव नवम्बर में 160 रुपय प्रति कुन्टल था जब कि इस वक्त इसका भाव 210 रुपया है। जरूर भाव देखकर के आप यह कहेंगे कि सारी समस्याओं को हल कर दिया, ला एन्ड आर्डर की समस्या भी हल हो गई, मुरादाबाद समस्या हल हो गई। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस डयूरेशन में जिन लोगों के कारखाने नहीं चले उनसे बिजली की वसूलयाबी नहीं की जायगी। वह वसूलयाबी होनी शुरू हो गई और वसूलयाबी बराबर हो रही है।

कल राजेन्द्र सिंह जी, हमारे नेता विरोधी दल को बड़ी परेशानी थी कि पुलिस का मनोबल बढ़ गया है लेकिन क्यों बढ़ा है वह मैं बताना चाहता हूं। पिछले दिनों में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का खून बहुत पिया है और मुसलमानों का खून नान वेजिटेरियन होने से गरम होता है। पिछले दिनों की उस खुराक की वजह से पुलिस का मनोबल बढ़ गया है और आज पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है, उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। और चूंकि पिछले दिनों में आपकी सरकार ने भी अक्लियतों का खून इस तरीके से बहाया है इसी लिए 13 अक्तूबर को सदन उठा था उस वक्त आपका वजन क्या था और इस वक्त क्या है? 70-75 पौन्ड वजन बढ़ा है, 13 अक्तूबर से इस बीच में उस खुराक की वजह से।

श्रीमन्, अब मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। घड़ी का ध्यान भी लगा रखा है। एक बात कहना चाहता हूं। श्रीमन्, आपसे भी संबंधित है, अम्मार साहब से भी और हमारे अजीज भाई बैठे हैं उनसे भी, आप गौर से सुनेंगे। एक बहुत बड़े लीडर हमारे और आपके हैं। बदकिस्मती से इस वक्त आपके बीच में नहीं हैं जिन्हें बादशाह कहते हैं, फ्रन्टियर गांधी। नेशनल मूवमेंट के अंदर फ्रन्टियर गांधी उस एक्ट की सरकार का मुकाबला करने के लिए पठानों को यूनाइट कर रहे हैं। दो-तीन बातें पढ़ कर सुनाता हूं कि क्या-क्या उन्होंने कहा, किस तरीके से पठानों का मनोबल कायम रखा? उन्होंने कहा पठानों से "मैं कहता हूं आप लोग पैगम्बर को भूल गये हैं। मैं पूछता हूं जिहाद क्या है? नबी के मुताबिक जिहाद जालिम बादशाह के सामने हकगोई है। अगर हम मुसलमान हैं तो हुजूर के हुक्म की तामील करें।" यह कहा था।

उन्होंने फिर कहा--"तैयार हो और अपने को जालिम हुकूमत से आजाद करो। अगर तुम मैदाने जंग में काम आये तो क्या हुआ? हरेक को मरना है मगर यह तुम्हारा फर्ज है कि तुम जालिम हुकूमत से आजाद हो। आने आने-आने वाली नस्लों के लिये अगर ऐसा नहीं करोगे तो खुदा के रसूल को मैदाने हश्र में क्या जवाब दोगे?"

उन्होंने फिर कहा है "उनका मकसद मजलूम को जालिम से बचाना है। वह जालिम के खिलाफ खड़े हैं चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो या अंग्रेज। अगर आज वह अंग्रेज हैं तो इसलिये कि वह जालिम हैं और हम मजलूम।"

[श्री रियासत हुसैन—]

इसमें आगे कहा है । जेहाद को तसवी दी । लार्ड कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो जालिम कमजोरों को हक्कतलबी करे उसके खिलाफ पूरी तरह से लड़ना चाहिए ।" यह फ्रांटियर गांधी की किताब है जो कि जी0 एल0 जुत्सी द्वारा लिखी गई है उसके सफा 69, 78, 79 और 106 में यह सब लिखा हुआ है ।...(व्यवधान) ।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है । जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसको कोट किया जा सकता है ?...(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मैं कोटेशन पढ़ रहा हूं । मान्यवर, कानपुर में रैली हुआ करती है 15 अगस्त को । नहूसतें जो इस प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ जुड़ी हैं वह यह है कि जो मुख्य मंत्री 15 अगस्त को कानपुर रैली में नहीं जाता है उसका क्या हश्र होता है ? गोविन्द बल्लभ पंत जी 15 अगस्त, 1954 को कानपुर रैली में नहीं गये । वे उसी साल दिल्ली बुला लिये गये । बाबू संपूर्णानन्द 1960 में शिकार हुये क्यों कि वे उस साल रैली में वहां नही गये । सी0 बी0 गुप्ता 1963 मे कामराज प्लान में गये क्योंकि वे उस साल कानपुर रैली में नही गये । सुचेता कृपलानी 1967 में चली गई चूंकि वह कानपुर में रैली में नही गई । सी0 बी0 गुप्ता दुबारा 1966 में मुख्य मंत्री बने लेकिन चूंकि वह रैली में नहीं गये इसलिये अप्रैल में ही निकाल दिये गये । चरण सिंह 1968 में प्रेसीडेन्ड रूल में निकाल दिये गये क्योंकि वे रैली में वहां न जा सके । गुप्ता जी 69 म फिर मुख्य मंत्री बने लकिन चूंकि वे रैली में नही गये इसलिये 1970 में निकाल दिये गये । कमलापति त्रिपाठी मार्च 71 में मुख्य मंत्री बने लेकिन चूंकि वे रैली में शामिल नही हुये लिहाजा पी0 ए0 सी0 की बगावत में निकाल दिये गये । बहुगुणा जी 1975 में नहीं गये लिहाजा अगले साल निकाल दिये गये । राम नरेश यादव 1978 में कानपुर रैली में नही गये इसलिये वे अगले साल निकाल दिये गये । बनारसी दास 79 में रैली में शामिल नही हुये इसलिये वे भी 80 में निकाल दिये गये । अब श्रीमन् आज के मुख्य मंत्री भी 15 अगस्त, 1980 को कानपुर में रैली में शामिल नही हुये, लिहाजा अब उनका क्या हश्र होने वाला है, खुदा जानता है । बनारसी दास जी 1979 की रैली में नहीं गये और 1980 में निकाल दिये गये । श्रीमन, 15 अगस्त, 1980 की रैली में हमारे मुख्य मंत्री जी भी नही गये तो अब खुदा जाने क्या होने वाला है ।

मैं आखिर में शेर सुना कर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा हक भी किसी से कम नहीं फसले बहारों पर,
लहू मेरा भी काम आया है तामीरे गुलिस्तां में ।

यह मेरा अधिकार है उस पर कहा अब मैं हिम्मत के बारे में भी अंतिम शेर कहना चाहता हूं--

मेरी हिम्मत ने मुंह मोड़ा हर मौजे हवाजिस का,
मैं तूफानों से खेला हूं सबूते जिंदगी लेकर ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐ जालिम सरकार हिन्दुस्तान की अकलियतों के खून को इतना सस्ता मत समझो । हिन्दुस्तान की अकलियत ने अपनी फोर्स से हमेशा मुकाबला किया है और आजादी की लड़ाई में टीपू सुलतान और बहादुर शाह जफर ने अपना नाम रोशन किया और यहीं ब्रिगेडियर उस्मान और हमीद भी पैदा हुए हैं । तो यहां अपने हक के लिए कुर्बानी देने के लिए जिनके बालदेन मर गये हैं, तैयार हैं । जिनकी जिंदगी के साथ आपने जुल्म किया है उससे मुरादाबाद में हिन्दू और मुसलमान को नफरत की आग ने हजारों मील दूर खड़ा कर दिया है जिसके लिए आपको जवाब देना होगा ।

श्री वृद्धि नारायण सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे तिवारी जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । कल हमारे नेता विरोधी दल ने जिस तरह से ला-एन्ड आर्डर के बारे में बताया था उससे ऐसा लगता था कि ला एन्ड आर्डर की स्थिति खराब हो रही है । लेकिन मैं आपका ध्यान उस समय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जब यहां पर आप लोगों की सरकार थी उस समय प्रदेश की क्या स्थिति थी । यह आंकड़े इन्हीं के कार्यकाल के हैं जो इकट्ठे किये गये हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । आप कहेंगे कि यह झूठे हैं लेकिन कहीं तो आखिर में बात माननी पड़ेगी । जिस समय हमारे नेता विरोधी दल सरकार में थे उस वक्त यहां अपराधों की संख्या जो थी उससे आज अपराधों की संख्या में 6.6 प्रतिशत की कमी आई है । रेलों की दुर्घटनाओं में भी 19 प्रतिशत की कमी आई है, डकैती की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी आई है । इसी प्रकार हरिजनों पर जो अत्याचार हुए आपके समय में उससे आज 19 प्रतिशत कमी आई है । हरिजनों की रक्षा के लिए खासतौर से सैल बनाया गया । इस सरकार के समय में प्रत्येक जिले में हरिजनों पर अत्याचार में कमी आई है । और उसका ही आज ज्वलन्त प्रमाण है कि आज जो भी अपराध हुए हैं उसमें हरिजनों के प्रति होने वाले अत्याचार सम्बन्धी अपराधों की संख्या केवल 2 प्रतिशत है । अब आज प्रदेश में विद्युत् की स्थिति को देखें, पिछले वर्ष और आज की स्थिति में बड़ा अन्तर है । इस स्थिति को माननीय सदस्य स्वयं अपने-अपने क्षेत्र में देख रहे होंगे । गत वर्ष 5-6 घन्टे से अधिक बिजली नहीं मिली, जबकि इस वर्ष 15-20 हजार की आबादी वाले कस्बों में 22 घंटे तक बिजली मिली और मिल रही है तथा 8 और 10 हजार की आबादी वाले कस्बों में नित्य 18 घंटे बिजली पहुंचती है । जो हमारे बिजली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, खास तौर से कुछ हमारी योजनाएं जो समय से पूर्व पूरी हो जाएंगी, यदि उनको ध्यान में रखें तो लगता है कि इस वर्ष के अन्त तक प्रदेश में बिजली की कमी बिलकुल खत्म हो जाएगी ।

हम बिजली की कमी की समस्या को पूरी तरह से दूर कर लेंगे । इसके साथ-साथ किसानों को जो सुविधायें दी गई, उसके फलस्वरूप उपज की वृद्धि में

[श्री वृद्धि नारायण सिंह]

आंकड़े आज हमारे सामने हैं । गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दुगुना उत्पादन होगा। सिंचाई के साधन जो आज इस प्रदेश में बढ़ाये गये हैं उनमें खास तौर से किसानों को 885 ब्लाकों में 150 लाख रुपया सिंचाई के साधनों के लिए दिया गया है । बाढ़ और सूखा जैसी दैवी आपदाओं से पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने 370521 रुपया बाढ़ सहायता के लिए दिया है । भू-राजस्व में कुल एक करोड़ रुपये की सरकार ने छूट दी है । जिन क्षेत्रों में बाढ़ से फसलों को 75 प्रतिशत तक हानि पहुंची है, वहां के पीड़ित अनुसूचित जाति और जन-जाति के किसानों को सरकार ने शत प्रतिशत की छूट दी है और दूसरे छोटे लोगों को 50 प्रतिशत की छूट मिली है ।

इसी प्रकार से हमारी सरकार ने अन्य जो कार्य पिछले 6-7 महीनों में किये हैं, उनको हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं । जैसे रियासत हुसैन साहब ने कम्युनल प्रश्न उठाया और नेता विरोधी दल ने ला एंड आर्डर का मसला रखा, उस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि यह ला एण्ड आर्डर की स्थिति केवल आपके द्वारा बिगाड़ी या उभाड़ी जा रही है और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार जो विकास कार्यों को तेजी से करने में लगी हुई है, उसका ध्यान उस ओर से हटाकर उनकी प्रगति में बाधा खड़ी की जाए । हमारी प्रधान मंत्री ने इस ओर विरोधी दलों का कई बार ध्यान आकर्षित किया है कि बजाए आप आन्दोलन करने के या अन्य बाधाएं डालने के सरकार के साथ सहयोग कर देश का विकास करें, लेकिन विरोधी दलों को उनकी यह भावना पसन्द नहीं है ।

तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ दोहराना चाहता हूं कि आप यदि इस मनोवृत्ति को नहीं बदलेंगे तो देश का उत्थान नहीं होगा । हमारी दलगत नीतियों से देश ऊपर नहीं उठेगा और केवल कहने से, आलोचना करने से देश का उद्धार होने वाला नहीं है । मैं व्यक्तिगत आरोपों का कभी कायल नहीं हूं, लेकिन कल जिस प्रकार नेता विरोधी दल ने व्यक्तिगत आरोप हमारे गृह मंत्री और दूसरे अन्य मंत्रियों पर लगाये, क्या वह भूल गये हैं कि जब वह सरकार में मंत्री थे तो उनके ऊपर उनकी ही पार्टी के लोगों ने क्या-क्या आरोप नहीं लगाये थे ? कत्ल और भ्रष्टाचार आदि के तमाम इल्जाम उनके दल के ही लोगों ने उन पर लगाये थे । मैं सरकार से मांग करता हूं कि आज की सरकार जो ईमानदारी के साथ काम कर रही है और भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, वह उनके खिलाफ जो आरोप लगाये गये थे । सरकार को चाहिए कि वह उन्हें जांच करके इस सदन के पटल पर रखें ताकि स्थिति का सही जायजा सदन के सामने आ सके । मैं किसी के प्रति आलोचना व्यक्त नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं बार-बार चेतावनी देना चाहता हूं कि वे अपनी इस मनोवृत्ति को बदलकर सरकार को अपना सहयोग दें, अपना सुझाव दें । कल माननीय नेता विरोधी दल ने राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में अपने जो विचार व्यक्त किए, उन्हें चाहिये था कि वे कुछ ठोस सुझाव देते ताकि सरकार उनके सुझावों पर विचार कर सकती ।

मान्यवर, अब मैं क्षेत्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में दो मिनट कुछ कहना चाहूंगा । मान्यवर, मैं जहां से चुन कर आता हूं वह कालीन बनाने का एक औद्योगिक क्षेत्र है । मैंने पिछली बार राज्यपाल के अभिभाषण के समय विचार व्यक्त किया था कि ज्ञानपुर तहसील के अधिकांश लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं । इस व्यवसाय से केवल इस तहसील के लोगों को ही लाभ नहीं पहुंचता वरन् उससे प्रदेश और देश के हर क्षेत्र को लाभ मिलता है । इस

व्यवसाय से लगभग 5 करोड़ की मुद्रा प्रदेश और देश की सरकार को मिलती है। एक अरब रुपया का निर्यात यहां से होता है। यहां के लिए मैं चाहूंगा और व्यक्तिगत तौर से भी विभागीय मंत्रियों से मैं निवेदन कर चुका हूं कि यहां के मजदूरों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाई जाय, वहां पर हर गांव में सड़कें बढ़ाई जाय ताकि मजदूरों को सामान आदि ले जाने में सुविधा हो सके।

यहां एक औराई चीनी मिल है उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, यह सहकारी संस्था की ओर से स्थापित की गई। लगभग 10 से 12 करोड़ रुपया इसमें लगा है लेकिन यह चीनी मिल जनता पार्टी के कार्यकाल में बन्द हो गई थी। अब जब से यह सरकार आई है मिल तो खुली है, वहां पर प्रबन्धक भी भेजे गये हैं, उन्होंने कुछ व्यवस्था भी की है लेकिन सिंचाई के अभाव में वहां कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपने विचारों को समाप्त करता हूं।

*श्री ऊदल--

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव नेता विरोधी दल ने रखा है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, बड़ी शिकायत है इस सदन की और हमारे साथियों की कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। यह तो एक शिकायत है और दूसरी शिकायत है कि विशेषाधिकार का प्रश्न परिषद् में आ चुका है और यहां भी आने वाला है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने कार्यालय के दोनों तरफ फाटक बनवा लिया है और वहां पर पुलिस का पहरा है जिससे माननीय विधायकों को असुविधा होती है। मैं जब कभी-कभी सोचता हूं श्रीमन्, तो ऐसा लगता है कि यह शिकायत हम क्यों कर रहे हैं, चाहे हम विरोधी दल के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों। राजे, महाराजे, प्रिंस जिस तरह से रहते थे फाटक के अन्दर यदि माननीय मुख्य मंत्री ने भी उस तरह का फाटक लगवा लिया और पहरा लगवा लिया तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

प्रजातन्त्र जितना कैद हो, उतना ही अच्छा है। श्रीमन्, अब रही बात राज्यपाल के अभिभाषण की, तो ऐसा अभिभाषण तो मैंने आज तक सुना नहीं था। यहां ऐसे-ऐसे लोग रह चुके हैं जैसे--पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त, सम्पूर्णानंद, सी० बी० गुप्ता, सुचेता कृपलानी, चरन सिंह, टी० एन० सिंह, बनारसी दास और राम नरेश यादव को तो मान लीजिए कि वह नए थे, लेकिन उनको भी फाटक बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने अगर यह काम कर दिया तो उनके आचरण से और जहां वह पैदा हुए, सामन्तवाद और किंग की जो प्रथा है, राजाओं की प्रथा के अनुरूप उन्होंने कार्य किया है। मेरे जिले के एक साथी कह रहे थे कि अपराधों में कमी हुई है। शान्ति व्यवस्था ठीक है। किस तरह से अपराधों में कमी हुई है? बचपन में हम चोरी का नाम सुनते थे लेकिन डकैती का नाम नहीं सुनते थे। गिरहकटी और सेंध लगाने की बात सुनते थे लेकिन दिन दहाड़े गोली चलाना, लूट कर हत्या करने की बात नहीं सुनते थे। चार वर्ष पहले तो ट्रेनों में डकैती की बात नहीं सुनते थे। आज 80 के एक वर्ष के आंकड़े मेरे पास हैं अपने प्रदेश में मेरा अपना अनुमान है कि 500 से ज्यादा डकैतियां ट्रेनों में हुई हैं, लूट की गयी है, लोगों को मारा गया है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेनों में डकैतियां बढ़ रही हैं, बसें लूटी जा रही हैं। दिन दहाड़े लूट बड़े पैमाने पर हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

डकैतों का आतंक व्याप्त है। अभी दो-तीन महीने पहले कुछ सर्वोदय नेताओं ने बयान जारी किया कि इटावा में वे कुछ डकैतों को परस्वेड कर रहे थे कि अच्छी जिन्दगी के लिए हाजिर हो जायं जैसे तहसीलदार सिंह हाजिर हुए थे लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर चार्ज लगाया कि वह उनको हाजिर नहीं होने देना चाहती। अपनी फोर्स के द्वारा वह यह कहते हैं कि यह डाकू अच्छा है, गरीबों की सहायता करता है, शादी-ब्याह में मदद करता है। मैं नाम भी बतला सकता हूं।

(व्यवधान)

सर्वोदयी नेताओं ने चार्ज किया है पुलिस पर, मैं उसे लिख कर दे दूंगा। हसायन नाम का एक ब्लाक है अलीगढ़ में। वहां एक ब्लाक प्रमुख आपकी पार्टी का था। उसके घर डकैती पड़ी दिन में चार बजे और गांव वालों ने मिल कर तीन डाकुओं को मारा गांव के एक दो आदमी भी मरे, लेकिन आपकी पुलिस ने ईनाम लेने के लिये, तरक्की लेने के लिये, वाहवाही लूटने के लिए हसायन के मेडिकल इंचार्ज से फर्जी रिपोर्ट चोटों की लिखवा ली। इस प्रकार हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल आफिसर इंचार्ज फर्जी रिपोर्ट दे रहा है, जरायम को बढ़ावा दे रहा है इनाम दिलाने के लिए। सारे गांव की जनता ने, उसको प्रोत्साहन देना तो दूर रहा फर्जी रिपोर्ट बनवाई गई, ईनाम लेने के लिए, इसकी जांच की जाय। मैं पूरी रिपोर्ट भेज दूंगा। गाजीपुर की पुलिस ने 32 व्यक्तियों के हाथ पैर तोड़ कर उनको तम्बू बना दिया। यह भी कटिंग में उनके पास भेजूंगा। श्रीमन्, आप देखें बड़ी वाहवाही लूटी जाती है। हमारे जिले में कचहरी के परिसर में पुलिस ने बड़ा आतंक मचाया। वहां पर 25 वकीलों को इतना पीटा गया कि कहा नहीं जा सकता है। वहां पर 22 दिन तक हड़ताल रही कचहरी में। उन लोगों के विरुद्ध जिन लोगों ने ये हरकतें की थीं, कोई कार्यवाही आज तक भी नहीं की गयी और जब प्रधान मन्त्री वहां पर 3 जनवरी को आ रहीं थी तो कांग्रेस वालों की ओर से कहा गया कि वे प्रधान मन्त्री के आगमन पर किसी प्रकार का आन्दोलन न करें। उन्होंने कोई आन्दोलन नहीं किया, लेकिन स्थिति क्या है, आज तक भी किसी पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मान्यवर, बनारस में जो नंगी नाच हुई, मैं मांग करता हूं कि सरकार वहां पर जो पुलिस ने किया, उनके विरुद्ध कार्यवाही करे। मथुरा जिले में अवरखेड़ा स्थान पर पुलिस ने डाकुओं से संघर्ष दिखाया। बाद में छाता तहसील के एस० डी० एम० से उस बात की जांच की कि वास्तव में यह पुलिस डाकू संघर्ष था या नहीं। उस एस० डी० एम० ने कहा कि यह मनगढ़न्त बात है और उन्होंने सरकार से यह सिफारिश की कि 3 थानेदारों और 20 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। इसी प्रकार से आज कितने ही फर्जी मुठभेड़ दिखाकर पुलिस के लोग इनाम हासिल करना चाहते हैं। यही नहीं बहुत से निरीह लोगों को भी एन्काउन्टर में दिखा दिया जाता है। जिला मैनपुरी, बिजनौर और इटावा जिले के उसराहार थाने में एक ट्रक ड्राइवर जा रहा था। उससे उन लोगों ने रोक कर घूंस मांगी और जब उसने नहीं दी तो उसे गोली मार दी। वह मर गया।

हमें और आपको इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि इन पुलिस कर्मियों को अपराधी प्रवृत्ति हो रही है या नहीं। आज कितने बलात्कार, कितनी लूट, कितने इन्काउन्टर, कितने डाके ये पुलिस के लोग डाल रहे हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमीरपुर कचहरी में पुलिस के लोगों ने आतंक मचाया जहां पर कटघरे में ऐसे 2 अपराधी खड़े थे। हमें सोचना पड़ेगा कि इस पुलिस की अपराधिक मनोवृत्ति को रोकने के लिये या इसमें सुधार करने के लिए कोई आवश्यकता है या नहीं। इस पर हमें और आपको विचार करने की गम्भीर आवश्यकता है।

माननीय रिजवी साहब, जितने निगम आपके कार्यकाल में बने हैं, लगभग 40–50 मन्डलीय निगम बने हुये हैं। 2–4 प्रस्तावित हैं बनाने के लिए। इन निगमों की, चाहे वे चीनी निगम हो, जल निगम हो, सेतु निगम हो या विद्युत् परिषद् हो, उनकी क्या हालत है? क्या ये खाने–कमाने के जरिये नहीं हैं या करोड़ों रुपयों का गबन करने के अड्डे नहीं बने हुए हैं? आज जल निगम की हालत क्या है? मैंने कानपुर और वाराणसी में देखा है यह निगम पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। कहीं पर भी पानी नहीं दे पा रहा है। आज मान्यवर, वक्त आ गया है जब कि इन सारे निगमों की विधिवत् जांच की जानी चाहिये और इनकी कार्य प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये। माननीय ब्रह्म दत्त जी नहीं हैं, हम रोज उनके भाषण सुनते हैं कि गांवों में इतने घंटे पानी देंगे, इतने घंटे बिजली देंगे, मगर न बिजली आती है न पानी आता है। मेरे पास अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी का यह एक नोटिस है, जिसमें यह छपा हुआ है कि कुछ तारीखों में विद्युत् आपूर्ति का समय मध्य रात्रि से प्रातः 5 बजे तक, कुछ में 11 बजे तक, कहीं सांयकाल 5 बजे रात्रि को 11 बजे और कहीं 9 बजे से 12 बजे तक। अब 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे बिजली मिलने का यह उनका नोटिस है, पर मन्त्री जी भाषणों में कहते हैं 16 घंटे बिजली गांवों में देंगे।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विद्युत् परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार करने की जरूरत है। सुधार खाली एक कम्पनी को अलग कर देने से नहीं आयेगा। मिर्जापुर–ओबरा में अभी 4–5 इंजीनियर कैबिल्स की चोरी में पकड़े गए हैं। विद्युत् परिषद् का तमाम सामान विद्युत् परिषद् के कर्मचारी और अधिकारी मिलकर खा जाते हैं, चोरी करते हैं और तमाम मशीनों को जानबूझ कर खराब कर देते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो अपने मुंह मिया मिठ्ठू बनने की बात कही है यह गलत है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, हमारी तरफ से माननीय भीखालाल जी नहीं बोलेंगे, मुझे थोड़ा समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

अभी 2–3 मिनट और हैं।

श्री ऊदल—

माननीय अम्मार रिजवी साहब सामने बैठे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि, इस अभिभाषण में जो आन्दोलन की बात कही है, आप नम्रतापूर्वक यह बता दें कि जब आप इधर विरोध पक्ष में थे तब इसी विधान सभा के सामने क्या आप लोगों ने पुलिस का घेरा नहीं तोड़ा था? क्या माननीय तिवारी जी व माननीया मोहसिना किदवई का हाथ नहीं टूटा था? मैं इसका जवाब पहले आपसे चाहता हूं। दूसरा जवाब और मैं आपसे और आपके नेता से पूछना चाहता हूं कि संजय

[श्री ऊदल—]

गांधी व उनके साथियों ने न्यायालयों के सामने क्या-क्या नहीं किया ? कितनी जहमत आपने और आपके नेता ने की ?

मान्यवर, आचार्य विनोबा भावे ने गोवध बन्दी के सिलसिले में भूख हड़ताल की । मैं जानना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और आप लोगों ने उस 24 घंटे की भूख हड़ताल को साम्प्रदायिकता का रूप दिखलाने के लिए, इस में क्या-क्या किया था ? किया था या नहीं ?

मान्यवर, आज महंगाई की क्या हालत है, किसी से छिपी नहीं है । जहां-जहां चरन पड़े सन्तन के तहां-तहां बन्टाधार । पारसाल इनके आने से पहले गेहूं बाजार में 1.40 रु0 प्रति किलो बिक रहा था, आज वह बाजार में 2.80 रु0 प्रति किलो लखनऊ में बिक रहा है, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं लखनऊ छोड़ दूंगा ।

(समय अपराह्न 1 बज कर 50 मिनट ।)

श्रीमान, 2 रुपये 15 पैसे किलो चीनी थी और आज अम्मार रिजवी साहब ने उसका 3 भाव बना दिया है । एक साढ़े 3 रु0 किलो और साढ़े 6 रुपया किलो और तीसरा पन्द्रह रुपये किलो बाजार में है । महंगाई 30 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक एक साल में बढ़ी है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ऊदल जी, आपका समय अब समाप्त हो गया है ।

श्री ऊदल—

श्रीमान, दो मिनिट में खत्म कर दे रहा हूं । श्रीमन सुधार के जितने विभाग हैं, सिंचाई विभाग, सेतु निगम के कार्यों को आप देखना चाहें, अभी मैं आजमगढ़ गया था, वहां मैंने देखा, नहरें टूट कर गेहूं की फसल को डुबो दिया केराकत, सुल्तानपुर की भी यह हालत है । इनका मूल्यांकन होना चाहिए । यह कालिका धाम में सेतु निगम बन रहा है । टेक्निकल कमेटी ने आब्जेक्शन कर दिया । लेकिन अभी भी वह चालू हो सकती है । श्रीमन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है । मैं तो आप से भलाई के लिए कहता हूं, रिजवी साहब हमारे दोस्त हैं, इसलिए इनसे मेरा विशेष रूप से स्नेह है । कांच की हंडिया भी बार-बार नहीं चढ़ती है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ऊदल जी, आपका समय समाप्त ।

श्री ऊदल—

श्रीमान, इन्हीं शब्दों के साथ में राजेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री पंचानन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विमल प्रसाद तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने जो अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभिभाषण में बातें कही हैं, वास्तव में आज जो इस प्रदेश की परिस्थितियां हैं, वे परिस्थियां उत्तरदायी हैं। जो पिछले 3–4 वर्षों में इस देश और प्रदेश की परिस्थितियां रही हैं, वह किसी से छिपी नहीं हैं। पिछले 3–4 वर्षों में पूरा प्रशासन नष्ट हो गया था। जब हमारी सरकार बनी, तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने और हमारे मंत्री परिषद के योग्य और विद्वान जो सदस्य हैं, उन्होंने इस प्रशासन को सुधारने की कोशिश की। लेकिन यह प्रशासन इतना खराब हो गया था कि एक तरफ से अगर राज्य सड़क परिवहन निगम को लें तो पूंजीपति के दबाव से इस सार्वजनिक क्षेत्र को इतना कमजोर किया गया कि राज्य सड़क परिवहन निगम पूरी तरह से नष्ट सा हो गया। किसी भी रोडवेज के वर्कशाप को आ ले लीजिए, तो दर्जनों बसें या तो बैट्री के अभाव में खड़ी थीं या चलने लायक नहीं थीं। जब हमारी सरकार बनी इस प्रदेश में तो उसने अनुबंधित बसों को सार्वजनिक क्षेत्रों से हटाने का निर्णय ली और नई बसों को खरीदकर उसको मजबूत करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उसके साथ–साथ मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस बात को हमारे साथी जो उधर बैठे हुए हैं, उनको भी स्वीकार करना चाहिये कि जितनी खराब हो गयी थी कि पिछले दिनों तो जरूरत की चीजें आम जनता को उपलब्ध नहीं थीं। आज यह बात हो रही है कि कम से कम तीन चौथाई चीनी गांव में ब्लैक पर बिक रही है। गरीब जनता को नहीं मिल रही है। लेकिन इसमें एक/चौथाई प्रगति की है। हमको आशा है कि सरकार इस बात के लिए चेष्टा करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार आयेगा। इसलिए बताना चाहता हूं कि उसका कुछ फैसला किया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों की जो दूकाने हैं, उस सम्बन्ध में फैसला किया गया है कि कोआपरेटिव में वितरण को लिया जाय। इससे वितरण प्रणाली में मदद मिलेगी।

मान्यवर, गन्ने के बारे में माननीय नेता विरोधी दल भाषण दे रहे थे। मुझे वह दिन याद आ गया है। पीछे बैठे साथी कह रहे थे कि पौने तीन रुपया कुन्टल तक गन्ने का दाम चला गया था और तमाम किसानों का गन्ना खेतों में जलाया गया था। हमारे सरकार ने गन्ने के मूल्य को 22/23 रुपये करके किसानों को राहत दिया है। लेकिन इसके साथ–साथ यह भी कहना है कि सरकार को दोहरी नीति का मापदण्ड नहीं स्थापित करना चाहिये। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बात की गयी है कि पूर्वी क्षेत्र में गन्ने का मूल्य 22 रुपये और पश्चिमी क्षेत्र में 23 रुपये क्विन्टल होगा यह न्यायसंगत नहीं होगा। एक ही प्रदेश में दोहरा मानदण्ड सही नहीं।

इसी के साथ बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल इतना पिछड़ा इलाका है कि वहां गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ही हजारों ऐसे हैं कि बाढ़ के मौसम में बन्धे पर जीवन बिताते हैं। लेकिन सरकार ने जो फैसला किया है कि 6 घंटे पूर्वी किसानों और 8 घंटे पश्चिमी किसानों को बिजली देंगे, यह उचित निर्णय नहीं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, अभिभाषण में एक बात यह भी कही गयी है कि डिग्री स्तर में तीन वर्ष का पाठ्यक्रम स्नातकों के लिये लाया जायेगा। मुझे संदेह है कि यह गरीब आदमियों के साथ अन्याय किया जायेगा। होगा यह कि बड़े–बड़े शहरों में तीन वर्षीय कोर्स की पढ़ायी होगी और गांव के आदमी की प्रगति पिछड़ेगी, जो

[श्री पंचानन--]

पहले से ही पिछड़े हुये हैं। तो वस्तव में फैसला यूनीफार्म पैटर्न पर होना चाहिये। अगर तीन वर्षीय पाठ्यक्रम का निर्णय करते हैं तो पूरे प्रदेश में सामान्य रूप से लागू किया जाना चाहिये। लेकिन अगर निर्णय होता है कि आध और एकतिहाई में लागू किया जायेगा तो इसको गांव के क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिये। अगर केवल शहरी जनता के लिये ही सुविधा उपलब्ध की गयी, तो गांव के गरीब लोग इनको बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पायेंगे।

एक चीज स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वैसे तो इस रिकार्ड में गिरावट आयी है। लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता है जबकि प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी जी और प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने भी बार-बार यह कहा है कि मध्य सत्र में स्थानान्तरण नहीं होने चाहिये, लेकिन जो हमारे उधर के साथी अपने जमाने में कर रहे थे, उस नीति में अभी कभी नहीं आयी है। नौकरशाही इतनी निरंकुश बनती जा रही है कि बांदा जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी का तबादला इसलिये कर दिया कि उन्होंने एक भ्रष्टाचारी प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्यवाही करके हटा दिया था। वहां के विधायकों ने मांग किया है और शासन की नीति भी है कि मध्य सत्र में स्थानान्तरण नहीं होने चाहिये लेकिन बावजूद इसके, कल जालौन के लोग मिले थे और एक साहब कह रहे थे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को जनवरी में हटा दिया गया।

जब सरकार की यह घोषित नीति है कि मध्य सत्र में स्थानान्तरण नहीं होंगे, लेकिन फिर भी नौकरशाही तबादले कर रही और पूरे प्रदेश का प्रशासन भ्रष्ट हो रहा है। इसलिये माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस नीति का सख्ती से अमल होना चाहिये और रोज, हर 5/6 महीने में तबादले होना प्रशासन के लिये अच्छा नहीं क्योंकि इससे जनता की कठिनाई का हल नहीं होगा और जब जनता की कठिनाइयों का हल नहीं होगा जो जिस आशा और उम्मीद से उसने इन्दिरा गांधी को शासन का भार सौंपा था, उस आशा पर कुठाराघात होगा और वह कुन्ठा का शिकार होगी। तो आज जो रोज तबादले हो रहे हैं, उस पर रोक लगाया जाना चाहिये। जब इन्दिरा गांधी जी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणा कर दिया है कि कब तबादले होंगे और कब नहीं होंगे, तो उस तरह से तबादले नहीं होने चाहिये। लेकिन फिर भी तबादले हो रहे हैं।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में एक प्रमुख बात यह कही गई कि स्थानीय निकायों की जो सड़कें हैं वह क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनके सुधार के लिये इस बजट में प्राविधान किया गया है। हमारे उधर के साथी जब शासन में थे हमारे जिले के मुख्य मंत्री आते थे और सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी हुआ करते थे। लेकिन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वहां दो सड़कें हैं वह इतनी टूटफूट गई थीं कि उस पर रिक्शे वालों को चलना असम्भव था। हमारी सरकार ने इस विषय पर ध्यान दिया। पिछले 3 साल के दौरान जो खराबी आयी है उसको ठीक करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। आने वाले दिनों में इसको ठीक करने का प्रयास किया जायेगा। मैं मान्यवर, इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 7 महीने के अन्दर कानून और व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। आपके जमाने में जनजीवन इतना असुरक्षित हो गया था कि शरीफ आदमी अपने को असुरक्षित महसूस करता था। कम से कम मैं जिस जिले से आता

हूं वहां की यही हालत थी। हमारी सरकार ने प्रभावी कार्यवाही की है उससे असामाजिक तत्व या तो ठंडे हो गये हैं या शहर छोड़कर भाग गये हैं या गायब हो गये हैं।

मान्यवर, एक मिनट और दे दें। अन्त में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की विकास की योजना है वह आवश्यकता के आधार पर बननी चाहिये। अगर इस बात पर बनेगी कि कहां पावरफुल लोग हैं कहां कमजोर हैं तो प्रदेश पिछड़ता जायेगा और गरीब लोगों की उपेक्षा होगी जो कि इस जनकल्याणी सरकार के लिये उचित नहीं होगा। एक बात मैं और सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रबन्ध को हटाने का प्रयास किया जायेगा। किन्तु आज तक इस विषय पर कोई सक्रिय प्रयास नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रबन्ध को हटाया जाय और शिक्षा का प्रान्तीयकरण किया जाय और अन्त में मैं माननीय श्री विमल प्रसाद तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रदेश के इतिहास में यह मंत्रिमंडल सबसे लंगड़ा मंत्रिमंडल है। यह मंत्रिमंडल पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यहां तक कि मुरादाबाद कमिश्नरी, जो कि सबसे सेन्सेटिव कमिश्नरी है वहां का एक भी मंत्री नहीं है। जो मुख्य मंत्री का मंडल है इलाहाबाद मंडल उसके 9 मंत्री हैं। एक विभाग को देखने के लिये चार मंत्री हैं और अम्मार साहब के पास 6 विभाग हैं। मुख्य मंत्री जी के घर के हरवाहे, शिरवाहे जिसके पैरवी कर दिये उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया। राजनीतिक योग्यता या अनुभव की बात नहीं रखी गई और निरन्तर मुख्य मंत्री जी की घोषणा होती है कि अभी मंत्रियों की संख्या और बढ़नी है, निराश मत होना, अगली बार तुम्हारा नम्बर आने वाला है। श्रीमन्, उनके मंत्री जी का एक काला चिट्ठा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह के लोगों को मंत्री बना रहे हैं। इनके मंत्री बनाने की क्वालीफिकेशन क्या है? मान्यवर, मैं प्रतापगढ़ गया था। श्री लक्ष्मण प्रसाद मिले थे, उनकी लड़की निर्मला देवी उम्र 14 बरस है, श्री सरजू प्रसाद सरोज, जिनको उन्होंने मंत्रिपरिषद् में स्थान दिया है, उसको चुरा लिया।

(व्यवधान)

प्रमाणित आधारों पर मैं निश्चित आरोप लगा रहा हूं। उसका एक पत्र है मान्यवर, प्रार्थी जाति का हरिजन है तथा रिक्शा चलाकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। घटना 7-8-80 की है कि छंगू सुत सुखराम रिक्शा चालक साकिन व थाना संग्रामगढ़, जो रिक्शा चलाता है, तथा सरजू प्रसाद विधायक के घर में भंगवा की चुंगी के पास रहता था। श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी रामदुलारे पुराना माल गोदाम रोड थाना कोतवाली की मदद से मेरी पुत्री कुमारी निर्मला देवी आयु लगभग 14 वर्ष, जो मेरी माता के साथ विवेकनगर मोहल्ला में श्री मुनेश्वर प्रसाद के मकान के बरामदे में रहती थी, को भगाकर ले गये। जिनके विरुद्ध प्रार्थी ने थाना कोतवाली में उसी दिन रिपोर्ट लिखाई जो अन्तर्गत धारा 363/366 भारतीय दण्ड विधान में लिखी गई है। प्रार्थिनी ने स्वयं लड़की का पता लगाना शुरू किया तो पता लगा कि उपरोक्त श्री छंगू ने सरजू प्रसाद सरोज की मिलीभगत से मेरी लड़की निकालकर या बहकाकर बड़े लाल के यहां कर दिया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह--]

सरजू प्रसाद सरोज स्वयं लड़की भगाने में थे। मेरी लड़की को वहीं पर रखा गया है। कल दिनांक 25-8-80 को बरसात में मैं भीगते हुए जब बीरापुर गांव गया तो श्री जोखू पुत्र महंगू जो विधायक सरजू प्रसाद के सगे भाई हैं, बड़े लाल सुत भगवानदीन, सोमई सुत भगवानदीन तथा अन्य 7, 8 आदमी जिनको देखकर पहचान सकता हूं, नाम से नहीं जानता। साकिन बीरापुर, थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ प्रार्थी को भद्दी गालियां देते हुये मारने के लिए खदेड़ दिया। उन लोगों के साथ उक्त श्री सरजू प्रसाद विधायक तथा उनकी स्त्री भी थी जो मेरी लड़की को बहकाए हैं। प्रार्थी जान बचाकर भागा। 7-8 आदमी मुझको मारने के लिए दौड़े और मैं भाग कर प्रतापगढ़ आया और मैं आपको सूचना दे रहा हूं। जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने उस लड़की को बरामद किया उसके बाद उसका बयान हुआ। उसने साफ-साफ बयान दिया है कि उसके साथ क्या व्यवहार किया गया।

इस केस को रफा-दफा करने के लिए और इस मामले को काट दिया जाय और फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाय, इसकी पूरी कोशिश मंत्री जी कर रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को मंत्रिपरिषद् में जगह दी जा रही है। जब यह घटना घटी वह मंत्री नहीं थे केवल विधायक थे। इस घटना के बाद उन्होंने सोचा कि यह भी 9 रत्नों में एक के लिए पूर्ण योग्यता रखते हैं तो मंत्री बना दिया जाय। हमारे जिले के भास्कर जी बैठे हैं उनका कितना नम्बर रखा गया है बता दिया जाय। 16 लोग जो भर्ती किये जाने वाले हैं वह किस नम्बर पर हैं इसका संकेत नहीं किया है। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि आपकी जो मूल नीति का घोषणा पत्र है और जो मूल कार्य हो रहे हैं, स्थानान्तरण की कोई कसौटी नहीं है। 15 अप्रैल के बाद होंगे लेकिन मंत्रियों के स्थानान्तरण के बारे में भी कोई नीति है? इन मंत्रियों के स्थानान्तरण के बारे में भी कोई नीति है। किसी भी मन्त्री को, यह जो कार्य दिया गया है, यह पता नहीं है कि आज वह मन्त्री है, कल रहेगा या नहीं क्योंकि विभागों में अफसरशाही का बोलबाला है। इस प्रदेश के सी० आई० डी० के आई० जी० श्री दीक्षित जी की रिपोर्ट पर ही वे मन्त्रियों को रखते हैं और हटाते हैं। ऐसे मुख्य मन्त्री, जिन्हें अपने राजनीतिक सहयोगियों पर विश्वास न हो, वह प्रदेश के अन्दर अफसरशाही की हुकूमत खत्म कर, राजनीतिक शासन कैसे करेगा, मुझे शक है। दो मन्त्रियों को निकाला गया, क्यों निकाला गया, बहाना यह बनाया गया कि इनके परिवार के लोग बीमार हैं, लेकिन उनकी जगह पर जिनको मन्त्री बनाया गया....

(व्यवधान)

एक घोषणा उन्होंने की है कि पहली तारीख से गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य दिलाऊंगा। इसके आधार पर माननीय मुख्य मन्त्री ने घोषणा कर दी कि मैं दूंगा। चूंकि मन्त्रि-मन्डल ने इनकी बात नहीं मानी। अतः नैतिकता का तकाजा है कि ये इस्तीफा दें। अपने सहयोगियों पर मुख्य मन्त्री का विश्वास नहीं है और उनकी जो घोषणायें होती हैं, उनका पालन करने के लिये मुख्य मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह मन्त्रिमन्डल लगड़ा है। इसलिये इस मन्त्रिमन्डल को बर्खास्त करने की घोषणा की जाय।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

मान्यवर, मैं भाई विमल प्रसाद तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल के अभि-भाषण के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं तथा माननीय नेता विरोधी दल तथा

जिन दूसरे माननीय सदस्यों ने अभिभाषण के विरुद्ध भाषण किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, पहले माननीय नेता, विरोधी दल बोले और बाद में माननीय रियासत हुसैन जी और माननीय ऊदल बोले। माननीय रियासत हुसैन जी का मैं भाषण सुन रहा था, ज्यादातर उनके भाषण में चर्चा थी, मुरादाबाद कान्ड की। इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज बार-बार फिर वे उसको याद करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में महंगाई का भी जिक्र किया कि बड़ी महंगाई है। मान्यवर, 1977 में जब कांग्रेस की सरकार गयी और जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ इनको जिता कर शासन की बागडोर इन्हें सौंपी, उस समय कड़वे तेल का भाव 4-4 1/2 रु0 किलो था लेकिन शायद यह भूले न होंगे कि 3 वर्ष के शासन काल में कड़वे तेल का भाव 10 रु0 किलो तक पहुंच गया। माननीय रियासत हुसैन तथा माननीय ऊदल जी जिस दाल की बात कर रहे थे, 1977 में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय अरहर की दाल का भाव उत्तर प्रदेश में...

(व्यवधान)

एक सदस्य—

जी हां, अब तो बहुत सस्ता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि जितनी आप रुकावट डालेंगे, उतना ही आपको समय कम मिलेगा।

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

अरहर की दाल का जिक्र मान्यवर, मैंने किया। 1977 में जिस समय कांग्रेस की सरकार ने शासन छोड़ा, उस समय अरहर की दाल का भाव दो-ढाई रुपये किलो था। 3 वर्ष के इनके शासन काल में अरहर की दाल का भाव 4 रु० से 5 1/2 रु० किलो तक पहुंच गया। गन्ना इस उत्तर प्रदेश में ढाई रु० और 3 रु० क्विंटल में बिका। जलाने वाला लकड़ी इनके शासन काल में 13-14 रु० मन बिकी। उत्तर प्रदेश के किसानों ने गन्ना बोना बन्द कर दिया। आप मेरे ऊपर चार्ज क्या करते हैं, यह देन तो आप ही की है। आपके जो मुख्य मन्त्री थे, वह आजमगढ़ में टाउन एरिया का चुनाव हार गये। आजमगढ़ जिले में एम0 एल0 ए0 का चुनाव वह हार गये, आजमगढ़ जिले में जिला परिषद् की सदस्यता का चुनाव वह हार गये, आजमगढ़ जिले में म्युनिसिपल बोर्ड की सदस्यता का चुनाव वह हार गये लेकिन 1977 में पता नहीं अंधे के हाथ बटेर लग गयी और वह दिल्ली के शासन में वह एम0 पी0 हो गये और उनके आका चौधरी चरण सिंह ने उनको उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री बना दिया। जिसको अपने जिले की जुगराफिया का पता नहीं था वह उत्तर प्रदेश की जुगराफिया को दुरुस्त कर रहे थे और आज आप हमारे मुख्य मन्त्री की आलोचना कर रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्य मन्त्री हैं वह देवता मुख्य मन्त्री हैं उनसे अच्छा मुख्य मन्त्री उत्तर प्रदेश में मिल नहीं सकता है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब विधान सभा में आपने अलीगढ़ कान्ड का प्रश्न उठाया था तो यहीं पर मुख्य मन्त्री जी ने जिस ओजीस्विता के साथ कहा

[श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी]

था कि मैं सफाई देने के लिए नहीं खड़ा हूं मैं जो चीज है उसको स्वीकार करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं दोषी हूं इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं उस समय आपकी भी आंखें भर आयी थी मुख्य मन्त्री जी के शब्दों से ।

पिछले भाषणों में आपने कहा है कि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ईमानदार हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री अच्छे हैं तो फिर आज क्यों आप उनकी आलोचना करते हैं । आप कहते हैं कि चीजें महंगी हैं, इन्दिरा गांधी ने कहा था कि देश पर पांच वर्ष के लिये भी कोई दैवी आपदा आ जाय तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा । आपने क्या किया, आपने सड़कों के नाम पर प्रदेश की जनता को दिखाने के लिये जो कांग्रेस सरकार ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने गेहूं इकठ्ठा किया था वह आपकी सरकार ने काम के बदले अनाज योजना का नाम देकर आपने गांवों में गलियारे आदि पाटने में खर्च कर दिया और आज हमारे पास गेहूं नहीं है ।

एक सदस्य--

रूस के मजदूरों को दे दिया है वह अनाज ।

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी--

इसलिये मेरी मजबूरी है कि आज गेहूं नहीं दे पा रहे हैं और भाव बढ़ रहे हैं । अबकी फसल अच्छी आ रही है उसका फायदा मिलेगा । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर था । जब दिल्ली में आपकी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि हम किसी के नाम पर कोई नगर या कस्बे का नाम नहीं रखेंगे । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस समय जय प्रकाश जी जिंदा थे, उनके जिंदा रहते हुय आपने दिल्ली में एक अस्पताल का नाम जय प्रकाश नारायण अस्पताल रखा । जिस गांव में वह पैदा हुये वहां का नाम जय प्रकाश नगर आपने रखा था । लखनऊ में राम सागर मिश्र नगर नाम रखा गया। इसका पहले नाम इंदिरा गांधी नगर रखा गया था । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह नाम आपके मित्र बहुगुणा जी जब वह मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने यह नाम रखा था । लेकिन जब इनकी सरकार आयी तो रातो रात पता नहीं कैसे इसका नाम बदल कर राम सागर मिश्र नगर हो गया । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसका नाम बदल कर फिर इंदिरा नगर रखना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 3 वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने यह तय किया था कि गांवों में हरिजन हैं उनके घरों में बिजली दी जायेगी । तीन रुपये एक बल्ब के लिये जायेंगे । इनकी सरकार ने उस नीति को समाप्त कर दिया था । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरिजनों को बिजली देने का कार्य फिर शुरू करना चाहिये । इसको इस बजट में शामिल करना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कुकरैल एक नाला बहता है उजरियांव के पास एक पुल बनाने की जरूरत है । कुर्मांचल नगर और सर्वोदय नगर कुकरायल और राम सागर मिश्र नगर के बीच में पड़ते हैं । यहां पर एक पुल बनाने की बहुत जरूरत है । मेरे क्षेत्र में एक टिकुवा नाला है । बरसात में वह भर जाता है और उससे पास के गांव टापू बन

जाते हैं । इसके ऊपर पुल का निर्माण कराया जाय । इन शब्दों के साथ में महा-महिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं, धन्यवाद ।

श्री खंडल बशर--

मान्यवर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आज बोलने का मौका दिया । मैंने भाषण को पढ़ा और पिछले वर्ष का भाषण भी पढ़ा था । मुझे ऐसा लगता है कि यह अभिभाषण कबीर की उल्टी वाणी है । यह अभिभाषण ऐसा है जो हमारे प्रदेश की तस्वीर है ठीक उसके उल्टे बयान दिया गया है । हमारे प्रदेश के अन्दर इस सरकार की जो देन है यदि उसको गिनाया जाता, उसके कारनामों का जिक्र किया जाता तो इस सरकार का कुल कच्चा चिट्ठा यह है कि बागपत कांड से इस सरकार की दास्तान शुरू होती है और पूरे शासन के काल में बलात्कारों का ताँता लगा रहा । एक के बाद एक इस सदन में आवाज उसकी गूंजती रही । अभी बागपत कांड ठन्डा नहीं हो पाया था कि मुरादाबाद में इस सरकार ने इतना घिनौना काम किया, ऐसा अपराध किया कि मासूम बच्चे और पढ़ते हुये नमाजियों को मौत के घाट उतारा गया ।

मुरादाबाद की ईदगाह खून से डूब गई और इस निकम्मी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कुछ बोल सके । बागपत कांड की रिपोर्ट हमारे सामने आयी और इस सरकार के मुंह पर कालिख पुत गयी और मैं समझता था कि जिस तरह बागपत कांड के बाद हमारी आवाज को दबाया गया और मुरादाबाद का कांड हुआ उसमें इस सरकार को त्याग-पत्र दे देना चाहिये था । मेरा तो निश्चित मत है कि बागपत कान्ड के बाद मुरादाबाद कान्ड जो हुआ उसमें इस सरकार ने षड़यन्त्र किया था अपनी नाकामियों को छिपाने के लिये, देश में जो तूफान उठ रहा है उसको दबाने के लिये, उसका मुकाबला करने के लिये देश के अन्दर, देश की जनता को लड़ाओ, उनको बांटो जैसे आसाम में बंगालियों और आसामियों को लड़ा रही है । उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की चेष्टा की गयी ।

हमारे नगर में चेष्टा की गयी लेकिन सौभाग्य से वहां के हिन्दू मुसलमान सरकार की नीतियों को समझ गये और एक साथ खड़े हो गये तब वहां कांग्रेस के एक नेता था वह वहां से भाग खड़ा हुआ, उसकी हिम्मत नहीं हुई हिन्दू मुसलमान संगठन ताकत का मुकाबला करने की । इस सरकार में अभी यह सारे किस्से हो रहे थे कि इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी के अन्दर पुलिस ने घुस कर बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों पर हमला किया और उनके सामान को लूटा । यह निर्देश लोगों को श्रीमती इन्दिरा गांधी से था । वे बेचारे तो एक याचिका ले कर गये थे, अपनी अपील करने गये थे तीन-चार सौ लड़के । उनको मिलने नहीं दिया गया । उन्होंने नारा लगाया, विरोध किया तो उनकी पिटाई की गयी । यूनिवर्सिटी के अन्दर घुस के उनकी पिटाई हुई तमाम विद्यार्थियों पर हमला हुआ ।

बनारस के अन्दर इस सरकार की निकम्मी पुलिस ने वकीलों पर हमला किया । इतनी निर्दयता के साथ उन पर हमला हुआ कि हफ्तों वहां वकील अदालत नहीं गये । सारे लायर्स ने, वकीलों ने इसका विरोध किया सारे प्रदेश के लायर्स और वकीलों ने इसका विरोध किया । सारे-सारे देश के अन्दर इसका

[श्री खैरुल बशर—]

विरोध हुआ। हम लोगों ने इस सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया लेकिन यह सरकार आज भी बनी हुई है। श्रीमती इन्दिरा गांधी उसके बाद बनारस गयीं। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे वहां की जनता का सामना करतीं इसलिए वे हेलीकाप्टर से हवाई अड्डे से यूनिवर्सिटी गयीं। बनारस की रिपोर्ट अखबारों में नहीं आयी। वहां कम से कम हजारों आदमियों को गिरफ्तार किया गया। वहां पर 40-50 हजार मिलीटरी व पुलिस लगाई गई श्रीमती इन्दिरा गांधी की हिम्मत नहीं हुई कि वह खुली गाड़ी में जांय। इस तरह से जनमत की आवाज को दबा कर यह सरकार शासन कर रही है। वह दिन दूर नहीं है जब सबका विश्वास इस सरकार पर से उठ जायेगा।

मैं इस सदन के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किसानों की बात आयी तो मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि किसानों की हैसियत और हौसला इसलिए नहीं बुलन्द है कि उसमें आपकी सरकार का कोई प्रयास या सहयोग रहा? किसान की हैसियत यदि बुलन्द है इसका कारण नासिक का ऐतिहासिक किसान आन्दोलन है जिसके कारण लड़कर उन्होंने गन्ने का दाम 25 रुपया फी क्विन्टल हासिल किया। इस प्रदेश में भी किसान लड़कर 23 रु0 गन्ने का मूल्य प्राप्त किया इस सदन में जो हम लोग निरन्तर मांग कर रहे थे तो यह सरकार उस पर 13 रुपया से अधिक देने को तैयार नहीं है। जिस हिसाब से यह सरकार किसानों की उपज के दाम निर्धारित करती है इसमें हमारे प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से दुर्बल हैं। इस सरकार ने किसान को पानी नहीं दिया, इस सरकार ने खाद नहीं दी, इस सरकार ने किसान को बीज नहीं दिया। यही वजह है कि आज किसान भी आपसे मुकाबला करने को उठ गया है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, दो-एक बातें और कहने दें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है गोबर गस प्लान्ट की बात कही गई तो श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं, मैं कोई मांग नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं कि दो-दो साल से गड्ढे खुदे पड़े हुए हैं पर कहीं कुछ सीमेन्ट के अभाव में नहीं हुआ। इसी तरह से आप कोआपरेशन कर रहे हैं। एक कोआपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आप राशन बटंवाना चाहते हैं लेकिन यह संस्था इतनी बदनाम है कि हालत और भी खराब हो जायगी। मैं आप से कहना चाहता हूं कि गांव में 99 प्रतिशत लोगों को चीनी नहीं मिलती। आप इसका प्रबन्ध करें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप रात को किसानों को बिजली क्यों देते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप की यही है कि रात में बिजली देकर किसान का क्या होगा। दिन में बिजली दें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री खैरुल बसर—

श्रीमन्, एक मिनट और सुन लें। श्रीमन्, आखीर में एक बात कह देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त हो गया है ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो राज्यपाल के अभिभाषण पर हमारे तिवारी जी ने जो समर्थन का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलते हुए मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं और जो आपने मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो विरोध पक्ष की ओर से भाषण दिये जा रहे हैं इस धन्यवाद के विरोध में उसके संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कल नेता विरोधी दल ने बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण दिया । वह सारा भाषण अखबारों की कटिंग पर आधारित था । अगर किसी षड़यंत्रकारी ने किसी अखबार में खबर निकलवा दी तो उस षड़यंत्रकारी आदमी के आधार पर आप नें इस देश के प्रशासन को सुझाव देने की कोशिश की । सुझाव क्या दिये वह उन की बातों से ही सर्वविदित है ।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है उसमें 32 पैरा हैं । 31 पैरा में सारी की सारी नीतियां और कार्यक्रम दिये गये हैं, कुछ ठोस काम हुये हैं, कुछ आगे की तरफ रास्ता लिया गया है जिससे प्रदेश का विकास हो । अब आप उसे पढ़ते तो आप स्वयं समझते । मेरे ख्याल से आप ने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की । मैं विरोधी पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि उन परिस्थितियों को देखें जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपको सत्ता सौंपी थी तो अनाज का कितना भंडार दिया था । जब आपने सत्ता वापस की थी तो आपने कितना भंडार अनाज का दिया उसके आंकड़े देख लें सरकारी आंकड़े बतायेंगे ।

जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में थीं और जब सत्ता छोड़ी थी तो कितना सोना, चांदी आपको दिया, विदेशी मुद्रा कितनी आप को दी थी, वह बैंकों से पता चल जायेगा, सरकारी आंकड़ों से पता चल जायेगा, हमारे और आपके दोषारोपण से पता नहीं चलेगा । इन विषम परिस्थितियों में भी इस प्रदेश की सरकार ने हर क्षेत्र में प्रगति का काम किया है, चाहे कोई भी काम उठा कर देख लें । इस बार दैवी प्रकोप, बाढ़ की विभिषिका से काफी लोगों के कच्चे मकान गिरे, सड़कें बरबाद हुई । मगर गांव के किसी आदमी से पूछ लिया जाय या आप सब लोग स्वयं अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि जितनी सहायता इस दौरान इस शासन ने दी है क्या कभी इतिहास में किसी भी सरकार ने कोई सहायता की है । यह आप को देखना होगा ।

आज हर आदमी हर गांव में गरीब नहीं है, मेरा चैलेन्ज है । सुलतानपुर एक छोटा सा जिला है । मैंने आंकड़े देखे और मुझे पता चला कि 1 करोड़ 30 लाख रुपया केवल मकानों के लिए अनुदान गया है । इसी तरह से प्रदेश भर के जितने जिले हैं जो बाढ़ से पीड़ित हुये वहां अनुदान का रुपया गया, सूद पर उनको मकान बनाने की सुविधा मिली है । 80 हजार निर्बल वर्ग के परिवारों को आसामी अधिकार दिये गये हैं । 6 महीने की अल्प अवधि की यह सरकार है और इसने इस अल्प अवधि में यह सारे काम किये हैं । 1400 राजकीय नलकूपों का प्रस्ताव किया है । 25-25 नलकूप प्रत्येक जिले में पहुंचे हैं । मेरे ही जिले में इसी शासन के दौरान 25 राजकीय नलकूप पहुंचे हैं । आप पुलिस की रिपोर्ट मांगें

[श्री मुईद अहमद—]

कर देख लीजिये। हरिजनों और कमजोर वर्ग पर जितने अत्याचार पिछले तीन सालों में हुये उनसे कई गुना कम इन 6 महीनों में हुये होंगे।

इसके अलावा गन्ने का भाव जब कि किसान का गन्ना जल रहा था, किसान को उनके गन्ने का पता नहीं मिल पा रहा था तो आपके किसान नेता चौधरी चरण सिंह के पास गये और उनसे बात-चीत की तो उन्होंने कहा कि गन्ना बोया है और उन्होंने अपनी टोपी उतारी और कहा कि इसमें गन्ना बोओ। इस तरह से आपके नेता बात कहते हैं। 6 महीने के अन्दर इस सरकार ने ऐसे काम किये हैं कि इस अवधि के अन्दर आपने उनको बिगाड़ने का काम किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित और पारित नीतियों को बिगाड़ने का आपने काम किया था। आपने अपना सारा जोर उसके द्वारा जो काम दिये गये थे उनको तोड़ने-फोड़ने और गिराने में लगाया था। कोई ठोस कार्यक्रम आपने नहीं दिया।

आज हमको और आपको चरित्रवान होने की बात है। मैं मानता हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोगों का यह दायित्व होता है कि वह क्षेत्र की जनता को प्रदेश की जनता को राहत दें, महंगाई से उसको राहत दें, कानून व्यवस्था को सुधारें। यह सरकार का नैतिक दायित्व होता है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपका भी नैतिक कर्तव्य होता है कि आप सरकार को ठोस सुझावों द्वारा सलाह दीजिये, ऊंगली उठाइये और कहिये जिससे क्षेत्र की जनता को, किसानों को, गरीबों को, हरिजनों को लाभ पहुंचे और प्रदेश के आम अवाम को लाभ पहुंचे। इस तरह का चरित्र और इस तरह के सुझाव आपके तरफ से आने चाहिये।

जनता ने आपको चुनकर भेजा है और वह इसलिये नहीं कि आप तोड़-फोड़ करें, हुल्लड़ मचायें, मिल बन्द करायें, तालाबन्दी करें, आग लगायें बल्कि उसने इसलिये चुन कर भेजा है कि आप जाकर सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोगों को नेक सलाह दें। मैं उदाहरण के तौर पर कह दूं। माननीय मोहन सिंह जी नहीं है। देवरिया में एक कान्ड हुआ और अखबारों में बयान दिया गया कि मन्त्री जी और चीनी मिल के जनरल मैनेजर से हाथा पायी हुई। मोहन सिंह जी मुझे मिले थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मन्त्री जी डाक बंगले में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वहां पर हाथा पाई हो गई। मैंने पूछा कि यह क्या बयान छपवा देते हो कि मन्त्री जी के साथ उसकी हाथापायी हो गई तो? उन्होंने कहा कि विरोध पक्ष में बैठने पर कुछ इतना नमक मिर्च लगाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उप मन्त्री के ऊपर इस तरह से जो आरोप लगाया जाता है चाहे वे उसमें शामिल न भी हो लेकिन नमक मिर्च लगाया होगा तो यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आप शासन से इसकी जांच करवा लीजिये।

श्री मुईद अहमद—

मैं तो स्वयं चाहता हूं कि निराधार आरोपों पर अवश्य जांच होनी चाहिए और जो सत्य बात हो, उसको निकालना चाहिए। असत्य अवश्य सामने आयेगा। इसलिये हमको चरित्रवान होना होगा और तभी हम जनता के सामने जवाबदेह

होंगे। दो तरह की रीति-नीति और भेद-भाव और दोहरे व्यक्तित्व से काम नहीं चलेगा। पार्लियामेन्ट में बैठकर आपके विरोधी दल के नेता कहते हैं कि बिहार में मुजरिमों को अंधा किया गया। वह गलत है। इतिहास में भी ऐसा सबूत नहीं मिलेगा और मैं भी कहता हूं कि इस तरह की मिसाल पूरे विश्व में नहीं मिलेगी वह गलत था। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि जब वह लोग बिहार जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए वहां पर चोरों और डकैतों को अंधा किया गया ठीक हुआ है। इस तरह का दोहरा भाषण क्यों देते हैं ? पार्लियामेन्ट और असेम्बलियों में इस तरह के दोहरे भाषण देने से काम नहीं चलेगा।

आपको ठोस मुद्दों और कार्यक्रमों पर आना होगा। आप पहले महामहिम राज्यपाल के भाषण को पढ़ते और उसमें बताते कि हमारे क्षेत्र में इस-इस तरह से सुधार होना चाहिये। लेकिन यहां पर बैठ कर आप चिल्लायेंगे और बाहर जा कर भड़कायेंगे। बाहर चाहे वह राज्य कर्मचारी हों, चाहे मिल मजदूर हों, चाहे विद्यार्थी हों उन सब को भड़कायेंगे। सारे जो अराजकतत्व हैं उनको साथ लपेट कर इस प्रदेश और देश के शासन पर हमला करेंगे। मगर यह शासन बधाई का पात्र है इतनी सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद आगे ही निकलता जा रहा है और भविष्य में भी जल्दी सुधार कर लेगा और आप सब सारी जनता के सामने बेनकाब होंगे। अन्त में मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया।

श्री जटाशंकर सिंह---

आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया जबकि लोकदल के कई सदस्यों को समय मिला है तो कोई क्रम रहेगा कि नहीं ?

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसके विरोध में न बोलकर बल्कि वास्तविकता के आधार पर बोलना चाहता हूं और प्रदेश की जनता से कुछ कहना चाहता हूं। जो अभिभाषण हम लोगों को मिला है उसको पढ़ कर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने पब्लिक मीटिंग में भाषण देने की परम्परा अपनाई है। जिस तरह के पब्लिक मीटिंग में किसी दल के द्वारा भाषण दिया जाता है वही भाषण आज विधान सभा के अन्दर राज्यपाल महोदय ने दिया है। यह राज्यपाल का भाषण न होकर किसी कांग्रेस कार्यकर्त्ता या उसके नेता का भाषण है जो पार्टी का प्रचार कर रहा है।

मान्यवर, राज्यपाल के भाषण को सब लोग यह मानकर चलते थे कि वह एक दर्पण होगा जो प्रदेश की जनता को यह बताने का काम करेगा कि आगे आने वाले दिनों में एक साल के अन्दर यह सरकार क्या करेगी ? लेकिन यह एक झूठ का पुलिंदा प्रदेश की सरकार ने जनता के सामने रखा है। जिस तरह से पिछले 32 साल के राज्य में इस सरकार ने लोगों को गुमराह किया है उसी तरह से राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया है। इसमें कहा गया है कि 6 महीने में मेरी सरकार ने सभी समस्याओं का दृढ़ता के साथ मुकाबला किया है। लेकिन यदि आप एक-एक समस्या को ले कर देखें तो मालूम होगा कि सारी समस्यायें इस प्रदेश की उलझती चली जा रही हैं चाहे वह साम्प्रदायिकता का मामला हो, चाहे विद्यार्थियों का मामला हो, चाहे प्रशासन का

[श्री हरगोविन्द वर्मा—]

मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो किसी भी दिशा में ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे कहा जा सके कि दृढ़ता के साथ मुकाबला किया गया है। बल्कि यही कहा जा सकता है कि इस सरकार ने बिलकुल नपुंसकता का परिचय दिया है।

दो दिन से जो चर्चा चली है उससे जाहिर होता है कि हिन्दुस्तान की सरकार के तीन लोग राजा बन गये हैं एक तो इस देश के पैसे वाले लोग चाहे वह विश्वनाथ प्रताप सिंह हों या राज्यपाल के रूप में बैठे हों। दूसरे राजा अधिकारी बन गये हैं जैसा कि हमारे बाराबंकी के एक माननीय सदस्य, श्री श्याम लाल बाजपेयी जी ने कहा कि दो सौ बोरे सीमेन्ट के ब्लैक किये गये। उस पर गलत रिपोर्ट अधिकारियों ने देकर साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के शासन में आज यह अधिकारी लोग राजा बन गये हैं और दूसरे अधिकारी यह मंत्री लोग हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम क्रिमिनल लोग जीत कर आये हैं, उन पर यदि वास्तव में जांच कराई जाए और मुकदमा चलाया जाए तो दो-तिहाई लोग यहां पर दिखाई देने के बजाए जेल के अंदर होंगे। ऐसे लोग जीतकर संसदीय प्रणाली को दूषित कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं और यही लोग आज कह रहे हैं कि प्रजातन्त्रीय प्रणाली द्वारा देश का कल्याण होने वाला नहीं है। यहां की देश की जनता में पेट भरने को दाना, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, जिसके छप्पर में फूस नहीं है, वहां की सरकार ऐसे कारनामे करके तानाशाही को लाने का पूरा क्रम तैयार कर रही है।

आज मुख्य मंत्री का गलियारा बन्द पड़ा है, कोई विधायक भी वहां से पार नहीं हो सकता है। उस पर तमाम विधायकों की शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन तानाशाही की ओर जाने वाली सरकार पर उनका कोई असर नहीं हुआ है। अधिकारियों के बल पर जो शासन चलाया जा रहा है, वह देश की जनता को कुछ दे नहीं सकती है, केवल उसे मार सकती है। आज कोई जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें भूख से लोग मर न रहे हों। यहां तक कि सीतापुर जिले में गलत इंजेक्शन लगाये जाने के कारण अस्पताल में 5-5 व्यक्ति मार दिये गये और इसके बाद सरकार व उनके परिवार वालों को दो-दो हजार रुपया देकर संतोष देना चाहती है, उनको शान्त करना चाहती है।

आज हमारे देश और प्रदेश के अन्दर मानव की कीमत यदि केवल 2 हजार रु0 है तो माना जा सकता है कि इस देश में मानव की कोई कीमत नहीं रह गई है, उसे चाहे जैसे मार दिया जाय। मैं तो इस चीज को बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि सन् 47 से सन् 67 तक देश में पूरी तरह से एक पूंजीवाद रहा है, पूंजीपति राजा बना रहा है। उसके बाद हिन्दुस्तान की गद्दी पर दो राजा बन गये, यानी सन् 67 से 77 तक पूंजीपति और अधिकारी दोनों ने मिलकर इस देश की जनता पर राज किया है। सन् 1977-80 तक देश में वास्तविक जनता का राज्य था। उसके बाद सन् 80 से अब तक के समय में इस देश में तीन राजा बन बैठे हैं--पूंजीपति, अधिकारी और गुन्डे लोग। आज एक तीसरे प्रकार के लोगों का पुलिस वालों, गुन्डों और डकैतों का भी देश में राज्य हो गया है, जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को चबाने का काम कर रहे हैं, उसकी जनता को निगलने का काम कर रहे हैं।

यदि यही दर्पण आज हमारे सामने है और यही एक साल की व्यवस्था है तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है क्योंकि इसमें एक भी मिसाल ऐसी नहीं है जिसके बल पर यह कहा जा सके कि आने वाले समय में प्रदेश की कहीं भी प्रगति हो सकती है जब कि वह इतना झूठ बोल रहे हैं। कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि महंगाई के ऊपर अगर हमने काबू पा लिया है, जब कि वास्तविकता कुछ और ही है, बिल्कुल उल्टी है। आप देखें कि इस समय गेहूं का भाव क्या है, चावल और चीनी का भाव क्या है ? प्रदेश भर में बस का किराया किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है, इसे भी आप देखें।

शिक्षा के मामले में कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के राज्य में बहुत अधिक स्कूल खुले लेकिन इस साल मेरे जिले में केवल 5 प्राइमरी स्कूल पूरे जिले में दिये गये हैं। भवन बनवाने का कोई नाम नहीं है। सम्पर्क-मार्ग को यदि आप देखें, जो जनता राज्य में बनाये गये थे वह सारे टूट गये हैं, कट गये हैं, बैलगाड़ियां तक उन पर चलना दूभर है, लेकिन एक भी सम्पर्क-मार्ग बनवाने का कार्य इस सरकार में नहीं हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में भी नहीं होगा। यदि आज जनता का राज्य होता तो इसमें प्रदर्शित किया जाता कि उत्तर प्रदेश का शासन गांवों के किसानों और मजदूरों के लिए बजट में कुछ नहीं है। बल्कि यह एक थोथी पुलिन्दा जनता के सामने और इस विधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा यह इस प्रदेश को कुछ देने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और इस अभिभाषण की घोर निन्दा करता हूं।

(समय अपराह्न 2 बजकर 50 मिनट पर)

कुमारी अलमेलु अम्माल--

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण का प्रस्ताव है हमारे सामने उसके लिए जो विमल प्रसाद तिवारी का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। मेरे विचार से आम जनता के लिए यह एक प्रगतिशील विचारधारा है और मैं उसको पूर्ण रूप से समर्थन दे रही हूं। मैं समझती हूं कि मैं भी अपने कुछ विचार आपके सामने पेश करूं। अभी गन्ने का दाम हम लोगों ने 23 रु0 कर दिया। कुछ मिलों को 22 रु0 मिल रहा है, मिलना चाहिये। गन्ने का मूल्य 13-14 रु0 से बढ़ाकर 22-23 रु0 कर दिया गया, बड़ा अच्छा किया, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं। मुख्य मंत्री को भी धन्यवाद देती हूं और मैं यह समझती हूं कि इससे गन्ना किसान बहुत खुश है और वह सरकार को हर तरह से मदद देने को तैयार है। यह एक बहुत आइडियाग्राफिक कदम हम लोगों ने उठाया है।

एक बात और मैं कहना चाहती हूं कि 7 दिसम्बर से यह बढ़ा हुआ दाम गन्ना किसानों को देने वाले हैं लेकिन जो किसान 14 नवम्बर से जब यह मिलें चलाई गईं और दूसरे किसान गन्ना देने के लिए पीछे हट गए तब उन्होंने गन्ना दिया तो उन्हें दाम उसी दिन से यानी 14 नवम्बर से ही बढ़ाया हुआ देना चाहिए। यह मेरी विचारधारा और निवेदन है। फिर किसानों के बारे में मुझे यह कहना है कि जो किसानों के प्रयोग में आने वाली चीजों का दाम थोड़ा सा बढ़ा है जैसे गेहूं का भी दाम बढ़ाया गया है, यह अच्छा है, उनका दाम बढ़ना चाहिए। किसान की जो प्रोडक्शन है, उसका दाम तो बढ़ना ही चाहिए। किसानों को सुविधा भी मिलनी चाहिए। किसानों को अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए न तो कोल्ड स्टोरेज

[कुमारी अलमेलु अम्माल—]

हैं और न वेयर हाउसेज, कहीं भी किसान को जगह नहीं मिलती है जहां वह अपना सामान रख सके। साधारण किसान जो हैं वह अपना सामान जैसे आलू है, गेहूं है, कहीं नहीं रख सकता।

सरकार से यह आग्रह करूंगी कि जो मौजूदा कोल्ड स्टोरेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, उसमें साधारण किसान को भी अपना सामान रखने का अवसर मिले। इसके अलावा नए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज बनवाने के लिए भी सरकार कदम उठाये। अभी हमने देखा कि जो खेतिहर मजदूरों के लिए सरकार ने न्यूनतम वेतन जारी किए हैं वह साढ़े छः रुपये और मध्यम सात रुपये और आठ की दर से है और इसमें पूर्व और पश्चिम का फर्क है, यह ठीक नहीं है। सरकार से मेरा यह निवेदन है कि मजदूरों की मजदूरी बराबर होनी चाहिए। उसकी मजदूरी या वेतन में फर्क नहीं होना चाहिए। एक किसान के अन्डर में एक मजदूर काम करता है उसको भी वही वेतन मिलना चाहिए जो न्यूनतम वेतन अन्य मजदूरों को मिलता है।

मैं मुख्य मंत्री और मन्त्रि-मन्डल के सभी सदस्यों से यह आशा करूंगी कि सब मजदूरों को एक समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। इसके बाद मैं अपने कुछ विचार पूर्वी इलाकों के बारे में कह रही हूं, इन्दिरा जी ने भूमिहीनों को जमीन पट्टी देने का प्रोग्राम शुरू किया था, वह अफसरों की गलत नीति के कारण उनको जमीन तो मिली उसका कब्जा नहीं मिल पाया और कहीं-कहीं तो मुकदमा भी चल रहा है। यहां से आदेश भेजा जाता है तो वह देहातों में नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए मैं चाहती हूं कि सख्त से सख्त कदम उठाये जायं। हरिजनों को 18 प्रतिशत आरक्षण नौकरी में दिए गए हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि वह चाहे पुलिस में हो या कहीं और हो, हरिजन उस पर पहुंच नहीं पाते हैं।

एक कारण यह भी है कि अगर हरिजन नहीं पहुंचता है तो वह जगह दूसरे लोगों से भर दी जाती है। जब तक हरिजन उस जगह न आ जाय तो वह जगह खाली रहनी चाहिये। देहातों में हरिजन को अखबार नहीं मिलता है। मैं चाहूंगी कि रेडियो के द्वारा, किसी अन्य माध्यम से अथवा ग्राम सेवक के द्वारा हरिजनों के कान में यह बात पहुंचना चाहिये कि इतनी जगहें खाली हैं, फलां भर्ती हो रही है, 18 फीसदी जगहें उसके लिये खाली हैं जाओ भरती हो जाओ। मैं देहात की रहने वाली हूं।

शिक्षा मंत्री ने तथा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भी प्राथमिक शिक्षा को महत्व देने की बात कही है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जब तक प्राथमिक शिक्षा कायदे से नहीं चलेगी। गांव का बच्चा किसी कम्पीटीशन में नहीं आ सकेगा। वह न आई० ए० एस० में और न आई० पी० एस० में आ सकेगा। शिक्षा मंत्री बहुत कुछ करते हैं लेकिन प्राथमिक शिक्षा जितनी उम्मीद के साथ होनी चाहिये वह नहीं हो पा रही है। देहातों में स्कूल की इमारत बिल्कुल नहीं बन पा रही है। दर्जा 5 है तो भी मास्टर दो हैं। 12 बजे वह स्कूल पहुंचते हैं तो उनसे लड़का कैसे पढ़ेगा? इसमें सख्त से सख्त कदम उठाकर प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। देहात का लड़का तथा शहर का लड़का एक साथ किसी कम्पीटीशन में बैठे तो बाजी कौन जीतेगा।

देहात का लड़का कम्पीटीशन में नहीं आ सकता क्योंकि 12 साल का देहात का लड़का 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। जैसा राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है यह काम होना चाहिये और इसके लिये अफसरशाही को बीच से हटाकर देहात के लड़कों की सुविधा के लिए कदम उठाना चाहिए। जितनी जल्दी हो इसी साल किसी दूसरे प्रोग्राम को बन्द करके उसका रुपया लेकर इधर प्राथमिक शिक्षा में लगाना चाहिए, मकान बनाने होंगे, मास्टर रखने होंगे। एक-एक स्कूल में कितने मास्टर हैं यह देखा जाय। मुख्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री इसको खुद देखें। बस्ती को आपने पिछड़े जिले में जोड़ लिया है इसके लिये मन्त्रि-मन्डल तथा मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं।

हालांकि पेयजल पब्लिक के बारे में वहां के लिए मुख्य मंत्री ने आर्डर कर दिये थे लेकिन बीच में अकसर लोगों ने उसे चलाया नहीं। इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री ध्यान दें ताकि बस्ती सदर में पानी की टंकी बने और लोगों को पेय जल मिले। हरिजनों की बस्ती में बिजली के बारे में भी मुख्य मन्त्री ने हुकम दिया था लेकिन वह हुकम भी कार्यान्वित नहीं हो सका। मैं चाहती हूं कि मुख्य मन्त्री भी इस पर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री जटाशंकर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के सिलसिले में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। अभी सत्ता पक्ष के बन्धु ने बोलते हुए कहा कि विपक्ष को धन्यवाद के प्रस्ताव पर धन्यवाद देना आता ही नहीं है। धन्यवाद तो हम आपको अनेक अवसरों पर देते हैं लेकिन जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण का सम्बन्ध है वह ऐसी नीति का परिचायक है जिसमें धन्यवाद दिया जा सके।

मान्यवर, सबसे पहली बात माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के आरम्भ में ही कही गयी है कि "प्रदेश के एतिहासिक जीवन में 6-7 मास की अवधि कोई अधिक अवधि नहीं होती, फिर भी इस थोड़े से समय में मेरी सरकार, राज्य को कुशल, स्वच्छ एवं गतिशील प्रशासन प्रदान करने में सफल रही है। मान्यवर, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या यह सत्ता पक्ष स्वयं को आत्म प्रवंचना दे रहा है या विपक्ष को भुलावे में डालने का प्रयास कर रहा है अथवा जनता को धोखा देने का प्रयास कर रहा है। कुशल, स्वच्छ तथा गतिशील शब्दों का अर्थ या तो इस धन्यवाद के प्रस्ताव को तैयार करने वालों को नहीं मालूम अथवा, हम यह तो नहीं कह सकते कि राज्यपाल जी को नहीं मालूम लेकिन अगर इनके कुशल प्रशासन का उदाहरण देखा जाय तो बागपत कांड, मुरादाबाद की घटना, चोरी और डकैतियों की रोज ब रोज बढ़ती हुयी घटनायें, इनके कुशल प्रशासन की कहानी कह रही हैं।

कितना इनका स्वच्छ प्रशासन है, इसको देखने के लिये आप चकबन्दी, तहसील के कार्यालय ही नहीं यहां लखनऊ के सारे कार्यालयों के अन्दर जो प्रशासन की स्वच्छता दिख रही है वह स्वयं एक हास्यास्पद स्थिति बता रहा है। गतिशीलता की ओर अगर ध्यान दें तो सारा का सारा प्रशासन हुआ-हुआ दिखायी देता है। कोई भी गति इस सरकार की दिखायी नहीं देती है। एक चीज अवश्य गतिशील है इनके प्रशासन में और वह यह है महंगाई। उसकी गतिशीलता कितनी होगी वह कहां तक पहुंचेगी, क्या उसकी सीमा आसमान होगी या बीच में आसमान और धरती के बीच में रुकेगा इसको या तो मुख्य मन्त्री या उनकी आका श्रीमती इंदिरा गांधी ही जानती होंगी।

[श्री जटा शंकर सिंह---]

मान्यवर, जहां तक शकर का सवाल है, आज यह स्थिति आ गयी है कि उपभोक्ता के लिए शकर की मिठास ही समाप्त हो गयी है। इसका मूल्य इतना अधिक बढ़ गया है कि हर व्यक्ति के लिए खरीद पाना बड़ा ही कठिन हो गया है। दूसरे कहां तक देखा जाय, 3 वर्षों से जो किसान सूखे और बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त हो चुके थे, जिनकी आर्थिक व्यवस्था ही चरमरा चुकी थी वे इस वर्ष कुछ अच्छी फसल पायें हैं तो उनके सामने 3 वर्ष की स्थगित मालगुजारी की वसूली सामने आ गयी है। इस प्रकार की चैलेन्ज की प्रवृत्ति और कोई दूसरी देखने को नहीं मिलेगी। अपनी कमाल में उद्योग एवं कृषि की ही दोहरी प्रत्यंचा रखने वाला प्रदेश महाराष्ट्र अर्थात् महाराष्ट्र में जितने किसान हैं वे कृषि के साथ-साथ उद्योग भी चलाते हैं। उनको दुहरी आमदनी है। एक कृषि से और दूसरी उद्योग से लेकिन फिर भी वहां की सरकार कृषि ऋण की वसूली माफ कर सकती है, स्थगित कर सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती है क्योंकि यहां के किसान के पास एक ही आय का जरिया है और वह है मजदूरी। यहां की सरकार इस बात का दावा करती है कि हम किसानों की बात समझते हैं। धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलते हुए अभी हमारी सत्ता पक्ष की बहिन जी कह रही थी कि चूंकि इस सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ा दिए हैं इसलिए हम मुख्य मन्त्री को धन्यवाद देते हैं। अपने ही हाथ से अपने गले में माला पहनना चाहते हैं तो शौक से पहन लें लेकिन अब वह समय नहीं आने वाला है जबकि प्रदेश की जनता अपने हाथों से इन्हें माला पहनायेगी। दाम गन्ने के क्या माननीय मुख्य मन्त्री ने बढ़ाये हैं? मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश के किसान ने पहली बार खड़े हो कर अंगड़ाई ली है और उसने 13 रुपये से 23 रुपये के दाम अपने बल पर लिये हैं। आज प्रदेश के किसान का स्वाभिमान जागा है और वह भी मैदान में आना सीख गया है। आज आप यहां बैठ कर मुस्करा रहे हैं, अगर आप आज चुनाव करा लें, मैं आपको चुनौती देता हूं, यह सत्ता पक्ष को कल को ही विपक्ष में आकर बैठना होगा।

मैं बहराइच जनपद से चुन कर आया हूं। आज तक जो भी सरकार रही उसकी निगाह बहराइच जनपद की ओर नहीं गयी। बहराइच जनपद हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, मगर उसे आज तक पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया गया। सरकार ने फैजाबाद जिले को, जो कि संसाधनों की दृष्टि से बहराइच से कहीं ज्यादा सम्पन्न है, पिछड़ा जिला घोषित किया पर बहराइच को नहीं किया। यह उपेक्षा सरकार को त्याग कर देना चाहिये और बहराइच को, जो कि भारत की सीमा से लगा हुआ है, अपना प्यार और दुलार देना चाहिए। नानपारा तहसील, जहां से चुन कर मैं आया हूं, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वह नेपाल से भी लगा हुआ है औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाय। अगर बहराइच जिले के लिये आप कुछ कर दें तो वहां की जनता को भी सुख के दिन देखने को मिल जायेंगे।

पिछली जनता पार्टी की सरकार ने प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों को मान्यता देना इस नियत से बन्द कर दिया था कि जो फर्जी स्कूल चल रहे थे, कागज पर केवल चल रहे थे, उनकी जांच हो जाय, उनको खत्म कर दिया जाय और फिर उसके बाद फिर से प्राइमरी स्कूलों के लिये मान्यता दी जाय। यह उस सरकार का आशय था। यह सरकार उस ओर क्या कर रही है। जब तक प्राइमरी स्कूलों को सरकार मान्यता नहीं देगी, शिक्षा में सुधार नहीं होगा व्यापकता

नहीं आयेगी । आप जो हर आधा किलो मीटर पर स्कूल खोलने की बात करते हैं वह बात आप पूरी नहीं कर पायेंगे अगर आप प्राइमरी स्कूलों को मान्यता नहीं देते हैं । इन शब्दों के साथ मान्यवर मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया ।

*श्री झग्गड़ सिंह—

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मान्यवर, मैं कल से अब तक विरोधी पक्ष के साथियों को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सुना, जिन्होंने काफी महंगाई, अराजकता, साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में विशेषकर भाषण दिया । लेकिन कोई भी रचनात्मक सुझाव विरोधी दल की तरफ से नहीं आया कि देश में, प्रदेश में किस प्रकार से साम्प्रदायिकता पर काबू पाया जा सकता है । किस प्रकार से प्रदेश के अन्दर अभाव और महंगाई दूर की जा सकती है । मैं मान्यवर, कुछ ठोस सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं विरोधी पक्ष से भी इस बात की अपील करूंगा कि वह भी कोई रचनात्मक सुझाव रखें ताकि प्रदेश के अन्दर फैली हुई साम्प्रदायिकता, महंगाई आदि पर काबू प्राप्त किया जा सके ।

अभी-अभी कुछ विपक्ष के साथियों ने यह बात रखी कि देश के अन्दर महंगाई है । साथियो महंगाई या गन्ने का भाव ज्यादा देना या चीनी का अभाव ज्यादा हो जाना जो है, क्या कभी इस पर विचार किया गया कि महंगाई क्यों है और इस पर कैसे काबू प्राप्त किया जा सकता है । महंगाई की एक मात्र देन यह है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस महंगाई पर काबू पाने के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम को दिया, तो उत्पादन की प्रतिक्रिया को जनता शासन ने तीन वर्ष के अन्दर कुंठित कर दिया । उस उत्पादन की प्रतिक्रिया पर हमारी सरकार अभी तक काबू नहीं प्राप्त कर पाई । अगर उस पर सजग हो कर ध्यान दिया जाय, तो दुबारा महंगाई पर काबू प्राप्त किया जा सकता है । आज जो हमारे सामने चीनी की महंगाई है या गन्ने का भाव है, और हम इस पर काबू प्राप्त करना चाहते तो हमको कोई ठोस नीति को अख्तियार करना पड़ेगा ।

मैं तो यह चाहूंगा कि आज जो हमारे सामने महंगाई का भयंकर भूत खड़ा हुआ है । उस महंगाई के भूत को जो अभाव का लाभ उठाते हैं, उन पर काबू प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि मुनाफाखोर उन अभावों का फायदा न उठा सकें । अराजकता के सम्बन्ध में हमारे कुछ साथियों ने कहा कि साम्प्रदायिकता जो है, वह सामने खड़ी है, इस अराजकता को दबाने के लिए कई चन्द भेड़ियों को बन्द करने की कोशिश की गयी थी, जो इस देश के अन्दर खुले छोड़ दिये गये हैं । उनको क्या फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है, जो तोड़फोड़ करने वाले अराजक तत्व हैं, ताकि वह फिर सिर न उठा सकें । अलीगढ़ में या इलाहाबाद में दंगे हो रहे हैं । जब कभी उनको घेरा जाता है, तो उन पर कुठाराघात होता है, ऐसी बातें कही जाती हैं । विनोबा भावे ने कहा है कि भेड़ियों की आजादी को खतरे में डाला जा सकता है । लेकिन वह जो भेड़िये हैं, जो जेल के अन्दर से छोड़ दिये गये हैं, उनके लिए कोई सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा, वरना ये भेड़िये समाज के अन्दर अराजकता पैदा कर सकते हैं । हरिजन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री झगड़ सिंह--]

सम्बन्ध में बहुत कहा जाता है । मैं साफ कह देना चाहता हूं कि जहां कहीं सरकार आरक्षण की नीति नहीं अख्तियार करती है, वहां पर आरक्षण नहीं दिया जाता है । मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि पहले बैंकों में हरिजनों को नौकरी नहीं मिलती थी । लेकिन जबसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, हरिजनों को अब बैंकों में नौकरी मिलने लगी है । इसी तरह से अभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हरिजनों को केवल बोझा ढोने और सफाई के लिये रखते हैं । लेकिन अच्छी पोस्टों पर हरिजनों को कहीं स्थान नहीं दिया गया । इसी तरह से सरकारी नौकरियों में 18 प्रतिशत हरिजनों का आरक्षण है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता । शासन के यह आदेश हैं कि जिस विभाग में हरिजनों का आरक्षण पूरा नहीं है, उसको सख्ती से पूरा किया जाय लेकिन कहीं भी उसको पूरा नहीं कराया जाता । ऐसी स्थिति में चाहूंगा कि हरिजनों के सम्बन्ध में केवल कागजी सहानुभूति न बरती जाय । इस सम्बन्ध में अगर सरकार एक आर्थिक स्तर निर्धारित करदे कि जिनका आर्थिक स्तर इतना होगा, उनको सुविधा दी जायेगी, तो इससे हरिजनों को बल मिलेगा और जिनकी वजह से उनका शोषण हो रहा था, वह नहीं होगा ।

एक चीज यह कहना चाहता हूं कि जैसे यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि कोई भी 18 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता । लेकिन दूसरे साधनों की इजारेदारी को रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है । कोई आदमी दरोगा भी हो सकता है, नौकरी कर सकता है, कोटा परमिट और एजेन्सी भी ले सकता है । इस तरह से प्रदेश की बेरोजगारी पर काबू नहीं पाया जा सकता है । तो सरकार को साधनों की इजारेदारी को भी तोड़ना पड़ेगी । तभी देश के अन्दर जो इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, उनको रोजगार दिला पायेंगे । तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के अन्दर साधनों की इजारेदारी की तरफ भी ध्यान देना चाहिये ताकि एक परिवार में जरूर एक आदमी रोजी रोटी वाला होना चाहिये ।

एक बात की तरफ और कहना चाहता हूं और वह यह है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में जिस तरह से बिजली, उद्योग, अराजकता और विकास की तरफ ध्यान दिलाया गया है, उसी तरह से न्याय की तरफ भी ध्यान दिलाया गया है । मान्यवर, हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और दुनिया के कुछ देशों से भी यह प्रदेश बड़ा है । ऐसी स्थिति में इतने बड़े प्रदेश के लिए न्याय की प्रक्रिया केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरी हो जाना असम्भव है । पश्चिम के लिये न्याय की जो यह प्रक्रिया है, वह मंहगी पड़ती है । बार-बार शासन के सामने यह प्रश्न आता रहा है कि मेरठ या पश्चिम प्रदेश में भी इसको कर दिया जाय तो लोगों को न्याय पाने का सस्ता और सुलभ हो सकेगा । तो इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन है कि मेरठ में हाईकोर्ट की एक बेन्च के सम्बन्ध में विचार किया जाय और इस सम्बन्ध में अविलम्ब कदम उठाये जांय ताकि लोगों को आसानी से न्याय प्राप्त हो सके ।

इसी के साथ सार्वजनिक सम्पत्ति के बारे में कहना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकारी सम्पत्ति है, उसके बारे में सरकार के अधिकारी किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं और किस तरह से सरकारी सम्पत्ति के सम्बन्ध में बर्तते हैं । कुछ बिजली का उदाहरण रखना चाहता हूं । बिजली के सम्बन्ध में बहुत बड़ा घोटाला है और बहुत बड़ा नुकसान सरकार को हो रहा है । बिजली

बोर्ड लास में चल रहा है। मेरठ में एक फर्म है जो ट्रान्सफारमर बनाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् की तरफ से उनको एक कन्ट्रैट दिया गया। उन्होंने कन्ट्रैक्ट लेने से इन्कार कर दिया और जब दुबारा लेने की बात आयी, तो उसमें शर्त लगा दी गयी। अब एक साल बाद कन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो उससे 20 लाख का नुकसान विद्युत् परिषद् को है। मैं चाहता हूं कि जिन अधिकारियों और जिनकी व्यवस्था के कारण सार्वजनिक नुकसान होता है, उनके खिलाफ कड़ाई से कदम उठाये जाने चाहिये। सरकार को सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा के सम्बन्ध में कड़ा रुख रखना चाहिये ताकि उसकी रक्षा हो सके।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण का विरोध करते हुये प्रसंगवश कहना चाहूंगा कि दिसम्बर सन् 1979 में जब संसद के चुनाव शुरु हुये, तो सत्ता दल की राष्ट्र नेता और प्रधान मंत्री इंदिरा ने चुनाव के दौरान एक एलान किया था और आज वही माननीय सदस्य के मुख से सुना गया कि हमने जो स्वर्ण भण्डार को देश में बढ़ाया है विदेशी मुद्रा को बढ़ाया है। जनता पार्टी के शासन ने उसको समाप्त कर दिया। मान्यवर, उनके ठीक बाद उसी वर्ष सन् 1979 की 29 दिसम्बर को आज में प्रकाशित रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने उनकी इस उक्ति का खन्डन किया। उसमें लिखा गया है कि जनता पार्टी के शासन में स्वर्ण भन्डार बढ़ा है विदेशी मुद्रा बढ़ी है। मैं इस बात को प्रसंगवश कहता हूं कि जब देश की प्रधान मंत्री जो सत्ता दल की सर्वेसर्वा है नेता हैं इतनी बड़ी झूठ बोल सकती है तो उस पक्ष से झूठ बोलना कोई आश्चर्य बात नहीं है। यह मैं आकड़े की बात कह रहा हूं। मैंने डेट बता दिया है आप देख लीजिये।

इसी तरह से सन् 1971 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि मैं देश की बेरोजगारी गरीबी को दूर करना चाहती हूं किन्तु सारे विरोध पक्ष के लोग हमको हटाना चाहते है। देश की जनता से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि हमको हटाना जरूरी है या देश की बेरोजगारी हटाना जरूरी है। देश की जनता ने समझा की बेरोजगारी गरीबी हटना जरूरी है और उसने भारी बहुमत से इन्दिरा जी के हाथों को मजबूत किया और देश की सल्तनत पर बैठाया। लेकिन मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं कि क्या इसके बावजूद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किसी भूमिहीन को कर्जा देने का काम नहीं किया किसी गरीब को लोन देकर तरक्की और विकास के लिये काम नहीं किया। अगर वह काम किया गया तो श्री मोरारजी देसाई के शासन काल में किया गया। आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिये आप क्यों इस बात को भूलते हैं।

इस सरकार द्वारा देश की जनता के साथ हमेशा धोखाधड़ी की जाती रही है और आज भी की जा रही है। यह सही है कि मैं आज जनता पार्टी में नहीं हूं कांग्रेस अर्स में हूं किन्तु शासन चाहे जिस पार्टी का हो चाहे जिस सरकार का हो उसके अच्छे कामों की सराहना करने में हमको आपको शरमाना नहीं चाहिये। मान्यवर, एमरजेन्सी के समय आपकी सरकार ने चीनी 6 रुपये किलो बिकवाया था जब कि आपका उत्पादन बढ़ा था जब आपके पास चीनी का

[श्री केदार नाथ सिंह—]

भन्डार था जब आप कहते हैं कि हमारे देश में काफी उत्पादन बढ़ा था लेकिन मान्यवर, उस स्थिति में भी आपने 6 रुपये किलो चीनी बिकवाई थी, क्या यह बात असत्य है ? आप इस तथ्य को क्यों भूल रहे हैं । आप कहते हैं कि 7 महीने का शासन लम्बा नहीं होता है । एमरजेन्सी के बाद जनता पार्टी जब शासन में आई 7 महीने के अन्दर बाजार के भाव जमीन पर आ गये और आप उसे भूल रहे हैं, आपको भूलना नहीं चाहिये ।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से नौजवान होने के नाते मुझे खेद है, जो वस्तु स्थिति छिपाते हैं प्रदेश की जनता और सदन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है । यह कहते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ा है हमने चीनी उद्योग के पिछले बजट में कहा था कि प्रोडक्शन से कीमत कम नहीं होगी यह नीतियों का सवाल है । जब सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों की शरण में चुनाव का चन्दा वसूल करने जायेगी तो भाव बढ़ते ही जायेंगे । आप उसको रोक नहीं सकते हैं वही काम सरकार ने चुनाव के दौरान किया है और भारी रकमें वसूल कर जनता के ऊपर कहरढाने का काम किया है । मैंने अपने भाषण में चुनौती दिया है जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता रहा है तो कोई एक साल आप ऐसा बता दें जब आपने 2 रुपये किलो चीनी बिकवाई हो और कोटा परमिट राज्य को समाप्त किया हो । मैं सत्ता दल के लोगों से पूछना चाहता हूं किस समय उन्होंने कोटा और परमिट समाप्त किया है ।

अभी राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे पुरानी बात पिछले अभिभाषण की याद आती है कि खाद्यान्न योजना लागू की जायेगी, अन्त्योदय योजना लागू की जायेगी, ये योजनायें चलती रहेंगी, यह कहते हुए भी सत्तापक्ष को शर्म लगी । जनता पार्टी द्वारा चलायी गयी योजनायें चालू रहेंगी, यह भी नहीं कहा गया । क्योंकि यह उपज थी एक विशेष दल के दिमाग की । देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए जो खाद्यान्न योजना चालू की गई वह जनता पार्टी के दिमाग की उपज थी, उसको ये लोग सराहना नहीं करते । अभी भी माननीय सदस्यों ने इंगित किया कि खाद्यान्न योजना की सड़कें बरसात की वजह से बह कर कटती जा रही हैं । पिछले अभिभाषण में जो कहा गया कि चालू रखा जायेगा वह बन्द कर दिया गया, इस अभिभाषण में क्या रहेगा ? जो कहा जा रहा है उसे शासक पक्ष लागू नहीं करता । यह कौन सा अभिभाषण है ? अभिभाषण दिशा-निर्देश का काम करता है, मैं उस पर कैसे विश्वास करूं । मान्यवर, आप देखें, अभी पुलिस की स्थायी कमेटी की बैठक में अपराध के आंकड़े प्रस्तुत किये गये । उसमें मैंने देखा कि हत्यायें जनता पार्टी के शासन से बढ़ी हैं । हां एक कलाकारी अवश्य दिखाई सत्ता पक्ष ने कि डाका को 379 से बदल दिया केवल क्राइम को कम दिखलाने की नियत से । मेरी खुली चुनौती है कि हत्याओं को घटा नहीं सकते थे लेकिन डाका को कम करने के लिए ऐसा किया है और इस तरह से अपराध कम दिखाने का असफल प्रयास किया गया । मेरी प्रार्थना है कि आप कहें शासक दल से कि ऐसा कुछ करें कि प्रदेश की जनता को लगे कि क्राइम कुछ कम हुए ।

श्री दूध नाथ राजभर—

दो दिन से चर्चा चल रही है और ऐसा लगता है कि किसी चीज की आलोचना करना बड़ा आसान है लेकिन उसको सही ढंग से सही रूप में रखना जरा मुश्किल है । माननीय सदन के सदस्यों को जैसा कि मैं समझता हूं, इस प्रदेश की

जनता के प्रति हम दोनों खेमे के लोग समान उत्तरदायित्व रखते हैं और जनता की आकांक्षा और अपेक्षायें हमसे और आप से बराबर हैं और हमको जो भूमिका अदा करनी चाहिए वह जनता की खुशहाली को ध्यान में रखकर के, इस प्रदेश की उन्नति को ध्यान में रखते हुए। मैं कल से देख रहा हूं और बड़े क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से माननीय नेता सदन की जिम्मेदारी होती है प्रदेश के शासन को चलाने की उसी तरह से बराबर की जिम्मेदारी मैं मानता हूं सामने बैठे हुए मा० नेता विपक्ष की भी होती है। मैं कल से देख रहा था कि मा० नेता विरोध पक्ष, जिनके बारे में मैं बड़ी ऊंची आशाय अपने मन में रख रहा था और यह सोच रहा था कि हमारे शासन की कमजोरियों को देखते हुए उसको ठीक करने की दिशा में कुछ अच्छे सुझाव उनकी तरफ से नहीं मिला है।

अभी हमारे दोस्त ने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि हम पिछड़ी जातियों के हमदर्द थे। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जनता पार्टी की सरकार ने हरिजनों के साथ और समाज के कमजोर वर्ग के साथ, जिसके लिए आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, क्या किया। उन गरीबों पर जब आक्रमण किया गया और लाठियों से उनके सिर फोड़े गये तो रोते-बिलखते हुए वे कमजोर तबके के लोग, जिनके बल पर आप यहां बैठे हैं, वे जब थाने में रपट करने गये तो उन हरिजनों से कहा गया कि कांग्रेस (आई) की सरकार, श्रीमती इन्दिरा गांधी का शासन अब इस प्रदेश में नहीं है। हमारे शासन में अगर कोई सवर्ण व्यक्ति किसी हरिजन के ऊपर हाथ उठाता था तो उसके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज होती थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर, आपके माध्यम से विरोध पक्ष के नेताओं से कि आपके जमाने में हमारे हरिजन भाइयों का और समाज के कमजोर तबके पर जो प्रहार हुए हैं, उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसको थाने पर दर्ज नहीं किया गया। यह हाल था जनता पार्टी के शासन का, जिसकी बात आप करते हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं तथा महंगाई और भ्रष्टाचार तथा ला एन्ड आर्डर की बात मैं स्वीकार करता हूं कि जो अपेक्षा हम से है, उसके अनुरूप हम शासन की व्यवस्था को चलाने में पूरे तौर से सक्षम नहीं हुए हैं, लेकिन क्या कारण है महंगाई क्यों बढ़ी है, ला एन्ड आर्डर क्यों खराब हुआ है, इसकी जड़ में हमको जाना चाहिए। मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं, मान्यवर, आपके माध्यम से, कि इन सभी बातों, जिनका शिकार हमारे प्रदेश की जनता हो रही है और विशेष रूप से कमजोर तबका जिसका शिकार हो रहा है, उसकी जड़ में अगर हम देखते हैं तो "कम्पेरेटिव चार्ट" सामने रखकर अध्ययन करने पर पता लगता है कि 28 महीनों में जो अव्यवस्था फैली थी, जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ था और कानून व्यवस्था चकनाचूर हुई थी, जिस तरह से इन 28 महीनों में व्यापार वर्ग को हम पर शासन करने के लिए और हम को लूटने की दिशा में, जिस तरह से खुले आम उसको छूट दी गयी, उसको हम 7 महीनों में दूर नहीं कर सकते। इन सात महीनों के अन्दर हमारे मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की रहनुमाई में बहुत से काम किए गए हैं। एक मिसाल है, ईमानदार मुख्य मंत्री आपके प्रदेश को मिले हैं। हमने हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा हो, चाहे बिजली हो चाहे ला एण्ड आर्डर की बात हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। जिस भी क्षेत्र को आप देखेंगे इन 7 महीनों में, हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है। मैं कहना चाहता हूं कि बीच के दिनों में जब जनता ने यह सोचकर कि कांग्रेस सरकार कुछ काम नहीं कर रही है जनता पार्टी को वोट दिया था लेकिन उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता

[श्री दूध नाथ राजभर--]

हूं कि मैं विरोध पक्ष में बैठे हुये महानुभावों माननीय सदस्यों की बहुत कद्र करता हूं लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि हमारा और आपका दोनों का कर्त्तव्य है, दोनों का दायित्व है अपने प्रदेश की जनता की तरफ जवाबदेही का ।

मैं एक बात अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मैं मुबारकपुर क्षेत्र आजमगढ़ से चुनकर आता हूं । हमारे क्षेत्र में बुनकर भाइयों की तादाद 25-30 हजार है । वह बुनाई के काम में, करघे के काम में लगे हैं । मैंने पिछली बार भी सदन के सामने इस बात को कहा था, उस इलाके में जरी का काम होता है, बुनाई का काम होता है । हमारे बुनकरों का बनाया हुआ कपड़ा बनारसी साड़ी के नाम बनारस में बिकता है । हमारे बुनकरों से कम दामों पर मालदार व्यापारी कपड़ा लेकर उसको बनारसी साड़ी कहकर बेचते हैं । मैंने सरकार को सुझाव दिया था कि वहां पर एक क्रय-विक्रय केन्द्र सूत का और बुनकरों के उत्पादन का खोलना चाहिये ताकि बुनकरों को अपने सामान को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े ।

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री मुहम्मद आजम खां--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव रखा है मैं उसकी भरपूर हिमायत करता हूं और अपनी बात अल्लामा इकबाल के चन्द अशआर से कर रहा हूं :--

नहीं मिन्नत कशे ताबे शबीदन दास्तां मेरी
खामोशी गुफ्तगू है बे जुबानी है जुबां मेरी
उड़ाए कुछ वर्क लाले ने कुछ नर्गिस ने कुछ गुल ने
चमन में हर तरफ बिखरी हुयी है दास्तां मेरी
टपक ऐ शम्मा आंसू बनके परवाने की आंखों से
सरापा दर्द हूं हसरत भरी है दास्तां मेरी

जनाबे मोहतरम जब हिन्दुस्तान की तारीख की बात होती है तो हमारे मुल्क की तारीख से वाबस्ता उन मजालिमों की तारीख दोहरायी जाती है और हम नाम लेते हैं चंगेज खां का, हम नाम लेते हैं हलाकू का और उसी के साथ हम जलियांवाला बाग के जुल्म का जिक्र करते हैं ।

मिसेज इंदिरा गांधी या महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुरादाबाद के मजालिम को याद नहीं रखा है बड़े अफसोस की बात है कि हम इन तमाम तमाशे को अपनी तारीख में जगह दी है । जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ उसे तारीख में पढ़कर हमारे आंसू निकलते हैं मगर खुद अपने ही वतन में, अपने ही देश में, अपने ही मादरे वतन में रहने वालों पर यहां के बाशिन्दों पर जो जुल्म किया गया, मुल्क का इतना बड़ा हिस्सा और इतना बड़ा जहां सेलाब फैला है जहां इतनी बड़ी शकसियत ने तवारीख में इस जुल्म को दोहराया । अगर मैं कहूं कि इसके माने यह हुए कि हिन्दुस्तान की एक बदतीन तवारीख में इतना बदतरीन जुल्म किया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी बनारस गयीं । मैं यह बात कहूं कि जब मुल्क में हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं और फिर जहां 35 हजार हिन्दू हैं और 2 हजार मुसलमान तो आपके हिसाब से तो यहां पर मुसलमानों का नामोनिशान नहीं होना चाहिये था, पूछना चाहिये था कि तुम जिन्दा कैसे हो ।

फलसफा तो यह है कि देश में पुलिस निकम्मी है, फिरकापरस्ती है निकम्मी सरकार है, निकम्मा शासन है । मुसलमान को कत्ल करते हैं । वह मुसलमान है जो मुसलमान होने के साथ तमाम जुल्म को बरदाश्त कर रहा है । इतना जुल्म हो रहा है फिर ला एण्ड आर्डर बना हुआ है । मैं श्रीमन्, जैसे कि जिस शहर में रहता हूं वह मुरादाबाद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है । मुरादाबाद में अमन-चैन खतम हुआ । मुरादाबाद में दंगा नहीं हुआ ।

(शेम-शेम की आवाजें)

आप सुनिये । आप सुन नहीं सकते मगर हमारा सब्र देखिये कि 13 अगस्त को मुरादाबाद में मुसलमानों में आग लगी थी, सुन लीजिये, हमको अफसोस है कि आपको सुनने की ताकत नहीं और हम हैं कि जुल्म पर जुल्म सब्र से सहे जा रहे हैं ।

आप हमें हमारी बात कहने देंगे । आप अपने गरेबान में मुंह डाल कर देखें कि कितने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा गया कितने नमाजियों का खून हुआ । आपने 33 प्रतिशत में होकर 7 प्रतिशत मुसलमानों पर जुल्म किया । नेहरू के खानदान ने, श्रीमती इन्दिरा गांधी के खानदान ने इस बात की जैसे कसम खा रखी है कि जितना जुल्म कर सकें, उतना करें । नेहरू खानदान ने मुसलमानों पर कहर बरपा करने में कोई कसर नहीं रखी, यह हमारा चैलेन्ज है ।

हमारी निकम्मी सरकार मजबूर है दिल्ली सरकार के इशारे पर । जहां पर झगड़ा हुआ वहां से 25 किलोमीटर दूरी पर मैं रहता हूं । बावजूद इसके कि ला एण्ड आर्डर कायम हो, वहां मुसलमानों के इलाके में आग लगा दी, घर फूंक दिये । हिन्दू और मुसलमानों का झगड़ा हुआ रामपुर में, फसाद हो गया । आपकी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही । आपकी निकम्मी पुलिस और आपकी निकम्मी पी० ए० सी० ने मिलकर मुसलमानों को पीटा उसी तरह से जिस तरह से 1975 से 77 तक मिलकर आपने मुसलमानों को खतम किया । उस वक्त भी क्या आपने कम जुल्म ढाये 1975 से लेकर 1977 तक जरा एतराम करिये ।

फिर आज यह कहते हैं कि प्रदेश में अच्छा शासन है तो मैं कहूंगा कि ऐसी निकम्मी सरकार जो इतने जुल्म करे और उसके बाद कि अच्छी सरकार है तो उनको खुद शर्म आनी चाहिये, दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं, अध्यक्षता महोदय, मैं रामपुर से छोटे और गरीब शहर का रहने वाला हूं और आप सब तो बड़े लोग हैं जो सरकार बनाये बैठी हैं और ए क्लास सिटी के रहने वाले हैं और जहां बड़े-बड़े मिल और कारखाने लगे हैं । मैंने पिछली बार भी, गवर्नर्स एड्रेस पर ही मौका मिला है, तो उस समय भी मैंने कहा था कि यह तमाम चीजें अपनी जगह प्रदेश में होने वाली हैं और आपकी पालिसीज अपनी जगह हैं । लेकिन उसके साथ मैं अपने छोटे शहर रामपुर की प्राब्लम और कुछ कठिनाइयां आपके सामने रख चुका था जिन्हें 6 महीने तक बराबर नजरन्दाज किया गया क्योंकि वहां कांग्रेस की मजबूत जड़ें थीं जिन्हें उखाड़ दिया गया ।

[श्री मुहम्मद आजम खां- -]

हमारा शहर नवाबजादों का शहर है जहां बड़े-बड़े कारखाने थे लेकिन आजादी के बाद पूरा मुल्क अंग्रेज छोड़कर चले गये किन्तु वह जगह जहां राजा महाराजा, नवाब और नवाबजादे थे और जहां दोहरी गुलामी का शिकार जनता थी वहां आज भी राजा और नवाब हैं कहीं राजा मुख्य मंत्री के रूप में है और कहीं नवाब और नवाबजादा एम० एल० ए० और एम० पी० के रूप में हैं। उस बदनसीब शहर में एक रजा टेक्सटाईल मिल है जहाँ ढाई महीने से साढ़े तीन हजार मजदूर हड़ताल पर हैं। वहाँ आपकी पुलिस और पी० ए० सी० ने जब 14 नवम्बर को टोकेन हड़ताल की गयी और 24 नवम्बर से मुकम्मल हड़ताल की गयी तो 25 तारीख को मुरादाबाद से डी० आई० जी० श्री शर्मा साहब सर्किट हाऊस में तशरीफ लाये। उनसे मिलने मिल का मालिक श्री वी० के० श्रीवास्तव ब्रीफ केस लेकर गया और उसी रात 25 तारीख को पुलिस और पी० ए० सी० ने बत्ती बन्द करके मजदूरों को घरों से निकालकर लाठी चार्ज किया और उनको गिरफ्तार किया घरों में औरतों के साथ अभद्रव्यवहार किया गया मजदूरों के टेन्ट को पुलिस और पी० ए० सी० ने आग लगा दी और लाऊडस्पीकर लूट कर ले गये और मजदूरों द्वारा चन्दे से इकट्ठा 10 बोरी अनाज भी लूटकर ले गये। आपकी पुलिस और पी० ए० सी० जो आवाम की इज्जत और उनकी जानों माल की महाफिज है और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है वह 10 बोरी अनाज लूटकर ले गयी। इसके लिये सरकार को शर्म नहीं आयेगी।

अफसोस है कि राज्यपाल के अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं है। ढाई महीने से मजदूर भूखा है। वहां का नवाबजादा जो कि काँग्रेस आई० का एम० पी० है वह कहता है कि अगर यह मसला आजम खां के जरिये तय हो गया तो इसका सारा श्रेय उनको और लोकदल को पहुंचेगा और करीब-करीब के पांच अजला में कांग्रेस का जनाजा निकल जायेगा। इसलिये साढ़े तीन हजार मजदूरों का वहां गला घोंटा जा रहा है जिसके लिये मंत्री महोदय तीन बार मीटिंग कर चुके हैं और उनकी मिल मालिकों के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई कि गरीब मजदूर पर जुल्म हो रहा है। वह मिल उत्तर प्रदेश के बी० केटागरी मिल से बेहतर मिल है। लेकिन उस बदनसीब शहर पर कोई गवर्नमेन्ट आर्डर, 1974 से लेकर आज तक लागू नहीं किया गया। इसी प्रकार दूसरी मिलों से इस मिल के मजदूरों को 120 रुपये प्रतिमाह का कम वेतन मिलता है। जो खुद श्रम मंत्री द्वारा निकाला गया। अधिष्ठाता महोदय, अब मैं ला एन्ड आर्डर के सम्बन्ध में कहूंगा कि ये इंतजाम बहुत अच्छा है शाहजहाँपुर, रामपुर के नजदीक है वहाँ का सिटी मैजिस्ट्रेट श्री सिद्दीकी ने अपने एक अखबारी बयान में कहा है कि एक दरोगा किसी महिला को ले आये और अपने थाने में रखा, बलात्कार फरमाया उस के साथ (हंसी) (शोर) बलात्कार कर के इस दरोगा का दिल नहीं भरा और बलात्कार के बाद उस औरत को बेच दिया गया। रामपुर पुलिस लाइन के एक पुलिस के आदमी ने एक औरत के साथ बलात्कार किया और आज तक आप की सरकार, आप की निकम्मी, लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी सरकार ने (हंसी) उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आप को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए मुबारकबाद देते हुये, आप की कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुये और खून के आंसू बहाते हुये हम अपोजिशन के लोग आप की बुराईयों का पर्दाफाश करते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुये आप का शुक्रिया अदा करते हैं।

[समय अपराह्न 3 बज कर 51 मिनट]

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रथम मैं माननीय मोहन सिंह को मुखातिब करना चाहता हूं इस के पहले कि मैं कुछ बातें आप के सामने रखूं । अभी हमारे जिले के मन्त्री हुये हैं माननीय सरोज भाई । उन पर कुछ आरोप लगाया गया है । मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं कि आरोप दोनों पक्षों को सुन कर और बहुत ही समझ कर. परख कर, लगाना चाहिये । मुझे एक व्यक्ति, जो जज थे, की बात याद आती है "आई एम नाट कनविनस्ड आफ एनी प्वाइन्ट आफ ला इन इफैक्ट अनलैस आई हैड हर्ड बोथ पार्टीज" ।

श्री अधिष्ठाता—

अनुवाद कर दीजिये ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं किसी भी तथ्य और कानूनी बात से तब तक कनविन्स नहीं हो जाता जब तक दोनों पक्षों को सुन नहीं लेता । एलिगेशन आज कल एक फैशन हो गये हैं और राजनीति एक पर्सनल लेविल पर उतर आई है । एलिगेशन लगाने से पहले उस सम्बन्धित व्यक्ति से भी बात कर ली जाय और बात करने से शायद आप को महसूस हो कि यह झूठा है गलत है । किसी पर आरोप लगाने से वह चीज अखबारों में आ जाती है जिस का रियेकशन बहुत बुरा होता है । इतना ही मकसद मेरा है । मैं अपने लिए भी कह रहा हूं । मुझे भी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिये आप को भी नहीं लगाना चाहिये ।

एक सदस्य—

जांच की मांग करिये ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं बहुत ही गम्भीरता के साथ माननीय सदस्यों के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि किसी को परसनल लेविल पर एक्यूज न करें, परसनल वेरिफिकेशन न करे, किसी के खिलाफ कोई ऐलिगेशन न लगायें । अगर यह हो जाय तो मेरा ख्याल है कि वातावरण बहुत ही अच्छा और सुन्दर हो जायगा । मैंने महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण बहुत ही गौर से पढ़ा, मैंने विरोधी पक्ष के नेता के विचारों को, जो उन्होंने प्रस्तुत किये उनको ध्यानपूर्वक और प्रेमपूर्वक सुना और मैंने समस्त विरोधी पक्ष के सदस्यों के विचारों को भी सुना । मेरे विचार में विचारों का स्थान प्रचार ने ले लिया है और सही बात कहने के बजाय प्रोपेगन्डा की तरफ ज्यादा झुकते जा रहे हैं । मैं माननीय विरोध पक्ष का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि 27 जनवरी को कैसा दृश्य उपस्थित किया गया ।

दुनिया में जहां कहीं भी लोकतन्त्र है, मंच्योर लोकतन्त्र है, क्या वहां इसी तरह का वातावरण उपस्थित किया जाता है जैसा 27 जनवरी को यहां उपस्थित किया गया । मैं देख रहा था कि माननीय मोहन सिंह इतनी तेजी से बढ़े चले जा रहे थे डाइस की ओर शायद वह फिजिकल इनजरी पहुंचाना चाहते थे । महामहिम राज्यपाल को या उन को अपने गोद में समेट लेना चाहते थे । मैं कह नहीं सकता कि क्या करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

चाहते थे लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ कि इ तेजी से बढ़े चले जा रहे थे। पालिटिकल थ्योरीज में राज्य और सरकार की डेफिनिशन निकाली गयी है। जो राज्य का हैड है उस को कोई एक्जूक्यूटिव पावर नहीं है। वह राज्य को रिप्रिजेन्ट करता है।

राज्य और सरकार दोनों अलग-अलग चीजें हैं। जब हैड आफ स्टेट को मानहानि क ते हैं, तौहीन करते हैं तो हाउस की तौहीन करते हैं, अपनी खुद की तौहीन करते हैं। यही नहीं जिस तरह फ्लैग की तौहीन करने से तौहीन नेशन की होती है उसी तरह हैड आफ स्टेट की तौहीन करने से नेशन की तौहीन होती है। और वाकई जो कुछ आपने उस दिन किया वह एक हैड आफ दि स्टेट की तौहीन की, नेशन की तौहीन की। यह एक विचारणीय चीज है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ न कुछ मिनिमम मूल्य है जिन पर हम सब को इत्तफाक करना चाहिये। जब यहां पर कोई हैड आफ दि स्टेट अपना अभिभाषण दे रहा हो तो शांति पूर्वक उसे सुना जाना चाहिये। इस बात पर आम सहमति हो जानी चाहिये। इससे आगे के लिये वातावरण बहुत अच्छा हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री खैरूल बशर--

आपके आदमी ने कलकत्ते में बम फेंके हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें।

श्री लाल प्रताप सिंह--

हमारा जो जजबा है उसी के सम्बन्ध में मैं गुजारिश कर रहा हूं। एक सदस्य होने के नाते मेरी यह राय है कि इस बारे में हम सब लोगों की एक राय हो जाय कि हैड आफ स्टेट की डिग्निटी किसी तरह से लोअर न हो। दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं। हमारे रियासत भाई ने कम्युनल राइट्स की संज्ञा मुरादाबाद और इलाहाबाद में हुए दंगों की दी और उनके बारे में कहा। मेरी समझ म तो यह आया कि मुरादाबाद में जो कुछ हुआ वह मियर ऐक्सिडेन्ट था। कोशिश यह होनी चाहिये कि इस तरह के इन्सीडेन्ट या ऐक्सिडेन्ट न होने पायें। उन बातों को बार-बार दोहरा कर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण नहीं बन पाता है।

श्री रियासत हुसैन--

मैंने यह भी कहा था कि इन पांच महीनों के दरम्यान उसको किस तरह से कम्युनल बना दिया। यदि आज भी आप उसको कम्यूनल नहीं मानते हैं तो आप एक कमीशन बैठा दीजिये और अगर वह यह कह देगा कि यह कम्युनल है तो मुख्य मन्त्री इस्तीफा दें और नहीं होगा तो मैं भी यहां से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। आप कमीशन अप्वाइन्ट करा दीजिये।

श्री लाल प्रताप सिंह--

यह सरकार पूरी तरह से वचन-बद्ध है कि सब काम सौहार्द पूर्वक हो। थोड़ी सी दिक्कत है जिसको कि समझने की आवश्यकता है। हमारे मुल्क में दो तरह के समाज है। एक तरफ तो वह समाज है जो कि सोसाइटी अथवा रेलीजन दोनों एक ही कड़ी से बंधे हुये हैं और दूसरा समाज वह है जो अलग है। आज आप कोई भी आधुनिक बात उठाना चाहे चाहें वह औरतों को हक देने का मामला हो चाहे वह जमायते इस्लाम का मसला हो, सरकार उसमें कितना हस्तक्षेप कर रही है।

(व्यवधान)

हमारे दिलों में बहुत पुराने समय से एक फाटक बना हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस फाटक को दूर करने की जरूरत है और तालीम के माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है। आज भी हर जिले में कुछ ऐसे स्कूल खुले हुये हैं जहां ईद और बकरीद की छुट्टी होती है लेकिन होली और दिवाली की छुट्टी नहीं होती है और कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां होली और दिवाली की छुट्टी होती है लेकिन ईद और बकरीद की छुट्टी नहीं होती है यानी बच्चों के दिलों में इस तरह से अलगाव की भावना पैदा की जाती है। तो इस प्रकार का जो फाटक पहले से बनाया है उसको दूर करने की जरूरत है ताकि हमारे यहां कम्यूनल सौहार्द्र बना रहे। किसी राइटर ने बहुत अच्छी बात कही कि आल मैन हैव इक्वल राइट्स एण्ड वंस दिस प्वाइंट इज सैटिल्ड एब्रा थिंग इज सैटिल्ड। धर्म को राजनीति से बिलकुल अलग करने की जरूरत है तभी कम्यूनल सौहार्द्र कायम होगा सेर सायरी से यह भावना मिटने वाली नहीं है। इस मामले में बाहर जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो वह कहते हैं क्या बात कहते हो विधायक साहब क्या वह फेथफुल हो सकते हैं। तो इन पुरानी बातों को दूर करने की आज जरूरत है। मैं रियासत भाई से कहूंगा कि प्रोपेगन्डा से कम्यूनल सौहार्द्र कायम नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री कुंवर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जशवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, मुझे भी समय दीजिये मैं अपने दल का एकमात्र सदस्य हूं।

श्री अधिष्ठाता--

दो सदस्य एक साथ नहीं बोल सकते हैं, आप दोनों ही पहाड़ के हैं।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, अभी तक सत्ता पक्ष वालों ने अपनी सरकार की लोकप्रियता के बारे में बहुत बातें यहां पर कहीं। इनकी लोकप्रियता इतनी है कि अभी कुछ दिन पहले भारत की प्रधान मंत्री बनारस गयी थी उन्हें जमीन में उतरने की हिम्मत नहीं हुई और 20 हजार के करीब पुलिस वहां लगी हुई थी तो लोकप्रियता की यह स्थिति हो गई कि प्रधान मन्त्री को जमीन में उतरने की हिम्मत नहीं हो रही है। (व्यवधान) जनरल डायर को भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर सिंह नेगी--]

पड़ा । मैं यहां पर माननीय राज्यपाल का एक उदाहरण दे दूं हमारे बद्रीनाथ मन्दिर की जो समिति है उसमें श्री चन्देश्वर प्रताप नारायण सिंह, राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने अपने आप को उस समिति का अध्यक्ष मनोनीत कर लिया । यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि राज्यपाल किसी मंदिर समिति के अध्यक्ष अपने आप को मनोनीत कर लें ।

एक और बात हमारे धर्म और संस्कृति की है । चमोली में नंदादेवी एक सेंचुवरी है जिसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है अब सुना है उस नाम को बदल कर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा जा रहा है । मैं इस चीज का विरोध किसी राजनीति विद्वेश की भावना से नहीं कर रहा हूं बल्कि नंदा देवी एक धार्मिक और सांस्कृतिक नाम से जुड़ा हुआ है । नंदा देवी को विश्व का पर्यटक काफी समय से इस नाम से जानता है । एक पापुलर नाम है, उस नाम को हटाकर संजय गांधी के नाम पर उसे रखना यह बिलकुल उचित नहीं है

(व्यवधान)

यह नन्दा देवी का नाम हमारे धर्म और संस्कृति में जुड़ा हुआ है ।

(व्यवधान)

इस तरह से उनकी पवित्रता को नष्ट कर दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय विष्ट जी, आप बैठिये, एक ही समय में पहाड़ के दो साथी बोल रहे हैं ? वह कैसे हो सकता है ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

इससे वहां पर जोरों का जन आन्दोलन होगा ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

जिला चमोली के विकास क्षेत्र देवाल में एक गांव हरमलचोटिंग है, जहां के निवासियों को अब भी 42 किलो मीटर पैदल जाना पड़ता है वहां पर बकरी और खच्चर यही दो सामानों की ढुलाई के साधन हैं । वहाँ तक आवश्यक सामान पहुंचने में बहुत कष्ट और खर्च होता है । उदाहरण के लिए 50 रुपये की एक नमक की बोरी को वहाँ ले जाने के लिए 60 रुपया भाड़ा देना पड़ता है । राशन इतना महंगा है कि आदमी की क्रय शक्ति उसको खरीदने की नहीं है । महंगाई इतनी बढ़ रही है किन्तु राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि शासन ने सब चीजों के दाम सस्ते कर दिये हैं और यह हमारी सफलता है । आपके रोडवेज की 40 प्रतिशत बसें हमेशा बिगड़ी पड़ी रहती हैं और सिर्फ 60 प्रतिशत ही सड़कों पर चलती हैं । ये 60 प्रतिशत बसें भी 40 प्रतिशत की खाती हैं । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय का नाम पुकार जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करते हुए . . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप विष्ट जी तशरीफ रखिये, मैंने रघुराज जी को बुलाया है, आपको नहीं। यह सदन है और सदन के नियमों के अनुसार ही कोई आदमी बोल सकता है।

श्री त्रिवेनी--

माननीय विष्ट जी हाउस में बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए इनको दो दिन के लिए निकाला जाय।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं। हमारे माननीय मोहन सिंह जी ने एक बात सारे मंत्रिमंडल के लिए कही, ज्यादा अच्छा होता कि वह अपने शासन के उस मंत्रिमंडल की तरफ भी देख लिये होते, जिसके वह एक सदस्य रह चुके हैं। आज उन्होंने हमारे इस मंत्रिमंडल को लंगड़ा रूप कहा है। शायद वह भूल रहे हैं कि उनके आका ने जो आज विरोध पक्ष में हैं उस समय सरकार में होते हुए अपने सत्ता पक्ष के श्री रामनरेश के मंत्रिमंडल के लिए कहा था कि इस समय का शासन नपुंसक हो चुका है।

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

क्या माननीय श्री मोहन सिंह जी पहले उस नपुंसक मंत्रिमन्डल का एक अंग रह चुके थे या वह स्वयं ही इस श्रेणी में थे। जरा सुनने का धैर्य रखें। जो आज वह इस हुकूमत को लंगड़ा कह रहे हैं लेकिन उनके लिए जो बात कही गई थी वह उनके परम आका चरण सिंह जी ने कही थी। उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं था लेकिन उन्होंने जो यह कहा कि हमें माननीय मुख्यमंत्री का विश्वास नहीं है तो मैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर पूर्ण विश्वास है और प्रत्यक विधायक अपने मुख्यमंत्री पर पूर्ण विश्वास रखते हुए इस बात को गौरवान्वित महसूस करता है कि उत्तर प्रदेश को जिस दुर्दशा के काल में पिछली सरकार ने छोड़ा था उसको हमारे मुख्यमंत्री ने संभाला।

यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसा योग्य मुख्यमंत्री हमको मिला। इस बात को स्वीकार आप भी करते हैं लेकिन शायद शपथ ग्रहण के साथ ही साथ आपने यह भी शपथ ग्रहण कर लिया था कि शासन जो भी कहेगा या करेगा, वह सही होगा तब भी आप उसकी खिलाफत करेंगे और पूर्ण रूपेण आप उसपर चल रहे हैं। प्रशासन व्यवस्था की जो बात कही गई उसके सम्बन्ध में मैं केवल इतनी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नारायणपुर कान्ड जो हुआ वह आपके समय में ही हुआ और उस समय उन्होंने उसे स्वयं स्वीकार किया था। आज जब कि वह विरोध पक्ष में बैठे हैं तो भले ही इससे मुकर जायें। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी हुकूमत में कोई भी परीक्षायें समय से नहीं हो पाईं। इस समय आप शिक्षा संस्थाओं की हालत देख लीजिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से अनुशासित तरीके से छात्र रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षायें समय पर हुई हैं। यह रही शिक्षा जगत की बात।

[श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--]

अब आती है महंगाई की बात । हम यह जरूर स्वीकार करते हैं कि महंगाई बढ़ी है लेकिन हमें यह देखना होगा कि इसकी जड़ें कहां हैं । बढ़ती हुई महंगाई को आपने हमें दिया था । उस समय उतनी चीजें मंहगी नहीं थीं जितनी तीन साल में आपके शासन काल म हुई । आपके 3 साल की हुकूमत में कोई भी लेवी नहीं लगाई गई जिसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ रहा है । हमारे शासन काल में इतना खाद्यान्न एकत्र कर दिया गया था कि अगर कई सालों तक भी सूखा पड़ता तो भी जनता को सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से राशन मिलता रहता । आप कहां तक उसको दबाते बल्कि उसको बचाने के अलावा खाद्यान्न योजना के नाम पर आपने उसका दुरुपयोग किया । रह गयी खाद्यान्न योजना की बात तो क्या आप यह सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे कि तीन साल के अन्दर कोई भी आपने लेवी नहीं लगाई और न गल्ला इकट्ठा किया । जो दाल और चावल इकट्ठा किया गया था उसका आपने दुरुपयोग किया । जो मार्ग बनाये गये वे अदूरदर्शिता पर आधारित थे जल निकासी का रास्ता न होने से अनेक क्षेत्रों को बाढ़ से ग्रसित होना पड़ा और इस प्रकार जितना फायदा नहीं हुआ उससे अधिक नुकसान उठाना पड़ा । अनुशासन की बात आई तो सत्ता पक्ष की बात छोड़ दें आपने अखबार देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा है कि राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय के आने पर चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों अथवा विपक्ष के लोग हों सबको उनका सम्मान करना चाहिए और जिस तरह का व्यवहार यहां पर हुआ है उस पर उन्होंने खेद प्रकट किया है । इस प्रकार आपके नेताओं द्वारा आपके कृत्यों की निन्दा की गयी है । ऐसे लोग जिनके शासन काल में अनुशासनहीनता को बढ़ावा दिया गया हो उनके मुंह से अनुशासन की और कानून व्यवस्था की निन्दा करना उचित नहीं प्रतीत होता । आप विरोध पक्ष में हैं । हमारे कामों को हमारे सामने रखें लेकिन उसका उद्देश्य रचनात्मक होना चाहिये । जहां उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सत्ता पक्ष की अधिक जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी से आप भी अलग नहीं हो सकते । इस सदन के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि प्रदेश के कानून व्यवस्था तथा प्रगति में वह अपना पूर्ण सहयोग दें ।

क्या आप अपने स्तर से कह सकते हैं कि आप इस बात पर खरे उतर सकते हैं ? एक हमारे भाई ने मुरादाबाद कांड की चर्चा की । ज्यादा अच्छा होता कि जिस बात की चर्चा से भावनाएं उमड़ती हों उनकी चर्चा न की जाती और उसके स्थान पर राष्ट्रीय एकता की बात की जाती । आज हमारे संसदीय कार्य मंत्री राष्ट्रीय एकता विभाग के भी मंत्री हैं और वह राष्ट्रीय एकता को बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं । वह कांग्रेस की हुकूमत है जिसने धर्मनिरपेक्षता की पहल की । कुछ दंगे अवश्य हुए लेकिन राष्ट्रीय एकता के रुख पर जिस प्रकार यह प्रदेश तथा केन्द्र चल रहा है वह सराहनीय है । 1980-81 का प्रदेश का परिव्यय 850 करोड़ से बढ़ाकर 933 करोड़ रुपये रखा गया है जिससे प्रदेश के प्रशासन को प्रदेश की तरक्की में पूर्ण सफलता प्राप्त होने की अपेक्षा की जा सकती है । माननीय सदस्य, अभिभाषण के पृष्ठ 3 पैरा 5 का अवलोकन करेंगे तो यह उसमें पायेंगे कि गांवों के आर्थिक विकास के लिए मेरी सरकार द्वारा एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम तथा समादेश क्षेत्रीय विकास योजनाओं को सुदृढ़ किया जायगा । सरकार सूखे की समस्या से ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले छोटे काश्तकारों; विशेष रूप से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़ी जाति के सदस्यों के आर्थिक स्तर में सुधार हेतु कुछ विशेष क्षेत्रीय विकास योजनाओं को

कार्यान्वित कर रही है । ग्रामीण निर्बल वर्ग के परिवारों के सदस्यों को रोजगार के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराये जायगे । इस उद्देश्य से प्रदेश के सभी विकास खंडों में ट्राइसेन योजना चलाई जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण नवयुवकों के तीन माह का प्रशिक्षण तथा 100 रु० प्रतिमाह की छात्र-वृत्ति देकर उन्हें लघु एवं कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

मैं जान सकता हूं कि आपकी हुकूमत में ऐसी कोई योजना चलाई गई थी ? यह केवल कांग्रेस आई की हुकूमत विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है जिसने अनधिकृत कब्जे करने वालों से न केवल जमीन खाली कराने की बल्कि 6 माह की सजा का भी प्राविधान किया है । एक बात मैं गोंडा जनपद के बारे में कहना चाहता हूं जहां से मैं चुनकर आया हूं । जो पिछड़े जिले घोषित किए गए हैं उनमें हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया गया है । आर्थिक सम्पन्नता तथा उद्योगों की दृष्टि से गोंडा जिला पिछड़ा जिला है । इसको पिछड़े जिलों में शामिल करने की कृपा की जाय । इन शब्दों के साथ मैं श्री तिवारी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जो इस सदन में हुआ और उस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने जो अपनी ओर से उनके विचारों का समर्थन देने की बात कही यह उनके दिल की बात नहीं है । जब हम बाहर निकलते हैं तो ये सदस्यगण कहते हैं कि इंदिरा गांधी का इतना डर व्याप्त है कि यदि वे इसके पक्ष में अपने विचार प्रकट न करें तो अगली बार टिकट ही नहीं मिलेगा । मालूम होता है कि इस सरकार की काया यहां है पर प्राण दिल्ली में हैं । इसीलिए आज जो सत्तापक्ष की ओर से भाषण हो रहे हैं वे सच्चाई से परे हो रहे हैं ।

आज यहां पर लघु सीमान्त कृषकों को सुविधा देने की बात कही गयी है । हर माननीय सदस्य को मालूम है कि ये सुविधायें उनको नहीं मिली हैं । जो खाद छूट पर देना दिखाया गया वह केवल कागजों पर ही रह गया । बड़े बड़े अधिकारियों ने इसको बेच डाला । इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । 31 दिसम्बर, 1980 को मेरे क्षेत्र महराज गंज में गोंडा सीड स्टोर की खाद 2-3 ट्रक गोरखपुर में गयी और वहां जाकर ट्रक नम्बर यू० आर० जी० 5610 ट्रक नेपाल जाने की तैयारी में थी, पकड़ी गई । 2 ट्रकों का खाद एक गोदाम में था जिसे वे लोग 115-120 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से बेचने जा रहे थे । तो मेरी पार्टी के लोगों ने जाकर पकड़ा । गोंडा की सीड स्टोर इन्चार्ज श्री देवी प्रसाद पान्डेय रिवाल्वरधारी था । उसको भी उन लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन उसको आज तक भी निलम्बित नहीं किया गया है । ये इन्चार्ज लगभग 2 1/2 लाख की खाद ब्लेक में बेच रहे थे । मेरे ही जनपद में कई जगहों पर डी० ए० सी० खाद में कोयला घोट घोंट कर एवं पत्थर मिलाकर सीड स्टोर्स पर खादें पहुंचायी जा रही हैं और इसे बेचा जा रहा है ।

इस देश और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में खेती का कितना महत्व है यह सभी जानते हैं । जब तक खेती के लिए सभी साधन, जैसे समय से खाद, पानी आदि की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इस देश और प्रदेश की हर व्यवस्था लचर

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--]

रहेगी । मेरा कहना है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों की भलाई, ग्रामीण अंचल एवं पिछड़े वर्ग की भलाई का जिक्र आया है लेकिन कहीं भी पिछली सरकार द्वारा जो कार्य कराये गये जो जो अच्छी अच्छी चीजें उनके द्वारा की गयी उनको यह सरकार समाप्त कर रही है । जब से श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आयीं 35 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है और हर आदमी की क्रय शक्ति गिरी है । हर खरीदार यह महसूस करता है कि महंगाई बेतहासा बढ़ी है और इस सरकार को भी सहर्ष इस बात को स्वीकार करना चाहिये । आज जो आदमी गांवों में ठिठुरे पड़े हैं, गरीब, अंधे, लंगड़े हैं सरकार की ओर से कहा गया कि उनको कम्बल दिये जायेंगे लेकिन कहीं भी वे नहीं बंट रहे हैं । आज वे पेड़ों के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं । जो कुछ थोड़ा बहुत गृह अनुदान देने की बात कही जा रही है वह भी नहीं दी जा रही है ।

हरिजनों को काफी सताया जा रहा है । 13 दिसम्बर, 80 की ही बात है कि गोला थाने में एक दुखन्ती हरिजन के यहां डकैती पड़ी, एक आदमी मारा गया लेकिन आज तक कहीं भी उसका जिक्र तक नहीं हुआ । इसी तरह से एक और निन्दनीय बात है । मेरे ही जनपद में जो विरोधी दलों के कार्यकर्त्ता हैं उनको सताया जा रहा है । 6 नवम्बर, 1980 को एक डाक्टर राजपति हैं उनके विरुद्ध एक कांग्रेस के आदमी ने एक रिपोर्ट लिखायी है कि इन्होंने मारा पीटा । मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि अगर यह बात सही निकले तो मैं त्याग-पत्र दे सकता हूं । इसी तरह से गलत रिपोर्ट लिखवाकर एक हीरा लाल जायसवाल नामक व्यक्ति को फंसाया गया चौरीचौरा थाने में । इस प्रकार विरोधी दल के लोगों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है ।

बस के किराये के सम्बन्ध में माननीय वीर बहादुर सिंह मंत्री के विरुद्ध हमारे यहां एक स्थान पर चक्का जाम करने की योजना दिनांक 23-1-81 को बनायी गयी जिसमें छात्रों ने भी प्रदर्शन आदि किया । चक्का जाम कराने वालों को, प्रदर्शन कारियों को, पुलिस ने बुरी तरह से मारा पीटा और एक आदमी को मार तक डाला । बहुत से विद्यार्थी गांवों में भाग गये ।

हमारे यहां एक महावीर शुगर मिल है, वहां के 92 मजदूर 26 जनवरी, 81 से क्रमिक अनशन पर हैं और वे कुछ जिलाधिकारी के यहां धरना दिए हुए हैं । उनमें 60 आदमी हरिजन हैं । ट्रिब्यूनल के यहां से आदेश हो गए हैं कि उनको वेतन दे दिया जाय, लेकिन जिलाधिकारी जो उस मिल के रिसीवर भी हैं, उनके आदेश उनको वेतन दिये जाने के लिये नहीं हो रहे हैं । इसलिए वे लोग उनके यहां धरना दिए हैं और क्रमिक अनशन पर हैं । उन अनशनकारियों को पिटवा कर बाहर करवा दिया है ।

आज अगर किसी को प्रजातान्त्रिक तरीके से अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं रहेगा तो यह प्रजातन्त्र कैसे रहेगा । आज किसी की कोई बात सुनी ही नहीं जाती है । कांग्रेस पार्टी की ओर से हरिजनों के लिए बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है, उनको भूमि देने की बात भी कही जाती है, पर उनको वास्तव में भूमि मिलती नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि आज भी माननीय विश्वनाथ प्रतापसिंह, मुख्य मंत्री, जी के भाइयों के नाम से इलाहाबाद में एक-एक आदमी के नाम पर 4-4 एकड़ जमीन पड़ी है । इन्हीं के दल के पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के पास कई नामों से तमाम जमीन पड़ी है । गोरखपुर के सरदार मजीठिया जी के पास भिन्न-भिन्न नामों से सैकड़ों एकड़ जमीन है । आप इसकी जांच करवाइये और जो

जमीन इनके कब्जे से निकले उसे भूमिहीन हरिजनों मे बटवाइये। वरना यह सरकार हरिजनों के प्रति उदार है यह कहना गलत होगा कि यह सरकार हरिजनों के साथ आततायीपन का काम कर रही है। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री खुदादीन अन्सारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रगतिशील नीतियों की ओर जो संकेत दिया है उसके लिये मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि वर्तमान मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के प्रशासन काल में उत्तर प्रदेश निश्चय ही प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। विरोध पक्ष की ओर से बहुत सारी बातें इस सम्मानित सदन में कही गयी है। ला एन्ड आर्डर की भी बात कही गयी है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले देवरिया का रहने वाला हूं। गोरखपुर अपराधों की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर आता है और यह हम अकसर रेडियो से सुनते हैं। परन्तु हमारे वर्तमान शासन के सत्ता में आने के बाद, हमारी लोकप्रिय सरकार ने वहां पर कुछ निष्ठावान अधिकारियों को भेजकर स्थिति पर काबू पा लिया है, जहां पर दिन दहाड़े चौराहे पर गोलियां चलती थीं, मुझे प्रसन्नता है कि वहां पर इस समय एक भी कोई ऐसा केस नहीं हुआ है जिससे लोगों की हत्या हुई हो और आतंक का वातावरण उत्पन्न हुआ हो। दूसरी श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मैं अपने सम्मानित विपक्षी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जनपद देवरिया जहां पर 14 शुगर फैक्टरीज हैं, जहां पर कि गन्ने की उपज मुख्य फसल है, इनके प्रशासनकाल में क्या हुआ उदाहरणार्थ कि जिस प्रकार श्रीमन्, एक मां, अपने पुत्र की परवरिश करके जवान करती है, ताकि वह उसके बुढ़ापा की लाठी, अन्धे का चिराग और उसके जीवन का सहारा बनेगा। अपने बेटे को उमड़ती जवानी देखकर उसको राहत मालूम होती है। उसको यह मालूम होता है कि मेरा बेटा, अंधकार की ज्योति और मेरे जीवन नौका का पतवार है। अगर वह बच्चा मर जाय और उसकी धूं-धूं करते हुए चिता पर रख दिया जाय, तो उसके बाप-मां के अन्दर जो पीड़ा होगी, ठीक उसी तरह पूर्वांचल का किसान गन्ने की परवरिश करता है, हाथों में खुर्पी लेकर, फावड़ा लेकर जब मेड़ पर खड़ा होता है, गन्ने की फसल तैयार होती है और वह किसान जब देखता है, तो वह आनन्द विभोर हो जाता है और वह फिर यह सोचता है कि मैं इस गन्ने से अपनी बूढ़ी मां की दवाइयां कर सकूंगा, बेटी के हाथ पीला करूंगा।

लेकिन चौधरी चरण सिंह के जमाने में जो कृषक नेता कहलाते हैं, उन्हीं के जमाने मे लहलहाती फसल में किसानों ने अपने हाथ से लूक लगा कर आग के हवाले कर दिया।

हमारे प्रशासन को हर तरह से बुरा कहने वाले लोगों, अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखो कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 रुपये और 23 रुपये गन्ने का भाव बढ़ा कर, किसानों को एक नई जिन्दगी दी है। मैं तो उस पूर्वांचल की बात करता हूं जहां पर कंधे पर टोकरी और कंधे पर फावड़ा लेकर लोग काम करते हैं, जहां पर लोग बागानों में काम करते हैं और मजदूरी करते हैं, उसी जनपद के हमारे माननीय मोहन सिंह रहने वाले हैं, उनको मालूम है कि जनपद देवरिया के लोग सिवाय मजदूरी के और कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन आसाम में जनसंघी ने साथी की ओर से जो तूफान खड़ा किया गया है, विदेशी निकालो यही खेद भी है आखिर वह कहां जायेंगे? "न खुदा ही मिला, न विसाले सनम। न इधर के रहे, न उधर के रहे।" प्रशासन की गाड़ी चलाना श्रीमन् कोई आसान

[श्री खुद ीन अन्सारी--]

काम नहीं है । आपने भी मंत्री पद को सुशोभित किया है । पर ढाई वर्ष में आपका क्या हुआ ? शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं । "मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं । यह वो नगमा है, जो हर साज पर गाया नहीं जाता ।" यह काम हर व्यक्ति का नहीं है । प्रशासन चलाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठने के बाद मालूम होता है कि प्रशासन चलाना कितना मुश्किल काम है । श्रीमन्, चौधरी चरण सिंह ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है "सलूशन आफ पावर्टी इन इंडिया ।" वह कहते हैं कि किसान वह है जो आधुनिक औजारों से खेती करे । श्रीमन् देवरिया जिला नेपाल और बिहार की सीमाओं को जोड़ता है । देवरिया जिले के गरीब किसानों के पास किसी के पास एक एकड़ भूमि है, किसी के पास डेढ़ एकड़ भूमि और किसी के पास 10 लट्ठे जमीन है । लेकिन उनके चौधरी साहब, जो किसानों के नेता हैं कहते हैं जो किसान आधुनिक औजारों की खेती नहीं करते, वे किसान नहीं । मैं कहता हूं कि इतने छोटे छोटे किसान ट्रैक्टर कहां से खरीद सकते हैं और साइन्टीफिक तौर से कैसे खेती कर सकते हैं वह बड़े किसान हैं और बड़े किसानों की बात करते हैं ।

मान्यवर, एक बात और उस किताब में चौधरी साहब ने कही है जो एकोनामिक होल्डिंग के बारे में है कि जिनके पास एक एकड़ जमीन है, वह 7 एकड़ जमीन वालों को देकर 8 एकड़ पूरा कर दें ताकि उसकी (Economic holdings) बन जाय । मैं कहता हूं कि क्या उसको जीने का भी हक आप नहीं देंगे ।

मान्यवर, एक बात के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वितरण प्रणाली को कोआपरेटिव के माध्यम से करके कोटा-परमिट को समाप्त किया और अब उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से जीवन निर्वाह की चीजों के वितरण की बात कही है । लेकिन पुराने कानून के रहते हुए हम अपने इस पवित्र उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाये हैं । मैं जिम्मेदारी के साथ पिछले अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि कोआपरेटिव सोसायटीज से जो छीट और मारकीन का कपड़ा, जिसका 76 प्रतिशत गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं, वह सही ढंग से उनको नहीं पहुंचा पाये बल्कि उसमें ब्लैक हुआ । मैं अपनी लोकप्रिय सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वितरण प्रणाली को बदलने के लिए और ठीक ढंग से वितरण करने के लिए कोआपरेटिव कानून में भी अपेक्षित संशोधन निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा । तभी सही ढंग से वितरण व्यवस्था ठीक हो सकती है और हम पवित्र लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । इसी सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि मैं इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोटा परमिट समाप्त कर दिया और अब उपभोक्ता के माध्यम से वितरण होगा ।

मुझे प्रसन्नता और विश्वास है कि हम इसको करके दिखायेंगे और वितरण व्यवस्था को ठीक कर सकेंगे और वह अधिकारी जो लुन्ज-पुन्ज बात करते हैं, उनकी एक न चलने देंगे । हमारे एक भाई श्री आजम खां हड़ताल की बात कह रहे थे । जाके पांव न फटी बेवाई, वह क्या जान पीर पराई । उन्हें क्या पता मजदूर का दुख क्या होता है । रायपुर में हड़ताल हुआ तो मैं स्वयं पहुंचा । समझौता कराने की कोशिश की । लेकिन रायपुर में सिर्फ पोलिटिक्स के नाम पर मजदूरों को रौंदा जा रहा है और समझौते के रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं की जा रही है । यह कहा जा रहा है कि समझौता होगा, तो हमारी तरफ से होगा वरना हड़ताल ही चलेगी । मैं कहता हूं कि अगर मजदूरों के हमदर्द हैं, तो समझौता कोई कराये, उसका स्वागत करना चाहिए । ताकि देश और श्रमिक दोनों पनप सके ।

अभी मुरादाबाद के बारे में बात हो रही थी। मुरादाबाद के सम्बन्ध म बहुत चर्चा हमारे इस माननीय सदन में हुई है। मैं वहां के मजलूमों पर जो जुल्म हुए हैं और उससे जो पीड़ा पहुंची है बराबर का शरीक हूं और यह बात कहना चाहता हूं कि वह कुरान पाक जिसके कि हम और आप मानने वाले हैं, वह कुरान कहता है कि--

इन्नल्लाह ल युहिब्बुल फसाद'

यानी, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। आजम खां साहब इस पर कितना अमल करते हैं। पैगम्बरे इन्सानियत मुहम्मद रसूलल्लाह ने दुनिया के इन्सानों को अमन और सलामती का पैगाम दिया था। अगर कोई बात होती है, तो मादरे वतन की जो दो आंखें--हिन्दू और मुसलमान हैं--दोनों को बराबर का हक देना पड़ेगा। जिसके दिल में खुदा मुहब्बत इमान है, उसको खुले दिल से इसको कुबूल करना चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि पी0 ए0 सी0 और कुछ लोगों ने नाजायज बात नहीं किया। लेकिन उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है और छानबीन कर रही है। लेकिन माननीय, मैं भविष्य के लिए इस सदन के माध्यम से यह पैगाम हिन्दू और मुसलमानों को पहुंचाना चाहता हूं कि भारत माता, मादरे वतन, दोनों की है--हिन्दुओं की भी मादरे वतन है और मुसलमानों की भी मादरे वतन है। अबुल कलाम आजाद और जवाहर लाल नेहरू भी इसके लाल रहे हैं।

महात्मा गांधी, असफाकउल्ला, राजगुरु शुकदेव और भगत सिंह भी इसके लाल रहे हैं। अब्दुल हमीद भी इसके लाल रहे हैं और टीपू सुल्तान भी इसके लाल रहे हैं जिन्होंने कहा है कि शेर की एक दिन की जिन्दगी गीदड़ की 100 साल की जिन्दगी से बेहतर होती है। यही कहता हुआ वह शेर मादरे वतन पर कुर्बान हो गया। हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर चले थे तो आजादी मिली थी श्रीमन्, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उन लोगों से जो सम्मानित सदस्य जो विपक्ष की ओर बैठे हुये हैं वह विपक्ष की भूमिका को निभाने की कोशिश करें। मेरा खासतौर से अपने विपक्ष के विद्वान साथियों से निवेदन है। हमारे मोहन सिंह जी खूबसूरत हैं हसीन हैं मैं उनसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं वह मेरे जिले के रहने वाले भी हैं मेरे भाई हैं। उन्होंने इस कुर्सी को सुशोभित किया है। परन्तु सदन में जिस तरह का वातावरण पैदा किया गया पर्सनल एटैक, व्यक्तिगत आरोप लगाना। 14 साल की लड़की की बात लेकर गोरखण्डा और प्रचार की बात नहीं है तो और क्या है? एक भाई की हैसियत से वह सजा भी दे सकते थे लेकिन इस कुर्सी की गरिमा को रखते हुये। मैं उनसे यह उम्मीद नहीं करता था कि वह जिस कुर्सी पर पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री पटेल इसको सुशोभित किये उस डायस पर पहुंच जायेंगे। आप जैसे विद्वान सदस्य के लिये यह शोभा नहीं देता। मैं निवेदन करूंगा भविष्य के लिये मोहन सिंह जी से जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय वातावरण पैदा किया दर्शक दीर्घा में बैठने वाले लोग और इस प्रदेश की 12 करोड़ जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ में राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करता हूं तथा अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं और माननीय सदस्यों का जिन्होंने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार रखने का समय दिया। महोदय, माननीय नेता विरोधी दल जो अपने विचार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे हैं, उसका समर्थन करता हूं। महोदय सरकार सरकार शब्द

[श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—]

बहुत सुन रहा हूं लेकिन मेरी नजरों में तो सरकार कहीं नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ इसलिये कि इस देश में अगर कोई सरकार नाम की चीज है या कोई व्यक्ति है तो वह है श्रीमती इन्दिरा गांधी वही अफसर हैं राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं मुख्य मंत्री तथा मंत्री हैं। मान्यवर, हमारे कांग्रेस आई0 के साथियों के हृदय में दर्द है वह चाहते हैं कि कुछ कहा जाय लेकिन ये मजबूर हैं। महोदय, हमारे देश में कोई मुख्य मंत्री इस समय अपने मन का नहीं है। इससे पहले मुख्य मंत्री अपने मन का होता था उसके मन का मंत्रिमण्डल होता था वह अपनी तबियत का मंत्री रखता था, राज्य मंत्री रखता था लेकिन महोदय आज जितने प्रदेशों में कांग्रेस (आई) का शासन है वहां के मुख्य मंत्रियों की बड़ी दुर्दशा है। मुझे बड़ी तरस आती है। कि यहां के मुख्य मंत्री को अगर खांसी भी आती है तो वह दिल्ली जाते हैं कि आज हम खांसे या न खांसें। मान्यवर, इस समय राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण में कहा है उसमें यह बात कहीं नहीं है। जब से कांग्रेस आई की सरकार आई है मंहगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है जुल्म बढ़ा है ज्यादतियां बढ़ी हैं। हमारे उधर के साथी भी इसको महसूस कर रहे हैं लेकिन यह कह नहीं सकते हैं। इनको डर है कहीं कुछ कह दिया तो श्रीमती इन्दिरा गांधी पार्टी से निकाल देंगी, मंत्रिमण्डल से निकाल देंगी।

मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र की बात करता हूं। वैसे मैं अभी बम्बई से आया। बुन्देलखण्ड का क्षेत्र देखा, पूर्वी क्षेत्र भी देखा। अगर देश की हालत को सुधारना है, इसकी अर्थ व्यवस्था को ठीक करना है, देश के लोगों को मजबूत बनाना है तो राज्यों के टुकड़े होने चाहिए। छोटे-छोटे राज्य होने चाहिए। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हिमांचल प्रदेश है। उत्तराखण्ड की इतनी बुरी हालत है कि 3 माह से गल्ला नहीं जा रहा है। आप स्वयं पहाड़ गये हैं, अभी आप रानी खेत भी गये थे, मुझे उस समय पता नहीं चला वरना मैं भी आप से मिलता, वहां के लोगों ने आपके सामने भी समस्यायें रखीं।

अभी मुख्य मंत्री जी और राज्य मंत्री जी बागेश्वर गये थे वहां पर लोगों ने अपनी बात रखी और जैसा कि मंत्री लोग कहा करते हैं कि जल्दी कर रहे हैं, वही कहा।

आप देखें पहाड़ों पर रेल तो चलती नहीं, ट्रकों से माल जाता है। मैं मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में मिला। स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं और इस सदन में मैंने कहा था कि स्वीपर दवा बांट रहे हैं। 180 अस्पताल ऐसे हैं जहां डाक्टर नहीं हैं एक साल से पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी हाई स्कूल, सरकारी इण्टरमीडिट कालेज, महाविद्यालय, आई0 टी0 आई0 और पालिटेक्निकों में भी 6-7 हजार अभी स्थान रिक्त हैं जिनके न होने से वहां विद्यार्थी पर्वतीय क्षेत्र के जो योग्य युवक हैं उन्हें नहीं रखा जा रहा है आन्दोलन, हड़ताल कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं उच्च अधिकारियों से भी मिला। मैं भी एक दल का सदस्य हूं, मेरी बात सुन लीजिये और मुझे कुछ और समय दीजिये। पता नहीं क्या कारण है स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस सदन को विश्वास दिलाया था कि मैं जल्दी चिकित्सकों की व्यवस्था कर रहा हूं 6 महीने तो हो गये लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। पर्वतीय क्षेत्र में जो डाक्टर जाना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की जाय, अध्यापकों ने भी दरखास्त दे रखी है, उसी तरह में पोलीटेक्नीक में भी नियुक्ति के लिए लोगों ने दरखास्त दे रखी है, लेकिन वह रख नहीं रहे हैं। तो ऐसी हालत में मान्यवर, अगर हमारा अलग राज्य होता तो हम तुरन्त रखते।

बुन्देलखण्ड का जिक्र मैं कर रहा हूं, वहां इन लोगों ने कितनी दुर्दशा कर रखी है। 35 वर्ष हो गये देश को आजाद हुए, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। अगर अमल होता तो अल्पसंख्यक और हरिजनों की दुहाई देने वाले, 200 हरिजन शीत लहरी में न मरते। ये रोज कहते हैं कि हमने हरिजनों को इतना दिया लेकिन पता नहीं वह कहां चला जाता है, कहां की बात करते हैं। सारे हरिजन, अल्पसंख्यक लोग, जनजातियों के लोग झोपड़ी में फुटपाथों पर रहते हैं। दो सौ से अधिक आदमी मरे, शीत लहरी से। इसके लिए हम भी दोषी हैं कि आजादी के 35 साल हो गये और इनके रहन-सहन को उठा नहीं सके हैं। मैं यूरोप गया हूं। जर्मनी हमने देखा है। वहां जनता के लिए सरकार है। यहां जनता तथा सरकार के बड़े-बड़े अफसर और सरकार के लोग बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं। मान्यवर, जब मैं जर्मनी गया तो मैंने देखा कि वहाँ के प्रधान मंत्री तथा चान्सलर की कोठियां हमारे डी0 एम0 की कोठी से छोटी थी और....

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया है।

(समय अपराह्न 4 बजकर 50 मिनट)

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं बेरोजगारों की समस्या के लिये हल नहीं है। आप पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन्होंने कब पर्वतीय विकास का बजट पास किया अभी तक बजट जनपदों में नहीं पहुंचा।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठें।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

हाथी को तो आप खाये जा रहे हैं। मच्छर बचाने की बात जंगलों के बारे निगम से करवा रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक प्रतिबन्ध लगवा दिया है कि जो भी निर्माण कार्य अब होंगे, सड़क, पुल या नहर आदि के, उसमें केन्द्र सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं तो ज्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि....

अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया है।

*डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और उस पर जो प्रस्ताव श्री विमल प्रसाद तिवारी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, एक बात मुझे याद आ गयी।

ऐसा दस्तूर दुनिया में देखा नहीं था,
कल था कातिल वो मन्सूब बना,
और कब यह सोचा था कातिल की फेहरिस्त में,
आज मकतूल का नाम आ जायगा॥

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डा० बृज किशोर मिश्रा--]

मान्यवर, मैं सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाओं के लिये उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा और उसके साथ-साथ यह कहना चाहूंगा कि सुबह से मुतवातिर मैं सुनता रहा और बड़ा धैर्य रखा कि कोई नहीं तो बाबू मोहन सिंह तो इस अभिभाषण की तारीफ करेंगे ही लेकिन जब वह भी अपनी बात समाप्त कर दिये तो मुझे ऐसा लगा कि प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले प्रजातन्त्र का मखौल उड़ावें तो मैं नहीं समझता कि प्रजातन्त्र कैसे कायम रहेगा। मान्यवर, इस अभिभाषण का उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था बाकी रह गयी है, जो इस अभिभाषण में अंकित नहीं हुई है। कुछ दिन के लिये राष्ट्रपति शासन मिला और राष्ट्रपति शासन के बाद जब हमारी सरकार आयी तो जो कुछ हमने 33 वर्षों में इस मुल्क में अर्जित किया था, इन्होंने 3 साल के अन्दर हमारी सारी सामग्री को मिटा दिया।

मान्यवर, अभी एक महाशय बोल रहे थे कि गेहूं की बाजार में कमी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह स्थिति जो पैदा की है वह आपने पिछले 3 सालों में पैदा की है। करोड़ों टन हमने अनाज रखा था। गोदामों में गेहूं सड़ रहा था लेकिन आपने मजाक बनाकर, ब्लाक के माध्यम से, जनता का नाम लेकर आपने ब्लाक के माध्यम से गेहूं की स्मगलिंग की, गेहूं बिकवाया और नेपाल और चीन के बार्डरों पर भेजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने किस व्यवस्था को नहीं किया था। हमारे पास किस चीज की कमी थी। आपने आते-आते हमको बाढ़ दिया आपने खजाना पहले साफ कर दिया था। हमको नये रूप से व्यवस्था करनी पड़ी। बाढ़ के लिये करोड़ों रुपये हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ा। बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ हमने गांव में गरीब और निरीह किसानों को रुपया अनुदान के रूप में वितरित किया। इन सात महीनों में जितनी नहरों को आपने बरबाद कर दिया था उन नहरों को पुनर्जीवित किया और ट्यूबवेलों के द्वारा पानी की व्यवस्था की।

आपने एक बात कही कि सुई लगाने से 5 आदमी मर गये। आंख का आपरेशन हुआ सुई लगी 5 आदमी मर गये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर एक आदमी को पिन्सीलीन की सुई लगा दी जाय तो चंगा हो जायगा और उसी पेनसीलीन की सुई को अगर दूसरे को जैसे मोतीलाल जी हैं उनको लगा दी जाय तो वह लुढ़क सकते हैं। क्योंकि उन्हें टालरेट करने की क्षमता नहीं है। इसलिये सुई से कोई मर नहीं जाता। मरने का तरीका अलग-अलग है। एक से एक डाक्टरों को बुलाया जाता है मेडिकल कालेज में लेकिन कोलेप्स मरीज कर जाता है उसकी जिम्मेदारी सुई पर नहीं होती है।

हमने स्वास्थ्य विभाग को कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया है। अभी एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता माननीय रियासत हुसैन जिनका अनुभव भी बहुत है बोल रहे थे। जब ऐसे वरिष्ठ नेता जो सदन में कई बार आये और गये अगर वह इस तरह की बात करेंगे, पुलिस प्रशासन, पी० ए० सी०, एस० एस० पी० को चैलेंज करेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी। मैं जानना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार थी तो नारायणपुर कांड हुआ था उस वक्त तो आपने एक बार भी नहीं कहा। ईमानदारी की बात, बाबू मोहन सिंह ने आवाज उठायी थी यह सत्य है। आपकी हुकूमत थी बनारसी दास जी मौके पर गये थे लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि पुलिस का दोष है। उन दिनों कहां थी जब सड़कों पर महिलाओं के साथ बलात्कार होते थे और अबलाओं की इज्जत के साथ बलात्कार किया जाता

था । तब आपका प्रशासन कहां था । मैं मानने के लिये तैयार हूं व्यक्ति का दोष हो सकता है, लेकिन संस्था या पूरी व्यवस्था दोषी नहीं है । सांप्रदायिक दंगों के लिये हमने एक एकीकरण समिति बनायी है जो राष्ट्र से लेकर प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर जनपद तक काम कर रही है । हम इससे सद्भाव पैदा करना चाहते हैं । प्रेम और व्यवहार को पैदा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान से हिन्दू और मुसलमान यह दो शब्द मिटाकर एक शब्द हिन्दुस्तानी रखा जाय ।

[मेजों को थपथपाने की आवाजें] ।

अगर आपकी आवाज की गरिमा होगी, सदन की बात की गरिमा होगी तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के कोने-कोने में वह फैलेगी । अगर विधान सभा के कक्ष में बैठकर इस तरह से कुनबा परस्ती, फिरकापरस्ती की बात होगी तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के कोने-कोने में यह बात बढ़ेगी न कि घटेगी । अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करते हुये माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कटाक्ष हों लेकिन कम हों ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आज नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से पहली एक सूचना श्री मुहम्मद आजम खां की स्वीकार हुई है । यह सूचना दिनांक 24-11-80 से रजा टेक्सटाइल मिल लि0, रामपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं पुलिस द्वारा मजदूरों व उनकी स्त्रियों को मारा पीटा जाना तथा दुर्व्यवहार से क्षेत्रीय जनता तथा मजदूरों में क्षोभ एवं आक्रोश के सम्बन्ध में थी ।

इसके अतिरिक्त आज जो प्राप्त हुई है उसमें श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की प्रधान मंत्री द्वारा विगत दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजत जंयती उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रयाग में हुई लूटमार आगजनी, पथराव तथा कई छात्रों की जानें चली जानें से छात्रों में व्याप्त भंयकर असन्तोष के सम्बन्ध में थी ।

तीसरी श्री रामस्वरूप वर्मा की है जो ग्राम मकरन्दा जिला कानपुर में ड्रामा खेले जाने पर पुलिस द्वारा आपत्ति एवं गिरफ्तारी से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में है ।

चौथी सूचना श्री हरिवंश सहाय की अदालतों के बन्द होने के संबंध में है । पांचवी श्री नन्द किशोर सिंह की जनता में आतंक के सम्बन्ध में । छठीं श्री बदा सिंह और श्री विजय सिंह राना की आगरा में तातपुर ग्राम में जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में है । सातवीं सूचना श्री विजय सिंह राना की आगरा मेडिकल कालेज में भ्रष्टाचार एवं पर्चा आउट कराने से असंतोष के सम्बन्ध में । आठवीं सूचना श्री रियासत हुसैन, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री अकबर हुसैन और श्री माता प्रसाद पांडेय की सूचना परशुरामपुर, जिला बस्ती में भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, श्री सुखपाल पांडे को अराजक तत्वों द्वारा पुलिस की सहायता से घेरने तथा जान से मारने की साजिश करने के सम्बन्ध में है, यह सब अस्वीकार हुई है और पहली श्री मुहम्मद आजम खां की सूचना स्वीकार हुई है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मेरी सूचना पर शासन से वक्तव्य दिला दें । चूंकि प्रदेश में बड़े महत्व का प्रश्न बन गया है और सारे छात्र आंदोलित हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । पहले तो श्री मुहम्मद आजम खां की जो सूचना स्वीकार किया है उस पर मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि 4 तारीख को सुविधा हो, तो वक्तव्य दे दें ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 4 के बजाय 6 फरवरी कर दें ।

श्री रियासत हुसैन--

हड़ताल पर आदमी बैठे हैं इसलिये इसमें शीघ्रातिशीघ्र वक्तव्य 4 को ही दिला दें ।

श्री अध्यक्ष--

4 फरवरी को मंत्री जी वक्तव्य दे दें ।

राजेन्द्र अग्निहोत्री जी आप फिर लिखकर दे दें ।

अब हम उठते हैं और कल फिर 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
29 जनवरी, 1981 ई० ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिय नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 272 पर]

अधीक्षक व क्लर्क कालविन अस्पताल द्वारा खुला रंडीखाना

इलाहाबाद का स्थानीय कालविन अस्पताल (मोती लाल नेहरू अस्पताल) के अधीक्षक, डा0 मदन मोहन त्रिपाठी एवं एस0 बी0 लाल (क्लर्क) द्वारा सैकड़ों नर्सों को होटल में सप्लाई का धंधा तेजी से चल रहा है जैसे कि कुमारी अनीता एवं रूप कुमारी 1 अप्रैल, 1980 को प्रातः इलाहाबाद के स्थानीय सिटी होटल हीवेट रोड में 200 रु0 रात्रि के हिसाब से बुक की गई थीं। इन्सपेक्टर, कोतवाली, श्री आर0 बी0 एल0 श्रीवास्तव द्वारा छापा मारकर गिरफ्तार की गई थी, जिसमें होटल द्वारा व क्लर्क द्वारा हजारों रुपये की थैली देकर हम लोगों को बाल-बाल बचा लिया और दो तीन लड़कियां एवं होटल मालिक के लड़के को पुलिस द्वारा चालान कर दिया गया था।

एस0 बी0 लाल (क्लर्क) द्वारा संयुक्त निदेशक, डा0 हरकोली तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा0 बी0 के0 शर्मा के निवास स्थान पर हम लोगों को चलाया जा रहा है और इलाहाबाद के प्रमुख होटलों में एस0 बी0 लाल द्वारा नर्सों की सप्लाई का कार्य चल रहा है।'

न्याय मन्त्री, जगदीश जी एवं श्री अमीन अन्सारी के इलाहाबाद आगमन पर चार नर्सों को लेकर डा0 मदन मोहन त्रिपाठी के आदेशानुसार क्लर्क, एस0 बी0 लाल के द्वारा हम लोगों को मन्त्रियों की सेवा के लिये ले जाया गया जहां मन्त्रियों द्वारा हम लड़कियों के द्वारा मुंह काला करके एस0 बी0 लाल के साथ नर्सिंग हास्टल, काटजू रोड पर पहुंचा दी गई, साथ ही साथ यह आश्वासन दिया गया कि तुम लोगों को स्टाफ नर्स तुरन्त बनवा दिया जायेगा। किन्तु अपना मतलब निकालने के बाद हम लोगों का ट्रेनिंग पीरियड भी कैंसिल कर दिया गया। पुनः ट्रेनिंग करने का आदेश हम लोगों को नहीं प्राप्त हो सका।

अतः आपसे अनुरोध है कि डा0 मदन मोहन त्रिपाठी एवं एस0 बी0 लाल (क्लर्क) को तुरन्त हटाकर सैकड़ों लड़कियों को रंडी होने से बचाया जाय।

नोट--बुलेटिन नं0 2 का इन्तजार कीजिये।

भवदीय,

हम हैं आपकी लड़कियां (नर्स),
नर्सिंग होस्टल, मोती लाल नेहरू कालविन अस्पताल,
काटजू रोड, इलाहाबाद।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 308 पर)

सूची "क"

माह	नरायन कोल कं0		राम किशोर रस्तोगी		कुमार एण्ड ब्रदर्स		कोल ट्रेडिंग कार्प0	
	स्लैक	साफ्ट	स्लैक	साफ्ट	स्लैक	साफ्ट	स्लैक	साफ्ट
	टन	टन	टन	टन	टन	टन	टन	टन
जुलाई, 1979	..	..	..	..	..	..	..	..
अगस्त, 1979	2000	140	..	..	2000	1000	2000	1000
सितम्बर, 1979	..	..	2000	161	..	..	..	..
अक्टूबर, 1979	..	..	4000	121	..	..	..	..
नवम्बर, 1979	307	..	308	210	..	..	..	..
दिसम्बर, 1979	..	..	1230	140	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनवरी, 1980	..	..	315	..	..	..	..	..
फरवरी, 1980	..	..	..	..	..	..	..	..
मार्च, 1980	1240	70	..	..	1270	..	1105	..
अप्रैल, 1980	..	..	..	..	..	..	..	..
मई, 1980	..	..	..	..	..	..	..	..
जून, 1980	..	..	..	..	..	..	..	..
जुलाई, 1980	..	..	..	..	..	..	..	..
अगस्त, 1980	..	..	..	..	..	.	..	..
योग ..	3547	210	7853	632	3270	1000	3105	1000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Serial no.	Truck no.	Weight	Name of party
1	PUJ-2466	13,000	Kumar Int Udyog.
2	USH-5297	18,600	Prabhat Brick Field Biswan.
3	UTB-3853	14,980	Ditto.
4	URA-9840	16,390	Bharat Brick Field, Naiparapur.
5	USY-1846	15,710	Kumar Int Udog.
6	UTC-7527	15,860	Prabhat Brick Field, Biswan.
7	UTW-179	14,700	Bharat Brick Field, Naiparapur.
8	UTC-9907	15,470	Prabhat Brick Field. Biswan.
9	UPB-8329	16,140	Ditto.
10	UTT-7304	16,240	Ditto.
11	USU-3299	14,740	Bharat Brick Field, Naiparapur.
12	URA-4956	16,980	Kumar Int Udyog.
13	UTC-9707	16,320	Ditto.
14	UTC-9311	16,080	Prabhat Brick Field, Biswan.
15	URA-4585	15,760	Ditto.
16	UPG-8221	14,220	Ditto.
17	UPL-5671	14,680	Ditto.
18	URD-1699	16,260	Ditto.
19	URA-4863	17,280	Ditto.
20	UPL-1921	15,340	Ditto.
21	URA-4802	15,240	Sitapur Brick Field, Sitapur.
22	URA-9542	13,960	Prabhat Brick Field. Biswan.
23	UTC-9499	16,600	Ditto.
24	URA-9564	15,800	Ditto.
25	USE-8025	15,100	Ditto.
26	UTD-4607	15,540	Ditto.
27	URA-4678	17,320	Ditto.
28	URA-9759	15,540	Ditto.
29	PUJ-736	15,820	Kumar Int Udyog.
	Total c/o	455,650	

Serial no.	Truck no.	Weight	Name of the party
	Total B/F	4,55,650	
30	PUL-7725	15,980	Laxmiji Brick Field.
31	PUS-4558	14,380	Ditto.
32	BHW-9045	16,160	Ditto.
33	HYA-8898	17,120	Ditto.
34	BRB-7105	17,940	Ditto.
35	PUB-5134	14,380	Ditto.
36	HPG-157	15,340	Ditto.
37	PBO-3631	16,140	Bharat Brick Field, Naiparapur.
38	PBD-5067	16,180	Ditto.
39	PUR-5107	15,540	Ditto.
40	USX-1777	16,000	Ditto.
41	USX-1862	15,220	Ditto.
42	UPA-9743	17,060	Ditto.
43	UTC-9809	13,600	Ditto.
44	UPC-2960	14,380	Sitapur Brick Field.
45	BHW-9523	17,040	Kumar Int Udyog.
46	BHD-9323	17,080	Sitapur Brick Field.
47	BHW-9213	16,440	Ditto.
48	BHW-7313	17,740	Ditto.
49	UTC-9271	16,080	Ditto.
50	BRB-1626	16,560	Uttam Brick Field.
51	BRB-8845	18,060	Ditto.
52	UTC-9960	15280	Om Jai Brick Field.
53	URA-9566	14,380	Bharat Brick Field.
54	USJ-2187	18,220	Laxshmi Ji Brick Field.
	Total	855,950	

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 312 पर)

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	गोदाम	चीनी की मात्रा	खाण्डसारी की मात्रा
1	2	3	4	5
1	श्री किशन लाल	पंजाब गुजरात, ट्रान्सपोर्ट कं0 प्रा0 बाद	27 कुन्टल	..
2	श्री जे कुमार	पटियाला राजस्थान कं0	25 कुन्टल	550 कुन्टल
3	श्री अवतार सिंह राजपाल न्यू महावीर बाजार अमृतसर सुगर ट्रेडिंग कं0 दाल मण्डी अमृतसर	बाम्बे बनारस ट्रान्सपोर्ट कं0	152 कुन्टल	.
4	श्री जंग सिंह	सचदेव गुड्स कैरियर	..	495 कुन्टल
5	श्री शारदा प्रसाद	जैपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कं0	..	127 कुन्टल
6	ड्राईवर--श्री मांगेराम ट्रक यूनियन भेटिन्डा ट्रक नं0 6955	अज्ञात	..	102 कुन्टल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7	ड्राईवर—श्री राम किशन, ग्राम खडखडी ट्रक नं0 आर0 एल0 बी0 6925 ..	..	116 कुन्टल
8	ड्राईवर—श्री राम जी लाल अलवर ट्रक नं0 आर0 आर0 एल0 6365 ..	..	101 कुन्टल
9	मालिक श्री दीवान चन्द गुलशन कुमार अमृतसर ..	125 कुन्टल	..
10	ड्राईवर—सोत राम, गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कं0, यू0 पी0, दिल्ली बार्डर, ट्रक नं0 आर0 एस0 बी0 5219 ..	..	111 कुन्टल सल्फर
11	ड्राईवर—बुद्ध राम, भटिन्डा, ट्रक नं0 पी0 यू0 टी0 2797 ..	120 कुन्टल	..
12	ड्राईवर—हरबल सिंह, अलवर, ट्रक नं0 पी0 बी0 ई0 297 ..	155 कुन्टल	..
13	श्री जोगेन्दर सिंह, तरनतरन, अमृतसर, ट्रक नं0 पी0 यू0 ई0 4495 ..	155 कुन्टल	..
14	ड्राईव—भोला राम, ट्रक नं0 एच0 आर0 पी0 6712 ..	..	65 कुन्टल सल्फर
15	ड्राईवर—श्री जागीर सिंह, निवासी राजपुरा, ट्रक नं0 एच0 आई0 ए0 3567 ..	..	115 कुन्टल सल्फर

लोक निदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
16	ड्राईवर—श्री जनरल सिंह, जी0 टी0 रोड, राजपुरा, ट्रक नं0 आर0 यू0 पी0 8113	..	..	100 कुन्टल सल्फर
17	पटियाला ट्रान्सपोर्ट कं0	..	127 कुन्टल	104 कुन्टल
18	श्री रामजी दास, गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कं0	..	..	105 कुन्टल
19	श्री राम भगाया, दिल्ली-आगरा रोड, ट्रान्सपोर्ट कं0	..	141 कुन्टल	..
20	जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कं0	..	..	380 कुन्टल
	श्री दलवीर सिंह, वाजवा ट्रान्सपोर्ट कं0	..	125 कुन्टल	..
	श्री बलदेव सिंह सचदेवा गुड्स, कैंटियर	..	81 कुन्टल	..
	श्री अवतार सिंह, जयपुर गोल्डेन ट्रान्सपोर्ट कं0	..	..	3060 कुन्टल
	हरीश शुगर कं0	रेवको ट्रान्सपोर्ट कं0	..	1185 कुन्टल
	श्री जोगेन्द्र सिंह	..	2 कुन्टल 40 कि0	..
	योग ..	..	1235 कुन्टल 40 कि0	6716 कुन्टल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 313 पर)

जनपद आजमगढ़ में नियुक्त बैरियर कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना

क्रम-संख्या	टाउन एरिया का नाम	1 मई, 1979 को कार्यरत बैरियर कर्मचारियों संख्या	16 सितम्बर, 1980 को कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	टिप्पणी
1	जीयनपुर	—	—	नवसृजित टाउन एरिया
2	अजमतगढ़	—	—	"
3	महराजगंज	—	—	"
4	बिलरियागंज	—	—	"
5	मेंहनगर	—	—	"
6	लालगंज	—	—	"
7	मटरी	—	—	"
8	कीपागंज	6	6	पुरानी टाउन एरिया
9	सराय्मीर	6	6	"
10	निजामाबाद	2	2	"
11	अतरौलिया	5	5	"
12	फूलपुर	5	5	"
13	घोसी	—	—	नवसृजित टाउन एरिया
14	अमिला	—	—	पुरानी टाउन एरिया
15	दोहरीघाट	15	13	दो कर्मचारी अन्य विभाग में कार्य पाने के कारण त्याग-पत्र दे कर चले गये ।
16	मोहम्मदाबाद	4	4	
	योग ..	43	41	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 321 पर)

तालिका 'क'

क्रम-संख्या	वस्तु	मात्रा	अनुमानित मूल्य
			रु0
1	कोयला	5074.470 टन तथा 5 ट्रक	20,00,000—00
2	पाम आयल	12,497 टिन	22,49,460—00
3	रेपसीड आयल	380 किलोग्राम	3,420—00
4	अरहर की दाल	16,888 किलोग्राम	76,000—00
5	अन्य दालें	3043 किलोग्राम	13,703—00
6	मिट्टी का तेल	5,575 लीटर	8,920—00
7	डीजल	9,245 लीटर	21,263—00
8	चीनी/खाण्डसारी	1,14,575 किलोग्राम	7,56,600—00
9	खाद्यान्न	8,505 कुन्टल	25,14,000—00
10	अन्य खाद्य तेल	53,067 किलोग्राम	6,37,000—00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 329 पर)

उत्तर प्रदेश शासन

निवास अनुभाग-3

संख्या 2495/37-3-189-एन0 के0 वि0-76

लखनऊ, 30 सितम्बर, 1977

अधिसूचना

चूंकि सरकारी आदेश संख्या 3647-क/37-35 (1) (2)-66, दिनांक 27 जनवरी, 1970 में स्वीकृत लखनऊ की महायोजना में संशोधन के सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए दो समाचार-पत्र "पायनियर" दिनांक 24 अप्रैल, 1977 तथा "नवजीवन" दिनांक 23 अप्रैल, 1977 में एक नोटिस प्रचलित की गयी थी।

और चूंकि उपर्युक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर राज्य सरकार को कोई आपत्ति तथा सुझाव नहीं प्राप्त हुए।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974) द्वारा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी आदेश संख्या 3647-क/37-1-35 (1) (2)-66, दिनांक 27 जनवरी, 1970 में स्वीकृत लखनऊ की महायोजना में निम्नलिखित संशोधन करते हैं और उक्त अधिनियम संख्या 11, 1973 की उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन राज्यपाल निदेश देते हैं कि यह संशोधन इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तन में आयेगा :

संशोधन

स्थान और जिले का वर्णन	क्षेत्रफल	वर्तमान भू-उपयोग	पुनरीक्षित भू-उपयोग
रायल होटल के सामने 14, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, जिला लखनऊ	47103 वर्ग फीट	आवासीय	वाणिज्यिक

आज्ञा से,

बी0 जे0 खोदायजी,

सचिव।

संख्या 2495 (1)/37-3-189-एन0 के0 वि0/76

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद के साथ, संयुक्त अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय बांध प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को आज के असाधारण गजट के अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया मुद्रित विज्ञप्ति की 10-10 प्रतियां इस अनुभाग तथा पृष्ठांकन में उल्लिखित अधिकारियों को भेज दी जायं।

आज्ञा से,

प्रमोद कुमार पाण्डे,
उप सचिव।

संख्या 2495 (2)/37-3-189-एन0 के0 वि0/76

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1--उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

2--मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।

3--जिलाधिकारी, लखनऊ।

आज्ञा से,

प्रमोद कुमार पाण्डे,
उप सचिव।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 108 का उत्तर पीछे पृष्ठ 338 पर)

अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1980 तक के आय

क्रम-संख्या	वर्ष	कुल प्राप्त धनराशि	राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता	वर्ष में पालिका की कुल आय
1	1978-79	12,72,940·27	3,04,923·15	15,77,863·42
2	1979-80	10,89,416·88	3,70,568·53	14,59,985·41

नोट—वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में जो शासन से सहायता नगरपालिका. गाजीपुर को प्राप्त हुआ है। उस धनराशि को केवल वेतन पर ही व्यय किया गया है।

अप्रैल, 1978 से मार्च, 1980 तक के व्यय

क्रम-संख्या		मद	1978-79	1979-80
1	1	प्रशासन व केन्द्रीय	72,994·82	85,111·85
2	2	वसूली	1,90,323·24	2,03,068·23
3	5	वापसी	4,676·00	970·00
4	9	बिजली	79,522·44	66,508·93
5	13	जलकल विभाग	1,64,928·70	2,33,660·46
6	16-ए	कन्जरवेंसी	5,84,575·37	5,43,913·67
7	16-बी	सांड़खाना	26,058·00	39,122·06
8	16-सी	मरम्मत गाड़ी	26,913·80	28,081·29
9	17	स्वास्थ्य विभाग	68,858·96	68,275·88
10	21	अदर सेनेटरी रिक्वायरमेंट	15,929·14	8,128·75
11	22	जबहखाना	3,354·60	3,714·76
12	28	सा0 नि0 वि0	5,490·98	4,203·37
13	29	मरम्मत भवन	45,922·49	14,863·42
14	30	मरम्मत सड़क	2,10,635·14	76,557·65
15	31	टूल्स एवं प्लान्ट्स	23,409·60	616·50
16	41	फार्म व छपाई	15,489·21	13,100·05
17	41-ए	ला चार्जेज	8,338·20	8,353·00
18	41-बी	भविष्य निर्वाह निधि	1,04,904·22	8,364·55
19	41-एफ	विविध व्यय	14,748·61	40,174·91
		योग ..	16,67,073·52	14,46,780·33

1979-80 में निम्नलिखित सड़कों पर व्यय हुआ

	रु0
1—सड़क मरम्मत छोटा महादेवा	1,737·50
2—निर्माण नाली कचहरी के पास	790·00
3—मानस सेवा संघ सड़क की मरम्मत	3,129·11
4—नाली निर्माण कपूरपुर	700·00
5—खड़ञ्जा मरम्मत परसपुरा	3,400·00
6—निर्माण नाली परसपुरा	1,018·00
7—निर्माण नाली काजीटोला	1,426·77
8—सड़क निर्माण गेराबाजार	4,000·00
9—डाला गिट्टी की आपूर्ति व ढुलाई तथा मस्टर रोल पर हुए व्यय	47,648·27
योग ..	63,849·95

नोट—सड़क, खड़ंज एवं नालियों का निर्माण कार्य जो महादेवा, कचहरी, मानस सेवा संघ, कपूरपुर, परसपुरा, काजीटोला एवं गेराबाजार स्थित हैं, पूर्ण हो चुका है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 345 पर)

आरोपों का विवरण—

(1) प्राचार्य श्री वी0 के0 शर्मा ने 26 जनवरी, 1979 को नगर में उपस्थित रहने के उपरान्त भी विद्यालय के ध्वजारोहण एवं कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुये ।

(2) 26 जनवरी, 1980 को प्राचार्य जी ने ध्वजारोहण के उपरान्त सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिये जब कि जिलाधिकारी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में संविधान में उल्लिखित संकल्प का दोहराना आवश्यक कार्यक्रम था ।

(3) प्राचार्य जी ने अपने व्यक्तिगत पर्चों द्वारा विद्यालय से सैकड़ों रुपये की औषधियों का वितरण कर दिया है। इन पर्चों पर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क भी नहीं लिया गया है न वे वहिरंग विभाग के रजिस्टर पर चढ़ाये गये हैं ।

(4) प्राचार्य के तानाशाही आदेशों के फलस्वरूप चिकित्सालय की क्षमता में कमी आई है क्योंकि योग्य चिकित्सकों से कार्य का अवसर छीन लिया गया है जिससे कीमती उपकरण बेकार पड़े हैं ।

(5) प्राचार्य जी ने विद्यालय क्रीड़ास्थल को ट्रैक्टर से जुतवा दिया तथा बैडमिन्टन कोर्ट पर ईंटों का ढेर लगवा दिया जिससे क्रीड़ा के सभी कार्यक्रम बन्द हो गये जब कि छात्र प्रति वर्ष 12 रुपया क्रीड़ा शुल्क देते हैं ।

(6) विद्यालय में हुये कुल निर्माण कार्य के फलस्वरूप एकत्रित मलवे को विद्यालय प्रांगण में ही डाल दिया गया तथा पुनः सैकड़ों रुपये देकर फिर उठवाया गया । जिससे शासन के धन का दुरुपयोग किया गया ।

(7) प्राचार्य पुस्तकालय हेतु दो पुस्तकें एक ही विषय की, एक ही संस्करण, एक ही विषय की खरीदी जिससे एक का मूल्य 75 रु0 तथा दूसरी का मूल्य 150 रुपया था । इस तरह छात्रों तथा शासन के पैसे का दुरुपयोग किया गया ।

(8) प्राचार्य ने गत वर्ष 46 छात्रों के आवास हेतु उपलब्ध छात्रावास में केवल 30 छात्रों को ही छात्रावास प्रदान किया इससे जहां छात्र विद्यालय में उपलब्ध सुविधा से वंचित रहे वहीं पर आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी ।

(9) प्राचार्य जी ने फरवरी, 1979 से विद्यालय के गेस्ट हाउस को अपना निवास स्थान बना रखा है, बाहर से आने वाले परीक्षकों को यत्रतत्र ठहरा कर भारी असुविधा उठानी पड़ती है ।

(10) प्राचार्य जी ने राष्ट्रीय हितों एवं परम्पराओं की उपेक्षा का अत्यधिक निन्दनीय उदाहरण यह भी प्रस्तुत किया कि स्व0 वी0 वी0 गिरि, भूतपूर्व राष्ट्रपति के निधन पर विद्यालय भवन पर झंडा नहीं झुकाया जब कि सभी सरकारी भवनों पर झंडे झुका दिये गये थे, इनके इस कृत्य से राष्ट्रीय सम्मान को आघात पहुंचा है ।

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 348 पर)

श्री मुरारी लाल श्रीवास्तव, पो0 जैथरा, जनपद एटा द्वारा अगस्त, 80 से डा0 लज्जा राम सिंह के विरुद्ध दिए गए प्रार्थना-पत्र में निम्न नौ सूत्र थे--

(1) उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना सरकारी आवास की दीवाल फोड़कर राजकीय सम्पति का नुकसान किया ।

(2) परिवार कल्याण ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर अन्दरूनी सफाई (गर्भ समापन) के बोर्ड को तोड़-फोड़ करके उसका वजूद भी मिटा दिया गया और उसका फाटक बनाकर कार के गैरेज में लगा दिया गया । इस प्रकार परिवार कल्याण कार्यक्रम में बाधा डाल कर बोर्ड का दुरुपयोग किया ।

(3) अस्पताल में सप्लाई सरकारी औषधियों का दुरुपयोग खुलेआम होता है । प्रमाण के लिए भंडार चेक करने पर बहुत सी औषधियां बिना मोहर लगे प्राप्त होंगी जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि औषधियां बेचने के इरादे से रखी गयी हैं ।

(4) गांधी आश्रम खादी भंडार, एटा से 169·19 रु0 लागत का सामान अस्पताल के लिए खरीदा गया । जिसका बिल नं0 3255, दिनांक 17-12-1979 है, भुगतान हो चुका है । परन्तु कोई भी सामान उसमें से अस्पताल नहीं गया और न अस्पताल के किसी भंडार पंजिका में अंकित किया गया है ।

(5) सरकारी आवास को इस्तेमाल करते हुए मकान किराया शासन से वसूल कर लिया है जो कि सरकारी धन का दुरुपयोग है ।

(6) दिनांक 11 व 12 फरवरी, 1980 को मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा को अनुपस्थित पाए जाने पर तथा उपस्थिति पंजिका में अनुपस्थित अंकित किए जाने पर भी पूरा वेतन निकाल लिया । इस प्रकार दो दिन का वेतन अवैधानिक रूप से लेकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया ।

(7) अस्पताल का सरकारी सामान सीलिंग फैन, गैस, लालटेन, आफिस टेबुल, आफिस रैक, आफिस चेयर, 3 स्टील आलमारी, बेडशीट, पर्दे, तकिया, स्टोव तथा अन्य सामान अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सरकारी सम्पत्ति का दुरुपयोग है ।

(8) वित्तीय वर्ष 1979-80 में सरकार से मिले हुए सभी बजट इस्तेमाल कर लिये गये परन्तु सामान भी खरीद कर नहीं लाया गया । जिसकी पुष्टि अस्पताल से सम्बन्धित कर्मचारी से पूछ-ताछ कर की जा सकती है ।

(9) डा0 परीक्षण के लिए आये मुकदमों की फीस 70 प्रतिशत राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है ।

पी0 एस0 यू0 पी0--3 वि0 सभा--4-6-81--875 (पी0 डी0) ।